1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या 27

बृहस्पतिवार

दिनांक 24 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु मास्टर प्लान

750. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान ने नवम्बर, 1981 में अपने डूंगरपुर प्रवास पर एक ग्राम सभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों को विश्वास दिलाया था कि आदिवासी क्षेत्रों के विकासार्थ मास्टर प्लान बनाया जायेगा?

(2) यदि हां, तो कृपया बनाये गये विकासार्थ मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां, माननीय मुख्य मंत्री जी ने डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के खडलई ग्राम में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आदिवासी क्षेत्र के जो हिस्से विकास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये हैं उनका सर्वेक्षण करवा कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा और उसके समुचित विकास के प्रयास किये जायेंगे।

(2) इन क्षेत्रों में सिंचाई, खनिज एवं उद्योग, वन, कृषि, पशु पालन एवं मत्स्य के बारे में संभावित क्षमता का सर्वेक्षण कराया गया है व जन जाति उपयोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये आयुक्त, जन जाति क्षेत्रीय विकास की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके अनुसार अब मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सागवाड़ा तहसील के खडलई गांव में नवम्बर, 81 में और जनवरी, 83 में ही क्षेत्रीय विकास की बैठकों में आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण

Page No 2

(श्री नन्दलाल मीणा)
विकास के लिये मास्टर प्लान योजना का बखान किया था उसके साथ उप मंत्री जी गोविन्द आमलिया ने अगस्त, 81 में कहा था कि वर्तमान में जो आदिवासियों पर कार्यक्रम लागू किये गये हैं उनसे उनको समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। उसके आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 81 से आमूल-चूल परिवर्तन के लिये मास्टर प्लान की बात कह रहे हैं ताकि आदिवासियों को सीधा लाभ मिले तो इसके बारे में क्या कदम उठायेंगे और अब तक विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान का अलग प्रश्न है और सीधा लाभ मिले, यह अलग प्रश्न है।

श्री नन्दलाल मीणा : अलग नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, 81 निकल गया, 82 निकल गया और 83 चल रहा है, सवा-डेढ़ साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी विभाग ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाये ? मुख्य मंत्री जी ने घोषणा के पश्चात् विभाग को कब आदेश दिये ?

श्री दुलाराम : आदिवासी क्षेत्र का पैसा तो उसी क्षेत्र में खर्च हो रहा है। मास्टर प्लान की योजना तो इसलिये है कि जिस एरिया में पूरा पैसा नहीं लगा और उसका विकास सही नहीं हुआ। उसके लिये ही मास्टर-प्लान की घोषणा की थी।

श्री नन्दलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी ने कहा है और चिन्ता व्यक्त की है कि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये····

श्री दुलाराम : आपको पता नहीं है, मेरे पास है। आप उनका स्टेटमेंट सुनिये। 'जयपुर, 17 नवम्बर। मुख्य मंत्री ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र के जो हिस्से विकास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये हैं उनका सर्वेक्षण करवा कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा और उनके समुचित विकास के प्रयत्न किये जायेंगे।' यह घोषणा की थी। इसके अनुसार राजस्थान सरकार ने कमेटी घोषित की है जो प्लान तैयार कर रही है जिसके बाद मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जायेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : उस कमेटी में किस किस को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन सदस्य ?

श्री दुलाराम : यह आपने पूछा नहीं इसलिये मैं लाया नहीं। आयुक्त, जन जाति क्षेत्र की अध्यक्षता में समिति बनाई है जिसके सदस्यों की अभी मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : कोटा जिले के आदिवासियों के लिये क्या किया जा रहा है····

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान के लिये सर्वे करवाया तो सर्वे में किन-किस से मदद ले रहे है जिनके आधार पर मास्टर प्लान बनायेंगे ? दूसरे, जो कमेटी बनाई है उसमें राजनैतिक भेद-भाव छोड़ कर क्या ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो वास्तव में सही सुझाव दे सकें और मास्टर प्लान के लिये ज्यादा

(श्री मेघराज तावड़)

उपयोगी हो ? तीसरा, मेरा सुझाव है कि आदिवासियों के विकास की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके भी सुझाव क्या मास्टर प्लान में सम्मिलित किये जायेंगे ताकि उन्हें फायदा मिल सके ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो संस्थाएं पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं उनको मास्टर प्लान का काम सुपुर्द किया जायेगा ? दूसरे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उदयपुर ने जन जाति क्षेत्रीय विकास के बारे में अपना कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर रखा है, क्या उस पर भी मास्टर प्लान को बनाते समय विचार करेंगे ?

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक लंबी अवधि के दौरान यह मास्टर प्लान बन नहीं सका। अब यह किस अवधि तक बन जायेगा ?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासी लाभ से वंचित रह गये हैं, इसका मतलब टी. ए. डी. प्लान जहां पर लागू है उनके अलावा जहां स्केटर्ड पापुलेशन है, क्या उनके लिये मास्टर प्लान बन रहा है ? यह बताया जाय।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी पधार गये हैं उनसे....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे। संबंधित मंत्री जी बैठे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के आदिवासी इलाके में मुख्य मंत्री जी पधारे थे और कहा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी के कई भाषण होते हैं। मुख्य मंत्री जी ने किस तारीख को, कौन से दिन क्या भाषण दिया, तत्काल इसकी तैयारी सम्भव नहीं हो सकती इसलिये संबंधित मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए जो मास्टर प्लान लागू किया जायेगा उसके बारे में हर सूचना और सुझाव को महत्व दिया जायेगा। जिसमें आदिवासियों का फायदा हो उसके बारे में जरूर विचार किया जायेगा।

श्री दुलाराम : जोशी ने यह कहा कि वह पैसा आदिवासियों से संबंधित नहीं रहता। मेरा दृष्टिकोण है, हम सभी सहयोग देंगे तो मैं ऐसा महसूस नहीं कर सकता कि वह पैसा आदिवासियों के लिए खर्च नहीं होगा। अगर पालिटिकली खींचतान में लगेंगे तो हो सकता है, आदिवासियों के लिए खर्च न हो। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से पैसा खर्च करेंगे तो वह पैसा आदिवासी एरिया पर ही खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी !

मुख्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में आम तौर से यह शिकायत की जाती रही है कि इसमें

Page No 4

(४)

(श्री शिवचरण माथुर)
इन्फ्रा-स्ट्रक्चर डवलपमेन्ट के लिए पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। जैसे कोई बहुत बड़े प्लान को ही ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट प्लान में शामिल कर लिया जाता है, यह मूल प्रश्न आम तौर से हमारे सामने आता था। मैं सागवाड़ा तहसील और उदयपुर गया था तब भी यह कहा कि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का जहां सवाल आता है उससे भी उस एरिया को विकास का लाभ मिलता है। लेकिन इसमें दूसरी बात कही थी कि जो इण्डिविजुअल बेनीफिट की स्कीम नहीं है उसको ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। दूसरे, पंचायत समिति के ब्लॉक में एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर माडा ब्लॉक की योजना होती है। माडा ब्लॉक की योजना में कई ऐसे स्थान छूट गये जो एरिया इस आधार पर आ सकता था तो मैंने उस समय कहा था, किसी एक ब्लॉक को निश्चित जन संख्या के आधार पर माडा ब्लॉक घोषित करने की स्थिति बनती है तो उस पर सरकार विचार करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि पिछली बार मैं उदयपुर के दौरे पर गया था उस समय मैंने ट्राइबल एरिया का दौरा किया था। मैंने महसूस किया कि वहां पर गरीबी मिटाने का सीधा तरीका है कि हम उनको एम्प्लायमेन्ट प्रोवाइड करायें। मैंने यह आदेश दिये कि ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाय जिसमें छोटे उद्योग, लघु उद्योग व कुटीर उद्योग को बड़े पैमाने पर अपनाये। ऐसे टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उसमे कुटीर उद्योग का बड़े पैमाने पर प्रावधान है। जितने भी फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन हैं उनके मार्फत उस योजना को लागू करने के लिए आगे आने वाले समय में सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा, गोगुन्दा, कुम्भलगढ़...

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। प्लीज ऑर्डर।

(व्यवधान)

जो कुछ सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है वह आ गई है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि टास्क फोर्स में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पहले आदिवासी एरिया के लिए योजना लाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : उनमें विरोधाभास कहीं नहीं होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह जानना चाहूँगा कि मास्टर प्लान के लिए जो समिति गठित करना चाहते हैं वह आपने अभी तक गठित नहीं की है तो मास्टर प्लान कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। बाधा न डालें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

Page No 5

5

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कृपया अधिक समय न लें। भाषण नहीं होगा। कृपया बैठ जायं। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : सदन का समय न लें। कृपया बैठ जायं।

अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : ××ˣ

श्री अध्यक्ष : समय न लें, माननीय सदस्य। उत्तर नहीं आयेगा।

अंकित न हो।

श्री नन्द लाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रंगजी मीणा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : मैं एक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इसमें रिलेटेड है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी भी पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया सहयोग दें। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जायं। आपका कोई प्रश्न नहीं होगा।

अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है, अवहेलना कर रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष: मैं इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जायें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रंगजी मीणा।

(व्यवधान)

आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

प्रश्न संख्या 751 श्री रंगजी मीणा।

तहसील पिण्डवाड़ा (सिरोही) में खनन पट्टाधारियों से रायल्टी

751. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) [श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) की अनुपस्थिति में]: क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की तहसील पिण्डवाडा में तीन पट्टेधारियों

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)
द्वारा खनन किये जा रहे खनिज बुलस्टोनाइट पर रायल्टी पिट माउथ सेल वेल्यू के 10 प्रतिशत की दर से वसूल करने का प्रावधान था ?

(2) यदि हां, तो पट्टे-स्वीकृति के बाद तीनों ही पट्टाधारियों द्वारा इस पर रायल्टी चुकाने की पिट माउथ सेल वेल्यू किस किस वर्ष में कितनी कितनी आंकी गयी और उस पर कितनी कितनी रायल्टी चुकाई गई ? कृपया दिनांक 31-3-1982 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिट माउथ सेल वेल्यू का निर्धारण किस किस वर्ष में किन किन आधारों पर किया गया और क्या विभाग ने भी स्वतन्त्र रूप में अपने सूत्रों द्वारा पिट माउथ सेल वेल्यू के बारे में खोज बीन की थी ? यदि हां, तो कब कब किस किस माध्यम से?

(4) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस खनिज के भावों की तुलना में पट्टेधारी केवल एक चौथाई भाव को ही पिट माउथ सेल वेल्यू मान कर रायल्टी चुकाते रहे हैं ?

(5) अब बुलस्टोनाइट पर किस दर से रायल्टी वसूल की जा रही है ? खनिज के मूल्य का कितना प्रतिशत रायल्टी के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त करने के नार्म्स हैं।

राज्य मन्त्री (श्री जय कृष्ण शर्मा): (1) जी हां दिनांक 1-4-75 से 22-7-81 के मध्य की अवधि में खनिज बोलोस्टोनाइट पर रायल्टी दर पिट माउथ सेल वेल्यू का 10 प्रतिशत थी।

(2) प्रश्न में चाही गयी सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है।

(3) तीन पट्टाधारियों में से खनिज बोलोस्टोनाइट की पिट माउथ सेल वेल्यू का निर्धारण केवल वोलकेम प्रा. लि. के मामले में ही किया गया है क्योंकि दो अन्य पट्टाधारियों में से एक पट्टाधारी श्री एस. पी. अग्रवाल ने खनिज बोलोस्टोनाइट का निर्गमन 23-7-81 के पश्चात ही किया है जब कि रायल्टी की दर रुपये 10/- प्रति टन निर्धारित हो चुकी थी। द्वितीय पट्टाधारी मैसर्स वेस्टर्न बंगाल कोल फील्ड द्वारा अभी तक खनिज का निर्गमन नहीं किया गया है। सर्व श्री बोलकेम प्रा. लि. के मामले में खनन पट्टा अवधि से 19-1-74 तक पट्टाधारी द्वारा खनिज बोलोस्टोनाइट का बेचान सीधा खान क्षेत्र से किया गया इसलिये इस अवधि में पिट माउथ सेल वेल्यू का निर्धारण पट्टाधारी के बिलों के आधार पर किया गया है। दिनाक 20-1-74 के पश्चात् पट्टाधारी द्वारा खनिज के खान क्षेत्र से पिण्डवाड़ा स्थित अपनी फैक्ट्री में लाकर प्रोसेसिंग करने के पश्चात् विक्रय किया गया इसलिये 20-1-74 से 22-7-81 तक पिट माउथ सेल वेल्यू का निर्धारण खनिज की ग्रोस सेल वेल्यू में से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, पैकिंग चार्जेज बनीफिकेशन एण्ड स्टोक हेण्डलिंग चार्जेज, एक्सपोर्ट सेल प्रमोशन का खर्च कम कर के किया गया।

(4) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध प्रोसेस्ड खनिज की कीमत से पिट माउथ सेल वेल्यू की तुलना उचित नहीं है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(5) दिनांक 23-7-81 से खनिज वोलोस्टोनाइट पर रु. 10/- प्रति टन की दर से रायल्टी वसूल की जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, खेद है कि जो सवाल है इसका उत्तर पूरा नहीं दिया गया है। खण्ड (3) में यह पूछा गया है, "क्या विभाग ने स्वतंत्र रूप से अपने सूत्रों द्वारा पिट माउथ सेल वेल्यू के बारे में खोज-बीन की थी? यदि हां, तो कब कब किस किस माध्यम से?" अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है। इसका जवाब आना चाहिए था। दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के बारे में पूछा गया था परन्तु इसका भी जवाब नहीं आया है। खण्ड (5) में यह पूछा गया है, "खनिज के मूल्य का कितना प्रतिशत रायल्टी के रूप में राज्य सरकार सरकार को प्राप्त करने के नार्म्स है" इसका भी मन्त्री महोदय द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह नान टैक्स रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेन्ट है। प्रश्न के पहले खण्ड में बताया है कि रायल्टी की दर पिट माउथ सेल वेल्यू का 10 प्रतिशत थी। परन्तु फैक्ट्री ने उसको किस भाव में बेचा, यह नहीं बताया गया है। ट्रान्सपोर्टेशन और दूसरे चार्जेज का आपने बताया है। इसका निर्धारण बिलों के आधार पर किया गया है...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछे जाते हैं और तत्काल उत्तर दिया जाता है।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि अभी दो लाख रुपया रायल्टी का मिल रहा है? यदि ठीक ढंग से यह रायल्टी वसूल की जाये तो दस लाख रुपये साल की रायल्टी वसूल की जा सकती है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया है अब दस रुपये प्रति टन के हिसाब से रायल्टी निर्धारित हो गयी है। इससे कम या अधिक रायल्टी लेने का अब कोई सवाल नहीं। रहा सवाल पहले का, आपने कहा कि जांच कराई गई। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि जो भी पिट माउथ पर सेल करवाया था उसका चार्ज उसी हिसाब से होता है उसने किस दर से बेचा उसका नहीं बल्कि पिट माउथ सेल वेल्यू का 10 प्रतिशत किया है। प्रोसेसिंग और अन्य जो काम होते हैं इसके अन्दर उन सब को ध्यान में रखते हुए जो आया वह चार्ज किया गया है। विभाग ने पूरी सतर्कता बरती है और जो वाजिब रायल्टी वसूल कर सकते हैं वह वसूल करने का प्रयास किया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : रायल्टी लेने का नार्म्स 10 परसेन्ट का था। और यह जो दस प्रतिशत तय हुआ है वह किस ढंग से तय हुआ? कहां से तय हुआ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पहले रायल्टी का नार्म्स 7 परसेन्ट था पिट माउथ सेल वेल्यू उसके बाद 10 रुपये हुआ। मेजर मिनरल्स पर रायल्टी भारत सरकार तय करती है। अब भारत सरकार ने 23-7-81 से यह रायल्टी 10 रुपया प्रति टन निर्धारित कर दी है और उसी हिसाब से यह रायल्टी ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम कंवार बैरवा ! श्री देवीसिंह भाटी !

राजस्थान नहर की रोजडी वितरिका के निर्माण में खामी

752: श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) [श्री राम कंवार बैरवा (फागी) की अनुपस्थिति में] : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की रोजड़ी वितरिका का आर. डी. 24 से 31 आर. डी. तक लेवल ऊंचा हो जाने से अब तक पूरी क्षमता का पानी नहीं छोड़ा जा सकता है ? रोजड़ी वितरिका की क्षमता कितनी है व कितना उच्चतम पानी कब तक छोड़ा गया है ? क्या राज्य सरकार ने नहर के गलत लेवल के निर्माण की जांच करवाई है ? यदि हां, तो इसमें किस को दोषी पाया गया व उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि रोजड़ वितरिका की आर. डी. 62,93 व 71 के पास नहर गलत लेवल के कारण पूर्व में टूट चुकी है ? क्या यह भी सही है कि नहर के गलत लेवल निर्माण के बाबत राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं। रोजड़ी वितरिका की बुर्जी 24 से 31 तक में किसी प्रकार के लेवलों में त्रुटि नहीं है और इसमें नहर में पूर्ण क्षमता के बराबर पानी चलाया जा सकता है। इस बीच में राजस्थान नहर मण्डल की 81-वीं बैठक के प्रसंग नम्बर 31 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसार पक्का फ्री बोर्ड एक फीट कम रखा गया है लेकिन इससे पानी प्रवाह क्षमता में कोई कमी नहीं होती है। रोजड़ी वितरिका की हैड पर 261 क्यूसेक की क्षमता है। इस नहर में उच्चतम पानी दिनांक 20-8-1982 को कुल 225.00 क्यूसेक छोड़ा गया। चूंकि लेवल सही है इसलिये किसी को दोषी पाने का सवाल ही नहीं उठता।

(2) आर. डी. 62, 63 व 71 के बीच नहर ठीक तरह से बनी हुई है इसलिये गलत लेवलों के कारण इस नहर के टूटने का प्रश्न ही नहीं है। हां माह 6, 1982 में सिल्ट व तेज आंधियों के कारण यह वितरिका आर. डी. 66, 67 के बीच में टूट गई थी परन्तु इसके टूटने का कारण लेवलों में गलती नहीं थी। नहर के गलत लेवल निर्माण के बाबत राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वित्त मंत्री जी ने राजस्थान नहर का दौरा किया था उसके बाद एक विवरण तैयार किया गया जिसके अन्दर यह रोजड़ी वितरिका शामिल है और उसमें यह लिखा गया है कि इसका प्रवाह गलत है ?

श्री चन्दन मल बैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : कैसा उत्तर दे रहे हैं, मंत्री महोदय, आंधी चलने से नहर

Page No 9

(9)

(श्री देवीसिंह भाटी)
टूट गई। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर हवाएं, आंधियां चलती हैं तो फिर इन नहरों का क्या होगा? यह किस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं? क्या यह मानने योग्य बात है?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, आंधी के कारण नहीं है। सिल्ट भर गई और सफाई नहीं हुई। पानी आ गया इस कारण यह टूट गयी। अब इसकी मरम्मत करा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी समस्या आएगी तब उत्तर मान लेंगे।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, रोजड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी में रबी की फसल के समय सफाई नहीं करायी जा सकी। अब खरीफ का समय आ रहा है, उससे पहले ही इसकी सफाई करा दी गयी है। आंधियां उस इलाके में चलती हैं इसलिये इसको स्टेबिलाइज होने में समय लगेगा। आंधियों के कारण इस तरह की विपत्तियां आ सकती हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : एक मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता मनोहर लाल माथुर ने अधीक्षण अभियंता को एक पत्र लिखा था कि इसका लेवल गलत है और पानी क्षमता के अनुसार नहीं छोड़ा जा सकता है?

श्री चन्दन मल बैद : ये पाइन्टेड स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। किसी अभियंता ने किसी अभियंता को कोई पत्र लिखा हो, हो सकता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार कह सकता हूं कि रोजड़ी वितरिका का लेवल गलत नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : आपको पता है इस बात का........

श्री देवी सिंह भाटी : जो तथ्य हैं वे तो आप मत छुपायें। आपको मौके पर बताया गया था यह सब।

श्री चन्दनमल बैद : जो तथ्य मेरे पास आये हैं वे सही सही यहां पर रखे हैं। मेरे पर जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चन्द्रवीर सिंह भाटी।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपको तो मौके पर ही यह बता दिया गया था। आप कह दें कि आपको यह जानकारी नहीं दी गयी थी कि रोजड़ी वितरिकाओं का लेवल गलत है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : गलत है, आप स्वयं वहां पर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। किसी तरह का गलत उत्तर मिलता है तो अपने नियमों के अन्दर अन्य प्रावधान हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह!

Page No 10

(10)

परिवहन निगम से अनुबंधित बसें

753. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ अनुबंधित कितनी प्राइवेट बसें माह जनवरी, 1983 में चल रही हैं ? कृपया उनके मालिकों के नाम व पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम द्वारा उक्त बस मालिकों के साथ बसें अनुबन्ध करने हेतु 1982-83 में क्या प्रणाली अपनाई गई ?

(3) क्या कोई भी व्यक्ति अपनी बस निगम के साथ अनुबन्धित कर सकता है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) परिवहन निगम के साथ माह जनवरी, 83 के अन्त में 221 निजी बसें अनुबन्ध पर चल रही थी। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1982-83 में निजी वाहन स्वामियों द्वारा बस अनुबन्ध पर लगाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बस का तकनीकी दृष्टि से निरीक्षण कराकर अनुबन्ध की शर्तें पूरी करने पर ही बसें अनुबन्ध पर ली गई।

(3) जी हां। कोई भी सक्षम व्यक्ति अपनी बस अनुबन्धित कर सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरिसिंह : श्रीमान्, कृपया यह बतायें कि आप जो बसें अनुबन्धित करते हैं उसका कारण क्या आपके पास बसों की अनुपलब्धता है या इकानामिक दृष्टि से आप समझते हैं कि आपको प्राइवेट पार्टी से बसें लेनी चाहिये ? क्या आपने बसें अनुबन्धित करने के लिये नियम या बाई-लाज बना रखे हैं या कोई डिस्क्रिशन दे रखा है या फर्स्ट कम फर्स्ट एड का आधार दे रखा है ? कोई नियम नहीं हैं; यह डिस्क्रिशन भी नहीं है। जिस किसी की बस चाही, ले ली, ऐसा है क्या ? प्राइवेट पार्टी की रनिंग कास्ट क्या आती है पर किलोमीटर और आपके वाहनों की रनिंग कास्ट क्या आती है ? क्या आपकी रनिंग कास्ट ज्यादा है ? अगर है, तो कितनी है और क्यों है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां तक इस प्रश्न की बात है कि बसें अनुबन्धित क्यों करते हैं तो पहले हमारे राजस्थान पथ परिवहन निगम के पास बसों की कमी थी इसलिए कुछ लोगों से इस बारे में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। उनको एक तरह का कमिटमेंट किया गया था कि तुम्हारी बस अनुबंधित कर ली जायेगी। इसलिए अनुबंधित करने का दायित्व एक प्रकार से निगम का हो गया था। अब बसों की कमी नहीं है। जो मैंने जवाब दिया है उसके तीसरे भाग में लिखा है, लेकिन अब राजस्थान रोडवेज को बसों की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि नियम क्या है ? तो नियम तो कोई नहीं हैं। जिसकी बस अच्छी होती है कुछ शर्तें होती हैं उन शर्तों को पूरा करके कोई आवेदन करता है, हमारी शर्तों को स्वीकार करता है तो उसकी बस को हम अनुबंधित कर लेते हैं।

श्री हरिसिंह : मान लो कि आपकी शर्तों को पूरा करने वाले 50 हैं और आपको बसें चाहिए केवल 5 तो आप किस की लेंगे और किस की नहीं लेंगे ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर (गारची) : सिफारिशी की लेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : तकनीकी दृष्टि से देखते हैं कि बसें किस प्रकार की हैं। बसें वैसे दो चार प्रकार की ही हो सकती हैं और वही रहेंगी। लीलैंड है या कोई दूसरी है। कोई न कोई प्राथमिकता रहती है। इन शर्तों को जो पूरा करता है उसको देख लेते हैं और फिर बस की क्या हालत है, आदि आदि।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अनुसूचित ...

श्री हरिसिंह : क्या अनुसूचित जाति के सभी लोगों की बसें अनुबन्धित करली गई हैं ?

उनकी रनिंग कास्ट बतायें कि क्या है और आपकी रनिंग कोस्ट क्या है ? हरिजनों को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : रनिंग कास्ट का जहां तक सवाल है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रनिंग कास्ट जिनकी बसें चल रही हैं उनके ऊपर तो दूसरा कोई खर्चा नहीं होता है जबकि रोडवेज को तो स्टैण्ड के स्टाफ का तथा दूसरे अन्य काफी खर्चे करने होते हैं इसलिये उसकी कास्ट ज्यादा होती है। उसको तो केवल डीज़ल का और टायर का ही खर्च करना होता है। फिर हम जो अनुबन्धित बसें कर रहे हैं वह स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है कि आपको बसें को अनुबन्धित करना ही होगा या हमने नहीं कहा है कि आपको यहां आना ही होगा। पहले 1.40 था फिर 1.60, 1.80 कर दिया और अब फिर चेंज करने जा रहे हैं। एक समय में इतना बढ़ाया गया है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। इसी प्रकार का एक प्रश्न 760 श्री बालचन्द्र आर्यवीर और श्री अनंग कुमार जैन का है। कृपया यह प्रश्न भी साथ ही पूछ लें।

राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बसों को चलाना

760. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) **एवं श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी प्राइवेट बसें हैं ? क्या विशेष रोड टैक्स प्राइवेट बस मालिकों पर कानून व नियम के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ रूट राष्ट्रीयकरण में आ चुके हैं लेकिन उन पर निगम की बसें नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने रूट हैं ? कृपया नामजद जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उन रूटों पर प्राइवेट बसों को लाईसेन्स देने का सरकार विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राज्य में 4042 प्राइवेट बसें हैं। विशेष रोड टैक्स कानून व नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया गया है।

(2) जी हां। निम्न मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रकाशन मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 60-व (3) के अन्तर्गत राज-पत्र में हो चुका है जिन पर उनके आगे अंकित कारणों से बसें नहीं चल रही हैं:—

क्र. सं.	योजना का नाम	कारण	जिला
(1)	उदयपुर—कोटड़ा वाया नाई—उन्दरी—झाडोल फलासिया—सोम	रोड की दशा खराब होने के कारण	उदयपुर
(2)	बहरोड़—शाहजहांपुर वाया जाटबहरोड़ बहरोड़—गूगलकोटा (राज. बोर्डर) वाया माजरीकलां नीमराना—शाहजहांपुर (राज. बोर्डर) वाया मांढल बहरोड़—बानसूर वाया सोडावास बहरोड़—मंडान (राज. बोर्डर) वाया केनवास, बीरनवास बहरोड़—भिवाड़ी (राज. बोर्डर) वाया जिजोरावास।	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण	अलवर
(3)	कोटपूतली—रायपुर वाया पनिहाला मोड़ कोटपूतली—नारायणपुर शाहपुर—नारायणपुर वाया घटाबान्दरोल।	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण	अलवर एवं जयपुर

(3) जी नहीं एक तो मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और दूसरा कोर्ट से स्थगन आदेश हो चुका है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मन्त्री महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि रोड्स के राष्ट्रीयकरण का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : ये आधार जाने माने हैं। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उसी आधार पर राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यह प्रश्न बार बार आता रहा है। अगर आपको कोई अन्य प्रश्न करना हो तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इन विभिन्न रूट्स का विवरण आपने दिया है जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं लेकिन जिन पर बसें नहीं चल रही हैं, मैं मन्त्री महोदय

Page No 13

(13)

(श्री अनंगकुमार जैन)
से पूछना चाहूंगा कि किन किन रूट्स पर किस किस समय से बसें नहीं चल रही हैं ? मेरी जानकारी है कि कुछ मार्गों पर तीन चार वर्षों से बसें नहीं चल रही है। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन बसें नहीं चल रही हैं। तो इन पर बस चलाने की क्या प्राइवेट बस वालों को आप अनुमति देंगे?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां तक एक और दो रूट्स का सवाल है, इनका मैंने जिक्र किया, इन दोनों पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं। दूसरा जैसा मैंने कहा, मोटर मालिकों ने ही स्थगन आदेश ले रखा है। हमारी ओर से उसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बसें दिलाने के लिए वित्त निगम से····

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, प्रश्न अलग से विचाराधीन है। ऑर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री हीरालाल आर्य : 80 परिवार वहां····

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में है, वह मामला कई तरह से आया है, उसमें कुछ व्यवस्था की जा सकती है।

अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में·····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : ···परिवार बरबाद हो गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अन्य तरीके से उठायें। ध्यान में है। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जायें, अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। भाषण नहीं करें। ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री मेघराज तावड़ : मेरे चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित है, मेरे इलाके से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा !

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 14

(14)

शेष रही नगर परिषद्/नगरपालिकाओं के चुनाव

754. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिन नगर परिषद्/नगर पालिकाओं के चुनाव बाकी रह गये हैं, उनके लिए सन् 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सीटों का निर्धारण, वार्डों का पुनर्गठन एवं निर्वाचन नामावलियां तैयार कर उनका प्रकाशन किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो ऐसी कितनी परिषदें। नगरपालिकाएं हैं और उनमें से किस किस के लिए यह कार्य पूरा हो चुका है और सभी के लिए कब पूरा हो जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ये चुनाव अब कब तक करा दिये जावेंगे ?

निर्वाचन मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिंधी): (1) जी हां।

(2) ऐसी कुल 41 नगरपालिकाएं है जिनके चुनाव कराये जाने हैं। इसमें से अजमेर व कोटा नगर परिषद् व दो नगर पालिका मण्डल चित्तौड़गढ़ व मारवाड़ जंक्शन को छोड़ कर शेष का कार्य पूरा हो चुका है। कोटा नगर परिषद् की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16-4-83 को हो जायेगा। अजमेर नगर परिषद् के लिए भी कार्यवाही अप्रेल के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ जंक्शन नगरपालिकाओं में राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हो सकेगी। 37 नगर पालिकाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ जंक्शन नगर पालिकाओं को छोड़ कर शेष सभी नगर परिषद्/नगर पालिकाओं के चुनाव जून, सन् 83 तक करा दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जयपुर नगर परिषद्...

श्री अहमद बक्श सिंधी : जोर से बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : वार्डों का पुनर्गठन किया है, उसके लिए कितनी जनसंख्या का आधार है ? कितनी जनसंख्या के आधार पर एक वार्ड बनाया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी से संबंधित है।

दूसरा यह, जब जयपुर की जनसंख्या 6 लाख थी तब भी 50 वार्ड थे और 81 के बाद जनसंख्या 10 लाख हो गई है, तब भी 50 वार्ड ही बनाये गये हैं। वार्डों में जनसंख्या के अनुरूप वृद्धि क्यों नहीं की गई ?

(व्यवधान)

Page No 15

(15)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्नकर्ता को इजाजत दे दी है उसका उत्तर आने दीजिए। मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : कौन से वार्ड में फंस गये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बातें नहीं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जयपुर नगर परिषद् का आपने सवाल किया है कि जयपुर में वार्ड कितने हैं...

श्री अध्यक्ष : 6 लाख जनसंख्या के आधार पर 50 थे जबकि आबादी में वृद्धि हो गई है तो भी 50 ही हैं, इसका कुछ उत्तर दीजिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जयपुर नगर परिषद् सबसे बड़ी होने के कारण, मैं मानता हूं वार्डों का प्रस्ताव तैयार होने में अंतिम प्रकाशन करने में समय लगा। वार्डों के प्रस्ताव राज-पत्र दिनांक 6-11-82 में आपत्तियां आमंत्रण हेतु प्रकाशित हुए, अंतिम 3-1-83 को किया गया उचित फार्मूला 24-2-83 को अंतिम किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न क्या है, उत्तर क्या दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा तो होने दीजिए उसको।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आबादी के मुताबिक वार्डों का गठन किया गया है, यह फार्मूला जो अभी निर्धारित किया गया, उसको मैं पढ़ता हूं। 10 हजार से नीचे है उसमें 10 सीटें हैं, 10 हजार 1 से 15 हजार तक 13 सीटें हैं, फार्मूला बता रहा हूं। 15 हजार 1 से 20 हजार तक 16 सीटें हैं, 20 हजार 1 से 25 हजार तक 19 सीटें हैं, 2 लाख से 4 लाख तक 45 सीटें और 4 लाख से ऊपर 50 सीटें हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा निवेदन यह है, मंत्री महोदय बतायें कि 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर नगर निगम बनाये जाने का प्रावधान है या नहीं, और इसकी आपको जानकारी है या नहीं ? जब 10 लाख की जनसंख्या जयपुर की है तो यहां जनसंख्या के आधार पर इसका क्यों प्रावधान नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। शान्त रहें। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अहमद बक्श सिंधी : क्या सवाल है ? सवाल करो आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय से जवाब दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, डॉ. उजला अरोड़ा ने यह पूरक प्रश्न पूछा है कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या किसी शहर की हो तो उसमें नगर निगम बनाया जाना चाहिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अभी तो सिर्फ इलेक्शन का सवाल है। निगम बनाने का सवाल अलग से करिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने यह टालने के बतौर जवाब दिया है। यह तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री का विषय है कि कहां नगर परिषद् बनायें, कहां नगर पालिका बनायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, आपने एक बात का उत्तर नहीं दिया कि वार्डों का जो गठन किया है, उसके लिए मिनिमम कितनी जनसंख्या रखी है ? एक वार्ड कितनी जनसंख्या पर बनेगा ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : एवरेज पापूलेशन 19,583 हो तो एक वार्ड बनेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर, ऑर्डर। समय काफी हो गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने आप से निवेदन किया था कि 6 लाख की जनसंख्या थी तब भी 50 वार्ड थे··

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया। 4 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो अधिक से अधिक माननीय सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 50 मैग्जीमम बतायी है, यह किसी कानून के अन्तर्गत है या अपने आधार पर ही··

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह प्रश्न स्वायत्त शासन मंत्री से पूछिये।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर शहर का आपने··

श्री अध्यक्ष : मैंने बहुत समय दे दिया आपको। श्री कैलाश मेघवाल और उसके बाद···

(व्यवधान)

सब का जवाब आ गया है। ऑर्डर। इतने प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत इम्पोर्टेण्ट है।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री जी ने जो पूरक प्रश्न का उत्तर दिया; वह आपने नहीं सुना, उसके पहले आपने पूरक प्रश्न पूछा। उसके कारण मंत्री जी जवाब नहीं दे सके। इस तरह मैं ज्यादा अवसर नहीं दे सकता हूं। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल कृपया बैठ जायें। अच्छा, किसी अन्य माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर शहर की जो रचना है, आपको ध्यान में होगी, चार दीवारी के अन्दर है। जयपुर शहर चौकड़ियों में बंटा हुआ है। प्रशासन का डिवीजन, न्यायालयों का डिवीजन भी चौकड़ियों के हिसाब से है। इन वार्डों से आपने चौकड़ियां डिस्टर्ब की हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा आरोप है कि आपने जो वार्ड बनाये हैं, राजनैतिक आधार पर बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : X X X

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जो मूल प्रश्न पूछा गया था चुनावकी तिथियों के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था उसका जवाब आगया है। कितने वार्ड होंगे इसका सम्बन्ध स्वायत्त शासन विभाग से है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर...

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्या।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, समय समाप्त हो रहा है। चुनाव के बारे में आधे से अधिक समय ले लिया। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अजमेर के बारे में निर्वाचक नामावली अप्रेल के अन्तिम सप्ताह तक तैयार कराने की बात कही जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अप्रेल के अन्तिम सप्ताह तक तैयार करा कर अजमेर नगर परिषद् के भी चुनाव जून तक करा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता कि हूं कि क्या सारे चुनाव एक ही दिन में करवा दिये जायेंगे या कई दिनों में ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : प्रोग्राम बना कर के, पब्लिश करके फिर चुनाव करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ! श्री हजारी लाल शर्मा !

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री हजारीलाल शर्मा !

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र में राशन की वस्तुओं की दुकानें

755. श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी): क्या खाद्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र में राशन की वस्तुओं के कुल कितने दुकानदार हैं ?

(2) क्या उक्त दुकानदारों में से किसी के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी झुन्झुनूं के कार्यालय में कोई जांच लम्बित है ? यदि हां, किसके विरुद्ध व कब से ?

(3) इस जांच पर कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ?

राज्य मन्त्री, खाद्य (श्री घासीराम यादव) : (1) चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र में राशन की वस्तुओं के कुल 17 दुकानदार हैं।

(2) इनमें से मैसर्स नथमल डूंगरमल के विरुद्ध जांच तहसीलदार चिड़ावा के कार्यालय में 21-10-1982 से विचाराधीन है।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इस डीलर के खिलाफ आरोप क्या है ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, डीलर के खिलाफ आरोप चीनी में गबन करने का है।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि डीलर ने म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में 1496 यूनिट 4 की जगह 9 बनाकर 1996 यूनिट कर ली ? 1996 यूनिट यानि 5 सौ यूनिट 11 महीने तक अधिक उसने उठाई और 11 महीने के बाद जब यह पता लगा, मैंने यह प्रश्न रखा तो रसद विभाग झुन्झुनूं में उसकी जांच हुई। तहसीलदार को जांच रिपोर्ट दिये 2 महीने हो गये। जिला प्रशासन उसको लिए बैठा है।

श्री घासीराम यादव : तहसीलदार की जांच से पहले उसका लाईसेन्स निलम्बित कर दिया गया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आने पर यदि दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी मेरे पास मौजूद है।

श्री घासीराम यादव : डीलर का लाईसेन्स रद्द कर दिया गया है तहसीलदार की रिपोर्ट आने से पहले ही।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बालोतरा में महाविद्यालय खोलना

756. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार इस साल कोई महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो राजस्थान के पिछड़े

(श्री अमराराम चौधरी)
हुए पश्चिमी क्षेत्र के शहर बालोतरा में महाविद्यालय खोलेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर से छोटे जिलों में दो-दो और तीन-तीन महाविद्यालय हैं ? राजस्थान में कुल कितने महाविद्यालय हैं ? कृपया सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, उच्च शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : (1) जी नहीं, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कहीं पर भी राजकीय महाविद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान नहीं रखा है।

(2) राजस्थान में बाड़मेर के अलावा निम्न जिले भी हैं जहां अभी तक एक ही महाविद्यालय है ?

1. बांसवाड़ा
2. बून्दी
3. डूंगरपुर
4. धौलपुर
5. जैसलमेर

जिलेवार महाविद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या टौंक बाड़मेर से बड़ा है ? टौंक में 3 महाविद्यालय हैं, अजमेर में 11 महाविद्यालय हैं और अलवर में 6 हैं, भीलवाड़ा में 3 हैं, बीकानेर में 5 हैं, चूरू में 7 हैं, जालौर जो बाड़मेर से छोटा है उसमें 2 और टौंक जो जालौर से छोटा है उसमें 2-3 महाविद्यालय हैं ? बाड़मेर कस्बा, जिसकी करीब 11-12 लाख की आबादी है, इतना बड़ा जिला है तो क्या कारण है कि अभी तक वहां पर एक ही महाविद्यालय है और कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं खोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। जहां जन सहयोग से बिल्डिंग बनती है वहां कालेज खुल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बालोतरा वाले भी जनसहयोग करें तो क्या बालोतरा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खर्चा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर पापूलेशन के हिसाब से बड़ा...

श्री अमराराम चौधरी : आपके क्या नार्म्स हैं जिसके आधार पर महाविद्यालय खोलते हैं ? क्या जनसंख्या के आधार पर खोलते हैं ? जन सहयोग के आधार पर खोलते हैं ? पिछले सालों से अभी तक आपने कितने ही महाविद्यालय खोले हैं उसके बाद में भी बाड़मेर में एक महाविद्यालय नहीं खोला है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : महाविद्यालय खोल नहीं रहे हैं, नार्म्स बनाये नहीं हैं।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय तीन लाख की आबादी में 3 महाविद्यालय हैं और 10-12 लाख की आबादी में एक महाविद्यालय है। तो सरकार का क्या विचार है? सरकार की मंशा स्पष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार की मन्शा का कोई प्रश्न नहीं है, प्रावधान नहीं है।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, 12 लाख की आबादी है और एक महाविद्यालय है।

श्री अध्यक्ष : श्री धाराराम।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला और सिरोही जिला या जालौर जिला और टौंक जिला को लें तो क्या बाड़मेर से सिरोही जिले की जनसंख्या अधिक है या बाड़मेर और बालोतरा के बीच की दूरी जो आबू रोड या सिरोही के बीच की दूरी है उसमें कम है या ज्यादा है? बाड़मेर और बालोतरा के बीच की दूरी ज्यादा है। क्या क्राइटेरिया है सरकार का कोई न कोई महाविद्यालय खोलने का? मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बालोतरा में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में जैसा निवेदन किया कि प्रावधान नहीं है। जब खोलने का प्रावधान करेंगे तब विचार कर लेंगे।

श्री अमरराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 100-105 किलोमीटर लड़कों को पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। प्रावधान कब करेंगे? क्या बजट में संशोधन नहीं कर सकते हैं? महाविद्यालय के लिये भवन जन सहयोग से बनाकर हम दे देंगे। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई आश्वासन देना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाड़मेर-जैसलमेर से बड़ा है या छोटा, यह प्रश्न नहीं है···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अल्प सूचना प्रश्न

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का प्रश्न है···

श्री धाराराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, कम से कम आश्वासन तो सरकार की तरफ से दिलायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता भी नहीं है। समय समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य!

अल्पकाल-सूचना प्रश्न

ग्राम इटावा (कोटा) में सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के कब्जों का नियमन

2. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इटावा (कोटा) में सरकारी जमीन पर काबिज

(श्री हीरालाल आर्य)
लोगों के मामले राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमन कर दिये गये हैं ?

(2) क्या ख. नं. 709 में काबिज कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपने मामलों को नियमन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये ? यदि हां, तो इसके बावजूद भी नियमन नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या उक्त ख. नं. 709 पर से उक्त गरीब व्यक्तियों को उजाड़ने हेतु अन्य समृद्ध लोगों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार का ऐसे अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे अन्याय से बचाव करने का कोई कदम उठाने का विचार है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री राजस्व (श्री जयकृष्णशर्मा): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। ग्राम इटावा की खसरा न. 709 की भूमि रकबा 4 बिस्वा पर काबिज श्री कंवरलाल आ. नन्दलाल निवासी इटावा द्वारा प्रार्थना-पत्र आरा मशीन हेतु नियमन करने का प्रस्तुत किया गया था। जांच करने पर प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि ख. नं. 709 रकबा 4 बिस्वा मुख्य सड़क से 50 फीट दूरी के अन्दर होने से मामला नियमन योग्य नहीं पाया गया।

(3) इस प्रकार की कोई जानकारी या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) गरीब व्यक्तियों को नियमों के अन्तर्गत ही राहत दी जाती है। ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि प्रार्थी पर विवादास्पद मामले के बारे में समृद्ध व्यक्ति द्वारा अत्याचार किया जा रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय ने नम्बर (1) के जवाब में बताया कि ऐसा नियमन नहीं किया गया जब कि इस तरह के कई नियमन, पचासों नियमन ए. डी. एम. के द्वारा किये गये हैं। इसकी सूची मेरे पास है, खसरा नम्बर 315 316, जो खतौनी गांव पर है।

श्री अध्यक्ष : खसरा नं. 709 में कोई और नियमन किया गया है क्या ?

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, इसके साथ ही इसने भी अप्लाई किया था, अध्यक्ष महोदय। इन लोगों के साथ ही इस व्यक्ति ने भी अप्लाई किया था। इसी तरह से पैट्रोल पम्प वालों को किया, पठान वैल्डिंग को किया खसरा नम्बर 286, 276 पर ओमप्रकाश मोहनलाल करवाड़ को किया। प्रहलाददास रमेशचन्द को खसरा नम्बर 286, 276 पर किया। इसके अतिरिक्त कितने ही किये क्योंकि वह लोग बड़े व्यक्ति हैं, सब पूंजीपति हैं इनके साथ ही इस शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब व्यक्ति ने निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय।

दूसरे माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि इस तरह से कंवर लाल ने एप्लीकेशन तो दी थी। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को दी ?

Page No 22

(२०)

(श्री हीरालाल आर्य)
इसके साथ ही इसने भी दी थी,' यह मन्त्री महोदय ने नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो सड़क चलती है उससे पचास फीट के भीतर है इसलिए नियमन नहीं किया गया है। ऐसा कोई आपके पास हो कि उस पचास फीट के अन्दर उसके पास किसी अन्य व्यक्ति का तो नियमन कर दिया हो और वह वंचित रह गया हो तो बताने का कष्ट करें।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय, पचास फीट का नाम लिया है मन्त्री महोदय ने लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पचास फीट के बाद में यह जमीनें हैं और उसके दोनों साइड में कितनी ही दूर तक पक्की दुकानें बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : पचास फीट के अन्दर दुकानें बनी हुई हैं ?

श्री हीरालाल आर्य : हां, और उनके पेरेलल नजदीक में। लेकिन इस जमीन में एक कच्ची झोंपड़ी है और आरा मशीन उसने लगा रखी है। उसका नियमन नहीं किया गया।

फिर मन्त्री महोदय ने यह भी फरमाया कि इसको परेशान करने की कोई शिकायतें ध्यान में नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायतें इस व्यक्ति ने कई बार कीं। इसकी लम्बी फाइल है। इस फाइल पर विभिन्न अधिकारियों ने आदेश दिये हैं। नम्बर (1) जब इसने एप्लीकेशन दी 78 में उस वक्त जिलाधीश महोदय ने पटवारी से इसकी स्थिति मांगी, रिपोर्ट मांगी। पटवारी रिपोर्ट देता है, अध्यक्ष महोदय, वह बता देता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इन्होंने यह इन्कार नहीं किया कि उसने यह रिपोर्ट नहीं दी कभी।

श्री हीरालाल आर्य : यह कहा है मन्त्री महोदय ने कि इस तरह की शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : गरीब लोगों को उजाड़ देते हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं थी।

श्री हीरालाल आर्य : हां, वह शिकायत है। जिलाधीश महोदय ने लिखा है वह मैं निवेदन कर रहा हूं। जिलाधीश महोदय लिखते हैं, तहसीलदार को "साथ में श्री कंवरलाल का प्रार्थना-पत्र भेजकर लेख है कि खसरा नम्बर 708 में बिना इजाजत निर्माण कार्य हो रहा है जो अवैध है तथा उक्त निर्माण कार्य में खसरा नम्बर 709 पर कुछ दरवाजे रखे जा रहे हैं जो गलत हैं।" यह खसरा नम्बर 709 इसका है और 708 एक धनवान व्यक्ति का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बैठ जायं मैं समझ गया बात। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि 50 फीट की दूरी का पालन इनके पड़ोस में जो लोग हैं उनसे नहीं करवाया गया और इस एक से कराया जा रहा है। यह आप मालूम कर लीजिये।

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कहा है, वह चीज सही है तो इसकी जानकारी की जायगी। इसके साथ अगर कोई भेदभाव किया गया है तो दूर करके इसको ठीक किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्न काल समाप्त हुआ। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया। जिद का कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया। मुद्दे की जो बात थी, मैंने निवेदन किया, ऐसी परिस्थितियां हैं तो कार्यवाही करेंगे। मुद्दे की बात मन्त्री महोदय ने कह दी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जायं। इस तरह की बहस तो अदालतों में होती है। माननीय सदस्य, ऐसे प्रश्न पर विस्तार से नहीं कह सकते हैं जो अल्प अवधि के माध्यम से प्रश्न लिये जाते हैं। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला रसद अधिकारी उदयपुर को सीमेंट का कोटा एवं उसका आवंटन

952. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर को माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1982 और जनवरी, 1983 में कितना सीमेंट प्राप्त हुआ? कृपया माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1982 और जनवरी, 1983 में सीमेन्ट का वितरण किस प्रकार किया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने उदयपुर शहर में राशन कार्ड पर इन चार महीनों में कितना सीमेन्ट वितरण किया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) प्रश्न के भाग (2) की सूची में यह सूचना भी अंकित कर दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

कृषि भूमि बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी

953. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) एवं

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने पत्र क्रमांक एफ. 5(21) रेवे. गवर्नमेन्ट/4/81 दिनांक 22 जनवरी, 1983 द्वारा राजस्व अधिकारियों को

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
निर्देश दिये हैं कि कृषि भूमि के बंटवारे पर एक हिस्से के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जावे ? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की गई है ?

(2) क्या स्टाम्प ड्यूटी एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि जहां सैटलमेन्ट हुए तीस वर्ष नहीं हुए हैं वहां केवल लगान की पांच गुणा राशि पर ही बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी लगाई जावेगी ?

उत्तर

(1) राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या-5 (21) राज/ग्रुप 4/1/9 दिनांक 4 मार्च, 1982 द्वारा समस्त जिलाधीशों एवं अन्य अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि नामान्तरकरण के मामलों एवं विभाजन के मामलों में स्टाम्प लॉ (एडप्टेशन) एक्ट, 1952 की धारा 2 (15) एवं आर्टिकल 45 (ग) के प्रावधानों का ध्यान रखा जाये। इस परिपत्र में उपरोक्त प्रावधानों का उद्धरण भी दिया गया था। इस परिपत्र की पालना नहीं की जा रही हो, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(2) राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडप्टेशन) एक्ट, 1952 की धारा 2 की उप-धारा (15) से सम्बन्धित आर्टिकल 45 में यह प्रावधान है कि जहां भूमि राजस्व-भू प्रबन्ध में तीस वर्ष से अधिक समयावधि तक नहीं रहती है एवं पूरा लगान अदा किया जा रहा है, तो उन मामलों में स्टाम्प ड्यूटी वार्षिक लगान के पांच गुणा से अधिक नहीं आंकी जावेगी।

सांचौर कन्या पाठशाला को जमीन उपलब्ध कराना

954. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर जिले की सांचौर कन्या पाठशाला के पास पुलिस सर्किल ऑफिस की जमीन खाली पड़ी है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचौर में पुलिस सर्किल ऑफिस का दफ्तर नहीं है व उस जमीन को कन्या पाठशाला को देने के लिए जिलाधीश, जालौर ने सरकार को सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कन्या पाठशाला में कमरों की कमी है और पुलिस सर्किल ऑफिस की जमीन के सिवाय अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो जमीन की कमी को पूरी करने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले के तहसील मुख्यालय सांचौर में कन्या पाठशाला के पास पुलिस थाना सांचौर के अधिकार में जमीन खाली पड़ी हुई है।

(2) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि कन्या पाठशाला के लिए वर्तमान भवन में कमरों की कमी है। विद्यालय से लगती हुई 7916 वर्ग फीट भूमि के अतिरिक्त पुलिस थाना के दक्षिण दिशा में राजकीय भूमि 19140 फीट उपलब्ध है। मामला विचाराधीन है।

शॉप एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत अलवर जिले में चालान

955. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे——

(1) शॉप एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत अलवर जिले में वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक कुल कितने चालान हुए हैं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन चालानों में कितनों को दण्ड मिला कितने मुक्त हुए एवं कितने मामले अदालत में विचाराधीन हैं ?

उत्तर

1. सूचना निम्न प्रकार है:——

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन चालानों की संख्या	वर्ष में पेश चालानों की संख्या	कुल योग
1979-80	93	93	186
1980-81	40	155	195
1981-82	49	298	347
1982-83 (मार्च, 83 तक)	138	183	321
		729	

2. सूचना निम्न प्रकार है:——

वर्ष	दण्डित मामलों की संख्या	जुर्माना राशि दण्डित मामलों की संख्या	मुक्त हुए मामलों की संख्या	शेष विचाराधीन मामलों की संख्या
1979-80	139	7740/-	7	40
1980-81	143	5815/-	3	49
1981-82	196	6282/-	13	138
1982-83 (फरवरी, 83 तक)	149	4060/-	4	168

नोट: दण्डित, मुक्त एवं शेष विचाराधीन मामलों में गत वर्ष के विचाराधीन मामलों की संख्या भी सम्मिलित है।

तहसील नाचना (जालौर) में सैटलमेंट विभाग द्वारा जारी पट्टे

956. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में वर्ष 1955 का कोई रेवेन्यू रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले का समरी सैटलमेन्ट सन् 1957 में शुरू हुआ था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले के संबंध में सन् 1957 के बाद के रिकार्ड को आधार मानने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील नाचना (जिला जैसलमेर) में सन् 1971-72 में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दिये गये पट्टों को रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त पट्टों को सही मानकर पुनः मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। समरी सैटलमेन्ट सन् 1955-56 में हुआ था तत्पश्चात् स्थाई भू-प्रबन्ध क्रमशः 1963 से 1974 के मध्य करवाया गया। जैसलमेर जिले में वर्तमान में स्थाई भू-प्रबन्ध के अनुसार तैयार किये गये अभिलेख ही आधार हैं।

(3) जी हां। नाचना में कोई राजस्व तहसील नहीं है, परन्तु उस समय विभाग के एक अधिकारी व कुछ कर्मचारियों ने उस क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी भूमि को कई अनधिकृत व्यक्तियों के नाम से अंकित कर देने के कारण पट्टों को निरस्त कराया गया था। नियम विरुद्ध जारी किये गये पट्टों को पुनः मान्यता दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर के कारखाने में उपयोग की गई खनिज सामग्री पर रायल्टी

957. श्री छीतरमल आर्य (अटरू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में ब्यावर नगर के समीप श्री सीमेन्ट वर्क्स के कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है?

(2) यदि हां, तो यहां के विभिन्न निर्माण कार्यों के उपयोग में ली जाने वाली खनिज सामग्री पर सीमेन्ट वर्क्स से, यहां निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से, तथा यहां के निर्माण कार्य हेतु खनिज सामग्री सप्लाई करने वालों से अब तक कुल कितनी-कितनी रायल्टी कब-कब वसूल की गई है ?

(3) खनिज विभाग द्वारा वर्क्स द्वारा उपयोग में लिये जाने वाली खनिज सामग्री पर पूरी रायल्टी वसूल होते रहने के क्या कदम उठाये गये हैं और क्या सतर्कता रखी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री सीमेन्ट वर्क्स अथवा उनके ठेकेदारों के नाम 17400 टन बजरी व

(खनिज मंत्री)

27,700 टन चुनाई पत्थर के परमिट्स विभाग द्वारा जारी किये गये हैं उनसे कुल रु. 41,396.50 रायल्टी व परमिट फीस के रूप में प्राप्त हुई है। परमिटवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" व "ख" में दिया गया है।

(3) विभाग द्वारा जारी किये गये परमिट्स पर खनिज का रवन्ना काटा जाता है, इन रवन्नाओं के आधार पर परमिटधारी को हिसाब तैयार करना होता है इस हिसाब से असेसमेन्ट कर यह पता लगाया जाता है कि कुल कितनी मात्रा में खनिज काम में लिया गया है और कुल कितनी मात्रा बनती है। साथ ही समय समय पर विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भी चैकिंग की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

तहसील बोंली व सवाई माधोपुर में भू-आवंटन से पूर्व की उद्घोषणा

958. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अभियान से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र की काबिल काश्त भूमि का आवंटन हेतु हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड बनाने के बाद अलॉटमेन्ट अधिकारी द्वारा उसकी उद्घोषणा करना जरूरी है ? यदि हां, तो तहसील बोंली तथा तहसील सवाई माधोपुर की किस-किस ग्राम पंचायत की उद्घोषणा की गई है तथा कितनी ग्राम पंचायतों की नहीं ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों से उद्घोषणा के अभाव में अलॉटमेन्ट कमेटी ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर तथा बोंली तहसील में उनकी संख्या क्या है तथा इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील बोंली की 14 तथा सवाई माधोपुर की 2 ग्राम पंचायतों की उद्घोषणा नियमानुसार प्रकाशित नहीं की गई। तहसील बोंली की 23 तथा सवाई माधोपुर की 48 ग्राम पंचायतों की उद्घोषणा भू-आवंटन हेतु प्रकाशित की गई। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। तहसील बोंली की 14 तथा सवाई माधोपुर की 2 ग्राम पंचायतों में भू-आवंटन हेतु भूमि के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में सीमित समय पर सूचना प्राप्त नहीं हो सकने के कारण उद्घोषणा प्रकाशित नहीं की जा सकी। जिससे इन पंचायत क्षेत्रों में राजस्व अभियान के दौरान भू-आवंटन नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

झालावाड़ जिले की खानों की लीज आवंटन में निर्धारित प्रणाली की पालना

959. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में किस-किस प्रकार का खनिज किन-किन स्थानों पर निकलता है ? क्या सरकार खानों की लीज या आवंटन निर्धारित प्रणाली का पालन करके देती है ?

(2) वर्तमान में किस-किस प्रकार की खनिज पदार्थ की खानें किस व्यक्ति के पास हैं ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा खानों का आवंटन नियमानुसार व निर्धारित प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। झालावाड़ जिले में जिन खनिजों का उत्खनन् जिन स्थानों पर किया जा रहा है वह निम्नानुसार हैं:—

खनिज सैण्ड स्टोन

झालरापाटन तहसील:—कोटड़ा, विलोनिया, कलमण्डी, कटपडाव, सलोतिया, नाहरसिंघी, कलमण्डी (कला); ढाणी, धनवास, कोकुन्दा, सीपर, माणकचौक, रलायता, गिन्दौर, जगदर, बक्शपुरा, भवरासा, जैतपुरा, बीलंवा, त्रिसुली, मोड़ी, मैसर, महेशपुरा, इकवासा, वडोदिया, नयागांव, सीमली, लक्ष्मीपुरा, गोलबाव, माननारी, मोत्याडूंगरी, मशालपुरा, रायपुर, बालगढ़, हिरनिया, तथा डूंगनी।

अकलेरा तहसील:—अकलेरा, मोडी, पोली मिश्रोली, मागठा, लुहारिया की बरडी, तथा कुकलबाड़ा।

खानपुर तहसील:—अकावद खुर्द, बाघरे व अम्बाला।

पचपहाड़ तहसील:—मिश्रोली।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सीकर जिले से चूना पत्थर की लीज

960. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में चूना पत्थर की लीज के स्वीकृत क्षेत्र कहां पर कितने-कितने विस्तार के हैं ? नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लीज क्षेत्र के बहुत ही कम प्रतिशत इलाके में खनन् कार्य हो रहा है और बाकी का क्षेत्र सिर्फ मोनोपोली रखने हेतु लीज में लिया हुआ है ? कृपया यह बतावें कि विभिन्न स्वीकृत पट्टाधारियों द्वारा कहां-कहां पर कितने-कितने क्षेत्र में खनन कार्य चालू है ? नक्शे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में रामपुरा, बल्लुपुरा एवं मावन्डा व जिलों के नाम से मात्र चार खनन् पट्टे आवंटित किये गये हैं। जिनके क्षेत्रों का विस्तार निम्न प्रकार है:—

(1) मावन्डा 6 वर्ग मील

Page No 29

(29)

(खनिज मंत्री)

(2) जिलों 80 एकड़

(3) रामपुरा बल्लुपुरा 80 एकड़

(4) रामपुरा 4 वर्ग मील

(2) जी नहीं खनन् पट्टे में उत्पादन एवं निर्गमन की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि पट्टेधारी द्वारा खनन कार्य काफी व्यवस्थित एवं मैकेनराइज्ड तरीके से Extensive (एक्सटेंसिव) रूप में किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि सिर्फ मोनोपोली हेतु लीज नहीं रखी गई है।

बांसवाड़ा जिले में भूमि पर अतिक्रमण एवं नियमन

961. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितनी भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु अतिक्रमण किया हुआ है?

(2) राजस्व अभियान के तहत किस-किस पंचायत में अतिक्रमण की कितनी-कितनी भूमि का नियमन किया गया तथा कितनी भूमि से अतिक्रमण हटाये गये? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें?.

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 27832 एकड़ भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण किया गया है।

(2) राजस्व अभियान के तहत कोई अतिक्रमण का नियमन नहीं किया गया है। कुल 21009-33 एकड़ भूमि में अतिक्रमण को हटाया गया है। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची के किये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील सोजत (पाली) का बंदोबस्त कार्य

963. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली की तहसील सोजत के नवीनीकरण बन्दोबस्त को किस वर्ष से लागू किया?

(2) तहसील सोजत का उक्त बन्दोबस्त का कार्य कब से बन्द किया गया व उक्त अधिसूचना किस राज-पत्र में प्रकाशित हुई?

(3) तहसील सोजत का बन्दोबस्त का रेकार्ड बन्दोबस्त विभाग ने तहसील में कब हस्तान्तरण किया?

(4) बन्दोबस्त विभाग ने बन्दोबस्त सम्पत्ति पर ग्रामवार कितने-कितने पर्चे लगान जो आसामियान को नहीं दिये जा सके तहसील में दिये?

(5) बन्दोबस्त विभाग के पास माह फरवरी, 1980 को गांववार कितने-कितने पर्चे लगान तहसील सोजत के ये व कितने पर्चे गांववार तहसील में भेजे व जो पर्चे तहसील में नहीं भेजे उसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-76 से लागू हुआ है

(राजस्व मंत्री)

(2) तहसील सोजत में भू-प्रबन्ध का कार्य दिनांक 15-11-79 को बन्द किया गया था। इसकी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र जिल्द 31, संख्या 33 भाग 1 (ख), दिनांक 15 नवम्बर, 79 की पृष्ठ संख्या 488-89 पर प्रकाशन हुई थी।

(3) तहसील सोजत का रेकार्ड जिलाधीश, पाली को दिनांक 2-6-82 को दिया गया था, रेकार्ड तहसील को सीधे नहीं दिया जाता है।

(4) तहसील के 109 ग्रामों में से 102 ग्रामों के 786 पर्चे लगान आसामियान को वितरण करने हेतु तहसील को भिजवाये गये थे। सूची ग्रामवार संलग्न है।

(5) माह फरवरी, 1980 को विभाग में तहसील सोजत के कोई पर्चे लगान शेष नहीं थे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

भीलवाड़ा जिले की पत्थर खानों पर अतिक्रमण

964. **श्री बन्सीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल बिजौलिया, कांसिया, नया नगर, सलावटिया, बेरीसाल, नला की माता जी तथा माण्डलगढ़ बिजौलिया तहसील में पत्थर का खनन् कार्य करने वाले पट्टाधारियों (लीज वालों) ने सन् 1975 से लेकर सन् 1982-83 तक कितना-कितना अतिक्रमण किन-किन स्थानों पर कर रखा था ?

(2) क्या अतिक्रमियों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब-कब और कौन-कौन सी कार्यवाही हुई ?

(3) क्या कोई पेनेल्टी उपरोक्त पट्टाधारियों को माफ हुई ? यदि हां, तो किस आदेश से और कब हुई ?

(4) क्या अतिक्रमियों के अतिक्रमण नियमित किये गये ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कब-कब किन-किन आदेशों के द्वारा किन-किन के द्वारा किये गये ?

(5) वर्तमान में किन व्यक्तियों ने बिजौलिया, नयानगर, नला की माताजी, बेरीसाल, सलावटिया कांसिया में अतिक्रमण कर रखा है ? कृपया उपरोक्त सभी की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल बिजौलिया खान में कांस्या डेर व नला की माताजी में खनिज बाउण्ड्री के बाहर पत्थर के खनन् कार्य करने वाले पट्टाधारियों ने जितने क्षेत्र में अतिक्रमण कर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर कार्य किया उसकी सूची संलग्न है। नया नगर, बिजौलिया, बेरीसाल क्षेत्र बाउण्ड्री में अतिक्रमण के मामले सामने नहीं आये हैं तथा सलावटिया में कोई खनिज बाउण्ड्री नहीं है।

(2) प्रश्न नं. 1 के उत्तर के अनुसार कांस्या डेर और नला की माताजी में अतिक्रमियों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की गई है और जब कभी फील्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण के दौरान क्षेत्र से

(खनिज मंत्री)

बाहर कार्य होता हुआ पाया गया था तो उसके पंचनामे बनाये गये व 10 गुणा रायल्टी यानी खनिज की कीमत की वसूली की कार्यवाही की गई तथा कुछ मामले न्यायालय में भी दिये गये। जो पंचनामे सन् 75 से अब तक बनाये गये हैं और जिन पर वर्तमान में जो कार्यवाही जारी है अथवा नियमन की जो कार्यवाही की गई है और जिसके तहत वसूली स्थापित की गई है उस संबंध में सूचना प्रश्न सं. 1 के उत्तर में संलग्न सूची के कालम नं. 6 में दर्शाई गई है।

(3) क्षेत्र कांस्या डेर और नला की माताजी के अतिक्रमण करने वाले पट्टाधारियों के विरुद्ध जो दस गुणा खनिज की कीमत कायम की गई और जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-4-81 के तहत स्थगित की जाकर नियमन की कार्यवाही की गई वह प्रश्न नं. 1 के उत्तर में दी गई सूची में दर्शाई गई है।

(4) जी हां। नियमन की कार्यवाही राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-4-81 के द्वारा निदेशक, खान विभाग की देखरेख में है।

(5) वर्तमान में नया नगर, नला का माताजी व कांस्या डेर में जो अतिक्रमण के मामले सामने आये हैं उनकी सूची संलग्न है। बिजौलिया वेरीसाल में कोई मामले सामने नही आये है और सलावटिया में कोई खनिज बाउण्ड्री नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी

965. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन): क्या कॉलेज शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी जिला झालावाड़ के बिरला कॉलेज का निरीक्षण करने हेतु एक कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो कमेटी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या कमेटी ने कॉलेज का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) बिड़ला महाविद्यालय में वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रही हैं? कक्षावार छात्र संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय को राजकीय अनुदान मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुदान देने पर विचार करेगी?

(5) क्या सरकार इसको राज्यान्तर्गत लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। कमेटी की रिपोर्ट संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) संस्था में सत्र 82-83 में 201 छात्र/छात्राएं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत हैं।

कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है :–

82-83	97	प्रथम वर्ष
	52	द्वितीय वर्ष
	52	तृतीय वर्ष
	201	

(4) संस्था को इस समय राजकीय अनुदान नहीं मिल रहा है। पैनल निरीक्षण की अभिशंसानुसार प्रतिवेदन को अनुदान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है जिसकी अभिशंसा प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उस पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी, नहीं। संस्था वर्ष 1975 से प्रारम्भ हुई है तथा संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव राज्याधीन लेने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये।

(सूची व रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत राज्य में पोषाहार

966. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत राजस्थान के किन-किन जिलों में पोषाहार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और उन जिलों में कितने केन्द्रों से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत राजस्थान में भरतपुर एवं धौलपुर (2) पाली (3) सवाई माधोपुर (4) नागौर जिलों में पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केन्द्रों की संख्या परिशिष्ट "क" में सलंग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सुल्तानपुर पंचायत समिति में माडा योजना के तहत कार्य

967. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति के किन-किन ग्रामों में माडा योजना के तहत क्या-क्या योजनाएं गत दो वर्षों में स्वीकृति की गई ? उसके तहत क्या-क्या कार्य हुए ?

(2) क्या इस योजना के तहत कुओं का निर्माण भी होना था ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में कुएं निर्मित हो चुके ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति में माडा योजना के तहत प्राथमिक शाला भवन एवं पेयजल कूप निर्माण की स्वीकृति गत दो वर्षों में दी गई है।

(जनजाती क्षेत्रीय विकास मंत्री)
ग्रामवार एवं कार्यवार दी गयी स्वीकृति व कार्य परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति सुल्तानपुर में ग्राम पंचायत खेरली खुश्क में कुएं का निर्माण होना था परन्तु पंचायत द्वारा कार्य शुरू नहीं करने के कारण राशि वापिस पंचायत समिति में जमा करा दी गयी। उक्त गांव पंचायत में कुएं निर्माण हेतु अभिकरण द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जयसमंद झील में मत्स्य आखेट व विपणन के ठेके

968. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष 1980 से अब तक जयसमंद झील में मत्स्य आखेट व विपणन तथा माल ढुलाई के ठेके किस-किस व्यक्ति को दिये गये? टेन्डर कब आमंत्रित किये गये, कितने व्यापारियों ने टेन्डर दिये और किस-किस दर पर स्वीकृति दी गई? निगम को इस अवधि में कितना लाभ हुआ और सहकारी समितियों को कितना लाभांश वितरण किया गया? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1980 से अब तक जयसमंद झील में मत्स्य आखेट के लिये कोई ठेका नहीं दिया गया है। आखेट से प्राप्त मत्स्य विपणन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्राप्त निविदाओं में से उच्चतम अधिकतम विक्री मूल्य देने वाले व्यवसायी को मत्स्य तौल केन्द्र जयसमंद पर ही उसी दिन विक्रय कर दी जाती है। जिसका विस्तृत वर्षवार ब्यौरा संलग्न है। चूंकि मछली तौल केन्द्र पर ही विक्रय की जा रही है, अतः माल ढोने के लिये किसी को ठेका नहीं दिया गया।

संघ को वर्ष 80-81 में मात्र 1.42 लाख का लाभ हुआ। 0.44 लाख रु. हैण्डलिंग चार्जेज व हिस्सा राशि अंशदान व 0.44 लाख प्रोत्साहन राशि के रूप में समितियों को वितरित की गयी। वर्ष 81-82 में 3.88 लाख की हानि होने से लाभांश वितरण नहीं किया गया है। लेकिन 0.08 लाख रु. हैण्डलिंग चार्जेज व हिस्सा राशि के दिये गये। वर्ष 82-83 के अन्त (30-6-82) में अंतिम लेखों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

रामगंज मंडी से सुकेत तक निजी बसों का आवागमन

969. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में कोटा से कैथून तक निजी बसें चलती हैं? और यह दूरी कितनी किलोमीटर है?

(2) सुकेत से रामगंज मंडी तक कितने कि. मी. दूरी है? क्या सरकार रामगंज मण्डी से सुकेत तक निजी बसें चलाने की

(श्री हरीश शर्मा)

स्वीकृति दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्ग की दूरी 16 कि. मी. है।

(2) सुकेत से रामगंज मण्डी की दूरी 15 किलोमीटर है।

जी नहीं। सुकेत से रामगंज मण्डी राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर निगम द्वारा अपनी बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। अतः राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बसों को चलाने की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर जिले में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों का अवैध आवागमन

970. श्री भरोसी (हिन्डौन) : **क्या** यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाईमाधोपुर जिले में सन् 1981-82 एवं 1982-83 में कितनी प्राइवेट बसें अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलती पाई गई ? कृपया बस नम्बर एवं स्वामी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वाहनों से कितने रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये व कितनों का चालान कोर्ट में पेश किया गया ? जुर्माने की राशि वाहन नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस जिले में सन् 1981-82 एवं 82-83 में राजस्थान पथ परिवहन निगम के निरीक्षण दलों द्वारा क्रमशः 31 एवं 39 निजी बसें अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलते हुए पकड़ी गई। परिवहन विभाग द्वारा इस अवधि में 16 वाहनें अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलती पाई गई। सूची संलग्न है।

(2) निगम द्वारा सभी बसों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं जिनमें से 34 बसों से 22,430 रु. जुर्माना राशि के रूप में वसूल किये गये तथा 36 बसों के चालान न्यायालय में विचाराधीन हैं। परिवहन विभाग द्वारा उक्त वाहनों में से 16 से 2,900 रु. जुर्माने के रूप में वसूल किये गये हैं। न्यायालय में चालान पेश नहीं किये गये हैं। जुर्माने की राशि व वाहन नम्बर सहित सूची संलग्न है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज्य परिवहन निगम में दैनिक वेतन पर चालक परिचालक की नियुक्ति

971. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक); एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य परिवहन निगम में दैनिक वेतन पर कितने परिचालक एवं चालक सन् 1982-83 में रखे गये एवं कितनों को हटा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 35

(35)

उत्तर

सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राज्य पथ परिवहन निगम में किराये के मिनिमम चार्जेज संबंधी नियम

972. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज. राज्य पथ परिवहन निगम में किराये के मिनिमम चार्जेज सम्बन्धी क्या नियम हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर से कटराथल (नवलगढ़) रोड, की दूरी कितनी है? क्या सीकर से कटराथल का किराया मिनिमम चार्जेज के हिसाब से ही वसूल किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पूर्व में भी उक्त स्थान का किराया मिनिमम चार्जेज के हिसाब से कम किया गया था? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) परिवहन निगम में यात्री भाड़े के नियमों के अनुसार न्यूनतम चार्जेज 80 पैसा प्रति यात्री है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) सीकर से कटरायल (नवलगढ़ रोड) की दूरी 11 कि. मी. है।

जी नहीं। यात्री भाड़े के नियमों के अनुसार निगम द्वारा प्रति 5 कि. मी. की एक स्टेज निर्धारित की हुई है तथा किराया प्रति यात्री 50 पैसे के गुणन खण्ड में फलित किया जाता है। अतः सीकर से कटराथल का किराया 3 स्टेज मानते हुए रुपये 1.50 पैसा प्रति यात्री लिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(नियमों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

भादरा सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्योय मार्ग सीधी बस सेवा

973. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) एवं **श्री सुनील कुमार बिश्नोई** (सूरतगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 1957 से 1975 तक भादरा-सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बसें चलती रही हैं?

(2) यदि हां, तो भादरा सिरसा (हरियाणा) मार्ग पर 1975 में सीधे सिरसा जाने से बसों को क्यों रोका गया?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता को सीधी बसें न मिलने के कारण घंटों राजस्थान-हरियाणा सीमा पर धूप व बरसात में इन्तजार करना पड़ता है?

(4) क्या भादरा क्षेत्र के अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बसें चालू हैं?

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

(5) यदि हां, तो भादरा-सिरसा मार्ग पर क्यों नहीं हैं ?

(6) क्या सरकार जनहित में भादरा-सिरसा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बस सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसका कारण राजस्थान व हरियाणा राज्यों के बीच दिनांक 11-11-75 को हुए समझौते के अनुसरण में इस मार्ग में से राजस्थान की सीमा से सिरसा तक के मार्ग की कटौती कर दिया जाना है।

(3) यह सही है कि सीधी बसें न चलने के कारण यात्रियों को इन्तजार करना पड़ता है।

(4) जी हां।

(5) दिनांक 11-11-75 को दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार इस मार्ग की सीधी बस सेवा बंद कर दी गई है।

(6) यह दोनों राज्यों के बीच समझौता होने पर निर्भर करता है।

रानीवाड़ा से सांचौर जाने के लिए रात्रि बस सेवा का अभाव

974. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा पर रात्रि में 9 बजे आने वाली गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिरों को सांचौर जाने के लिए रात्रि में कोई बस नहीं मिलती है ? और क्या यह भी सत्य है कि इस बारे में जनता की भारी मांग भी होती रही है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि रात्रि में रानीवाड़ा में विश्राम का कोई स्थान भी नहीं है जिससे यात्रियों को मजबूरन जीपों द्वारा सांचौर आने में भारी व्यय होता है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि रात्रि में सिरोही से रानीवाड़ा बस आती है जो रात्रि में रानीवाड़ा ही विश्राम करती है ? यदि हां, तो इस बस को सांचौर तक बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है ? और क्या यह व्यवस्था जन सुविधा की दृष्टि से करना जरूरी है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त बस को बढ़ाने के बजाय निगम द्वारा रानीवाड़ा से सांचौर रात्रि को रेल समय पर तथा प्रातः रेल समय पर ही सांचौर से रानीवाड़ा के लिए अलग बस सेवा दिनांक 8-3-83 से प्रारम्भ कर दी गई है।

जयपुर से हरिद्वार के लिए निगम की बस चलाना

975. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या जयपुर से हरिद्वार के लिये राजस्थान निगम की बसें जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या राज्य सरकार धार्मिक दृष्टि से उक्त स्थान तक जनहित में राजस्थान परिवहन निगम की बस शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जनता द्वारा मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर से हरिद्वार का मार्ग एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र शासित देहली सरकारों के स्तर पर पारस्पारिक परिवहन समझौता नहीं हुआ है जिसके अभाव में निगम द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही हैं।

(2) पारस्पारिक समझौते के बाद ही वाहन चल सकती हैं।

(3) जी नहीं।

पंचायत ढावला (पिड़ावा) में सीलिंग की भूमि का आवंटन

976. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) एवं **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की तहसील पिड़ावा की ढावला पंचायत ने सीलिंग की भूमि खसरा नम्बर 175 की 39 बीघा एस. डी. ओ. ने बिना सलाहकार कमेटी की सलाह लिए ही आवंटन करदी और वह भी अन्य पंचायत के व्यक्तियों को ? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि दिनांक 6-2-1983 को इहेल कैम्प में आवंटन की जबकि ढावला पंचायत का कैम्प दिनांक 3-2-1983 को था और सरपंच ने भी इस भूमि को आवंटन नहीं करने का निवेदन किया था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत धरोणिया के 11 बन्धक श्रमिकों को पूर्व में ग्राम पंचायत शेरपुर में आवन्टित भूमि के बदले, जो अच्छी नहीं थी और उनके द्वारा अन्यत्र भूमि चाहने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश के आदेशानुसार सीलिंग में अधिगृहित ग्राम पंचायत ढावला खींची के ग्राम सरोनिया, कोटड़ा, जेतमल, हनोत्यारायमल एवं हनोतिया की 32 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 के परन्तुक के अन्तर्गत उप-खण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 7-2-1983 के चेछलाव कैम्प पर आवंटित की गई है। जिसके लिये नियमानुसार सलाहकार समिति की सलाह आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त उक्त आवंटित भूमि में खसरा नम्बर 175 सम्मिलित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत ढावला खींची अपने पंचायत क्षेत्र में कोई भूमि आवंटन करवाना नहीं चाहते थे तथा बन्धकों की ग्राम पंचायत धारोनियां में कोई भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी।

कृषि भूमि के विनियमन पर स्टाम्प ड्यूटी

977. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) एवं **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि भूमि की अदला-बदली की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या इस सम्बन्ध में "प्रशासन गांवों ओर" अभियान के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे ?

(2) कोटा जिले में भूमि के अदला-बदली के कितने मामले राजस्व अभियान के दौरान अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किये गए ? इनमें से कितनों का निपटारा किया गया ?

उत्तर

(1) कृषि भूमि विनियम (अदला-बदली) के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 एवं 49 में दिये गये हैं। विनियम के मामलों में स्टाम्प ड्यूटी मूल्यानुसार लगती है। चूंकि कानून में पूर्व में ही इस प्रकार के प्रावधान हैं तथा पूर्व में ही विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये थे, अत: "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम में इस प्रकार के कोई अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किये गये ?

(2) राजस्व अभियान के दौरान कोटा जिले में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया। अत: निपटारा किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खोले गये आश्रम स्कूल भवन

978. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपयोजना क्षेत्र में खोले गये आश्रम स्कूलों के भवन लगभग 100 छात्रों के लिये पर्याप्त होने की दृष्टि से बनवाये गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में किस-किस आश्रम स्कूल में 100 छात्रों तक प्रवेश दिया गया और किसमें 50 छात्रों तक को ही प्रवेश दिया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ?

(2) कितने आश्रम स्कूल ऐसे हैं जिनका भवन निर्माण कार्य चल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ आश्रम स्कूल 100 छात्रों की क्षमता वाले तथा कुछ 50 छात्रों की क्षमता वाले बनाये गये हैं। 100 छात्रों एवं 50 छात्रों की क्षमता वाले विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत छात्रों की सूची संलग्न है।

(2) 15 आश्रम स्कूलों के भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

विकलांग एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण

979. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के तहत, विकलांग एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाना था ?

(2) क्या पीपल्दा क्षेत्र में, उक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया ? यदि हां, तो पंचायतवार सर्वेक्षण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बीलवा व भांकरोटा (सांगानेर) में समाज कल्याण विभाग के भवन

980. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सांगानेर तहसील के ग्राम बीलवा व भांकरोटा में समाज कल्याण विभाग की कोई सरकारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ? यदि हां, तो यह बिल्डिंगे कब-कब और कितनी-कितनी लागत से बनीं तथा यह राशि कहां से प्राप्त हुई थी ? क्या यह भवन पूर्ण बन चुके ? यदि हां, तो कब ?

(2) इन भवनों का क्या उपयोग हो रहा है ?

(3) अब सरकार इनका क्या उपयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम बीलवा व भांकरोटा में समाज कल्याण विभाग की कोई सरकारी बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पट्टी, फर्सी इमारती पत्थर के भू-आवंटन

981. **श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)** एवं **श्री छीतरमल आर्य (अटरू)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) सन् 1980 से पूर्व प्रताप गाडरी लि. कुड़िया को नया नगर भीलवाड़ा ऊपरमाल में पट्टी फर्सी इमारती पत्थर के कितने भू-खण्ड आवन्टित हुए ?

(2) आवन्टित भूखण्डों का एग्रीमेन्ट कब-कब हुआ ? लीज अवधि कब किस के हस्ताक्षर से बढ़ायी गई ?

(3) क्या यह सही है कि इन आवन्टित भूखण्डों से विभाग के कर्मचारियों ने भी माल निकलवाया है ? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब कितना माल निकलवाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1980 से पूर्व श्री प्रताप पिता अणदा गाडरी निवासी कुन्डियाकलां

Page No 40

(40)

(खनिज मंत्री)

को नया नगर (ए) खदान क्षेत्र में प्लाट नं. 260 एवं 261 साइज प्रत्येक 50×50 फीट के कुल दो प्लाट पट्टी, फर्शी व इमारती पत्थर के लिये आवन्टित किये गये थे।

(2) आवन्टित भूखण्डों का एग्रीमेन्ट प्रथम बार दिनांक 10-4-78 को एक वर्ष के लिये किया गया। उक्त अवधि का तत्कालीन खनि अभियन्ता द्वारा संविदा निष्पादन दिनांक 10-4-78 को किया। गया। इसके बाद एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जाने का आवेदन-पत्र पट्टाधारी द्वारा प्राप्त होने पर तथा रेन्ट जमा कराने पर स्वीकृति जारी की गई है।

(3) जी नहीं।

सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों में अवैध खनन् कार्य

982. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे—

(1) क्या सीकर तथा झुन्झुनूं जिले में कहीं पर अवैध खनन् कार्य होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत पट्टेधारियों द्वारा भी अवैध रूप से खनन् किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने बाबत क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) सीकर तथा झुंझुनूं जिले में अवैध खनन् कार्य के सम्बन्ध में वर्ष 82-83 में कुल 16 पंचनामें बनाये गये और सभी जगह पर अवैध खनन् कार्य करना तत्काल बन्द कराया गया तथा उसमें से 8 की वसूली खनिज की कीमत के रूप में करली गयी है। शेष की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(2) वर्तमान में पट्टाधारियों द्वारा अवैध खनन् कार्य करने की कोई सूचना विभाग को नहीं है। तथापि विभागीय अधिकारी समय-समय पर स्वीकृत क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और यदि कोई स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर कार्य करता पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कोटा सम्भाग में रिक्त पद

953. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा सम्भाग प्रवन्धक एवं आगार प्रबन्धक का पद कब से रिक्त है?

(2) निगम द्वारा इन पदों को कब तक रिक्त रखने का निश्चय किया गया है?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग प्रबन्धक एवं आगार प्रबन्धक के पद रिक्त नहीं हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं है।

Page No 41

(41)

'भंगी कष्ट मुक्ति' संकल्प के तहत विभिन्न कार्य

984. श्री मालाराम (खेतड़ी),

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में "भंगी कष्ट मुक्ति" संकल्प के लागू होने से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा क्या-क्या नये कार्यक्रम किस-किस स्थान पर शुरू किये गये ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में "भंगी कष्ट मुक्ति" संकल्प के लागू होने से अब तक जो कार्यवाही की गई एवं नये कार्य प्रारम्भ किये गये उनकी सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

पंचायत समिति क्षेत्र बाली में आदिवासियों को विभिन्न कार्यों हेतु देय धनराशि

985. श्री असलम खां (बाली) :— क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बाली में वर्ष 1980-81 व 1982-83 में कुओं को गहरा करने हेतु कितने आदिवासियों को कितना कितना रुपया दिया गया ? कृपया आदिवासियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में आदिवासी क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ब्लास्टिंग मशीनों द्वारा कुओं में ब्लास्ट करवाया गया ? यदि हां, तो ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को कितना पैसा जमा कराया गया ? कृपया वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अकाल के समय में कुओं को गहरा करवाने के लिए विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु आदिवासी क्षेत्र में कितना बजट देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बाली में 1980-81 से 82-83 तक कुओं को गहरा कराने हेतु 228 आदिवासियों के लिये 106720 रुपये भू जल विभाग को दिये गये हैं। नामवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। राशि आदिवासियों को सीधे ही नहीं दी जाती बल्कि उनके कुओं को निःशुल्क ब्लास्ट करवा कर भुगतान भू जल विभाग को किया जाता है।

(2) जी हां, भू-जल विभाग को उक्त अवधि में कुल 106720 रुपये दिये गये। इसका विवरण निम्न प्रकार है।

1981-82	16960
1982-83	89760

(3) अकाल का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है। माडा योजना के अन्तर्गत सिंचाई कुओं को गहरा कराने के प्रयास जारी हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 83-84 में कुल व्यक्तिगत लाभ योजना मद में

(जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)
92000 रुपये दिये जाने के प्रस्ताव रखे गये हैं। इसमें से 71000 रुपये कुओं को गहरा कराने के लिये प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

सवाई माधोपुर जिले में छात्रावास

986. श्री भरोसी (हिण्डौन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिये किन-किन स्थानों पर छात्रावास हैं? इन छात्रावासों में इस वर्ष कुल कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है? सूची मय छात्रों के नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक छात्र पर कितने रुपये मासिक खर्च किया जाता है?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में जिन स्थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर दी गई है। इस वर्ष जितने छात्रों को प्रवेश दिया गया उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) कक्षा 6से 8वीं तक के विद्यार्थियों पर 100 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों पर 106 रुपये प्रतिमाह खर्च किया जाता है। इसमें प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नही है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

अलवर नगर रानी मिल की भूमि का आवंटन

987. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर नगर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित "रानी मिल" की भूमि, भूतपूर्व अलवर नरेश द्वारा किन शर्तों पर मिल के संचालकों को दी गई थी? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मिल के संचालकों ने उक्त भूमि को विभाजित कर बिक्री कर दी है? यदि हां, तो क्या उक्त बिक्री अवैध नहीं है एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय नगर सुधार न्यास द्वारा उस भूमि को अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना को क्यों छोड़ दिया गया?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमियों को हटाकर भूमि का कब्जा लेगी?

उत्तर

(1) अलवर नगर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित "रानी मिल" की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः टिप्पणी करना उचित नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(2) यहां तक सही है कि श्री सुन्दर लाल रानीवाला कर्त्ता हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा (लेसर) श्री निरंजन लाल पुत्र प्यारे लाल, एवं शैलेन्द्र भार्गव पुत्र श्री कैलाश नाथ भार्गव (लैसी) के पक्ष में 99 वर्ष के लिये वार्षिक किराया रु. 5000/- (पांच हजार) पर दिये जाने का लीज डीड दिनांक 10-7-81 को निष्पादित हुआ था जो उप पंजीयक, अलवर के समक्ष वास्ते पंजीयन दिनांक 19-8-81 को श्री निरंजनलाल (लैसी) द्वारा प्रस्तुत हुआ। यह दो पक्षकारों के मध्य मामला सीमित है जो उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष याचिका में विचाराधीन है।

(3) जी हां, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई है। मामला नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज., जयपुर के समक्ष विचाराधीन है।

(4) इससे संबंधित मामले राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एवं राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उपयुक्त निर्णय होने पर ही उचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जन-जाति क्षेत्रों में बेंच मार्क/सर्वेक्षण सम्बन्धी निर्देश

988. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जन जाति क्षेत्र के विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस क्षेत्र का बेंच मार्क सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये थे ? क्या सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इसके अनुसार किस-किस योजना का छठी पंच-वर्षीय योजना में समावेश किया गया ? कृपया उप योजना सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। बेंच मार्क सर्वे की सूचना की पृष्ठ-भूमि में छठी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। उपयोजना सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन करने वालों का सर्वेक्षण एवं निवारण

989. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन करने वालों का कोई सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) इन भिक्षुकों में कितने ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं परन्तु आदतन भिक्षावृत्ति करते हैं ? कितने ऐसे हैं जो विकलांग एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कितने

Page No 44

(४४)

(श्री हीरालाल आर्य)
मानसिक रोग से विक्षिप्त हैं तथा कितने वृद्धावस्था व असहाय होने से भिक्षावृत्ति करते हैं ? इन भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास तथा जीवनयापन हेतु कोटा जिले में क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

(3) क्या सरकार ने इस हेतु कोटा नगर में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने कोटा में भिक्षा-वृत्ति निवारण कानून के तहत कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित कर दी गई है। कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, राजस्थान में भिक्षावृत्ति निवारण कानून लागू नहीं हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

बांसवाड़ा जिले में अवैध साहूकारों के विरुद्ध कार्यवाही

990. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के तहत राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामों में अवैधानिक रूप से साहूकारी का पेशा करने वालों का पता लगाया गया ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति इस कार्य में लिप्त हैं ? पंचायतवार अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के तहत राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैधानिक रूप से साहूकारी का पेशा करने वालों का एक नया प्रकरण ध्यान में आया है, शेष पहले ही से पंजीकृत थे।

(2) उक्त प्रकरण वास्तव में साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होकर राशि साहूकार के यहां अमानत में रखने का था। इसके लिये प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में दावा करने की हिदायत दी जाकर खारिज किया गया।

राज्य में सैटलमेंट कार्य

991. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी तहसीलें हैं ?

(2) उक्त तहसीलों में से कुल कितनी में वर्तमान में सैटलमेन्ट हो रहा है और कब से ? क्या उक्त तहसीलों के पूर्व में किये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
गये सेंटलमेन्ट का समय समाप्त हो चुका ? यदि हां, तो कितना ?

(3) राज्य में कितनी तहसीलें रिवीजन के लिए ओवरड्यू हैं और कब से ?

(4) अब शेष रिवीजन के लिये प्रतीक्षारत तहसीलों को कब तक सेंटलमेन्ट में लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 200 तहसीलें हैं।

(2) वर्तमान में कुल 44 तहसीलों में भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है। इनमें से 41 सम्पूर्ण तहसीलों का व 3 तहसीलों का आंशिक भू-प्रबन्ध कार्य कराया जा रहा है। इन चालू तहसीलों में भू-प्रबन्ध कार्य सन् 1974 से फरवरी, 83 के मध्य शुरू कराया गया। उक्त तहसीलों के पूर्व भू-प्रबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है।

(3) राज्य में कुल 105 तहसीलें पुनः भू-प्रबन्ध (रिवीजन बन्दोबस्त) के लिये ओवर ड्यू हैं। यह तहसीलें सम्वत् 2015 से 2039 के मध्य पुनः भू-प्रबन्ध के लिये ड्यू हो गई हैं।

(4) शेष 105 ओवर ड्यू तहसीलों में से छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के अन्तर्गत लगभग 15 तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उपलब्ध साधनों को देखते हुए यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है।

विकलांग कल्याण संकल्प के तहत विकलांगों को सहायता

992. **श्री मालाराम** (खेतड़ी), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

"विकलांग कल्याण" संकल्प लागू होने के पश्चात् से अब तक कितने विकलांगों को किस-किस प्रकार की सहायता अथवा रोजगार उपलब्ध कराया गया ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विकलांग कल्याण संकल्प लागू होने के पश्चात् से अब तक जितने विकलांगों को जिस-जिस प्रकार की सहायता अथवा रोजगार उपलब्ध कराया गया उसकी सूची परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15 मार्च, 1983)

जिला जालौर में उन्नत बाजरे के जब्त बीज

592. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि उन्नत बाजरे का बीज खाद्य सामग्री में शामिल नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जालौर जिले में रसद विभाग के निरीक्षकों एवं जिला रसद अधिकारी ने माह मई, 1982

(श्रीमती विद्या पाठक)

से आज तक छापा मार कर बाजरे का उन्नत बीज जब्त किया था ? यदि हां, तो किस व्यापारी के यहां छापा मार कर कितना-कितना बाजरे का बीज जब्त किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिलाधीश जालौर ने जब्त शुदा बीज किस-किस व्यापारी को वापस किस वजह से लौटा दिया।

(4) क्या यह भी सत्य है कि रसद अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से बीज जब्त किया गया था ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उन्नत बीज को बरसात के दिनों में अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माह जुलाई व अगस्त, 1982 में निम्नांकित व्यापारियों का उन्नत बाजरा बीज जब्त किया गया था:-

क्र.सं.	नाम व्यापारी	जब्त बाजरे का विवरण
1.	श्री सुमेरमल पुत्र केवलचन्द भंसारी, सांचौर।	72.25 क्वि.
2.	जाकिरहुसैन पुत्र हाजी इब्राहीम, सांचौर।	13.71 क्वि.
3.	कमलकिशोर बंसल, जालौर।	46.95 क्वि.

(3) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची I के भाग "क" में बाजरा बीज का उल्लेख नहीं होने का आधार बताकर जिलाधीश, जालौर ने सभी व्यापारियों को जब्त माल वापस लौटा दिया।

(4) जी नहीं, उक्त आदेश की अनुसूची I के भाग "क" (खाद्यान्न) में बाजरा भी सम्मिलित है।

(5) माह जुलाई व अगस्त में बाजरा बीज जब्त किया गया था।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

जिला टौंक में भूमि विभाजन की कार्यवाही

463. श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले में राजस्थान सरकार एवं जिलाधीश टौंक के आदेश द्वारा कृषि भूमि शामलाती खातों का आपसी समझौते के आधार पर भूमि के विभाजन के लिए सन् 1980 में विभिन्न ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाकर 5/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर विभाजन की कार्यवाही एवं प्रतिज्ञा-पत्र आदि भरवाये गए थे ? यदि हां, तो विभिन्न तहसील क्षेत्रों में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितने-कितने भूमि विभाजन के फार्म भरवाये गए ? अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आज तक भी खातों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
का विभाजन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार विभाजन की कार्यवाही हेतु 298 प्रतिज्ञा-पत्र प्राप्त हुए थे। तहसीलवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) 298 प्रार्थना-पत्रों में से 42 मामलों में विभाजन स्वीकार कर लिया गया है; 49 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष 207 मामलों में प्रार्थियों द्वारा आवश्यक धन राशि के मुद्रांक नहीं लगाये जाने के कारण विभाजन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

पंचायत समिति टोंक में कमाण्ड एरिया का नान कमाण्ड एरिया में परिवर्तन

654. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थली ग्राम पंचायत भरनी, पंचायत समिति टोंक में समस्त भूमि को कमाण्ड एरिया घोषित किया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम थली में घोषित कमाण्ड एरिया में कहीं भी सिंचाई नहीं होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानीय अधिकारियों से ग्रामवासियों एवं सरपंच ने कमाण्ड एरिया को नान-कमाण्ड एरिया में परिवर्तन करने का निवेदन किया है ? इस आशय का प्रस्ताव ग्राम सभा में भी लिया है।

(4) यदि हां, तो कमाण्ड एरिया को नान कमाण्ड एरिया में परिवर्तन की क्या कार्यवाही हुई तथा इसकी घोषणा कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मौखिक निवेदन किया है। ग्राम सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करने की जानकारी राज्य सरकार को अनौपचारिक तौर पर हुई है। ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) कमाण्ड एरिया को नान कमाण्ड में परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है और जल्द ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

राजस्व अभियान के दौरान भूमि रूपान्तरण के मामले

708. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या राजस्व मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 5/21/रेव/ग्रुप-4/80/351, दिनांक 4 सितम्बर, 1978

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के अन्तर्गत प्रथम जनवरी, 1983 से राजस्व अभियान के दौरान नामान्तरण खोलने का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अधिसूचना की प्रति तथा अधिसूचना के आधार पर केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये नामान्तरकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्व विभाग द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना राजस्व अभियान के दौरान नामान्तरकरण को खोलने के संबंध में जारी नहीं हुई है। राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 5/21/रेव/ग्रुप-4/80/35, दिनांक 4 सितम्बर, 1982 द्वारा भूमि के आवंटन के पश्चात्वर्ती या न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में होने वाले नामान्तरण को छोड़कर नामान्तरण के अन्य मामलों को विनिश्चित करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत तहसीलदारों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस ग्राम की ग्राम पंचायत द्वारा करने की शक्तियां प्रदान की गई। प्रति संलग्न है।

राजस्व अभियान के दौरान अधिसूचना संख्या एफ. 6 (86) रेव/ग्रुप-4/82/65, दिनांक 17 दिसम्बर, 82 द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रम में तहसीलदार को राजस्व अभियान दिनांक 1-1-83 से 15-2-83 तक उनके क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए शक्ति प्रदान की गई, उक्त राजस्व अभियान के दौरान विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कुल 2855 नामान्तरकरण तस्दीक किए गए।

(अधिसूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

उदयपुर नगर में देवस्थान विभाग के मन्दिर

715. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) उदयपुर नगर में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन से मन्दिर सम्मिलित हैं ? उन मन्दिरों की सूची मय उनकी अचल सम्पत्ति के सदन के पटल पर रखें।

(2) विभिन्न मन्दिरों की अचल सम्पत्ति से होने वाली आय का विवरण मय किरायेदार के नाम की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) विभिन्न मन्दिरों की कितनी रकम लोगों से वसूल करनी बाकी है एवं कब से बाकी है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

अजमेर में बीड़ी निर्माण के लाइसेन्स का नवीनीकरण

719. **श्री कैलाशचन्द मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर में राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कंडिशन्स ऑफ एम्पलायमेन्ट) रूल्स, 1969 नियम 3 एवं 4 के अन्तर्गत फार्म नम्बर एक के द्वारा किस-किस ने बीड़ी निर्माण के लाईसेन्स के वर्ष 1982-83 के लिए नवीनीकरण हेतु कब-कब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और उसे कब कब स्वीकार किया गया ?

(2) क्या नवीनीकरण करने से पूर्व नियमानुसार जांच की गई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	नाम फैक्ट्री	नवीनीकरण पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक	नवीनीकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4
1.	खण्डेलवाल ब्रादर्स, अजमेर	10-4-82	23-4-82
2.	जनता बीड़ी फैक्ट्री, अजमेर	15-4-81	दिनांक अंकित नहीं है।
3.	सेवक बीड़ी वर्क्स, अजमेर	11-5-81	नवीनीकरण नहीं किया गया।
4.	दिनेश पटेल फतहलाल	27-9-82	,,
5.	चूहड दो शेर छाप बीड़ी	21-4-82	,,
6.	रामसिंह शंकरसिंह	6-12-82	,,
7.	गोपाल बीड़ी वर्क्स	6-12-82 को पोस्टल आर्डर एवं पुराना लाइसेन्स जमा कराया प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।	,,
8.	सूरजमल शिवबक्स	27-4-82	28-4-82

(2) जी नहीं। औपचारिकता पूर्ण होने पर नवीनीकरण किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री नाथूसिंह व अन्य 8 माननीय सदस्य-थाना उदय मन्दिर (जोधपुर) में कुछ व्यक्तियों को लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ करने के मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले को समाप्त करने के विषय में,

(2) रामकंवार बैरवा—चाकसू तहसील के 13 ग्रामदानी गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों को ऋण एवं अनुदान से वंचित करने के विषय में,

(3) श्री यदुनाथसिंह—गत 23 मार्च को..

यह कल आग लगी क्या

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : 23 फरवरी को।

श्री अध्यक्ष : कल शाम को तो आपने प्रस्ताव ही दिया है। इस को 23 फरवरी कर लेते हैं।

को कोटा थर्मल के कोल प्रोसेसिंग प्लान्ट में आग लगने की सन्देहास्पद स्थिति के विषय में,

(4) श्री बालचन्द्र आर्यवीर—झालावाड़ जिले के चौमहला क्षेत्र में आई. आर. डी. में गरीबों के स्थान पर समृद्ध परिवारों को ऋण देने के विषय में,

(5) श्री हीरालाल आर्य—ग्राम सेवा सहकारी समिति, लुहावद, क्षेत्र पीपल्दा के चुनाव पिछले दिनों गलत तरीके से होने के विषय में,

(6) हाजी चाव खां—जिला अलवर के थाना सदर के ग्राम लूहरवाड़ी में कुछ व्यक्तियों को अवैध हिरासत में रखने के विषय में,

(7) श्री समर्थलाल—इस वर्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के करीब एक लाख छात्र-छात्राओं को एक करोड़ रुपये की मिलने वाली छात्रवृत्ति न दिये जाने के विषय में,

(8) श्री मेघराज तावड़—प्रतापनगर, उदयपुर के वनवासी छात्रावास की जमीन को जिलाधीश द्वारा अवाप्त करने की कार्यवाही के विषय में,

(9) श्री दाऊदयाल जोशी—गत 30 मई को पंचायत बालूहेडा, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा की कुछ जमीन को सरकारी कर्मचारियों को आवंटन कर देने के विषय में;

(10) श्री कुंजीलाल—जिला सवाई-माधोपुर में वामनवास तहसील को सैटलमेंट के समय बैकवर्ड घोषित न करने के विषय में,

(11) श्री महाराम चौधरी— गत 21 फरवरी से किसान यूनियन के तत्वावधान में जयपुर जिले के किसानों द्वारा दिए जा रहे धरने के विषय में,

(12) डा. उज्जला अरोड़ा—जयपुर में मकानों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये

(श्री अध्यक्ष)

सरकार द्वारा जनता से लेने के बावजूद मकानों का नियमन न करने के विषय में,

(13) श्री चन्द्रवीर सिंह--जैसलमेर जिले में अकाल की स्थिति के बावजूद समुचित राहत कार्य न खोलने और ग्रामीण अंचल में चिकित्सा सेवा उपलब्ध न होने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा ।

(14) श्री हंसराज शर्मा–जिला सवाई माधोपुर के ग्राम सारलोप में रामनिवास काच्छी की हत्या के विषय में ।

इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री गुलाबचन्द्र कटारिया–संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति, फतेहनगर, जिला उदयपुर में गबन व अनियमितताएं ।

सरकार ने सूचित किया है कि कपड़ा तथा चीनी की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई है और स्टाक भी अधिक नहीं है । जिन कर्मचारियों को अग्रिम राशि दी गई है, उनसे हिसाब लेकर बकाया राशि जमा कराने को कहा गया है ।

(2) श्री देवीसिंह भाटी–जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में गेहूं, चीनी व केरोसिन तेल का वितरण ।

सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर मास की चीनी वितरित कर दी गई है अथवा शीघ्र कर दी जाएगी । मांग न होने के कारण गेहूं नहीं उठाया गया । केरोसिन का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है ।

राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 837 व अन्य स्थानों पर कच्ची पीली टाइलें लगाने के विषय में ।

सरकार ने सूचित किया है कि पिछले दो माह से लाइनिंग का कार्य इन टाइलों से नहीं किया जा रहा है ।

तहसील कोलायत व बीकानेर की अन्य तहसीलों में एन. आर. आई. पी. के कार्य का भुगतान ।

सरकार ने सूचित किया है कि करीब 37 लाख रुपये का भुगतान बाकी है जो कि सम्बन्धित कार्यों के पूरा न होने के कारण नहीं चुकाया गया है । जैसे ही कार्य पूरा होगा, इसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

(3) श्री रामकिशोर मीणा व श्री कैलाश मेघवाल—ग्राम तिगरिया, थाना गोविन्दगढ़ में एक अध्यापिका चन्द्रामति की हत्या के अभियुक्त बद्री बागड़ा की रहस्यमय मृत्यु ।

सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । केस की तफ्तीश सी. आई. डी. द्वारा करवाई जा रही है ।

Page No 52

(52)

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री दाऊदयाल जोशी—गत 6 मार्च को बीकानेर में आशा मोदी नामक युवती की हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्वेषण किया जा रहा है।

(5) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनङ्गकुमार जैन—झालावाड़ की पंचायत पंचपहाड़ को नगरपालिका भवानी मंडी में मिलाने के बाद सरपंच द्वारा चार्ज न देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि जिलाधीश, झालावाड़ को नियमानुसार चार्ज दिलाने की कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है।

(6) श्री राजबहादुर भरतपुर—जिले में पशुधन सहायकों के पद समाप्त कर उन्हें अन्य जिलों में पदस्थापित करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि 10 पशुधन सहायकों को सरप्लस घोषित करके अन्य जिलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जा चुका है।

(7) श्री मेघराज तावड़—ब्यावर की रेडक्रॉस सोसायटी में काम करने वाली श्रीमती घीसी बाई की हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकरण में हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। इसमें अन्वेषण किया जा रहा है

(8) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री हीरालाल आर्य—पीपल्दा क्षेत्र के गेंता कस्बे के श्री भवानी शंकर नागर का अपहरण व उसकी हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच सी. आई. डी. द्वारा करवाई जा रही है।

(9) श्री मेघराज तावड़—कोटा में महावीर नगर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में घटिया किस्म का मैटीरियल लगाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है मकानों को घटिया किस्म का सीमेंट लगाने के कारण नहीं बल्कि अतिवृष्टि के फलस्वरूप क्षति पहुँची थी।

(10) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल जेलिया—सवाई माधोपुर में एफ.सी.आई. द्वारा व्यापारियों को सड़ा गला गल्ला देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि बारिश के कारण गेहूँ भीग गया था। उसी गेहूँ को एफ.सी.आई. द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हंसराज शर्मा : जिला सवाई माधोपुर के ग्राम सारलोप में रामनिवास काच्छी की हत्या के विषय में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : किसान यूनियन के तत्वावधान के अन्दर पिछली 21 फरवरी से किसान लोग धरना दिए हुए हैं··

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है; कृपया बैठ जायें।

श्री महाराम चौधरी : सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। सरकार को किसानों की मांगों के मामलों में सोचना चाहिए··

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही थोपे नहीं, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य, कार्यवाही थोप रहे हैं। मैंने व्यवस्था दी है।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर उजला अरोड़ा!

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे 11 स्थगन प्रस्ताव हैं। दो दिन से आपने व्यवस्था भी की पर वे व्यवस्था में लगे नहीं हैं। शास्त्री नगर थाने में हथकड़ी वाला मामला··

श्री अध्यक्ष : सरोज हत्याकांड। मैंने जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे हैं उसके बाद आप चर्चा उठा सकेंगी।

श्री महाराम चौधरी : सरकार को थोड़ा सा वक्तव्य दे देना चाहिए। पिछली 21 फरवरी से··

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह वक्तव्य दिलाने के तरीके नहीं हैं।

श्री महाराम चौधरी : किसानों की मांगें वाजिब हैं। किसानों की सहानुभूति-पूर्वक····

श्री अध्यक्ष : अनधिकृत कार्यवाही न करें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें। यह अन्तिम दिन है, मेरा प्रयत्न यह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों के··

श्री महाराम चौधरी : इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 17 तारीख से विधान सभा चल रही है··

श्री अध्यक्ष : विधान सभा कब से चल रही है। आपको किसान की याद तब आई जब सत्रावसान होने को है··

श्री महाराम चौधरी : यह बात तो हमेशा किसी न किसी रूप में कहते आए हैं··

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आज ही आपने दिया है।

श्री महाराम चौधरी : पूरे जिले में किसान आतंकित हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उदय मन्दिर के लिए। जल्दी से जल्दी अगर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यही मानकर चलें कि हमारे यहां के जितने भी आदेश जाते हैं वे इसी भाषा में जाते हैं कि जल्दी से जल्दी सूचनायें सरकार उपलब्ध करायें, यह आप स्वयं जानते हैं अन्यथा इतने प्रश्नों के उत्तर थोड़े ही आ सकते हैं।

अब श्री हंसराज शर्मा !

श्री नाथूसिंह : यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस पर चर्चा नहीं होगी। आप नियमों से परिचित हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर। आपने आज से 10 दिन पूर्व ऐसे कुछ मैटर्स की घोषणा की थी जिनका आप अध्ययन कर रहे थे। 10 दिन पूर्व अध्ययन करने की···

श्री अध्यक्ष : काहे की ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी··

श्री अध्यक्ष : अध्ययन कर अलग अलग मैटर हैं। आप कौन से के लिये कह रहे हैं। उन सब पर करीब करीब व्यवस्था दे दी। एक दो बचे होंगे। अध्ययन करते हैं, दूसरे या तीसरे दिन अध्ययन करके व्यवस्था की जाती है··

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 10 दिन हो गए।

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जोधपुर नगर न्यास में जमीन के आवंटन का सवाल है जिस पर आपने कहा था कि मैं अध्ययन कर रहा हूं। उसको 10 दिन हो गए।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैं सदैव माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, आसन के साथ कृपया प्रश्न काल फिर एक नया न बनायें। आप मुझ से मिलें, किसकी शिकायत रहती है। अब समय समाप्त है। सत्र वर्ष भर में कुछ ही दिन चलता है। आज भी देखेंगे, कई तरह के आसन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं, उत्तर दिलाए जा रहे हैं। फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो मुझे से मिलने का कष्ट करें। यहां समय न लें।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : हमारे तो नहीं ले रहे हैं

श्री अध्यक्ष : सब सदस्यों के ले रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : उस वक्तव्य की अलग से बात कर लेंगे। मैं विचार कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव 28-2-1983 का था, एक बार भी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य की बात है, इसको देख लेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : आप समय थोड़ा लें क्योंकि मुख्य जो विचार-विमर्श हेतु विषय रखा गया है उसके अलावा कार्य सूची बहुत लम्बी है। इसलिए कृपया थोड़े समय के अन्दर अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर के एक गांव में तारीख 8-10-82 को रामनिवास काच्छी, जो रात को अपने घर के बाहर खाट पर सोया हुआ था, को कुछ असामाजिक तत्व बांध कर खाट समेत ले गए और कुएं में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, घर वालों में उसके एक छोटा-सा बच्चा और छोटी-सी बच्ची है और एक उसकी पत्नी है। उसके परिवार में और कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब सवेरे उसकी पत्नी उठी और उसने बाहर देखा तो उसको खाट और उस पर उसका पति नहीं मिला। उसने उसको ढूंढने का प्रयास किया, दिन भर ढूंढती रही, गांव भर में उसको देखती रही, उसका कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन एक कुएं में कोई लाश तैरती हुई मिली। उसको लोगों ने कहा कि कुएं में एक लाश तैर रही है। गांव वाले गए और देखा कि वह रामनिवास काच्छी की लाश थी। उसकी सूचना पुलिस में विधिवत् दी गई। पुलिस आई। उस लाश को निकाला। उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसमें भी यह बताया गया कि उसका गला घोंटा गया है और उसके हाथ बांध दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले की पुलिस को सम्पूर्ण जानकारी थी लेकिन पुलिस विभाग ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका एक कारण और भी है। इसके कुछ दिन पहले 5-10-1982 को उस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने चाकू मारा था। चाकू मारने की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज की थी और बताया था कि यह मुलजिम है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस मामले को दबा दिया गया। उसके बाद में गांव वालों ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाये, लेकिन पुलिस विभाग ने अनदेखी करके अन्य पार्टी से पैसा खाकर इस केस को दबा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट आज दिन तक दर्ज नहीं हुई है। दूसरी पार्टी से मिलकर इस केस को दबा दिया। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण केस की जांच करवाई जाये। वहां गरीब माली रहते हैं, वह सब काच्छी हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : संजीवन सहकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति, फतेहनगर के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने भी रिपोर्ट ऑडिट की पढ़ी है, आपको भी सारी जानकारी है।

Page No 56

(56)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने स्वयं इस आडिट रिपोर्ट को देखा होगा, आपने स्वयं ने कहा है इसमें, अध्यक्ष महोदय, कम से कम 15 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। मैं एक-एक पाइन्ट को अच्छी तरह से रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अल्प समय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अल्प समय में नहीं कही जा सकती सारी बात। मुझे आप कल समय दे दें। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप दो चार मिनट के अन्दर इसको समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, दो तीन मिनट में नहीं हो सकता। ऑडिट रिपोर्ट में है कि इतना घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जितनी सहकारी समितियां हैं, विभाग हैं, संस्थान हैं, उनमें कई तरह की अनियमिततायें होती हैं, लेकिन जो मुख्य प्रश्न था वह सरकार के ध्यान में आ गया और सरकार ने रिपोर्ट दे दी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस पर इतने कम समय में नहीं बोला जा सकता, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ।

जो संजीवन सहकारी समिति है उसने पिछले वर्ष में 1800 बोरी चने की खरीदी थीं। उसकी दाल बनाई। उस सारी दाल को चूरी समझकर 32 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दिया। वह खरीदी तब थी 6 लाख 30 हजार की कीमत थी, लेकिन बेचने के बाद··

श्री अध्यक्ष : दाल बेची नहीं, सारी चूरी बेची।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सारी चूरी बेची। यही नहीं, श्रीमान्, जितने लोगों ने बिल्टियां, ट्रांसपोर्ट की बिल्टयां मंगवाई उसमें भी लोडिंग और अन लोडिंग के 75 हजार अतिरिक्त दिए गए। श्रीमान्, यही नहीं, उदयपुर में जो 50 रुपये प्रति बोरी मिलती है, मैं आपको बिल नम्बर बता सकता हूं, बिल नम्बर है 354, 534 बिल नम्बर है। वह उदयपुर में 50 रुपये के हिसाब से खरीदी हैं। लेकिन 85 रुपये के हिसाब से दुकानदार से बिल मंगवाये और 92 रुपये में बेची। लेकिन बाद में पता चला कि जिन लोगों को बेचीं उनसे वापस इकट्ठी करवाई। और उनको वह दिया··

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सहकारी मंत्री जी, आप सुनें। आपके विभाग की बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो नहीं सुन रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन) : माननीय प्रभाकर जी, यह आपके विभाग की बात है। आप सुनें तो सही।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह जो क्रय विक्रय सहकारी समिति फतहनगर में है यह मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र के अन्दर है। मंत्री महोदय को इसके बारे में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वहां के स्थानीय लोगों ने कई ज्ञापन दिये, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, एक एक पाइन्ट इनको बताया है। इस तरह से, श्रीमन्, जो बिल्टी बन कर आई है उसका कोई बिल बनकर नहीं आया। मतलब वह किस भाव से खरीदी और किस भाव में बेची। बेची तो है। वह लाखों रुपये से प्राइवेट दुकानदारों से खरीदकर बेची, उसका कोई हिसाब नहीं। श्रीमन्, यही नहीं, इनके जो व्यवस्थापक वहां लगे हुए हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इस क्रय विक्रय समिति के 56 हजार रुपये अपने व्यक्तिगत उपयोग में लिए हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि 48 हजार हरिशचन्द नाम के व्यक्ति ने लिए हैं। यह ऑडिट रिपोर्ट में है कि स्वयं ने खरीदी और खरीदकर बेची, सब कर्मचारियो ने ली। यह सूचना दी है, यह ऑडिट रिपोर्ट पिछले तीन साल से आई है कि जितना यात्रा भता दे रहे हैं, उसके बजट में उतना नहीं है। गलत है, इस प्रकार की यात्रायें नहीं हो रही हैं। इसी प्रकार उदयपुर में 26 हजार रुपया अतिरिक्त दिया है। यह मैंने एक-एक पाइंट बनाकर पूरी बात बताई है। इतनी बड़ी राशि जो 37 लाख रुपये की लगी हुई उसको तहस नहस करेंगे। वह चाहे जिस माल को खरीद रहे हैं जिसको चाहे बेच रहे हैं। आज भी आपके स्टोर में कितने का माल डम्प पड़ा हुआ है। दो वर्ष से खरीदा हुआ पड़ा है, वह बिकता नहीं है, वह घटिया माल खरीदा हुआ है। आप उसका सत्यापन करें, 15 से 20 लाख रुपये का माल डम्प पड़ा हुआ है, कई वर्षो से पड़ा है, इसका कोई हिसाब नहीं है, सत्यापन रिकार्ड का नहीं है। इस प्रकार का घपला हुआ है, यह ऑडिट रिपोर्ट में है। उसमें एक व्यक्ति को सजा दी गई। वास्तव में उससे बड़े गुनहगार वह सारे बड़े अफसर हैं जिनको एक हजार रुपया महीना वह तनख्वाह देता है, इस प्रकार का पेमेंट करता है। इस प्रकार उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसका कारण है, श्रीमान्। इसका कारण यह है, मंत्री महोदय, मैं आपको बिलकुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब वह यह जानते हैं कि इतना बड़ा घोटाला जनता उनके ध्यान में ला रही है तो उसको दबाकर क्यों बैठना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि करप्शन है और व्यक्ति निश्चित रूप से इनके संरक्षण में उसका फायदा उठा रहा है। जो क्रय विक्रय समिति है उसकी सारी पूंजी समाप्त हो गयी। इसलिए मैं चाहूंगा, आपने इसको रिजेक्ट किया है लेकिन आप फिर से दुबारा इसको सरकार के पास भेजिये और जो जो अधिकारी इसमें इनवाल्व्ड हैं और जो जो पैसा पाते हैं उन सब लोगों को सस्पेण्ड कीजिए, सस्पेण्ड ही नहीं कीजिए बल्कि आप उनका सामान भी कुर्क कीजिए और हमारे पैसे को फिर से प्राप्त कीजि[illegible] तब पता लगेगा कि किसी का तो [illegible] हो गया, कोई नौकरी छोड़[illegible] इस तरह से लाखों रुप[illegible] हो रही है। यह [illegible] आप शासन [illegible] सारे माम[illegible] और [illegible]

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी के तीन स्थगन प्रस्तावों पर आज व्यवस्था दी गयी है। बीकानेर जिले में गेहूं चीनी व केरोसिन का वितरण। दूसरा राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 837 पर कच्ची टाइलें लगाने के संबंध में। और तीसरा है कोलायत तहसील में एन. आर. ई. पी. के कार्यों का भुगतान नहीं होने के संबंध में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत तहसील के ग्राम सुरजड़ा, खींदासर और बसलपुर के बाबत मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि वहां गत 5-6 माह से गेहूं चीनी और केरोसिन नहीं मिल रहा है। सरकार से जानकारी आई है कि दिसम्बर तक की हमने चीनी, गेहूँ और केरोसिन वितरित कर दिया है। आज मुझे जानकारी मिली है, और कोई आज ही या रात को वितरित कर दिया हो तो मुझे पता नहीं, बाकी कल सुबह तक की जानकारी है कि कोई वितरण वहां नहीं किया गया है क्योंकि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं सुरजड़ा, खींदासर और बसलपुर की वह कतई गेहूं, चीनी ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके आपसी कोई झगड़े हैं जिसकी वजह से वितरण नहीं हो पा रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की जानकारी करे कि क्या दिसम्बर तक की चीनी, गेहूँ और केरोसिन का वितरण हो चुका है। इस प्रकार की गलत सूचना यहां भेजी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी मैंने कई प्रश्नों में निवेदन किया है कि सरकार को बिल्कुल गलत तथ्यों की जानकारी दी जाती है और उसकी सरकार कतई जानकारी नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर तक के लिए उन्होंने कह दिया कि हमने चीनी, गेहूं और केरोसिन दे दिया। फरवरी तक का क्यों नहीं दिया ? अध्यक्ष महोदय, यह टालने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि पंचायत समिति, कोलायत की पिछली मीटिंग हुई थी जनवरी के अन्दर, उसमें भी काफी सरपंचों में रोष था कि जो भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो चीनी, गेहूं और केरोसिन नहीं ले जा रही हैं, उसमें जिलाधीश महोदय ने तुरन्त कहा था कि 7 दिन के अन्दर-अन्दर यह चीनी, गेहूं और केरोसिन वितरित कर दें व्यवस्थापक अगर नहीं ले जा रहे हैं तो अन्य किसी व्यवस्थापक के द्वारा गेहूं, चीनी और केरोसिन का वितरण करा दें। परन्तु आज तक वितरण नहीं किया गया है, अध्यक्ष महोदय।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 837 और बसलपुर शाखा की छीला वितरिका आर. डी. 5 के अन्दर केरली के भट्टे और मानकासर के पास उत्तरी दिशा में ईंटों के भट्टे की कच्ची व पीली टाइलें लगाई जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब की जानकारी में है कि कोयला ठेकेदारों को दिया जाता है वह आधा कोयला तो वहीं बीकानेर में ब्लैक में बेच दिया जाता है। जब भट्टों के अन्दर कोयला ही कम डाला गया तो ईंटें कैसे पक्कर तैयार होंगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी को मौके पर जाकर आया हूं। वहां मैं देखकर आया हूं। सरकार ने गलत सूचना दी आपको अध्यक्ष महोदय हमने दो माह से इन

(श्री देवीसिंह भाटी)

टाइलों का उपयोग करना बन्द कर दिया है। बल्कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरी बात गलत निकल जाये तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 21 फरवरी को इन भट्टों पर जाकर आया था। गाड़ों पर टाइलों का लदान हो रहा था। मैं स्वयं देखकर आया था 21 फरवरी को। सरकार से यह जानकारी आई है कि दो माह से इन टाइलों का उपयोग करना सारा बन्द कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हम वहां मौके के ऊपर जाते हैं और सरकार को मदद देते हैं, हम इस प्रकार की सूचना देते हैं और चाहते हैं कि इसमें कार्यवाही करें। लेकिन सरकार गलत सूचना देकर शांत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम देखिये, पूरी केबिनेट राजस्थान केनाल के ऊपर टूर करने गयी थी उस समय इन्होंने पाया था कि राजस्थान मेन केनाल के आर. डी 800 से 807, 808, 811, 837, 855 और 911 सारी जगह मेन केनाल के बायीं और दाहिनी ओर बड़ी-बड़ी झील हो गयी हैं, सीपेज हो रहा है। टाइलें जब आप सही नहीं लगाओगे, मिट्टी का कम्प्रेशन जब सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उसमें रिसाव होगा। तो उस सीपेज से वाटर लागिंग होकर बड़ी बड़ी झीलें उत्पन्न हो गयी हैं उससे आज नहरों को बिल्कुल खतरा हो गया है, वह कभी भी टूट सकती हैं कई बार टूटी भी हैं। सरकार को आज भी हम अपनी तरफ से सूचना देते हैं और कोई जानकारी सरकार के ध्यान में लाते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। मंत्री महोदय, कृपया इस प्रकार के गलत उत्तर नहीं दें। अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं और आपको इस प्रकार की गलत सूचना दे रहे हैं कि दो माह से इन टाइलों का उपयोग करना बन्द कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिलकुल कच्ची और पीली टाइलें लगाई जा रही हैं इसको तुरन्त रोका जाना चाहिए।....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सरकार जागरूक है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो आप फोटो देख चुके हैं कि क्या हालत है राजस्थान केनाल की। आपकी जानकारी में भी लाये थे लेकिन आप तो फोटो ही गायब कर चुके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरे स्थगन प्रस्ताव पर आता हूँ। तीसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव था, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील और अन्य में एन. आर. ई. पी. के जो वर्क्स हुए, पक्के कार्य हुए, अध्यक्ष महोदय, वह ग्राम पंचायतों के द्वारा हुए। ग्राम पंचायतों ने सरकार के विश्वास के ऊपर उन कार्यों को चालू करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, सरपंचों के पास कोई अलग से बजट होता नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं होता। सरपंचों ने गांव-वालों से सहयोग लिया और उनसे पैसा उधार लिया। ऐसे मजदूर हैं जो कि गरीब मजदूर हैं, अकाल पर अकाल पड़ रहा है लेकिन उन मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार जब मानती है जैसी कि हमें सूचना दी गयी है कि 37 लाख रुपया बकाया है, तो, अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना तो कीजिए

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि 1½ साल से 37 लाख रुपया बकाया है, तो सरपंचों की क्या हालत हो रही होगी। ××× कई सरपंच तो गांव छोड़-छोड़ कर भाग गये और दूसरी जगह जाकर बैठ गये हैं। क्योंकि यह सरकार पैसा दे रही है तो वह गांववालों को क्या जवाब दें। बड़ी बुरी हालत हो रही है, अध्यक्ष महोदय। लगातार पांचवां साल है अकाल का। फेमिन वर्क्स नहीं खुल रहे हैं। सरकार ने घोषणा कर दी, 498 गांवों में अकाल घोषित कर दिया। लेकिन मजदूर कितने लग रहे हैं। केवल 1100। एक गांव में दो आदमी हैं जिनको मजदूरी दी जा रही है। इसके उपरान्त भी लोगों का 37 लाख रुपया 1½ साल से बकाया है। फिर भी सरकार यह कहती है कि कार्य पूर्ण नहीं हुए। तो, अध्यक्ष महोदय, कौन से नियम के तहत यह कह रहे हैं कि कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जावेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय को बिलकुल गलत सूचना दी गयी है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकार की गलत सूचना नहीं दे और जिनका बकाया भुगतान है तुरन्त उनको भुगतान किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा, श्री कैलाश मेघवाल—ग्राम तिमरिया थाना गोविन्दगढ़ में एक अध्यापिका चंद्रामती की हत्या के सम्बन्ध में।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, केस रजिस्टर हो गया है। तफतीश ठीक प्रकार से करें गृह मंत्री जी। यही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, आशा मोदी की हत्या के संबंध में। केस रजिस्टर हो गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : अध्यक्ष महोदय, एक माह पांच दिन के इस सत्र में यह सातवीं घटना है, जला कर मारने की।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आया है इससे सन्तुष्ट हैं ना ?

दाऊदयाल जोशी : उत्तर आया है ठीक है लेकिन मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, इसी आशा की ही मां आज से दो साल पहले जंवाई को रुपया नहीं भेजने के कारण मर गयी थी आत्महत्या करके। अगर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वह गरीब 5 हजार रुपया क्या और भी अधिक भेज सकता था। आशा ने मरने के पहले चिट्ठी लिखी है। "पूज्यवर पिताजी साहब, सादर प्रणाम ! आगे समाचार यह है कि कृपा करके मेरे पति को जल्दी से जल्दी 5 हजार रुपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें। मुझे जान से मारने की कई बार कोशिश की है। यहां आपने पैसा नहीं भेजा तो मुझे जलाकर मार देंगे।"

अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि केस रजिस्टर हो गया ..

श्री अध्यक्ष : यह उसके हाथ की चिट्ठी है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : यह उसके हाथ की चिट्ठी है, फोटोस्टेट कापी है। उसी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
बच्ची के हाथ की है। मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, जिस बीभत्स तरीके से उसकी हत्या की है।

श्री अध्यक्ष : अन्वेषण हो रहा है उसका।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास फोटो है। मेरा निवेदन करना यह है कि पुलिस ठीक प्रकार से तफ्तीश करे। इसकी मां भी दो साल पहले मर चुकी है··

श्री अध्यक्ष : ठीक प्रकार से ही होगी। शिकायत होगी तो वापस यहां आ जायेगा। यही मानकर हमें चलना चाहिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन-झालावाड़ की पंचायत पंच-पहाड़ को नगरपालिका भवानी मण्डी में मिलाने के बाद सरपंच द्वारा चार्ज न देने के विषय में।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 6-7-82 को राजस्थान के राज्यपाल की विज्ञप्ति के द्वारा····

श्री अध्यक्ष : कौन सी तारीख को ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : 6-7-82 को राज्यादेश निकाला गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं, जिलाधीश ने इस प्रकार के आदेश कर दिये लेकिन इतने समय के बीच में सरपंच द्वारा चार्ज क्यों नहीं दिया गया ? पचपहाड़ में सारे बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्धेरा हो रहा है। सारी जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहां के सरपंच ने अवैध रूप से मकानों के प्लाट बेच दिये हैं फिर भी अभी तक भी सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है। जब राज्यपाल द्वारा इस प्रकार आदेश निकाल दिये गये हैं, 6-7-82 को निकाल दिये गये हैं तो अविलम्ब आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई ? कौन से अधिकारी ने इसकी अवहेलना की है ? मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि उसका चार्ज दिलाया जाये ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके। अध्यक्ष महोदय, जब मेरा क्वेश्चन आ चुका है···

श्री अध्यक्ष : तो कुछ कार्यवाही हुई है। ठीक हो गया, यह मानकर चलें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां के लोग आये थे, नगरपालिका वालों ने बताया है वहां का सरपंच चार्ज ही नहीं दे रहा है। यह कहां का नाटक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं, जिलाधीश को आदेश दिये जायें और सरपंच से चार्ज दिलाया जाये। पचपहाड़ में जो कनेक्शन काटे गये हैं उनको ठीक कराया जाय ताकि विकास कार्य आगे बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष : अनंगकुमार जैन !

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब भेजा; ठीक है लेकिन यह आदेश आज से 6 माह पूर्व जिलाधीश को दे चुके थे। सवाल यह है, सरकार सरपंच से चार्ज नहीं दिला पा रही है। सरकार एम. एल. एज. की गिरफ्तारी कर सकती है लेकिन एक सरपंच

(श्री अनंगकुमार जैन)

से चार्ज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को नहीं दिला सकती है। आर. एस. ई. बी. वालों ने, वाटर वर्क्स वालों ने कनेक्शन काट दिये हैं। वहां की जनता को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं। उधर म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं जब तक हमें चार्ज नहीं दिया जायेगा तब तक हम कोई अरेंजमेंट करने के लिये तैयार नहीं हैं। 10 हजार व्यक्तियों की आबादी का कस्बा है। हम भी यह मानकर चलते हैं कि यह कोई स्थगन प्रस्ताव का मसला नहीं है लेकिन सरकार सरपंच से चार्ज नहीं दिला सके तो हमारे पास कोई और माध्यम नहीं था। इसलिये इस माध्यम से प्रश्न उठाने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र सरपंच से चार्ज दिलाये ताकि वहां की जनता को सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर। पशुधन सहायकों के पद समाप्त होने के सम्बन्ध में।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, पशुधन सहायक ऐसी आवश्यक सेवा है, ऐसी आवश्यक नियुक्ति है जो हर एक पंचायत समिति में होनी चाहिये। जहां चारों तरफ से दूसरी व्यवस्था है पंचायत समिति की ओर से वहां पशुधन सहायकों की व्यवस्था ठीक नहीं, समझ में नहीं आता, किस आधार पर यह कमी लाई गई है। कोई कारण तो होना चाहिये। वह जो काम करते थे उनकी जगह कौन काम करेगा। अलावा इसके एक मानवीय दृष्टिकोण और है। वह यह है, भरतपुर पूर्वी राजस्थान में जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं अल्प वेतन वाले लोग, उनको आप दूर कहीं भेज देते हैं। वह तीन सौ चार सौ मील दूर घर से हो जाते हैं, वह अलग बात है, वह गौण है, प्रमुख बात यह है सेवा किससे लेंगे, पोस्टों की कमी क्यों की, कोई जवाब इसका नहीं आया। क्या कभी ध्यान दिया जायेगा ताकि हम लोगों को आत्मसंतोष हो कि हम लोगों ने अपनी बात यहां पर कह दी। एक प्रश्न भी यहां पर श्री हरिसिंह जी ने रखा है। वह आयेगा उस वक्त शायद जवाब मिलेगा लेकिन आज आपके द्वारा विनती करूंगा सरकार से, वह इस बात पर पुनर्विचार करे और जिन लोगों को हटाया गया है उनकी जगह बहाल की जायें। जो आवश्यक खर्चा है उसमें कमी नहीं की जा सकती। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़! ब्यावर की रेडक्रास सोसायटी में काम करने वाली महिला की मृत्यु के संबंध में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे इजाजत दें पशुधन सहायक वाले में।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति में कुछ पोस्टें थीं, कुछ पंचायत समितियों में पशुधन सहायक की पोस्टें थीं। वहां पर जनप्रतिनिधि होते हैं। वैटरिनरी हास्पिटल जगह-जगह नहीं होते हैं इसलिये जन-

(श्री यदुनाथसिंह)

प्रतिनिधि कोई पशु बीमार हो जाता था तो इलाज करवाने के लिये पंचायत समिति के पशुधन सहायक को ले जाते थे। लेकिन भरतपुर जिले में, अलवर जिले में, चूरू, झुंझुनू जिले में, इन चार पांच जिलों में वह पोस्ट खतम कर दी। और जिलों में मौजूद है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, सब जगह ऐसी पोस्ट रहनी चाहिये। दूसरी जगह समायोजन कर रहे हैं। उन जगह पर भी पोस्टें रहनी चाहिये। कुछ जिलों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़। रेडक्रास सोसायटी ब्यावर के बारे में। आप का एक अन्य प्रस्ताव है जिस पर भी व्यवस्था दी गई है। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में घटिया मैटीरियल लगाने के बारे में। दोनों पर एक साथ ही बोल लें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, घीसी बाई के संबंध में। घीसी बाई ब्यावर रेड क्रास सोसायटी का जो स्कूल है उसमें पियोन का काम करती थी, झाडू वगैरह निकालने का काम करती थी। पता नहीं किस कारण से उसकी हत्या की गई। उसको मार कर उसी स्कूल के बरामदे में डाल दिया था। किसी पर सीधा कोई आरोप लगाया जा सके, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन उसकी छोटी बच्ची है जिसको घीसी बाई ने दो तीन दिन पहले यह जरूर कहा था कि थ्री व्हीलर का ड्राइवर, जो बच्चों को लाता ले जाता है, तीन दिन से पीछा कर रहा है मुझे। उससे डर लग रहा है। यह बात जरूर कही है, बाकी और कोई बात नहीं....

श्री अध्यक्ष : हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है और अन्वेषण हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : जी हां, आपसे यही निवेदन है कि उसका सही ढंग से अन्वेषण होना चाहिये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा जो नोट था, वह रह गया, फिर भी आपकी आज्ञा है तो दो मिनट इस के बारे में बोल लेता हूं। कोटा में महावीर नगर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ××× इन्जीनियर ऐसे रहे हैं यह दो तीन जगह रहे चाहे अलवर में रहें, जयपुर में नाहरी का नाका में रहे, कोटा में महावीर नगर में ....

श्री अध्यक्ष : किसी अधिकारी का बिना पूर्व सूचना के नाम न लें। उसको पद से सम्बोधित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, पद से यूं कहिये, आवास इन्जीनियर है। यह जहां भी गये हैं इन्होंने कई तरह से घोटाले किये हैं ठेकेदार से मिलकर। इससे ज्यादा क्या कहूं, सरकार ने जवाब दिया है कि अधिक बरसात आने से मकानों को क्षति पहुँची है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी अगर खुद का मकान बनाता है, कच्चा मकान बनाता है, हमारी तरफ मिट्टी से मकान बनते हैं, मिट्टी के मकान भी गिरते नहीं हैं। मैं आपके सामने यह तथ्य रखना

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

चहता हूं कि जो मकान गिर रहे हैं, उनके मैटीरियल की जांच करने के लिये कोटा के लैब असिस्टेंट मिस्टर एस. एन. माथुर को मौके पर भेजा गया। उस समय वहां जो इन्चार्ज थे इन्जीनियर, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उस असिस्टेंट को थ्रेटनिंग दी, जो मौके पर जांच करने के लिए गया था। ठेकेदार और उन्होंने खुद लेब असिस्टेंट को यह कहा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड को लैटर भी लिखा लेकिन··

श्री अध्यक्ष : यह माथुर थे इसलिये चले गये, हिम्मत कर ली इन्होंने।

श्री मेघराज तावड़ : वह जानते थे, देख लेंगे, इसकी जांच होगी। यही नहीं कोई जांच नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं के. के. शर्मा इन्जीनियर हैं हाउसिंग बोर्ड के इन्होंने भी जांच की। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रिपोर्ट दी, यह बड़ा सीरियस मैटर है। यह जो मकान गिर रहे हैं, इसलिये गिरे हैं कि घटिया माल लगाया गया है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, के.के. शर्मा ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी एक लाइन पढ़ दूं।

"It has happened It is a very serious matter. The replacement, of Resident engineer is a very serious matter Enquiry may be taken.

यह पूरा पढ़ा नहीं जा रहा है। यह मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : यह पढ़ा हुआ मान लेते हैं। आपने बात समझा दी।

श्री मेघराज तावड़ : ब्लाक 7 और 9 में मकान गिरे है। मुझ को टाइम नहीं मिल रहा है जाने का, यह फोटो स्टेट कापी है, आप चाहें तो टेबल पर रख सकता हूं। उन्होंने उसको धमकी दी। उसको जाने नहीं दिया, इसका भी एक कारण है। इन्होंने एक रेश्यो निकाला है, यह के. के. शर्मा की पूरी रिपोर्ट है रेश्यो लिखा है। 1 : 3 और उसके बजाय इन्होंने लगाया है 1 : 30...

श्री अध्यक्ष : 1 : 3 की जगह 1 : 30 ?

श्री मेघराज तावड़ : जी हां 1 : 6 के बजाय इन्होंने 1 :45 लगाया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय 1:3 के बजाय 1:32 और 1:1 की जगह 1.65, 1.22 की जगह 1:30 सामग्री लगाई है। यह लैबोरेटरी की रिपोर्ट है। इसके आधार इन तीनों जगह अलवर, जयपुर और कोटा में लगाया है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तो, अध्यक्ष महोदय, और ऊपर पहुँच गया हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन खण्ड और बोर्ड की इजाजत के बिना खोल दिये हैं जिससे अपने लोगों को, अपने चहेतों को भर रहे है तो हाउसिंग बोर्ड का तो भगवान ही मालिक है। मैं मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं उनको हटाये जाने के साथ ही उनके खिलाफ केस किया जाय। लाखों रुपयों के घोटाले हैं। और भी, अध्यक्ष महोदय, घोटाले बहुत हैं। कोटा के मालवीय नगर के ब्लाक नं. 7 और ब्लाक नं. 9 के बारे में बताना चाहता हूं, बाकी इनके घोटाले अलग अलग और हैं। मैं चाहूंगा

(श्री मेघराज तावड़)
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया बात कह दी। सरकार की कलई खोल दी एक एक करके। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि माथुर साहब की चलने की हिम्मत कर दी। मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूं। धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री हीरा लाल आर्य। पीपल्दा क्षेत्र के गेंता कस्बे के श्री भवानी शंकर नागर-का अपहरण व उसकी हत्या के सम्बन्ध में। इसमें उच्च स्तरीय जांच हो रही है। सब आ गया मेरे ख्याल से।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, भवानी शंकर नागर कोटा नगर के गेंता ग्राम के निवासी थे और पास में ही बम्बूला गांव में अध्यापक थे। श्री नागर बहुत ही होनहार नवयुवक थे। वे आदर्श शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे··

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, इसमें अन्वेषण हो रहा है तथ्य ऐसे आये हैं। चर्चा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सब आ गया है।

श्री हीरा लाल आर्य : उससे सेटिस-फेक्शन नहीं है इसलिये कुछ फेक्ट्स रखूंगा।

वे एक होनहार नवयुवक थे। उनकी दूसरों की मदद करने की जो भावना थी, वह बड़ी प्रबल थी। उनके व्यवहार से उस इलाके के लोग उनका बड़ा आदर करते थे। ऐसे युवक का 16 अगस्त, 82 को कुछ लोगों ने अपहरण किया। अपहरण की सूचना सम्बन्धित थाने में इटावा पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई। पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब इस प्रकरण में पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वहां के इलाके के लोगों में, जनता में, छात्रों में तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में बड़ा असन्तोष हुआ। वहां एजीटेशन हुए, छात्रों ने प्रदर्शन किये और उच्च अधिकारियों से भी मिले और कहा, साहब, एक इतने बढ़िया होनहार युवक का अपहरण हुआ और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमको ऐसा लगता है कि पुलिस बड़ी निष्क्रिय है। इसलिये आप कुछ कार्यवाही करवायें। इसके बाद फिर एडिशनल एस. पी. गेंता गांव में गये और कुछ जानकारी की। उनको भी लगा कि इस व्यक्ति के प्रति इलाके में बड़ा मान-सम्मान है। उसका अपहरण अचानक हो जाय, यह तो आश्चर्य की बात है। इसके बावजूद भी चार महीने तक पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकी। अध्यक्ष महोदय, 6 जनवरी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं तो वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अपहरण की तलाश की। इसके बाद कार्यकर्ताओं की सूचना पर वीरभान कोली को गिरफ्तार किया। वीरभान कोली को ज्यों ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसने कहा कि भवानी शंकर नागर की हत्या मैंने की है। उसने खुद ने कहा।

(श्री हीरालाल आर्य)
पुलिस ने कहा हो, डांटा हो, धमकाया हो, उगलवाया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कोटा ले गये। कोटा में कहा, भाई, इनको मारा क्यों। उसने कहा, भवानीशंकर नागर का आचरण ठीक नहीं था। उनके मेरी पत्नी से गलत सम्बन्ध थे इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और लाश को मैं नदी में फेंक आया हूं। अध्यक्ष महोदय, यह वीरभान कोली करीब 50 वर्ष का है और इसकी पत्नी 40-45 साल की है। युवक एक आदर्श शिक्षक था। इस पर जो लांछन लगाया गया है वह बहुत ही शरारतपूर्ण है। यह किसी षड्यन्त्र के माध्यम से उस युवक पर लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम यह आशा कर रहे थे, वीरभान कोली से··

श्री अध्यक्ष : हत्यारे के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? हत्यारा यही है क्या ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, हत्या तो इसी ने की है लेकिन हत्या का जो कारण है वह कुछ और है..

श्री अध्यक्ष : कारण नहीं, हत्यारा कौन है। कारण तो बाद में आते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : इस वीरभान कोली के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह भी किसी गेंग से मिला हुआ व्यक्ति है। इसके बारे में उस इलाके में अच्छी न्यूज नहीं हैं। लोग कहते हैं, कितने ही लोगों की हत्या कर चुका है, चोर है, बदमाश है, डाकू है। कई हत्यायें कर चुका है, इसके पीछे का जो रिकार्ड है वह यह है। किसी ने शरारतपूर्ण काम करने के लिये इसको आगे किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमें आशा थी कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस कुछ फेक्ट्स उगलवायेगी, पुलिस लाश बरामद करेगी लेकिन जब वह खुद कह रहा है मैंने हत्या की है फिर भी पुलिस ने उसको एक महीने तक मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान नहीं करवाये तो हमें पुलिस पर भी सन्तोष नहीं है कि पुलिस कुछ कर रही है। चार महीने तक गिरफ्तार नहीं किया और गिरफ्तार करने के एक महीने बाद तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं करवाये तो लगता है··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री हीरालाल आर्य : और, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी इनको यों ही रखा गया।

श्री अध्यक्ष : तथ्यों के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है···

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आते हैं, वह एक माध्यम है चर्चा का। इस माध्यम से माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु चर्चा के लिए कुछ थोड़ा सा समय दिया जाता है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उसको थाने में ले गये। थाने में उसको

(श्री हीरालाल आर्य)
मेहमान की तरह रखा। वह कहता, चाय लाओ तो चाय पिलाई जाती। बी.डी. सिगरेट लाओ तो बीड़ी सिगरेट पिलाई जाती..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसकी पिटाई वगैरह भी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : पिटाई तो कर ही नहीं सकते।

श्री हीरालाल आर्य : उसके चेहरे से किसी तरह यह नहीं लगता है कि पुलिस ने उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की हो। इससे लगता है कि पुलिस इस हत्यारे से मिल चुकी है

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच सी. बी. आई. से करवाई जा रही है। यदि ऐसे तथ्य हैं तो सामने आ जायेंगे, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : हमको पुलिस से किसी भी तरह की जांच की आशा नहीं है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सी. बी. आई. से जांच करवाने की मांग की जा रही है।

श्री हीरालाल आर्य : सी. बी. आई. के उच्च स्तर से जांच करवाई जाये, यह मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मांग करता हूँ। इतने अच्छे होनहार युवक की, आदर्श शिक्षक की और सामाजिक कार्यकर्ता की जो हत्या की गई है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यन्त्र है। पुलिस उससे मिल चुकी है इसलिए उससे कुछ नहीं उगलवा पा रही है। मैं मांग करूंगा कि इसकी सी. बी. आई. से जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच का परिणाम आ सके और वास्तव में उसकी हत्या किसने की है, उसके पीछे क्या षड्यन्त्र था, वे सब फैक्ट्स भी उजागर हो सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री हंसराज शर्मा। श्री चुन्नीलाल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर इच्छा भी व्यक्त की नहीं है। अब आपने सब तथ्य बता दिये। सरकार ने सूचित कर दिया है, तथ्य समक्ष रखे हैं। उसमें सरकार ने उसके पश्चात् यह भी कर दिया है कि उच्च स्तरीय, सी. आई. डी. से जांच कराई जाये। मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है सबके लिये।

श्री चुन्नीलाल।

संक्षेप में, माननीय सदस्य। आप कल भी काफी लम्बा भाषण दे चुके हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल है मुझे।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे यहां सवाई माधोपुर में जो कन्ट्रोल का गेहूं दिया जा रहा है, वह बिल्कुल खराब है, खाने के काबिल नहीं है, सड़ा हुआ है और उसको लोग नहीं ले रहे हैं। इस संदर्भ में वहां के सब लोगों ने शिका-

Page No 68

(68)

(श्री हंसराज शर्मा)

यत की, डीलर्स ने शिकायत की, जिलाधीश महोदय को शिकायत की। जिलाधीश महोदय ने स्वयं सारा निरीक्षण किया, नमूने मंगाये और देखा, डी. एस. ओ. ने भी देखा। उसके बाद एफ. सी. आई. के जो डायरेक्टर हैं, उनको लिखा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अच्छा गेहूं नहीं दिया और इस महीने का सारा गेहूँ लैप्स हो गया। इस संदर्भ में जो जानकारी आयी है वह, अध्यक्ष महोदय, सारी टोटल आपके पास है। उसमें साफ है, स्पष्ट है, यह कह दिया कि जैसा गेहूं हमारे पास है, वह देंगे, आप लें तो लें और नहीं लें तो नहीं लें। इस प्रकार जो इस महीने का गेहूँ दे रहे थे, वह लैप्स हो गया और वहां की जनता उससे वंचित रह गयी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार एफ. सी. आई. वाले जो मनमानी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, एक दफा अच्छा गेहूँ, दूसरी दफा खराब गेहूँ, इसकी जांच करायी जाए। इस प्रकार से जो मनमानी और गलती कर रहे हैं, पब्लिक की भी नहीं मान रहे हैं और कलेक्टर की भी नहीं मान रहे हैं तो आखिर किसकी मानेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करायी जाय और अच्छा गेहूँ जनता को दिलाया जाय और लोगों को गलत गेहूँ जिन्होंने दिया है, उनका चालान किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह ! जैसलमेर जिले में अकाल के सम्बन्ध में आपका कोई प्रस्ताव था, उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते थे। संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अकाल तो भयंकर है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपके समक्ष जैसलमेर जिले में अकाल की समस्या पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह प्रस्ताव आपने सरकार के पास जानकारी के लिए भिजवाया है। अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है कि जानकारी आने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वैसे सरकार जैसलमेर जिले के अकाल की स्थिति से पूर्णतया अवगत है . .

श्री अध्यक्ष : कितने गांव पीड़ित हैं, कितने मजदूर वर्तमान में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ आप बतायें तो।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मैं बता रहा हूँ। वह भी बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

हालत यह हो गयी कि पोकरण तहसील में लोग भूख से मर रहे हैं। यहां तक स्थिति बिगड़ चुकी है कि लोग छाल और छोड़ खाकर जी रहे हैं। राज्य सरकार केवल राजनैतिक भेदभाव के आधार पर फेमिन वर्क्स खोल रही है, इसका मैं आपको कुछ वर्णन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष से लगातार जिला जैसलमेर में अकाल है। स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि लोगों की आजीविका का कोई साधन नहीं है एक्सैप्ट फेमिन वर्क्स। पश्चिमी राजस्थान जो बिल्कुल एक समान एरिया है राजस्थान का, उसमें बराबर अकाल की स्थिति है। जो फेमिन रिलीफ के मामले हैं, जो फेमिन वर्क्स खोले हैं, मेरा आरोप है इन्होंने पोपुलेशन के आधार पर नहीं खोल कर राजनैतिक भेदभाव के आधार पर खोले हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण मैं

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
आपको देना चाहूंगा। जिला जोधपुर बिल्कुल जैसलमेर के समान है, जोधपुर जिले की प्रभावित जनसंख्या के अनुपात में माह मार्च में फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये गये 619 और धनराशि स्वीकृत की 313 लाख, मजदूर जो मैक्जीमम जोधपुर जिले में लग सकते हैं वह हैं 5.29 पर्सेन्ट, यानि लिमिट है 35 हजार, मार्च में कार्यरत मजदूर थे 35394। इसी तरह से बाड़मेर जिला जैसलमेर के समान है। बाड़मेर में प्रभावित जनसंख्या के अनुपात में माह मार्च में 490 फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये गये, धनराशि स्वीकृत हुई 214.76 लाख, मजदूर मैक्जीमम लगाये जा सकते हैं 5.09 पर्सेन्ट और माह मार्च में कार्यरत मजदूर हैं 45 हजार और लिमिट है 45 हजार मजदूर। जैसलमेर जिले के बारे में मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, इस जिले का मैंने इसलिये नाम लिया, वैसे मैं जिले बहुत बता सकता हूं आपको, जो उदयपुर में हुआ है, जो भीलवाड़ा में हुआ है, जो अजमेर में हुआ है, मैं वह सारे आंकड़े आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ लेकिन वह जो जिले हैं, यह जैसलमेर के समान जिले हैं, इन में किस तरह के राजनैतिक भेदभाव करके फेमिन वर्क्स खोले हैं, उसका एक जीता जगता उदाहरण है इनकी रिपोर्ट, जो यह कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में प्रभावित जनसंख्या के अनुपात में माह मार्च में 43 फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये थे, केवल 43 फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये गये, अध्यक्ष महोदय, 48 हजार वर्ग किलोमीटर का जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अकाल से प्रभावित जिला है उसमें 43 फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये गये। कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? 15.84 लाख। केवल 15.84 लाख, आप, मन्त्री महोदय, बाद में बोल लेना...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पधारे भी हैं ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपको जो फर्माना हो, बाद में बोल लेना आप। मैं जानता हूँ आप वहां के प्रभारी मन्त्री हैं। आपका प्रभाव वहां कितना है, यह भी मैं जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां इन्ट्रप्शन मत होने दीजिए...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह प्रभारी मन्त्री हैं वहां के। यह सुनना नहीं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनकी बीमारी की जांच करवाई जाय, क्या बीमारी हो गयी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : He should learn manners.

श्री अध्यक्ष : इस सदन के माननीय सदस्य और मन्त्री को बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिये। माननीय सदस्यों और मन्त्रियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब कभी इस सदन में चर्चा उठाना चाहें, वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहें अथवा अन्य किसी तरह से इन्टरवीन करना चाहें तो खड़े होकर

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 70

(70)

(श्री अध्यक्ष)
आसन के माध्यम से सदन को सम्बोधित करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 15.84 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी और मजदूरों की जो लिमिट जैसलमेर जिले के लिए है वह है 2.31 पर्सेन्ट जब की बाड़मेर में 5 पर्सेन्ट; जोधपुर में 5 पर्सेन्ट और जैसलमेर में पोपुलेशन के अनुपात में केवल 2.31 पर्सेन्ट। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, आगे क्या हुआ है। मार्च के महीने में जैसलमेर में जो मजदूरों की जनसंख्या स्वीकृत की गयी थी उसके अनुपात में केवल 1.15 मजदूर कार्यरत हैं, 4 हजार की लिमिट मजदूरों की थी और केवल कार्यरत मजदूर थे 2018। आप अब, अध्यक्ष महोदय, बतायें यह सीधा सादा राजनैतिक भेदभाव है या नहीं ? मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला भुखमरी के कगार पर है, इसका यही कारण है वहां पर लोगों के पास फेमिन वर्क्स के अलावा जीविका का कोई साधन नहीं है। फेमिन वर्क्स भी अगर इस तरह से खोले जायें, 43 स्वीकृत कर दें एक्चुअल वर्क्स वहां खोले जायें 20, मजदूरों की संख्या चार हजार रख दें और लगायें दो हजार, वह भी डिस्क्रिमिनेशन बिटविन वैस्टर्न राजस्थान एण्ड ईस्टर्न राजस्थान, तो, अध्यक्ष महोदय, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप भीलवाड़ा में मन आये तो कर लें, उदयपुर में मन आये तो आप करिये लेकिन राजस्थान में एक संभाग में अगर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो यह शर्मनाक बात है, इस राज्य सरकार के लिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में पोकरण तहसील में ग्राम सरदार सिंह जी की ढाणी में 30 भील व मेघवाल परिवारों को 10 दिन से रोटी नसीब नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पोकरण के गांव ...

श्री अध्यक्ष : कौनसा गांव है ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, गांव है सरदार सिंह जी की ढाणी।

श्री अध्यक्ष : सरदार सिंह जी की ढाणी।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पोकरण तहसील में हाजिरों की ढाणी में हाजी अामुद्दीन के 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, यह मृत्यु का कारण यह बताते हैं कि अज्ञात कोई बीमारी आ गयी। अध्यक्ष महोदय, कोई अज्ञात बीमारी नहीं है, यह बीमारी केवल भुखमरी की है और कोई अज्ञात बीमारी नहीं है। एक सीधा स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ कि पांच वर्षों से जैसलमेर जिला फेमिन से पीड़ित है, लोगों की वायटिलिटी कम हो चुकी है। वायटिलिटी कम होने के साथ दूसरी तरफ इन्फेक्शन लोगों में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर की हालत बड़ी चिंताजनक है। वहां पर चिकित्सा सुविधा का क्या इन्तजाम है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बिराज चुके हैं, जब मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, ग्रामीण

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
चिकित्सा सेवा जैसलमेर में बिल्कुल ठप्प है। यहां तक की 9 में से 7 सब-सेंटर्स बन्द हैं, 12 परिवार कल्याण उप केन्द्र हैं, जिसमें से 9 बन्द हैं। डाक्टर्स का पता नहीं है, कम्पाउन्डर्स का पता नहीं है, नर्सिंग स्टाफ का पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस भीषण अकाल की स्थिति में जैसलमेर के लोग मरेंगे तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा ? यह राज्य सरकार लेगी ? इसी तरह से· · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण मामला है, उसके बाद भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है; यह चुपचाप बैठी है। अध्यक्ष महोदय, इतनी भयंकर स्थिति का वर्णन किया, उसके बाद भी कोई मन्त्री जवाब नहीं दे रहे हैं। जो मन्त्री बैठे हुए हैं, वह भी चुपचाप बैठे हैं। क्या सरकार भी मर चुकी है अकाल के कारण से ? इसका जवाब दिलाऐं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार यह कहती है कि भुखमरी से नहीं मरे हैं लोग तो वहां के जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था क्यों की है ? एक-एक पंचायत समिति को एक-एक बोरी गेहूँ देकर भूख से मरते लोगों को बचाने की राय क्यों दे रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय एक-एक पंचायत समिति को एक-एक बोरी गेहूँ देकर आप हजारों की जनसंख्या को क्या भुखमरी से बचा सकते हैं ? यह मखौल करते हैं, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर की जनता के साथ। इसमें केवल राजनीति कूट-कूट कर भरी हुई है। उनका एक ही आधार है और एक ही आशय है फेमिन वर्क्स खोलने का कि गांव में इनको कितने वोट मिले। जनसंख्या कितनी प्रभावित होती है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्या परिस्थितियां हैं किस जिले की, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। केवल इनको एक बात से मतलब है कि हमको कितने वोट किस जिले से प्राप्त होते हैं। यह मेरा आरोप है इस सरकार पर। अगर इस तरीके से, राजनैतिक भेदभाव के आधार पर फेमिन वर्क खोले गए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और आपको चेलेंज करता हूँ कि इस राज्य सरकार का एक मन्त्री जैसलमेर जिले में नहीं जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज आप मुझ को समय दें, यह मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सोलंकियातलां में क्या हुआ ? अध्यक्ष महोदय, सोलंकियातलां में इस प्रकार की मौतें हुई। माननीय चिकित्सा मंत्री जी की वह कांस्टीट्यूएंसी है वहां पर तुरन्त मेडिकल टीम भेज दी गई। तुरन्त भेज दी, अध्यक्ष महोदय, और कलेक्टर साहब ने क्या करा, वहां पांच-पांच क्विण्टल गेहूं दे दिया। तो क्या सोलंकियातलां की जनता की एपेटाइट में और जैसलमेर जिले की जनता की एपेटाइट में भी अन्तर आ गया ? बड़े अफसोस की बात है, अध्यक्ष महोदय। मेरी समझ में यह नहीं आता, वे मंत्री महोदय यहां से चले

Page No 72

(72)

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)
गये हैं। कितनी ही शर्मनाक बात हो जावे, लोग भूख से मरें और राज्य सरकार मौन बैठी रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का आज इसका जवाब दिलवायें, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर। डॉ. उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है माननीय सदस्य ने..

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मसला इतना गम्भीर है कि इस गम्भीर मसले को केवल चर्चा करके समाप्त कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों के सामने वास्तव में आज रोजी और रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार को इसका निदान तुरन्त करना चाहिये। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएन्सी में कुछ घटना हुई। लोग भूख से मरे। सरकार यह कहती है कि भूख से नहीं मरे, बीमारियों के कारण मरे। कुछ लोग यह कहते हैं कि भूख के कारण उत्पन्न बीमारियों से मरे। लेकिन एक बात निर्विवाद है कि भूख के कारण चाहे लोगों की शक्ति कमजोर हो गई इस कारण बीमारियों का वह सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग मर रहे हैं। उन मरते हुए लोगों को किस प्रकार से बचाया जावे, सदन के सामने यह बहुत ही गम्भीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करिये कि जिस व्यवस्था के आधार पर इन सारी समस्याओं का कोई समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल पर अभी चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य उस वक्त फरमा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पहले भी निवेदन कर दिया कि हाउस में चर्चा कर लेंगे उससे क्या भूखे के पेट में रोटी चली जाएगी··

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत की मांग है वह भी सदन के सामने आई थी, काफी चर्चा यहां हुई। आज इस जिले का मसला आया इसलिये मैंने विशेष तौर से अवसर दिया माननीय सदस्य को। अब इससे आगे आज एप्रोप्रियेशन बिल पर जो माननीय सदस्य बोलें वह इस ओर ध्यान आकर्षित करा देवें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि जब भी राजस्थान में अकाल पड़ता था तो राज्य स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता था। उसी आधार पर जिलों में भी समितियों का गठन होता था। इस बार न राज्य स्तर पर कोई समिति का गठन हुआ और न स्थानीय स्तर पर। इसलिये माननीय सदस्य जो आंकड़े देकर यह सिद्ध कर रहे है, जो पर्सेन्टेज उन्होंने बताया कि कितने लोग वहां प्रभावित हैं, कितने गांव वहां प्रभावित हैं और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर भीलवाड़ा को बेंच मार्क के रूप में मान लिया जावे तो न जैसलमेर में उतने काम खुल रहे हैं, न कोटा डिवीजन में उतने काम

Page No 73

(73)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खुल रहे हैं न कोटा डिवीजन में उतने काम और न अजमेर जिले में उतने काम खुल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें उस बेंच मार्क में चाहे जनता ज्यादा प्रभावित हो, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो लेकिन उतने काम नहीं खुल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपसे कि इस मसले का आप अपने स्तर पर किसी प्रकार से समाधान हो सके, वह करवाने की चेष्टा करें ताकि भूखे लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिल सके।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फेमिन की डिमाण्ड पर मैंने ये सब बातें निवेदन कर दी थीं माननीय मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की डिमाण्ड पर भी मैंने माननीय मंत्री महोदय को इन सब बातों से अवगत कराया था कि जैसलमेर जिले की क्या स्थिति है। फिर भी यह ××× राज्य सरकार बोलती नहीं, यह एक बड़ा शर्म का विषय है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जिससे उत्तेजना फैले।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, लोग भूख से मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जैसलमेर जिले में छः बच्चे मरे हैं कल छः सौ मरेंगे, अध्यक्ष महोदय। इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया....

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से राजनैतिक भेदभाव के आधार पर फेमिन वर्क खोले गए तो जैसलमेर में अनेकों मौत होंगी। उनका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा, अध्यक्ष महोदय। यह रिपोर्ट सरासर असत्य है, अध्यक्ष महोदय। ये सुन्दर सुन्दर आंकड़े देते हैं, अध्यक्ष महोदय। ये सारे फेमिन वर्क इन आंकड़ों में हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल आंकड़ों के आधार पर यह सरकार चलती है। मैं इसको फाड़ता हूं और मैं इस सरकार के खिलाफ इस हाउस से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पथेटिक है, अध्यक्ष महोदय। आज जैसलमेर जिले के लोग मर रहे हैं माननीय सदस्य जो उत्तेजित हो रहे हैं, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य उत्तेजित इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। यह वाजिब है। लोग भूख से मरें और सरकारी पक्ष से कोई बोलने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि सरकार गूंगी है या बहरी है लेकिन प्रत्यक्ष में हो क्या रहा है। आप कम से कम इतना तो बता दें कि जहां लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ रही है वहां हम काम देंगे, रोटी का इन्तजाम करेंगे, अनाज पहुंचायेंगे। सरकार तो बिल्कुल मौन बैठी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इसको इतना आसानी से लिया जावे, यह उचित नहीं है, सरकार के इस एटीट्यूड के विरोध में मैं

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अपने दल के सहित बहिर्गमन करना चाहूंगा ताकि जनता को यह मालूम हो कि सरकार ऐसे पैथिटिक मामले में किस प्रकार का एटीट्यूड लेकर चल रही है।

(बहिर्गमन)

श्री राजबहादुर : (भरतपुर) अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस चल रही है उसके दौरान इस पर चर्चा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल तो चर्चा का माध्यम है, माननीय सदस्य। आप वयोवृद्ध हैं, जानते हैं।

श्री राजबहादुर : हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई आश्वासन मिलेगा, कोई उत्तर मिलेगा, कोई एश्योरेंस मिलेगा ....

श्री अध्यक्ष: यहां सिर्फ चर्चा ही हो सकती है। इसके अलावा यहां और क्या हो सकता है।

श्री माथूसिंह (बांदीकुई) : कहां ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है अकाल राहत पर, यह प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : जो दारुण दशा बताई गई, जो दारुण अवस्था बताई गई है उसके कारण मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हालात जैसे बन रहे हैं, आपकी जानकारी में हैं पूरे सदन की जानकारी में है। सोलंकियांतला में 59 आदमी मरे हैं। आज खबर आई है कि पोकरण तहसील के अन्दर आदमी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूरी शंका है कि बीकानेर जिला भी पूर्णतया अकाल से प्रभावित है। आपको यह भी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जहां 498 गांव अकालग्रस्त घोषित किये वहां सिर्फ ग्यारह सौ मजदूर लगा रखे हैं। मतलब यह है कि एक गांव में दो मजदूर। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। वहां लोग मर रहे हैं, वहां पशु मर रहे हैं और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय; मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आज इस प्रकार की सूचना मिल रही है कि जोधपुर जिले के अन्दर लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बीकानेर और पोकरण तहसील के अन्दर भूख से बच्चे मर रहे हैं। इसके विरोध में मैं मेरे दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय डॉक्टर उजला-अरोड़ा।

श्री लच्छूराम (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, अब देश के अन्दर, प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान में भूख से आदमी मर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : डॉ. उजला अरोड़ा ! मैंने बहिर्गमन मान लिया, माननीय सदस्या।

श्री लच्छू राम : पशु मर रहे हैं ! जब से हाउस चालू हुआ है इसके लिए बराबर विरोधी पक्ष के सदस्य, इधर बैठने वाले सदस्य कहते रहे हैं कि अकाल राहत कार्य चालू हों··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त है।

श्री लच्छू राम : और दुकानों का इन्तजाम किया जावे लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री लच्छू राम : राजस्थान के किसान 21 तारीख से असेम्बली के सामने अपनी मांगों के लिए, बिजली की कटौती के लिए और फसल को नुकसान हो रहा है उसके लिए धरना दे रहे हैं लेकिन—

श्री अध्यक्ष : कृपया ! भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री लच्छू राम : सरकार एक प्रकार से ××× और बिल्कुल बेखबर है। इस प्रकार की सरकार···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया बिराज जावें।

श्री लच्छू राम : के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार से गौर नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की ××× सरकार के माननीय मंत्री से लगातार मिले हैं..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री लच्छू राम : प्रभारी मन्त्री से मुलाकात नहीं कर सकते। भूख से मर रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। अब यह भाषण नहीं होगा।

श्री लच्छू राम : इन शब्दों के साथ मैं मेरे दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : डॉ उजला अरोड़ा। दो आपके विषय हैं इस पर संक्षेप में कृपया अपनी बात कहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आज से कोई तीस दिन पहिले—

श्री रामसिंह बिश्नोई : बहिर्गमन के बाद वापस आ गए···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बहिर्गमन करने के बाद मेरे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने आई हूं।

(व्यवधान)

देखिये, अध्यक्ष महोदय, इनको चुप करा दें तो मैं बोलूं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक तो वातावरण गर्म हो रहा है और आप इस तरह से बेकार की बातें कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । दो विषय हैं, संक्षेप में आप अपनी बात कह दीजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को, फरवरी 25 को रिपोर्ट की गई शास्त्रीनगर थाने में । शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट करने के बाद में एस. एच. ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की । यह रिपोर्ट की गई मारपीट के सिलसिले में । बराबर के एक मकान ए/11 में, ए/10 वाले मकान के मालिक को मारा गया था 8-10 मजदूरों के द्वारा । यह रामकिशन खण्डेलवाल पहले राजस्थान के रहने वाले थे, बाहर चले गए थे लेकिन प्रवासी राजस्थानियों को जब बुलाया गया, प्रवासी राजस्थानियों को जब यहां निमंत्रित किया गया

(1-18 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

तो ये यहाँ पर आए और उन्होंने सीकर हाउस में अपना मकान ए/10 बना लिया । ए।10 के बराबर में ए।11 के मकान वाले इनको बर्दाश्त नहीं कर सके । इनसे मारपीट की । मारपीट के साथ-साथ ही उन्होंने नियमों के विपरीत अपने मकान में एक तिमंजिला बाथरूम बना लिया । यह नियमों के विपरीत था । यहाँ मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगी वह तो जो कुछ भी होगा कोर्ट के द्वारा या सम्बन्धित विभाग के द्वारा होगा । लेकिन जब इसका थाने में रिपोर्ट की गई कि इनको मारा गया, यह 22 मई की बात है । इनकी रिपोर्ट है, मैडिकल रिपोर्ट है, तब कोई कार्यवाही नहीं की एस.एच.ओ. ने और अभी 25 फरवरी को इनके झगड़ा हुआ, मारपीट हुई फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की । इसी बीच में एक 307 का मुदकमा बना, एटेम्प्ट टू मर्डर, उस पर एस.एच.ओ. रामकुमार ने कोई कार्यवाही नहीं की । यह जब 27 तारीख को अपनी रिपोर्ट की नकल लेने जाते हैं कि भाई इसका क्या करें क्या नहीं करें तब एस. एच. ओ. रामकिशन ने इसको बुरे ढंग से मार पिटाई की, नंगा करके बुरी तरह मारा । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, हथकड़ी लगाकर थाने में मारा । अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे थाने में मारने का तो कोई नियम ही नहीं है । लेकिन यहां जयपुर में इस तरह की वारदातें एस. एच. ओ. कर रहा है । जब वह घायल हो गया, बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया; उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी की रिपोर्ट, जो दर्ज की गई, की नकल मेरे पास है, लेकिन एस. एच. ओ. ने इसके उपर कोई कार्यवाही नहीं की, न 307 में की, न 24 चोटें आई है, मेडिकल रिपोर्ट है, गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में भर्ती रहे हैं उसकी कोई कार्यवाही की । सभापति महोदय, साल भर में चार मुकदमे बने, चारों मुकदमों में एस. एच. ओ. ने गड़बड़ी की । उसने अति इतनी की कि थाने में हथकड़ी लगा कर मारा । बुरी तरह मारा, मर भी सकता था । मैं समझती हूं, कार्यवाही न करना बहुत गलत तरीका है, रिपोर्ट दर्ज न करना बहुत गलत है । 27 तारीख को इसकी पत्नी रिपोर्ट करने गई रिपोर्ट की प्रति ले ली लेकिन थाने में आज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तक वह दर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री यहां बैठे है, इनका एस. एच. ओ. इस तरह परेशान कर रहा है। मैं कहना चाहूंगी, इस संदर्भ में उसकी साजिश है। एक बार लड़का खो गया। लड़का खोने के बाद इस साल के अंदर रिपोर्ट की एस.एच.ओ. ने यह कहा दिन में बुलाकर, आपका लड़का मिलने वाला है आपके पास तार आ जायेगा। एस.एच.ओ. को कैसे मालूम हो गया कि तार आने वाला है। एस. एच. ओ. ने गलत तार दिलाया। इसको तार दिया, "जय प्रकाश को आप ले जाओ, उस्मान भाई घोड़े वाला, कटला जरीवालान, परांठा वाली गली, दिल्ली-6।" मैं कहना चाहूंगी, इस रामकिशन की शिकायत इस थाने में बहुत आई है। इसकी शिकायतों की गिनती नहीं है। यह इस तरह से हरकतें कर रहा है। इसी व्यक्ति का रामकिशन से जब सद्‌भाव था तो दो मुकदमें दर्ज कर चुका। इसकी पत्नी से यह कह कर 13 तोला सोना ले लिया कि मेरे घर में शादी है। मैं आपको पैसे दे दूंगा। यह वारदात यहीं से शुरू हुई है। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं पैसे भी नहीं दिये बल्कि उसको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, थाने में नियम विरुद्ध हथकड़ी लगायी, बुरी तरह से मार मार कर उसको बुरा हाल कर दिया। उसके घरवालों से कहा, मैं जयपुर में तुम्हें नहीं रहने दूंगा। गृह मंत्री महोदय, ऐसे थानेदारों को रख कर आप यहां पर क्या करने वाले हैं। इनके द्वारा कोई आप रक्षा करने वाले हैं? इसकी पूरी जांच करायें ताकि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मेरा आपसे यही निवेदन है इस सम्बन्ध में। यह सारी मेडिकल रिपोर्ट, तार वगैरह सब मेरे पास हैं। 307 की रिपोर्ट मेरे पास है। इस पर कार्यवाही करें, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं इसलिये मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव और था आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा: हां, मैं वह भी बता रही हूं।

तो मेरा यह कहना है, एक तो इस थानेदार को आप यहां से हटायें, इसकी पूरी जांच करायें, यह थानेदार वास्तव में अपराधी है। इसके खिलाफ क्या करेंगे, यह मुझे माननीय मंत्री महोदय, जो यहां बैठे हैं; निश्चित रूप से बतायेंगे।

दूसरी वारदात सात मार्च की है, इसी सात मार्च की। सात मार्च यों भी मुझे याद रहता है, जयपुर में गोली कांड हुआ था सुखाड़िया जी के टाइम में 1967 में; 21 महीने वेरी कमीशन चला था। यह दिन भूलने वाला नहीं है। इसी दिन फिर एक खून यहां पर किया गया। यह सात मार्च की घटना है। पी.एम.टी. आफिस के सामने पटेल कालोनी है यहां 7 से लेकर 66 नम्बर तक मकान हैं। 66 नम्बर मकान में रहने वाली सरोज को उसके जेठ के लड़कों, जिनके नाम हैं सुभाष, अशोक व राजेन्द्र, ने जान से मारा, गला दबाया, गला दबा कर मिट्टी के तेल से आग लगा दी। यह घटना सुबह 9 बजे की है। पी. एम. टी. में इसका भाई काम करता है— सत्यनारायण यह एकदम लपक कर भागा जब आग की लपटें देखीं, सड़क के सहारे मकान है। मान्यवर, घटना की रिपोर्ट दर्ज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कराने के लिये गये। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, शाम के तीन बजे, पास ही विधायक-पुरी थाना है। मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की गलत कार्यवाही आपके यहां पर हो रही है, माननीय मंत्री महोदय। जिसने देखा, मिट्टी का तेल डालते हुए वह इस औरत सरोज का लड़का वहां था। उसने अपनी रिपोर्ट हंसासिंह, मजिस्ट्रेट को लिखायी कि मेरे सामने सुभाष, अशोक व राजेन्द्र ने मिल कर मिट्टी का तेल डाला। मिट्टी का तेल वह समझ नहीं पाया। उसने कहा, पीपे में से पानी डाला और माचिस लगा दी। आप जान सकते हैं, इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिये थी। 6 बजे से 7 बजे तक बड़ी मुश्किल से पोस्ट मार्टम कराया गया। पोस्ट मार्टम के बाद लाश जलाने के लिये ले जायी गई। मान्यवर, जिस समय लाश जल रही थी उस समय थाना विधायकपुरी से एक जीप जाती है, शमशान। यह कहा जाता है लड़की के बाप को, जिसने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि आप चलिये, आपको मजिस्ट्रेट साहबा बुला रही हैं। उन्होंने कहा मेरी लड़की का दाह संस्कार हो जाये तो मैं चलूं। लेकिन ये लोग रुके नहीं। उन्होंने कहा, जबर्दस्ती आपके खिलाफ केस बना दिया जायगा। शमशान से उस पिता, को जिसकी लड़की जल रही थी, उठा कर लाया गया थाने में। उसमें वह रिपोर्ट जो उसने की थी, फड़वा कर दूसरी रिपोर्ट करायी गई। उसमें साजिश यह की गई, मंत्री महोदय जो हत्यारे थे इनके नाम उसमें से निकलवाये गये। आखिर किस तरह का न्याय आप देनें वाले हैं यह मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसी गंभीर हत्या विधान सभा चलते दिनों में हो जाये, गृह मंत्री यहां रोज उपस्थित, मुख्य मंत्री यहां रोज उपस्थित, पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित, फिर भी कोई न्याय नहीं हो। मैं कहना चाहती हूं, यह न घर, जमीन, जायदाद का मामला था, न कोई दहेज का मामला था, न कुछ और मामला था। पुलिस ने जिससे गला बांधा सरोज का, जिससे मारा गया, वह रस्सी बरामद की। उसके मुंह में रूई डाली गई ताकि चीख नहीं सके, गला दबाकर मुंह बंद किया गया। वह भी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा। देर से गई, लेकिन दोनों कमरों में खून था। सुभाष नाम के लड़के ने अपने कमरे में गला दबा कर मारा वहां भी खून था। दूसरे जिस कमरे में ले जाकर जलाया, धक्का देते हुए ले गया उस जगह खून था। मैंने एस. एच. ओ. से पूछा, खून काहे का था? वह लड़का कहता है, मेरी चाची के मरने से दुःख हुआ। दीवार पर एक फोटो लगा हुआ था, मैंने उसको मुक्का मार दिया जो मेरी मां भी मर गई, मेरी चाची भी मर गई। यह कैसी कथा बनायी जा रही है एस. एच. ओ. के द्वारा? क्या न्याय किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा? यह मजिस्ट्रेट वही है जिसे उस लड़के के पिता महारानी कालेज की लाइब्रेरी से किताब लाकर देते थे। दामोदर जी का लड़का है। दामोदर जी लाइब्रेरियन हैं। यह हंसासिंह देवी जब पढ़ती थीं तब वह हंसासिंह देवी को किताबें लाकर दिया करता था। इस कारण हंसासिंह देवी उसकी वकालात करने गई हैं, यह न्याय करने नहीं गई हैं। इसलिये उसमें से नाम निकाला गया दामोदर जी का ताकि कहीं उस पर यह आंच नहीं आ जाय, यह वफादारी दिखायी जा रही है। मान्यवर,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
न्याय हो, ऐसा प्रावधान करें। इस तरह से दोषियों का नाम न निकले।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मरने वाली तो मर गई पर उसके साथ न्याय तो हो। जिसने दोष किया वह फिर दूसरों को मारेगा, सभापति महोदय, मैं बता दूं। इसी व्यक्ति ने पहले अपने दूसरे भाई की औरत को जला कर मारा, इसी ने छोटे भाई की औरत को जला कर मारा। यह और आस पड़ोस की औरतों को भी जान से मार सकता है। इसके प्रति, मैं चाहूंगी, आप न्याय करें। सारे मामले की जांच करें, दोषियों को दंड दिलाने की व्यवस्था करें। छोटे छोटे तीन बच्चे हैं। एक नौ साल का, एक तीन साल का, एक पाँच साल का। मान्यवर, कैसे पलेंगे ? वह पलेंगे जैसे पल जायेंगे, समाज उनका रक्षक होगा लेकिन आप न्याय करें। जिसकी मां को जिस बालक के सामने जलाया गया कहीं वह बड़ा होकर खून का बदला लेने के लिये तत्पर न हो जाय, बड़ा होकर दो चार खून न करे। मैं समझती हूँ, मेरा इतना कहना काफी होना चाहिये। गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, वह इस बारे में उत्तर दें। 10-15 दिन इन स्थगन प्रस्तावों को दिये हुए हो गये, आपके पास उत्तर आ गये होंगे, माननीय मंत्री महोदय भी तैयार होंगे वह इसका उत्तर दें। मान्यवर, मुझे माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन दिलवा दें कि कुछ करेंगे या नहीं।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सभापति महोदय, इस विषय में स्थगन प्रस्ताव सबसे पहले मैंने मूव किया था। माननीय सदस्या ने जो कुछ फैक्ट्स दिये हैं उनको दोहराऊंगा नहीं। दो तीन नये फैक्ट्स राज्य सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह घटना हुई है सात तारीख को सात तारीख को सरोज मरी है। इसने मृत्यु के एक दिन पहले एक एफ. आई. आर. दर्ज करायी है वहीं विधायकपुरी थाने में जिसमें उसने कहा है कि मुझे इस घर के लोग लगातार मारते पीटते रहे। मेरी जान का खतरा है। इस विषय में तुरन्त कार्यवाही की जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सात तारीख को यह घटना हो गयी गला घोंट कर जलाने की किन्तु 6 तारीख को जब श्रीमती सरोज ने इस प्रकार की एफ. आई. आर. दर्ज करा दी थी मेरी जान को खतरा है, मुझे लगातार तीन दिन से मार रहे हैं तो उसके बाद भी राज्य सरकार ने एफ. आई. आर. पर कोई कार्यवाही नहीं की जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 7 तारीख को सरोज को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, पुलिस की जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है या पुलिस एफ. आई. आर. को हल्केपन से ले रही है जिसका दुष्परिणाम है कि सरोज की हत्या हुई है।

सभापति महोदय, मैं दूसरा फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। इस विषय में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। 302 का केस हो गया, तफतीश चल रही है, सारे वाकयात सामने आ गए तो

Page No 80

(80)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
किस कारण से पुलिस प्रशासन 302 के मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है ?

एक बात और बताना चाहूँगा। पहले तो विधायकपुरी थाने के जौहरी तफतीश कर रहे थे। उनसे बदलकर आदर्श नगर के श्री शंकरलाल जी के यहां शिफ्ट हो गई। अब उनसे बदलकर कोतवाली के तुलसीराम चौधरी को दे दी। हम स्थगन प्रस्ताव मूव कर रहे हैं उस पर सरकार का जवाब नहीं आ रहा है और वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है। एक दिन पहले लड़की कह रही है कि मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और राज्य सरकार एक के बाद एक तफतीश बदल रही है। मैं नहीं समझता, तफतीश बदलने के कारण क्या हैं ?

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इन तीनों फैक्ट्स के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करें जिनके नाम एफ. आई. आर. में दर्ज हैं। माननीय सदस्या ने एक नाम बताया जिसके पीछे साजिश है, जिसमें एक न्यायाधिकारी भी अटैच हो गए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसकी भी तफतीश करें। उनका नाम हटाकर बचाने की प्रक्रिया की गई है। उनका भी नाम लाया जाय और तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। कम से कम यह तो बतादें कि 3-3 अधिकारी बदलने के कारण क्या हो गए ? पर्दे के पीछे कौन सी प्रक्रिया चल रही थी ? जल्दी-जल्दी अधिकारी क्यों बदले गए ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री जी, सौभाग्य से आप मौजूद हैं, विभाग आपका है, आप कम से कम कमिटमेंट दे सकते हैं। यह मामला बहुत सेंटिमेंटल है। आपका और सरकार का मौन जनता सहन करने वाली नहीं है। आप तीन दिन में इस विषय में कार्यवाही करके सदन को सूचित करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : सभापति महोदय, इस संबंध में जब-जब समाचार और आप लोगों के प्रस्ताव आये, मैंने पूरी फाइल देखी। कल ही आदेश दिए हैं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। जो खून पाया गया है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वह रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। वह खून जिससे मेल खाता है उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी। जितने आप चिन्तित हैं उतनी ही सरकार चिन्तित है।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत श्री डी. पी. गुप्ता, लोकायुक्त द्वारा वर्ष 1978-79 के दौरान उनके द्वारा कार्य सम्पादन के संबंध में छठी वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय, मुझे भी स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा था।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत श्री डी. पी. गुप्ता, लोकायुक्त द्वारा वर्ष 1978-79 के दौरान उनके द्वारा कार्य संपादन के सम्बन्ध में षष्टम वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों पर अपनी जमीन के छोटे टुकड़े बेचने एवं अन्य जगह अपनी आर्थिक जोत बनाने पर पाबन्दी

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सर्वश्री सुनील विश्नोई, ज्ञानसिंह चौधरी, दीपचन्द, भालू खां, तेजपाल यादव, राधेश्याम, जीवराजसिंह राठोड़, आत्माराम, भैरूलाल भारद्वाज, सुजानसिंह यादव, घनश्याम जैन, उदयराम धाकड़, महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा किसानों को अपनी जमीन के छोटे टुकड़े बेचने एवं अन्य जगह अपनी आर्थिक जोत बनाने पर लगाई गई पाबन्दी से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोई एक सदस्य ध्यान आकर्षित कर दें। उसके बाद में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उनको समय दे दूंगा। कृपया संक्षेप में ही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा उस पर तो अनुमति देंगे नहीं क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जानकारी के लिए भेज दिया है, मैं जरा-सी जानकारी देना चाहूंगी उस संबंध में।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थगन प्रस्तावों का समय पूरा हुआ। अब तो दूसरा आइटम आ गया। इस संबंध में आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिये। वे जरूरी समझेंगे तो कल रख देंगे।

श्री आत्माराम !

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 42 (ए) के मुताबिक किसान छोटी व थोड़ी जमीन बेच नहीं सकता, उसकी वजह से गंगानगर में खास तौर से किसानों को तकलीफ हो रही है। इसका निराकरण कैसे हो सकता है और इसकी जरूरत क्या थी, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा।

हमारे गंगानगर में खास तौर से और दूसरी जगह भी लोगों ने 1, 2 या 3 बीघा जमीन बेच दी। इस तरह के हजारों ट्रांजेक्शन हो गये••

श्री सभापति : कृपया आपस में बातें न करें।

श्री आत्माराम : इस तरह की खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्रियां हो गई। उस वक्त तो उनको पता नहीं लगा कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 (ए) के मुताबिक टुकड़ों में जमीन बेचना मना है, सब नम्बर या खसरा नम्बर की जमीन से कम जमीन बेची नहीं जा सकती। पर जब भूमि रूपान्तरण का मामला चला तो सरकार ने समझा कि लोग भूमि रूपान्तरण नहीं करवा कर टुकड़ों में बेच करके, मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा सदन में शान्ति

(व्यवधान)

बनाने की कोशिश करें।

श्री सभापति : आप जारी रखें, अगर आपकी बात इन्ट्रेस्टिंग होगी तो लोग अपने आप सुनना शुरू कर देंगे।

श्री आत्माराम : मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे-छोटे टुकड़ों का नामान्तरण नहीं होने से किसानों को बड़ी भारी तक्लीफ हो रही है। 'बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रशासन गांवों की ओर' के समय लोगों ने नामान्तरण के लिये रजिस्ट्रियां पेश कीं तो सरकार ने उनको अवैध मानते हुए इन्जेक्शन द्वारा कुर्क करनी शुरू कर दी जब कि सुविधा देनी चाहिये थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे टुकड़े अगर किसान नहीं खरीदेगा तो क्या बिड़ला खरीदेंगे। कोई किसान अल्प बचत करके पैसा बचा लेता है और उससे 1–2 बीघे का टुकड़ा खरीद सकता है। बड़ा टुकड़ा वह कहां से खरीदेगा? इन सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जब भूमि रूपान्तरण के सरकार को पैसे मिल रहे थे तो 17-12-80 को कलेक्टर ने एक पत्र लिखा, उस पर 17-12-80 को ही गजट नोटिफिकेशन हो गया और रजिस्ट्रियां भी बन्द हो गई। इसलिये जिनकी रजिस्ट्री हो गई कम से कम उनको रूपान्तरण की सुविधा देवें। सरकार की बगैर मतलब की प्रक्रिया से अधिकारी किसानों को तंग करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और उससे कोई फायदा होता नहीं। गवर्नमेंट का रोकने का मकसद समझ में आता नहीं है। यदि गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि रूपान्तरण नहीं हो, सेल नहीं हो तो हमारे यहां ऐसा हुआ है कि सीलिंग भूमि में एक तरफ तो सरकार ने जब 2–3 बीघा भूमि अलांट की है और दूसरी तरफ जिसने छोटे टुकड़े खरीद लिये उसका नामान्तरण नहीं कर रही। यह दोहरी पालिसी चला रखी है। शायद गवर्नमेंट शहर और गांव को दो तरह की इकाई मानती है। शहर के आदमी 20 टुकड़े करके बेच सकते हैं तो देहाती बेचता है तो गुनाह क्या कर रहा है। इसके लिए सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिये। जैसे शहरी लोगों को 1–1 टुकड़ा 10 वर्ग फीट तक का बेचने की इजाजत है उसी तरह देहात में भी छोटी जमीन, छोटे टुकड़े बेचने दें। जब सीलिंग लागू हो गया है तो देहाती कहां से बड़े बड़े प्लाट खरीद लेगा। इस तरह से गांवों के अन्दर छोटी जोतों के हस्तान्तरण पर सीलिंग लगा हुआ है। किसान छोटे छोटे टुकड़े नहीं खरीदेंगे तो क्या बड़ा प्लाट खरीदेंगे। एक-एक मुरब्बा खरीदेंगे। उनके पास आमदनी का जरिया कम है और वे थोड़ी ही जमीन, जमीन का टुकड़ा खरीद सकते हैं। गरीब आदमी, किसान जमीन का छोटा टुकड़ा ही खरीद सकता है। यह जो बेचान और खरीदने की पाबन्दी है, यह जो नामान्तरण नहीं हो रहा है मैं समझता हूँ कि यह पाबन्दी जल्दी हटायी जानी चाहिये। कलेक्टर के डी. ओ. लेटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। धारा 43–ए के खिलाफ खरीदने पर रजिस्ट्री नहीं होती है। इस तरह की हमारी जनतान्त्रिक सरकार है। कृपया इस ओर ध्यान दें, छोटे किसानों को; भूमिहीन किसानों को, देहात के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन रजिस्ट्रीयों को वैध मानें··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। सरकार का जवाब आ जाए उसके पश्चात् कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजियें।

Page No 83

(83)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, मैं इसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर देना चाहता हूं। गंगानगर की स्थिति और है और रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर····

श्री सभापति : आपने जो क्वश्चन किये हैं सरकार से उनका जवाब आ जाय। आत्मारामजी, आप बोलना चाहते हैं। अगर कोई नई बात हो तो बोलिये··

श्री आत्माराम : सभापति महोदय, मैं इसके बारे में यही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में क्या राय रखती है? यह कितना जल्दी हो जायेगा। कलेक्टर का डी. ओ. लेटर है उस पर गजट नोटिफिकेशन निकल गया। 42-ए की खिलाफत करने वाले जो ट्रान्जेक्शन थे उनको रोक दिया। उसी तरह, मैं समझता हूं, गवर्नमेंट इसका जवाब दे कि यह कितना जल्दी से जल्दी हो जायेगा। किसान लोग तंग हो रहे हैं। छोटी छोटी जोतों का नामान्तरण नहीं हो रहा है। इसका जल्दी ही हल निकालें। इससे लोगों में यह भय पैदा हो रहा है कि देहाती और शहरी लोगों में फर्क है। गवर्नमेन्ट ने खुद तीन-तीन, दो-दो बीघा जमीन अलाट की हैं। मैं समझता हूं कि धारा 42-ए के खिलाफ जो है उसका गवर्नमेन्ट क्लेरिफिकेशन करेगी। तीन भाई हैं। वे जमीन लेंगे, तो इसकी बहुत लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है। पटवारी उसकी नकल देगा। कलेक्टर इस तरह की कार्यवाही करेगा। इस लम्बी चौड़ी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। किसान भोला भाला है। उसको पता नहीं है। वह लूटा जाता है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि यह जो काश्तकारी अधिनियम है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट है, यह सारे फसाद की जड़ है। मैं समझता हूँ, यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जोधपुर राज्य की देन है। उस समय यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी माना जाता था जब महाराजा का राज था। आज के युग में इस राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की वजह से, 15-ए की वजह से खातेदारी राइट नहीं मिल रहे। यह फण्डामेन्टल सिद्धांत की बात है, सब जगह मान्य सिद्धांत है कि किसान, जमीन पर काश्त करने वाला, जमीन का मालिक होगा। इस एक्ट की वजह से मालिकाना राइट नहीं मिला है। जो पुश्तैनी काश्त करते आ रहे हैं उनको भी आज टेम्प्रेरी कल्टीवेटर माना जा रहा है। यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की देन है। इसमें संशोधन करना चाहिये और खातेदार के बजाय मालिक माना जाना चाहिये। इसको चेन्ज कर देना चाहिये और छोटी-मोटी अगर कोई दस फीट जमीन बेचना चाहे तो उसको बेचने की इजाजत मिलनी चाहिये। इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेन्ट कब तक कर देगी? यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी!

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जमीन की उपयोगिता खेती करने के लिये छोटे छोटे टुकड़े--

श्री सभापति : आप कृपया ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से शुरु कीजिये···

श्री महाराम चौधरी : ग्रामीण क्षेत्र स्पेशली रेगिस्तानी क्षेत्र में अगर किसी काश्तकार के पास 100 बीघा जमीन है

(श्री महाराम चौधरी)
और उसके आठ लड़के हैं, कम से कम 100 बीघा के खेड़े में सब यही चाहेंगे कि मेरी ढाणी इसी जगह बने। पास में रहने के लिये अगर वे 18-20 बीघा का कोई टुकड़ा लेना चाहते हैं खरीदते हैं तो उसका नामान्तरण नहीं होता है। इसकी वजह से दस साल या 15 साल के बाद उनकी आपस में अनबन हो जाने की वजह से कई तरह के मुकदमें होते हैं रजिस्ट्रियां नहीं होने की वजह से। किसानों पर अपनी जमीन बेचने के लिये कोई पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये। शहर के आस पास की जो जमीन है उसको तो सरकार अपने अधिकार में ले लेती है और जिसकी खेती की उपयोगिता है उसका कोई हल हो· · · ·

श्री सभापति : यह सब माननीय सदस्य कह चुके हैं। अब सरकार से उत्तर आने के बाद प्रश्न कर लें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह कहना जरूरी है। इस बात को यदि ज्यादा आदमी मन्त्री महोदय के दिमाग में बिठायेंगे···

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : किसान को अपनी जमीन के टुकड़े करने का, बेचने का, कन्वर्ट करने का अधिकार होना चाहिये जैसे व्यापारी अपना सामान बेचता है उस भांति बेचे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा है, इतने लोगों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है इसका मतलब बात तो जरूरी है ही। इस पर सब का बोलना जरूरी नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, आप तो खुद इस बात के जानकार हैं कि जब रोष प्रकट किया जाता है, चिन्ता प्रकट की जाती है, ज्यादा आदमी किसी बात पर समझाइश करते हैं तो खुद चिन्तित होकर मन्त्री महोदय कोई न कोई समाधान निकालते हैं। काश्तकारों को इस तरह टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े होते हैं लेकिन रिकार्ड में अमल दरामद दर्ज नहीं होने की वजह से उनके आपस में झगड़े बहुत से उलझे हुए रहते हैं। इसलिए उनके प्रति सहानुभूति रख कर इसका आप हल निकालें।

श्री सभापति : आप विराजिये। आप प्रश्न पूछ लीजियेगा बाद में। सरकार का जवाब आने दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री सुनील विश्नोई, श्री ज्ञानसिंह चौधरी, श्री दीपचन्द, श्री भालू खां, श्री तेजपाल यादव, श्री राधेश्याम, श्री जीवराजसिंह राठोड़, श्री आत्माराम, श्री भैरूंलाल भारद्वाज, श्री सुजानसिंह यादव श्री घनश्याम जैन, श्री उदयराम धाकड़, श्री महाराम चौधरी ने राज्य सरकार का, खास तौर से राजस्व विभाग का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित किया है और यह मुद्दा उठाया कि हर जिले में छोटे किसानों पर अपनी जमीन के छोटे टुकड़े बेचने पर पाबंदी लगी हुई है जिसकी वजह से अनार्थिक जोतों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक किसान परस्पर अपनी जमीन के छोटे टुकड़े बेच कर दूसरी जगह अपनी आर्थिक जोत बनाना चाहते हैं तो उनको इजाजत नहीं मिलती है। इससे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भ्रष्टाचार भी फैलता है तथा प्रगति में अवरोध पैदा होते हैं और गरीब लोगों को जीविका के दूसरे साधन प्राप्त करके खेती से तकनीकी क्षेत्र में शिफ्ट होने की रुकावट आती है। इससे हजारों जो किसान छोटे टुकड़े बेच चुके हैं और रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उनके इन्द्राज नहीं चढ़ाये जा रहे हैं, इसलिये इस स्थिति के कारण किसान बहुत तंग हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। भूमि के टुकड़ों पर रोक तथा कृषि जोतों का एकीकरण ये दोनों ही पहलू भूमि सुधार के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग हैं तथा यह एक स्वीकृत राष्ट्रीय नीति है। छोटी जोतें आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होती हैं तथा कृषि की आधुनिक तकनीकों को भी सुलभता से नहीं अपनाया जा सकता, जिसके कारण उपज में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42-क में यह प्रावधान है कि एक पूर्ण एवं समग्र खसरा नम्बर का हस्तान्तरण किया जा सकता है परन्तु कृषि भूमि का हस्तान्तरण अथवा बंटवारा टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। इन टुकड़ों (फ्रेगमेंट) की न्यूनतम सीमा प्रत्येक जिले में अलग अलग निर्धारित है। छोटे टुकड़ों पर हस्तान्तरण अथवा बंटवारे पर पाबन्दी कृषि के समग्र विकास के लिये लगायी गयी है। राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 द्वारा धारा 42-क में तृतीय परन्तुक जोड़ कर यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास के प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरण की अनुमति दे सकते हैं। इस धारा के अन्तर्गत जिलाधीशों को उक्त अनुमति देने के अधिकार दे दिये गये हैं एवं कृषि भूमि के टुकड़ों का आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनार्थ बेचान, दान एवं वसीयत हेतु विस्तृत नियम भी बनाये गये हैं एवं यह नियम व्यावहारिक एवं सरल हैं।

उपरोक्त के अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 में यह प्रावधान है कि एक ही वर्ग के आसामी ऐसी भूमियों का, जो उन्होंने एक ही भूमिधारी से प्राप्त की हों, उस भूमि धारी की लिखित सहमति से हस्तान्तरण कर सकते हैं एवं यदि उन्होंने भिन्न भूमिधारियों से प्राप्त की हो तो ऐसे समस्त भूमिधारियों की लिखित सहमति से हस्तान्तरण कर सकते हैं। कोई भूमिधारी, आसामी की सहमति से, ऐसे आसामी को, उसको भूमि के बदले में किसी भूमि को दे सकता है। धारा-49 में कोई आसामी अपनी भूमि की चकबन्दी कराने के उद्देश्य से अपनी भूमि या उसके भाग के बदले में अन्य खातेदार आसामी से भूमि का हस्तान्तरण सहायक जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देकर करा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों का उपरोक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक अनुमति के बाद हस्तान्तरण किया जा सकता है। भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 22(क) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति द्वारा उन्हीं हस्तान्तरणों को लोक नीति के विरुद्ध माना गया है जो कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधि-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नियम के विरुद्ध हैं। अतः राष्ट्रीय नीति व वैज्ञानिक व आर्थिक कारणों से जो न्यायिक प्रावधान किये गये हैं, वे उपयुक्त व हितकर हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। धारा 42 में जो रोक लगाई है उसके पीछे जैसा मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट बताया है, दृष्टिकोण यह था कि छोटे-छोटे टुकड़ों के खसरा नम्बर को तोड़ने से मतलब है कोई एक छोटा खसरा नम्बर मिलता है तो उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। एक तो यह कन्फ्यूजन है, जैसा माननीय सदस्यों ने, महाराम जी ने कहा कि 100 बीघा जमीन है तो 100 बीघा का एक खसरा नम्बर काश्तकार के पास नहीं है, 100 बीघा में कई कई खसरा नम्बर होंगे। उनमें से यदि कोई खसरा नम्बर बिकता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। पाबन्दी केवल इस बात की है कि उस खसरा नम्बर को तोड़ कर नहीं बेचा जाय ताकि और छोटे खेत होकर उस पर वैज्ञानिक तरह से, आधुनिक तरीके से खेती करना चाहें तो कोई कठिनाई पैदा नहीं हो और उसमें अधिक से अधिक उपज ली जा सके। आज विकास की दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम चकबन्दी करें, कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करें। आज एक दूसरे के खेत इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको नजदीक के अपने खेत में मिलाकर बड़ा एरिया बनाकर, एक्सचेन्ज करके बड़ा चक बनाकर खेती करें तो उसमें ज्यादा उपज होगी यह किसान के लिये भी लाभकारी है और राष्ट्र के लिए भी हितकारी है। जहाँ सवाल यह आया कि सरकार शहरों में इस तरह करती है और गाँवों में नहीं करती तो मैंने स्पष्ट बताया कि शहरों में जहाँ कहीं भी इस प्रकार की भूमि बेची है वह आवासीय कारणों के लिए बेची गई है और आवासीय दृष्टिकोण से अगर गांव के अन्दर कोई जमीन बिकती है तो हमने प्रोविजन किया है सेक्शन-42 के अन्दर परन्तुक लगाकर उसके अन्दर जोड़ा गया है कि आवासीय, व औद्योगिक और किसी भी काम के लिए यदि भूमि बिकी है तो इसमें प्रावधान किया गया है और उसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया है कि कलेक्टर उसके लिए स्वकृति दे सकता है। इसी तरह से चकबन्दी के लिए मैंने बताया कि कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए अगर कोई काश्तकार अपनी जमीन को दूसरे से बदल कर लेना चाहता है तो उसमें प्रावधान किया हुआ है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। आम तौर पर इस प्रकार की इजाजत देने से टुकड़े छोटे हो जायेंगे जिससे किसान को भी दिक्कत होगी और जो पैदावार बढ़ाना चाहते हैं वह बढ़ नहीं सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह जो कन्फयूजन है, जैसे कोई बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो भी आवश्यक बातें हैं उनके लिए किसान के लिए रास्ते खुले हुए हैं और उसको स्वीकृति मिल सकती है और टुकड़ों के रूप में जमीन बेच सकता है।

श्री आत्माराम : एक बात का जवाब देंगे कि गवर्नमेन्ट ने खुद दो-दो तीन-तीन बीघा जमीन अलॉट की या नहीं की। दूसरा यह कहां है कि खसरा नम्बर को नहीं तोड़ा जाय। खसरा नम्बर का मतलब है आइडेन्टिफिकेशन हो छोटी से छोटी जमीन का। मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां एक मुरब्बे में 25

(श्री आत्माराम)

किला भूमि होती है। एक बीघा आइडेन्टि-फिकेशन है उसके लिए। इसके लिए इतना स्पष्ट है कि आइडेन्टिफिकेशन उसकी इकाई है। पटवारी के द्वारा हर आदमी को किला नम्बर आप देखो, मुरब्बा नम्बर आप देखो वह आइडेन्टिफिकेशन कर लेगा कि फलां जिले में फलां नम्बर है। एक तरफ तो जो जमीन के सहारे रहते हैं उनके ऊपर आपने सीलिंग लागू कर दी, एक सर्टेन लिमिट के बाद जो जमीन रहती है उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि छोटी जोत खरीद नहीं सकते। जिनकी आमद सीमित है वे 50-50 बीघे या बड़ी जोत कहां से खरीदेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रश्न हीं पूछें तो अच्छा रहेगा।

श्री आत्माराम: जिसके पास थोड़ी बहुत पूंजी है वे एक दो बीघा जमीन नहीं खरीद सकते तो हजारों बीघा जमीन कहां से खरीदेंगे ? उसका आकर्षण ही खत्म हो जायेगा लाइफ का। आज हर आदमी चाहता है कि आगे बढ़े और बचत जो भी हुई है उससे जमीन खरीद ले। आज गवर्नमेन्ट को उसमें कौनसी दिक्कत है। एक तरफ तो गवर्नमेन्ट इन्डस्ट्रीज के लिए करोड़ों रुपये दे रही है और जो छोटी जोत वाले हैं, छोटी जमीन वाले हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है।

श्री सभापति: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री आत्माराम: उनके लिए क्या ऐसा साधन दे रहे हैं कि कोई बड़ी जोत खरीदेगा उसको हम कर्जा देंगे, और सहूलियत देंगे, और सब्सिडी देंगे। इन पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री सभापति: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री आत्माराम: एक बीघे की, हमारे यहां पांच बीघे से 10 हजार बीघा तक जोत है उनका क्या होगा ? आप कहते हैं कि उनकी जोत खराब हो जायेगी। जोत तो वैसे ही खराब है।

श्री सभापति: श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि छोटे छोटे टुकड़ों का जहां सवाल है एक खसरा नम्बर, दो आदमियों के नाम भी होता है एक के नाम भी होता है, तीन के नाम भी होता है और पांच के नाम भी होता है। यदि खेत के दो धणी होते हैं एक बीघा जमीन होती है उसका विभाजन करना हो तो एक नम्बर खेत को दो धणी आधा आधा कैसे बेच पायेंगे। इसके साथ साथ दूसरा एक निवेदन है कि छोटे छोटे जमींदार हैं, छोटे छोटे किसान हैं, टुकड़ों का सवाल है तो यह मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सही कहता हूं कि गांव में जो पटवारी हैं उसका सरकार, कलेक्टर साहब, मिनिस्टर और आप कुछ नहीं कर सकते आज पटवारी वहां का भेमाता है। पटवारी गंगा की धारा लगाकर गलता जी जा रहा है। पटवारी का जो जुल्म हो रहा है उसको सरकार आज तक रोक नहीं सकी है और आगे भी नहीं रोक सकेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न आ गया है।

Page No 88

श्री चतुर्भुज : आज जो लगान जमा होता है वह पास बुक के द्वारा जमा करा दीजिये और पटवारी को और कोई काम पर लगा दीजिये तो किसान जिन्दा रह सकते हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप एक साथ जवाब देंगे या हर प्रश्न का अलग देंगे।

माननीय श्री हरीसिंह चौधरी !

श्री हरीसिंह (कुम्हेर): सभापति महोदय, सरकार ने जो खसरा नम्बर बेचने की पाबंदी लगाई है उस संबंध में निवेदन है कि एक खसरा तो एक बीघा का है, एक खसरा नम्बर 50 बीघा का है। एक बीघा वाले के टुकड़े न करें, यह तो बात समझ में आती है लेकिन 50 बीघा का खसरा नम्बर हो उसमें से पाँच बीघा बेचना चाहें उसमें किसान को रुकावट आती है इसलिये फ्रेगमेन्टेशन की परिभाषा आप अलग अलग कर दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग सीमा बाँधी गई है। प्रत्येक जिले का कितने का टुकड़ा हो सकता है उसके लिए अलग अलग सीमा बाँधी गई है।

श्री माहाराम चौधरी : हम आपको कुछ समझ नही सके, दिक्कत यह है। आप हमको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री सुजान सिंह !

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। प्रशासन गांवों की ओर में जो कैम्प लगे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो पहले ही किसान के पास ज्यादा से ज्यादा 30 बीघा जमीन है एवरेज। लेण्ड पर प्रेशर जबरदस्त है क्योंकि आबादी ज्यादा है। अब 30 बीघा जमीन किसान के पास है उसमें पांच परिवार रहते हैं। हजारों रजिस्ट्रियां ऐसी हो रही हैं लेकिन मेरे इलाके में उनका इन्तकाल होता ही नहीं है।

आपस में किसान खरीदता बेचता है। जिसके पास 5-7 हजार रुपये हुए उसने जमीन खरीद ली। अब वह अपने एक टुकड़े को बेचना चाहता है और दूसरे को खरीदना चाहता है। वह यही करता है, रजिस्ट्री हो चुकी है। अभी प्रशासन गांवों की ओर' अभियान चला था उसमें इंतकाल नहीं चढ़ा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, राज्य सरकार को पैसे दे चुके हैं, दूसरे को पैसा दे चुके हैं लेकिन जमीन उसके नाम नहीं हो रही है। राज्य सरकार इस मामले से क्या विचार रखती है ? इस संबंध में मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न रखा था हालांकि वह अभी डिस्कशन में नहीं आया है। मत्री महोदय बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार इस पर विचार कर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी !

श्री महाराम चौधरी : मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि खसरा नं. 520 रकबा 22 बीघा में महाराम, देवपुरा जी, रामसिंह जी विश्नोई और चौधरी जी, हम चार भाई हैं। चारों भाई उसी खसरा नम्बर में अपनी ढाणी बनाना चाहते हैं। उसमें 5-5 बीघा का टुकड़ा हम रखना चाहते हैं और

(श्री महाराम चौधरी)

परम्परानुसार चारों भाई जैसे रहते आये हैं वैसे ही चारों भाई उसमें रहना चाहते हैं। सभापति महोदय, इसके लिये आपके पास क्या इलाज है ? जिला नागौर है। का फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग 32 बीघा है।

श्री सभापति : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक खसरा नम्बर में टुकड़े नहीं हों, वे बेच नहीं सकें, इसके विशेषकर अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा शिकार हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के पास पांच बीघा और दस बीघा ही तो जमीन होती है। अगर वह उसमें से दो बीघा अपनी ही जाति के व्यक्ति को देता है तो नहीं दे सकता है। अभी प्रशासन गावों की ओर' में ऐसे 10 बीस केस आये थे। उनसे रुपया ले लिया बेच दिया लेकिन कानूनी रूप से वह जमीन उनके नाम से नहीं लिखी गयी है। जो बेचने वाला है आगे जाकर पांच साल बाद उसका मन बदल जाता है। तो एक दफा तो वह उसकी कीमत ले चुका है। तो गरीब लोग इसके ज्यादा शिकार हुए हैं। इस मामले में मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ जो भाई बन्दी का मामला है उसमें भी सरलता की जाय। मान लो कि चार भाई हैं, एक भाई तो बड़ा है और तीन भाई छोटे हैं। वह जमीन तो बड़े भाई के नाम पर है जब कि सब गांव वाले जानते हैं कि ये चारों एक ही बाप के बेटे हैं लेकिन वह उनके नाम पर नहीं हो सकती है। ये मुरादमा करें वरना राजी खुशी तो हो नहीं सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांव वालों को परेशानी होती है तो उसको दूर करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, राज्य सरकार की मंशा यह है कि जमीन का फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो। यह मंशा राज्य सरकार की है लेकिन हकीकत में इसके कारण ग्रामीण जनता को बहुत बड़ी असुविधा होती है। गांव के जो किसान हैं हकीकत में आप समझते हैं कि उसकी अगर बीस बीघा जमीन है और उसमें चार भाई हिस्सेदार हैं तो वे चार भाई और अगर कोई उनकी दूसरी बिरादरी का या बिरादरी का एक पार्टनर है तो जमीन को एक साथ जोतते हैं। तो ऐसी बात नहीं है सब उसके टुकड़े करके जोतते हैं। वह वास्तव में उस जमीन को बांटकर के ही जोतते हैं. पांच पांच या चार-चार बीघा के हिसाब से ही जोतते हैं। टुकड़े नहीं हों और एक साथ जोतें, एक ही हल से जोतें, इसके लिये सरकार बाध्य तो नहीं कर सकती है। यह कोई कायदा है नही कि जमीन एक साथ ही जोती जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज का किसान जागरुक है, उसके पास पैसा भी है, गिरवी रखने का प्रश्न ही नहीं है। पहले जैसी बात नहीं है कि बनिये के पास गिरवी रख दे। यह बात नहीं है, किसान जागरुक है। वह अपनी जमीन को सोच समझ कर ही बेचता है। मेरे ख्याल से तो आपकी मंशा यही थी। लेकिन उस समय का मामला अलग था। आज राजस्थान और हिन्दुस्तान का किसान बहुत ही ज्यादा फार्वर्ड हो गया है।

श्री सभापति : किस चीज में उसका हित है और किस चीज में उसका हित नहीं है वह सब समझता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जी हां। सभापति महोदय, अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो आपकी मंशा तो ठीक है लेकिन ये जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, एस. डी. ओ. हैं उनको पैसा देकर वह करा लेगा। आपकी मंशा तो फिर भी पूरी होगी नहीं। वह तो पैसे ले लेगा और गिरवी रख देगा, और कोई तरीका निकाल लेगा। इससे तो करप्शन बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि अगर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तो मेरे ख्याल से किसान के हित में होगा और आपका पर्पज भी हल हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री भूपाल सिंह !

श्री हीरालाल देवपुरा : जिसने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वही पूछ सकता है।

श्री सभापति : काफी महत्वपूर्ण मसला है इसलिये एक आध प्रश्न की इजाजत दे रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेकिन ध्यानाकर्षण के नियम तो ये हैं कि सिर्फ वही माननीय सदस्य पूछ सकता है।

श्री महाराम चौधरी : बहुत महत्वपूर्ण मसला है। या तो आप समझे नहीं हैं या इसका जवाब देना नहीं चाहते हैं।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि टिनेंसी एक्ट जो है उसमें जो फ्रेग्मेंटेशन का प्रावधान है उसका पालन सरकार नहीं कर सकी। फ्रेग्मेंटेशन कम से कम 5 एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक है। पांच एकड़ जमीन है, 165 फीट की डोरी से वह बनती है 8 बीघा और 154 फीट से 10 बीघा बनती है तो 10 बीघा, 8 बीघा से कम जमीन कोई दे - ले नहीं सकता। इसके ऊपर 25-30 बीघा तक आती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार भी इसका पालन नहीं कर रही है, तीन बीघा और चार बीघा अलॉट कर रही है यानि सरकार खुद ही 500 बीघा का चक है उसका फ्रेग्मेंटेशन करती है, उसको अलग-अलग टुकड़ों में बांटती है....

श्री सभापति : फ्रेग्मेंटेशन से कम अलॉट नहीं होती है।

श्री भूपाल सिंह : कर रहे हैं, हजारों बीघा अलॉट हो गयी। एक सौ बीघा का खेत है, 100 बीघा की पड़त बिना नाम की जमीन है उसको पांच-पांच बीघा और तीन-तीन बीघा के हिसाब से टुकड़े करके लाखों अलॉटमैंट हुए हैं। राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्दर स्पष्ट है कि जो अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो दोनों को जमीन नहीं देकर जमीन सरकार ले लेगी। लेकिन सरकार ने आज दिन तक जमीन जब्त नहीं की है। सरकार खुद ही नियमों के विरुद्ध चल रही है। वह खुद ही चार-चार और तीन-तीन बीघा देती है। जैसे चार भाई हैं...

श्री सभापति : वह बात आ गयी है।

श्री भूपाल सिंह : आ गयी है। वही अर्ज कर रहा हूं। एक भाई चाहता है कि खेती नहीं करूंगा, तीन बीघा में मेरा गुजर नहीं होता है, व्यापार करूंगा, इसलिये

(श्री भूपाल सिंह)

जमीन को वेचना चाहता है। इसलिये इस फ्रेग्मेंट शब्द को ही हटा दिया जाय। यह टिनेंसी एक्ट किसी कारण से बनाया गया था वह कारण ही नहीं रहा। ग्राज तो यह एक्ट काश्तकारों का रक्षक की बजाय भक्षक बन रहा है, परेशानी का कारण बन रहा है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय!

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। सदन में शोर हो रहा है उसी से ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। मैंने कहा था कि हर जिले के लिए मिनिमम फ्रेग्मेंट क्या है, यह डिफाइन किया हुग्रा है। हर जिले का ग्रलग ग्रलग बताया हुग्रा है, उससे नीचे टुकड़ा नहीं हो सकता। यह साफ किया हुग्रा है। उसमें कहीं पर भी यह नहीं है कि 20 बीघा या 25 बीघा का एक चक ग्रा गया है उसका भाई-बंटवारा करते हैं तो उसमें पांच-पांच, छः-छः बीघा हिस्से में ग्राती है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा हुग्रा है। कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। ऐसे कोई इण्डिविजुग्रल केस हों, माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सवाल यह है कि फ्रेग्मेंट को ग्रौर छोटे कर दोगे, जो मिनिमम फ्रेग्मेंट रखी है उससे भी नीचे ग्राप उतर जाग्रोगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जायेंगे। जो सरकार के बारे में कहा कि सरकार ग्रलॉट कर रही। सिवाय चक जितनी जमीन है सैटलमेंट के ग्रन्दर, उसको ग्रलग ग्रलग टुकड़ों के ग्रन्दर, खसरा के ग्रन्दर बांटा हुग्रा नहीं है। एक बहुत बड़े एरिया को, सिवाय चक एरिया को एक खसरा नम्बर दे दिया। कहीं पर 100 बीघा है कहीं पर 200, 300 ग्रौर 500 तक है, काफी बड़ा एरिया है, सिवाय चक में उसको एक ही खसरा नम्बर दिया हुग्रा है। बड़ा रकवा ग्राज ग्रपन किसी को ग्रलॉट नहीं कर सकते। उसको ग्रलॉट करना पड़ेगा तो खसरा नम्बर देकर नये सैटलमेंट में सैपरेट खसरा नम्बर देना पड़ेगा। वहां प्रतिबन्ध केवल खसरा नम्बर को तोड़ने पर है। उसमें भी फ्रेग्मेंटेशन के लिए लिमिट दी हुई है इसके नीचे का फ्रेग्मेंट नहीं हो सकता, यह उसमें साफ बताया हुग्रा है। इसके ग्रलावा कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ग्राती है। ग्रगर कोई प्रोसीजर में डिफेक्ट है, दिक्कत ग्राती है तो उसको मैं समझूंगा। बाकी जो समस्या है उसका समाधान करने का काम सरकार का है इसमें कोई दिक्कत नहीं है नीति के ग्राधार पर जो बातें कही गयी हैं वह मूल में सही हैं जो समस्यायें हैं, प्रोसीजर में दिक्कत है, उसको मैं देखूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कह रहे हैं, फ्रेग्मेंटेशन से कम जमीन ग्रलॉट की है सरकार ने।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, फ्रेग्मेंटेशन से कम जमीन ग्रलॉट करने का सवाल नहीं है। वह कब तक होती है मैं बताऊं..

श्री महाराम चौधरी : एक हैक्टेयर से ज्यादा तो जमीन का नियमन कर ही नहीं सकते।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : काश्तकार को मिलती है, माननीय सदस्य सही बता रहे हैं, सरकार वही कर रही है तो काश्तकार ले नहीं सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा रकबा है तो उसके टुकड़े करके अलॉटमेन्ट किया जाता है, 5-4-3-2 बीघा किया जाता है। फ्रेग्मेण्ट की बात करते हैं, वहां पर किसी तरह की पट्टी आ गयी है, उस जगह किसी को अलॉटमेंट करना है तो वह पट्टी जरूर किसी को अपने चक में, खेत में मिलाने के लिए छोटे नम्बर पर अलॉट की गयी होगी, मैं इससे इंकार नहीं करता। कहीं कहीं ऐसी बात होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, उनको ठीक करने की बात जो गलतियां हो रही हैं, मैं आश्वस्त करता हूं उनको ठीक करने का हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां एक प्राब्लम उठायी कि अभी तक ऐसे जो केसेज हो चुके हैं, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, नामान्तरण नहीं हो रहा है, मैं देखूंगा वह केसेज किस टाइप के हैं, कैसे हैं। अगर उनमें और कोई डिफिकल्टी नहीं हुई और कोई बात नहीं हुई तो उनसे ठीक ढंग से लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं।

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान में और पश्चिमी जिलों के अन्दर ऐसे सैंकड़ों केसेज हो चुके हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक साथ नहीं। श्री यदुनाथ सिंह!

श्री हीरालाल देवपुरा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस का जवाब होगा उस पर कोई और सवाल नहीं......

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, मान लीजिए। सीधी तरह कहता हूं ....

श्री सभापति माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : नागौर जिले के अंदर ऐसे सैंकड़ों केसेज हैं, आपने कहा, एक दो बताइये, अब एक एक तो कहां तक बतायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई इन्डिविजुअल केस हो तो इंकार नहीं करता। माननीय सदस्य जो समझायेंगे, समझ में आ गया तो मैंने आश्वासन दिया है, मैं कोशिश करूंगा। यहां पर.....

श्री सभापति : ऐसे अगर कोई इन्डिविजुअल केसेज हों तो मंत्री महोदय को लिख कर भेज दें उन की जांच करवा लेंगे। अब इस पर चर्चा समाप्त ....

श्री महाराम चौधरी : एक दो नहीं, सैंकड़ों केसेज हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : एक सवाल कर सकते हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : मैंने, सभापति महोदय, अर्ज यह किया है कि मेरे इलाके की समस्या और इलाकों से भिन्न है....

श्री हीरालाल देवपुरा : वह इससे सम्बन्धित नहीं है...

श्री सुजानसिंह यादव : 2 भाई हैं और उनके पास 5 बीघा जमीन है, उनका

(श्री सुजानसिंह यादव)
आधा आधा हिस्सा है। एक भाई जमीन बेचना चाहता है, एक जमीन नहीं बेचना चाहता है। एक इसलिए बेचना चाहता है कि थोड़ी जमीन है, महंगी बिकती है, दूसरी जगह खरीदना चाहता है तो वह भाई क्योंकि फ्रेगमेण्टेशन नहीं हो सकता है, इसलिये बेच नहीं सकता। मंत्री महोदय, मेरे इलाके में हजारों आदमी हैं, इस तरह से जमीन बेचकर अलवर के पास लेना चाहते हैं। वहां सस्ती है, यहां महंगी है। मेरे इलाके में 20 हजार रुपये बीघा का भाव है चाही जमीन का, 20 हजार रुपया बीघा का भाव है। बारानी का 15 हजार बीघा का भाव है। दो किसान भाईयों के पास 5 बीघा जमीन है उसमें से ढाई बीघा बेचना चाहता है, वह फ्रेगमेण्टेशन हो नहीं रहा है, रजिस्ट्रियां हो गयीं, लोग बेकार पड़े हैं, अदालतों में इस्तगासा चल रहे हैं। मंत्री महोदय, ऐसे मामलों में क्या सोच रहे हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा है, आपने जो भावना व्यक्त की वह माननीय मंत्री महोदय ने सब समझी है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुजानसिंह यादव : बात साफ नहीं हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री सुजानसिंह यादव : हजारों आदमियों को बड़ी भारी दिक्कत है।

श्री सभापति : सदन में जैसा अभी बताया, ज्यादातर सदस्य इसी मत के हैं कि फ्रेगमेण्टेशन वाली बात 30-40 वर्ष पुरानी हो गयी है, काफी रद्दोबदल हर चीज में आ गया है। कृपया इस बात पर सरकार विचार करे, यही उचित रहेगा। माननीय सदस्यों का इस बात पर यह विचार है। कृपया अब समाप्त करें।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति जी, बहुत ही इम्पार्टेन्ट मसला है। हजारों आदमी बेकार पड़े हैं।

श्री महाराम चौधरी : ऐसे सैकड़ों केसेज हो गये, किसी के फादर मर गये और 4 भाई हैं तो कैसे बांटेंगे...

श्री सभापति : आप लोगों ने सरकार का ध्यान बराबर इस बाबत आकर्षित कर दिया है। सरकार इस पर विचार कर लेगी, कोई कमी है तो उसको दूर करेगी। अब बात समाप्त हुई।

(व्यवधान)

इसका फिर तो कोई अंत ही नहीं है।

श्री सुजान सिंह यादव : मेरे प्रश्न का निराकरण नहीं हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभी प्रश्नों का निराकरण तो हो नहीं सकता।

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान में सैकड़ों रजिस्ट्रियां हो गयीं, सैकड़ों झगड़े हो गये।

श्री सभापति : एक प्रश्न, श्री ताम्बी, को अलाउ करता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, इस टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद ही बड़ी रुकावटें हो रही

(श्री रतनलाल ताम्बी)
हैं। एक एक बिस्वा की रजिस्ट्रियां हो रही हैं, रजिस्ट्रियां होने के बाद खातों का नामांतरण नहीं होता है। जुर्माने, पेनल्टी के रूप में हजारों रुपये लग चुके हैं, किसान को इस बात के लिए कई जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं और बरबाद हो रहे हैं।

श्री सभापति : आपने, कृपया, इस बावत कह दिया, सरकार विचार करेगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं समझता हूं, इस मामले में कानूनी खामी हो सकती है। आज जहां डवलपमेन्ट चारों ओर हो रहे हैं। आवश्यकतायें बढ़ रही हैं, वहां मैं समझता हूं इस कानून में संशोधन होना चाहिए।

श्री सभापति : आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। इसका कोई अन्त ही नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मान लीजिए, जमीन के फ्रेग्मेंटेशन का मामला बहुत कन्फ्यूजन का मामला है, किसी जगह लिमिट 10 बीघा का है...

श्री सभापति : आप सरकार को बाध्य तो कर नहीं सकते। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : सदन कायके लिए बैठा है, सभापति महोदय। राज्य में जो समस्यायें उठ रही हैं सब जगह, उसका कोई निराकरण...

श्री सभापति : आप लोगों ने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : समझ नहीं पाये।

श्री सभापति : सब समझ गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप से अर्ज करता हूं, मान लीजिए, 10 बीघा फ्रेगमेण्टेशन की लिमिट है तो 10 बीघा भाइयों में किसके नाम करोगे ?

श्री सभापति : आज की कार्य सूची में बहुत विषय हैं बाकी। अब अच्छी तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है...

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं इतना स्पष्ट कह चुका हूँ। यह नीति का प्रश्न है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो मैंने बातें बतायी हैं, वह ठीक हैं, लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि जो लिमिट बांधी गयी है, उस लिमिट में हेरफेर करने वाली बात होगी तो मैं पहले कह चुका हूं, दुबारा सोचा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह के फ्रेगमेण्टेशन की बात होनी चाहिए। यह पहले कह चुका हूं, फिर भी माननीय सदस्य यह कहें, नहीं समझ पाये हैं, तो इससे ज्यादा समझने की क्षमता कहां से लाऊं।

श्री यदुनाथ सिंह : जमीन होगी, किसके नाम होगी ? 5 बीघा है, बाप मर गया; जमीन को किसके नाम करोगे ?

एक माननीय सदस्य : क्षमता पैदा करो अगर क्षमता नहीं है तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें। अगर कोई प्रश्न है तो मन्त्री जी को लिखित में भेज दीजिए, आपके पास जवाब पहुँच जायेगा।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरी बात का निराकरण नहीं हुआ। हजारों केसेज हैं इस तरह के।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक एक जिले की समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको डील करेंगे, उसको देखेंगे। उसका समाधान निकालना होगा तो निकालेंगे।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं चेयर से यह निवेदन कर रहा हूं कि मन्त्री महोदय को इस बात के निर्देश दें ताकि इलाके में कुछ कह सकें, लोगों को समझा सकें।

श्री सभापति : सरकार इस पर विचार करे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सुनने की कोशिश ही नहीं करें तो क्या करूं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी तथा श्री सूरजपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, ग्राम भूतेल, ग्राम पंचायत देवड़ा, पंचायत समिति सांचोर, जिला जालोर की 150 बीघा गोचर जमीन का आवंटन करने···—

(अनुपस्थित)

मौजूद नहीं हैं।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा भरतपुर जिले के बाहर····

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, पहले अपना ले लीजिए, जब तक वह आ जायेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न
वक्तव्य देने वाले मंत्री की सदन में अनुपस्थिति

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों नहीं हैं, मन्त्री महोदय? जब हम बोलते हैं तो कहते हैं कार्य सूची पूरी करनी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चेयर के ऊपर निर्भर है। मुझे रिक्वेस्ट करने से मना कर सकते हो क्या?

श्री सभापति : राजस्व मन्त्री, श्री हीरालाल देवपुरा, ग्राम मेहसवा तहसील टोडाभीम के 300 काश्तकारों, जो 1952 से जमीन जोतते आ रहे थे, को गत जून से वेदखल करने व उनकी भूमि को अन्य को आवंटित करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य तो हैं नहीं, जैसा आपका आदेश हो, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, वह तो हैं नहीं सदन में।

श्री सभापति : आप अपना वक्तव्य तो दे दें अगर··

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं दे देता हूं वक्तव्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं····

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनको यह जानकारी नहीं थी। वक्तव्य नहीं सुन सकेंगे क्योंकि आपके मिनिस्टर नहीं हैं। उसके

Page No 96

(96)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
लिये आपने क्षमा मांग ली, मैं भी अनुमति मांग रहा हूँ कि मेरे सदस्य नहीं हैं, हमको भी अनुमति दी जाये, The same case with us. मन्त्री महोदय नहीं हैं, उन्होंने माफी मांग ली। माननीय सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। अगला ले लीजिए, उसके बाद में उसको ले लीजिए। क्या कठिनाई है।

श्री यदुनाथ सिंह : हाउस को मखौल बना रखा है सरकार ने।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल नहीं बना रखा है सरकार ने। मैं हूं ना।

श्री यदुनाथ सिंह : मिनिस्टर साहब कहां हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं खड़ा हूं ना।

श्री यदुनाथ सिंह : जो कार्य सूची में नम्बर है, आप दे दीजिए, पी. एच. ई. डी. का।

श्री सभापति : चेयर को यह राइट है कि कार्य सूची में थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर सकती है।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम मेहसवा तहसील टोडाभीम के काश्तकारों को भूमि से बे दखल कर उनकी भूमि का अन्य को आवंटन

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जयपुर रियासत के भूतपूर्व महाराजकुमार श्री पृथ्वीसिंह की खातेदारी की 1422 एकड़ भूमि ग्राम मेहसवा तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर में पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त की गई थी। इस अवाप्ति के विरुद्ध कुछ कृषकों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी कि उन्होंने यह भूमि भूतपूर्व महाराजा से क्रय की थी एवं उक्त भूमि पर उनका कब्जा है परन्तु इसकी ताइद में सम्बन्धित कृषक उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः उक्त भूमि दिनांक 15-4-1971 को अधिग्रहित की जाकर कब्जा लिये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 25 व 30 जून, 1982 को भूमिहीन किसानों को अवाप्त शुदा भूमि का नियमानुसार आवटन किया गया। यह आवटन राज्य सरकार के पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 14-2-1980 को आदेश दिनांक 24-6-1982 के द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात् ही किया गया। श्री पृथ्वीसिंह के द्वारा दिनांक 7-5-1963 को पंजीकृत पट्टे के आधार पर नामान्तरण संख्या 1032 से 1039 के द्वारा दिनांक 1-11-1972 को खोले गये जिसे नायब तहसीलदार ने 31-12-1972 को 627 बीघा 17 बिस्वा भूमि के बाबत तस्दीक किया था। परन्तु यह पट्टे व नामान्तरण के आदेश होने के कारण इन पर अमल नहीं किया गया। सम्वत् 2031 व 2032 में कुछ व्यक्तियों के नाम खसरा परिवर्तन होने व काश्त करने के इन्द्राज हैं किन्तु इन लोगों द्वारा लगान अदा नहीं करने के कारण व किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उनका कब्जा सिद्ध नहीं हो सका। नियमानुसार आवंटियों की काश्त की भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा अवरोध पैदा किये जाने पर शान्ति व कानून व्यवस्था भंग की जाने का प्रयास होने के कारण पुलिस दल की व्यवस्था की गई जिससे आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पर काश्त की जा सके। अब तक 268 व्यक्तियों को भूमि आवंटित कर कब्जा दिया जा चुका है एवं 87 व्यक्तियों को कब्जा दिया जाना शेष है।

यह सही है कि श्री नारायण लाल सरपंच के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 24-6-1982 को अवाप्त की गई 1943 बीघा 8 विस्वा भूमि में से 1315 बीघा 11 विस्वा भूमि के आवंटन की कार्यवाही करने और 627 बीघा 17 विस्वा शेष भूमि के सम्बन्ध में टिप्पणी विवरण भिजवाने के लिये जिलाधीश को निर्देश दिये गये। मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 23-1-1983 को इस भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उनकी अनुपालना नहीं किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतिक्रमियों की कार्यवाही को रोकने के लिये प्रशासन द्वारा शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस दल की सहयता ली गई है जिससे आवंटित कृषक भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। प्रभावी लोग एवं श्री नारायण लाल सरपंच व उनके परिवार के लोग अवैधानिक अतिक्रमण कर काश्त कर रहे हैं और अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं, इसी कारण अवाप्त शुदा भूमि के आवंटन में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तथ्यों को देखते हुए इसमें कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है। अब स्थिति शान्तिपूर्ण है।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि यह वास्तविकता से बिल्कुल परे है····

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई प्रश्न पूछना हो तो वही पूछें।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि जो अलाटमेंन्ट की सूचना दी गई है उसके बारे में करीब 6-7 काश्तकारों ने राजस्व अपीलेंट अधिकारी, कोटा के यहाँ पर अपील कर रखी थी और उन्होंने यह स्टे दे रखा था कि पत्रावली संख्या 72/82 तथा 73/82 5-7-1982 को उनके समक्ष प्रस्तुत की जाय, लेकिन सभापति महोदय, इन आदेशों की अवहेलना करते हुये जिस जमीन के बारे में स्टे आर्डर मिला हुआ था उस जमीन को भी अलाट कर दिया गया।

दूसरे 25 तारीख को यह आवंटन हुआ था इस आवंटन के बारे में राजस्व सचिव ने 24-6-1982 को स्टे आर्डर दे दिया। उसमें लिखा था, "सम संख्यक पत्र दिनांक 14-2-1980 के अनुसार पूर्व में रोक लगाई गई है अतः कुल भूमि 1981 बीघा 8 विस्वा में से 627 बीघा 17 विस्वा को छोड़कर शेष भूमि 1315 बीघा 11 विस्वा के आवंटन की कार्यवाही को रोक कर के इस विभाग को तुरन्त सूचित करें व आपके द्वारा की गई कार्यवाही से भी इस विभाग को अवगत करवायें।"

Page No 98

(९८)

(श्री रामकिशोर मीणा)

माननीय सभापति महोदय, 627 बीघा 17 बिस्वा के बारे में जो स्टे ग्रार्डर दिया था वह जमीन भी 30 तारीख और 25-6-1982 के ग्रलॉटमेन्ट के द्वारा ग्रलाट कर दी गई। जो स्टे ग्रार्डर दिया था उसकी रसीद प्राप्त की गई। एस. डी. एम. ने उसकी कोई रसीद नहीं दी जो 30 तारीख को ग्रलॉटमेन्ट हुग्रा था। 25 तारीख को एक ग्रार्डर निकाला एस. डी.एम ने कि समयाभाव के कारण कुछ प्रार्थनापत्रों पर निर्णय नहीं किया जा सका ग्रत: 30 तारीख को मुख्यावास पंचायत भवन मेहसवा में 11 बजे बैठक ग्रामंत्रित की जाती है। लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, यह बैठक पंचायत भवन में नहीं की गई और बैठक गुप्त स्थान पर की गई जिसकी सूचना ग्राम ग्रादमी को नहीं दी गई।

तीसरा, जो 30 तारीख को ग्रलॉटमेन्ट होना था उसके बारे में वायरलेस संख्या 400 क्रमांक 200 क्रम पंजिका 400, शब्द 40 एस. डी. एम. हिन्डौन को कलेक्टर सवाई माधोपुर ने दिया। ए. डी. एम. मिस्टर डालूराम मीणा ने जान बूझकर के ग्रलॉटमेंट की जब कि कमालपुरा में कोई ग्रलॉटमेन्ट नहीं चल रहा था। राज्य सरकार ने जो ग्रादेश दिये थे वायरलेस द्वारा, वह यह थे, "ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम का भू-ग्रावंटन स्थगित कर दें," राज्य सरकार के यह ग्रादेश हैं। यह ग्रावंटन मेहसवा ग्राम का था। इस बारे में जो ग्रावंटन की कार्यवाही की गई स्टे 28 तारीख को एस. डी. एम. को मिला उसके बावजूद इन्होंने ग्रलॉटमेन्ट...

श्री सभापति: और कोई प्रश्न है।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, प्रश्न तो बहुत हैं। सभापति महोदय, 5-5-1982 को घोषणा की गई एस. डी. एम. के द्वारा कि कौन कौन सी जमीन का ग्रलॉटमेन्ट हो। 5-5-1982 को घोषणा की गई, उसके ग्रन्दर करीब 21 रकबे हैं जिनमें बंजर और गैर मुमकिन तालाब हैं। राज्य सरकार के नियमों के ग्रनुसार उस जमीन का परमानेन्ट ग्रलाटमेन्ट नहीं किया जा सकता जो करीब गैर मुमकिन तालाब हैं लेकिन जो 30 तारीख को ग्रलॉटमेन्ट हुग्रा उसका खसरा नम्बर 130 है जो 107 बीघा और 16 बिस्वा है उस सारी की सारी का ग्रलॉटमेन्ट कर दिया....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, कारण तो जो हैं वह सारे देने ही पड़ेंगे।

जो घोषणा की गई, उस घोषणा में ग्रधिकतर....

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, स्थगन-प्रस्ताव इस बात का था कि वहां पर झगड़ा होने की बात है, शान्ति भंग होने की बात है, कब्जाशुदा जमीन का ग्रलॉटमेन्ट किया गया है, जहां ग्रलॉटमेंट किया गया है वहां पर दूसरे लोगों का कब्जा था उन लोगों को उसके ऊपर कब्जा दिया। इस तरह की स्थगन-प्रस्ताव की भावना थी। माननीय सदस्य कह रहे हैं, ग्रलॉटमेन्ट गलत हुग्रा है, ग्रलॉटमेंट की कार्यवाही गलत हुई है, नोटिस गलत निकले हैं,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

खामियां रह गई हैं या दूसरी जगह अलॉटमेंट कर दिया गया है। राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध अलॉटमेंट कर दिया गया है यह सब बातें उठ रही हैं अलग अलग। इसके लिये मेरी तैयारी नहीं है। इसके लिये तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अलॉटमेंट अगर गलत है, अलाटमेंट अधिकारी द्वारा गलत कर दिया गया है तो उसके लिये नियमानुसार अपील की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इन मामलों में भी अपील की गई होगी, जैसी मुझे थोड़ी सी जानकारी है उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, और अपील करके इन अलॉटमेंटों को खारिज कराया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से जान-बूझकर के कोई गलती की है और गड़बड़ी की है, उसकी शिकायत आयेगी तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ।

श्री राम किशोर मीणा : माननीय सभापति महोदय, अपील खुद माननीय राजस्व मंत्री जी के पास विचाराधीन है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास ऐसी कोई अपील विचाराधीन नहीं है।

(2.30 म. प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

श्री राम किशोर मीणा : आपसे पूर्व श्री परसराम जी मदेरणा, राजस्व मंत्री थे उनके पास यह अपील विचाराधीन थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : परसराम जी राजस्व मंत्री थे तो फाइलें थोड़े ही अपने साथ ले गये।

श्री परसराम मदेरणा : भूत में, इन दी होल पास्ट परसराम जी मदेरणा राजस्व मंत्री थे तो उस समय रिवीजन की पावर टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत गवर्नमेंट के पास थी जब वे राजस्व मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री थे तो उन्होंने रिवीजन की पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ट्रान्सफर कर दी इसलिये रिवीजन गवर्नमेन्ट के पास नहीं होगी।

श्री रामकिशोर मीणा : वह अपील की गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा है कि पावर आपके हिसाब से ट्रान्सफर हो गई है, बोर्ड आफ रेवेन्यू को पावर ट्रान्सफर कर दी गई है तो नैच्युरली वह फाइलें वहां पर चली गई होंगी। मेरे सामने पत्रावलियां नहीं हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : यह तो कागजों पर है। अलाटमेन्ट के बारे में, 627 बीघा के बारे में राज्य सरकार का और शासन सचिव का ऑर्डर है, उसकी अवहेलना करते हुए अलॉटमेन्ट किया गया और उनको अलॉटमेन्ट हुआ। उनको जमीन का अलॉटमेन्ट होने के कारण से वहां पर कब्जा दिलाने गए तो उसके बाद में सारा का सारा झगड़ा पैदा हुआ। उसकी वजह से, सभापति महोदया, 627 बीघा जो महाराज कुमार की जमीन थी वह उन्होंने क्रय की थी। उस समय तत्कालीन विधायक, जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं, तथा श्री सांवतसिंह जी दोनों महाराज कुमार पृथ्वीकुमार जी के वकील थे, इनकी मार्फत 350 रुपया पर बीघा के हिसाब से वह

(श्री रामकिशोर मीणा)
सारा सौदा हुआ था और उस जमीन के पट्टे भी इन्होंने दिलवाये थे। महाराजकुमार जी ने लिस्ट पेश की उसमें सांवतसिंह जी के हस्ताक्षर भी हैं कि उन्होंने..

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं महाराज कुमार का वकील था। मैं आपसे निवेदन करूं, इन्होंने यह आरोप लगाया है। मैं न कभी इनका वकील था और न आज हूं··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर लें तब आप··

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : आपको बहुत जवाब देना है। विराजो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, जो उद्घोषणा की उसके अन्दर जितना रकबा था उस रकबे से ज्यादा जमीन दे दी। उस रकबे के अन्दर उतनी जमीन ही नहीं है लेकिन उससे ज्यादा रकबे को भी अलॉट कर दिया गया। जैसे खसरा नम्बर 12 था, जिसकी उद्घोषणा की थी, उसका 390 बीघा 9 बिस्वा का रकबा था लेकिन जो अलॉटमेन्ट हुआ वह 398 बीघा 4 बिस्वा का कर दिया। इसी तरह से खसरा नम्बर 15 का किया गया, रकबा था 42 बीघा 14 बिस्वा और अलॉटमेंन्ट 44 बीघा का कर दिया गया। खसरा नं. 23 का रकबा 115 बीघा 5 बिस्वा का था अलॉटमेन्ट 116 बीघा का कर दिया गया। इस तरह से, सभापति महोदय, अलॉटमेन्ट करते वक्त यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि यह जमीन में सिंचाई विभाग के चार बाँध बने हुए हैं, करीब तीस लाख रुपये के इसमें चार बाँध बने हुए हैं, इसके सारे मैप्स वगैरह मेरे पास हैं। जो खसरा नम्बर 130 है वह पूरा का पूरा गैरमुमकिन तालाब है। सारा का सारा उसको अलाट कर दिया गया। उसके बाद में बाँध की जो पाल है जो दीवारें हैं, नहरे हैं, जो खंचिया हैं उन तक को अलाट कर दिया गया। सिंचाई विभाग ने जो इन पर तीस लाख रुपये अब तक लगाये हैं उससे करीब 15 गाँवों की जमीन की पिलाई होती है। उस पिलाई का और बाँधों का इसके बाद में क्या अर्थ निकलेगा? वह काश्तकार, जिनको अलाट की है, यदि कब्जा लेने जावें तो उनको कब्जा वहाँ कहाँ पर कराया जायेगा? माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो अपना स्टेटमेन्ट दिया उसमें बताया कि 24-6-82 को जो आदेश दिये थे उनको निरस्त कर दिया। लेकिन आज तक की तारीख में पंचायत के पास में सूचना नहीं है। ग्रामवासियों से आपने कहा है, 12-8-80 एवं 24-6-82 को निरस्त किये जाने के उपरान्त ही अलाटमेंट किया गया लेकिन सभापति महोदय, इसकी सूचना आज तक ग्रामवासियों को नहीं दी गई। जो अलॉटमेन्ट हुआ उसके बारे में जो सबसे बड़ी बात है यह है कि 25 तारीख को अलाटमेन्ट

(श्री रामकिशोर मीणा)

हुआ, कुल एप्लीकेशन्स थीं 358। सभापति महोदया,कुल 358 एप्लीकेशन थीं उसमें से मात्र 124 आदमियों को अलाटमेन्ट किया गया। उसके बाद में यह आदेश निकाले कि क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इस कारण से नेक्स्ट मीटिंग 30 तारीख को की जायेगी। माननीय राजस्व मन्त्रीजी आपको सारी की सारी स्थिति मैं निवेदन करूंगा। जो एप्लीकेशन 25 तारीख को केन्सिल कर दी गई थी, उनके कारण जो बताये गये थे, 5-6 व्यक्तियों को नाबालिग होने के नाम से कैंसिल की गई, कुछ को जमीन अधिक होने की वजह से की गई, कुछ की बाहर, दूसरे गांवों के होने की वजह से की गई, कुछ ऐसे काश्तकार थे जो कि सर्विस में थे, 25 तारीख को उनकी एप्लीकेशन केन्सिल कर दी गई लेकिन 30 तारीख को उन व्यक्तियों को अलाटमेन्ट कर दिया गया। सभापति महोदया, इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। चूंकि उस रोज आवंटन समिति के माननीय सदस्य सार्वजनिक निर्माण मन्त्री भी थे और इनके जो रिश्तेदार हैं वह वहां प्रधान थे, इनकी लड़की भी वहीं ब्याही है। इनका लड़का वहां ब्याहा है इस कारण से ही नहीं है, मैं निवेदन करूं, इसमें प्रधानजी ने चिट्ठी लिखी है वह पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पेम्फ्लेट है कांग्रेस आई का, बयाना निर्वाचन क्षेत्र का, उस पर लिखा है, 'श्रीमान् पटवारी जी को उदयचन्द का नमस्कार मालूम हो। आपके पास जो पत्र-वाहक आ रहे हैं। इनकी रिपोर्ट ठीक करने का श्रम करें। इनके फार्म पर रिपोर्ट सही होनी चाहिये, उदयचन्द प्रधान 28.6.82।

अब इससे ज्यादा घिनौना, पद के दुरुपयोग का उदाहरण कहां देखने को मिलेगा। इस तरह अलाटमेन्ट किये गये। यह अलाटमेन्ट की सिफारिश की थी, पिथराम सन ऑफ किशनलाल, जो कि इनके रिलेटिव हैं, के नाम पर पटवारी ने यह रिपोर्ट दी कि इनके पास जमीन ज्यादा है। 25 तारीख को यह अलाटमेन्ट कैन्सिल कर दिया था। इस कारण से वहां के पटवारी को सस्पेण्ड किया। उसमें रिपोर्ट चेंज नहीं की उसने कहा कि रिकार्ड में ज्यादा है तो मैं कैसे कर दूं। उस आधार पर उन्होंने उसको सस्पेण्ड कर दिया और इनको अधिक जमीन होने के बावजूद भी जमीन अलाट कर दी। सभापति महोदया, जिस जमीन का अलाटमेन्ट हुआ है इसमें सिंचाई के बांध हैं। वहां पर सिंचाई होती है, उन लोगों से सिंचाई का 9 रुपये 80 पैसे बीघा के हिसाब से लगान वसूल होता है। अगर कोई काश्तकार गन्ने की फसल करता है तो 30) रु. बीघा के हिसाब से लगान वसूल किया जाता है। उन सारे बांधों की पालों तक को अलाट कर दिया। सीमा से अधिक जो भूमि थी जिसका अलाटमेन्ट किसी हालत में नहीं हो सकता था, संयुक्त परिवार था उनकी सूची पूरी मेरे पास है, अलॉटमेन्ट हो नहीं सकता नियमानुसार किसी कीमत पर, उसमें फर्जीवाड़ा करके एक एक आदमी को तीन तीन बार अलाटमेन्ट हुआ है। जो प्रधान थे उनके ब्याई को 30 तारीख को 157 खसरा नम्बर पर चार बीघा अलाट किया गया। उनके बड़े लड़के को खसरा नम्बर 13 में 4 बीघा किया गया और उनसे छोटे जमनालाल को 4 बीघा भूमि अलाट की गई एक-एक दिन में इससे भी बड़ी बात यह है कि नाबालिग होने के नाते जिनकी एप्लीकेशन

(142)

(श्री रामकिशोर मीणा)

कैन्सिल हो गई थी उनको तीस तारीख को अलाटमेन्ट हुआ, उनको एक एक बार नहीं दो-दो तीन-तीन बार भी अलाटमेन्ट कर दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उस में सीधा फेवर किया गया है। ऐसी बात थी जो नाबालिग थे जो 25 तारीख को नाबालिग थे वह 30 तारीख को कैसे बालिग हो गये। उनके प्रमाण पत्र स्कूल के मेरे पास हैं, मन्त्री महोदय चाहें तो मैं सारे के सारे पेश करूंगा।

एक माननीय सदस्य : नाम बताओ !

श्री रामकिशोर मीणा: नाम है- रामनिवास सन ऑफ मिश्रीलाल, हरि सन ऑफ सन्तराम, हरिमोहनमल सन ऑफ प्रभुलाल माली, बत्तीलाल मीणा सन ऑफ रामफूल मीणा इन सारे के सारे के स्कूल के प्रमाण पत्र हैं मेरे पास। ये सबके सब नाबालिग थे, 25 तारीख को नाबालिग थे इस कारण से प्रार्थना पत्र कैन्सिल कर दिये और 30 तारीख को उन्हें अलाट कर दी क्योंकि ये माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी के रिश्तेदार थे और वे प्रधान के रिश्तेदार थे इस कारण से इनको अलाटमेंट कर दिया गया। यह जो 130 खसरा नम्बर था गैर मुमकिन चरागाह था वह सारा का सारा अलाट कर दिया गया। माननीय मन्त्री महोदय खुद वकालात करते हैं लेकिन इनको पता नहीं है किस तरह से परमानेन्ट अलाटमेन्ट गैर मुमकिन चरागाह का होता है। सारे के सारे अलाटमेन्ट की ट्रू कापी मेरे पास हैं। इसके बाद में जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ग्रामवासी किस तरह से आतंकित हैं। यह राजस्व ग्रुप-III का लेटर है 26 नवम्बर, 82 का, इस में लिखा है अपील द्वारा काश्तकारान निवासी ग्राम मेंसवा तहसील टोडा भीम जिला सवाई माधोपुर। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई अपील नहीं है। "उपरोक्त विषय में ग्राम मेसवा तहसील टोडा भीम के काश्तकारान द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी को प्राप्त अपील, जिस की प्रति संलग्न है, प्रेषित कर निवेदन है कि उप जिलाधीश इन सब बातों के आदेश देवें कि यहां से अन्य आदेश होने तक उनको कब्जे से बेदखल नहीं कियाजाय। उसके बावजूद मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के दबाव की वजह से पटवारी गया, जिसकी डायरी मंगाकर देखी जा सकती है, सारा रिकार्ड है, आर. ए. सी. के जवान गए। शिड्यूल्ड कास्ट्स व ब्राह्मण गरीब कौम के थे, बिल्कुल असहाय थे जिनको 25-30 तारीख को अलाटमेन्ट किया गया था उन व्यक्तियों को कब्जा दिलाने के नाम से गए थे लेकिन उनको कब्जा नहीं दिलाया गया बल्कि जो रिश्तेदार थे मंत्री महोदय और माननीय प्रधान के उनको वहां जबर्दस्ती कब्जा कराया गया, पुलिस की इमदाद से। उनकी और अन्य की आज भी मंत्री महोदय गिरदावरी मंगा लें। आज ही किसी को भेजकर गिरदावरी की रिपोर्ट मंगा लें, गलत एलाटमेंट किसको किये गये हैं वह सारे के सारे रिकार्ड से सिद्ध हो जायेगा। जब इस आदेश को नहीं माना, मंत्री महोदय, तो उसके बाद में गए काश्तकार माननीय राज्य मंत्री होम के पास। उनको कहा कि खड़ी काश्त को पुलिस द्वारा नष्ट करने से बचाओ। उसके बावजूद उन्होंने पुलिस की इमदाद से खड़ी फसल को उजाड़ने के लिये उनके रिश्तेदारों

(श्री रामकिशोर मीणा)

को उकसाया, उन्होंने कब्जा करवाया। खड़ी फसल को हटाने के खिलाफ जब अपील की, होम मिनिस्टर के पास गये और उन्हें कहा कि हमें तंग कर रहे हैं तो होम मिनिस्टर ने आर्डर दिया एस. पी. सवाई माधोपुर को··

"Please examine the matter in view of the stay granted by the Government and as per telephonic conversation."

उन्होंने टेलीफोन पर एस. पी. से बात की और सारी चीज का जायजा लिया। एस. पी. और कलेक्टर ने स्थिति बताई लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री मंडल के एक मंत्री के दबाव के कारण हम इसमें कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इस कारण जो किया जा रहा है वह कानूनों को बिल्कुल एक कोने में रखकर, ताक पर रख कर किया जा रहा है।

मंत्री महोदय, आपने जिक्र किया वहां के नारायणलाल सरपंच का। सारे झगड़े की जड़ वही है। आपने स्टेटमेंट में बताया, उस झगड़े के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायतों के चुनाव हुये थे उस समय एक लिस्ट निकली थी, चतुर्थ पंचायत ग्राम चुनाव 1981। ए. डी. एम. सवाई माधोपुर ने लिस्ट निकाली थी किसी तरह से इस सरपंच का नाम उसमें नहीं आये इसके लिये मंत्री महोदय ने दबाव देकर उन्होंने आर्डर निकलवाये कि कौन कौन से व्यक्ति डिस्क्वॉलिफाइड हैं। आप देखें, इसमें क्रम संख्या 2 पर। आप नारायण-लाल का नाम··

(व्यवधान)

लिखा है कि वह झगड़े की जड़ है। तो झगड़े की जड़ यह है या कोई और है इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नंबर दो पर है, नारायणलाल मीणा सरपंच भूतपूर्व ग्राम पंचायत महुआ। इसमें ग्राम पंचायत मेहसवा की जगह जान बूझकर महुआ कराया गया ताकि उनको पता नहीं लगे और एन वक्त पर जो लिस्ट है उसके हिसाब से उसको डिस्क्वालिफाई किया जाए और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाये। लेकिन वह बहुत चतुर थे, चालाक थे और वह उनके पुराने कर्तव्यों को जानते थे। इस कारण से मंत्री महोदय ने जो सूची थी उसके संबंध में यह आर्डर दुबारा गवर्नमेंट से कराया : "नारायणलाल मीणा भूतपूर्व सरपंच ग्राम मेहसवा, जिला सवाई माधोपुर, जो दिनांक 22-2-77 के··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिलेवेन्ट बात बता दें।

श्री रामकिशोर मीणा : रिलेवेन्ट ही बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। संक्षेप में, आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : पोस्ट मार्टम हो गया चेतराम का।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, जागरुक होने के नाते वह गये और उन्होंने प्रवर सचिव, जांच से यह आर्डर

(श्री रामकिशोर मीणा)

कराया कि श्री नारायणलाल मीणा सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़े होने योग्य हैं। सभापति महोदया, उन्हीं के कारनामों से यह झगड़ा हो रहा है। मंत्री महोदय भी उसका एक ताजा उदाहरण हैं। उन्होंने क्या किया, फर्जी रिपोर्ट 5-2-83 को कराई पुलिस में उस सरपंच के विरुद्ध और एलीगेशन लगाया कि दिनांक 25-2-83 को पंचायत डवलपमेंट डिपार्टमेंट से सस्पेंड करने के कारण सरपंच को··

श्री सभापति : राजस्व मैटर्स तक रेस्ट्रिक्ट रहें।

श्री रामकिशोर मीणा : उन्होंने कहा सरपंच की वजह से झगड़ा बताया। उस सरपंच के झगड़े की जड़ का कारण मैं बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है। "नारायणलाल सरपंच ग्राम पंचायत मेहसवा, जिला सवाई माधोपुर, न्यायालय अपर मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट हिन्डौन, सवाई माधोपुर में मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468 व 409 आई. पी. सी. के अन्तर्गत विचाराधीन है व निराकरण के लिए सम्बद्ध है।" माननीय सभापति महोदय, इस तारीख में कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं था, आप खुली जांच करवा सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे क्या सम्बन्ध है?

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कहा है कि झगड़े की जड़ यह सरपंच है··

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : किसी के खिलाफ कहना है तो प्रापर नोटिस देकर आप कहिए, किसी ने रोका थोड़े ही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कुछ व्यक्तियों का जिक्र किया है कि वे झगड़े की जड़ हैं, झगड़े की जड़ वह सरपंच है··

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसने सारा झगड़ा करवाया।

(2.46 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। समाप्त करें। मानहानि का और जो आरोपित करने वाले विषय हों वह बिना पूर्व सूचना के माननीय सदस्य नहीं उठाय।

श्री रामकिशोर मीणा : अलाटमेन्ट के बारे में मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है, वह वास्तविक स्थिति से बिलकुल परे रख कर दिया है। जुडीशियरी का इसमें रेफरेंस दिया है कि उच्च न्यायालय में अपील की थी 25 और 30 तारीख के फैसले की। सरपंच की हैसियत से अपील कर दी इस कारण से जो फाइल में कारण बताया··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हाई कोर्ट वाली बहस यहां नहीं होगी। शासकीय वक्तव्य पर विस्तृत चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित

(श्री अध्यक्ष)

करना चाहा, कर दिया। हो सकता है आपके लिए वह विषय बहुत महत्व का हो लेकिन इस सदन के समक्ष सभी विषय महत्व के आते हैं उन पर अलग समय की चर्चा होती है। इतनी बड़ी सभा के सामने कोई मसला आ गया, थोड़े समय के लिए चर्चित हो गया उसके बाद स्वतः ही वह समाप्त होता है। माननीय सदस्य; आपस में मतभेद हैं तो वह सब विवाद यहां पर इस तरह से उपस्थित नहीं किए जा सकते। मन्त्री महोदय ने स्थिति बता दी; एक आध प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए उसके बाद समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : स्टेटमेन्ट में बताया गया है कि वहां पर स्थिति शान्त है और कोई किसी तरह की झगड़े वाली स्थिति नहीं है। इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : कोई झगड़ा हुआ है कल परसों में ?

श्री रामकिशोर मीणा : कल परसों की मुझे जानकारी नहीं है। झगड़े वाले अलाटमेंट के बाद अवैध हथियार लोगों ने खरीदे हैं क्योंकि—.

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप अवैध हथियार लायेंगे उसके बाद उसके स्मगलर्स आयेंगे। शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है, वह अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य, कृपया इस बारे में एक मिनट में आप समाप्त करें। मंत्री महोदय यदि स्पष्टीकरण करना चाहेंगे तो कर देंगे। आप सब नाराजगी एक साथ निकालना चाहें और संतुष्ट होना चाहें उसके लिए सदन का प्रांगण उपयुक्त स्थान नहीं है..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यदि अन्य माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे तो मुझे और आशंका होती है कि पर्जली मामला बनाया जा रहा है...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, दूसरे की मदद पर आना आवश्यक नहीं है। अपनी तरफ से जितना चाहें कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया, अब मैंने दो मिनट का समय और दिया है। उसमें जो कहना है कह दीजिए। उसके बाद इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री रामकिशोर मीणा : मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सन् 1975 में इस जमीन बाबत उस पंचायत ने अलॉटमेंट करके हरिजनों को आवासीय भूमि के पट्टे दिए थे 18 बीघा के...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। यह जुडीशियरी, अदालत नहीं है जहां सब विचारणीय बिन्दु तय किए जा सकें, उस सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपने कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया, उसके पश्चात् मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर के पश्चात् स्पष्टीकरण के तौर पर एक दो प्रश्न माननीय सदस्य पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसमें कौनसा पक्ष न्याय का है, कौनसा अन्याय का है, उसके पीछे कौनसी घटनायें

(श्री अध्यक्ष)

हैं, इसमें क्या होने की संभावनायें हैं, यह सब नहीं आ सकता।

श्री रामकिशोर मीणा : इससे ज्यादा गंभीर क्या होता है कि···

श्री अध्यक्ष : गंभीर बहुत से मामले हो सकते हैं

श्री रामकिशोर मीणा : मखटोड और कमालपुरा गांव में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक्सपंज्ड। आप विषयांतर हो रहे हैं, आप व्यक्तिगत मामले ला रहे हैं यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायें, माननीय सदस्य। नाराजगी, आपस की रंजिश का इजहार यहां नहीं होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां। मेरा अनुभव यह है, बड़ा कठिन होता है पाइंट ऑफ आर्डर उठाना।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय सदस्य कह रहे थे मंत्री महोदय के लिए कि उनको जनता ने ×××

श्री अध्यक्ष : यह फिर एक्सपंज किया जाय। आप उसको रिपीट करके दर्ज करवाना चाहते हैं तो यह मैं···

श्री भंवरलाल शर्मा : इस पर पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि यह घटना हुई है···

श्री अध्यक्ष : इस घटना का इससे संबंध नहीं है। यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इस पर कहीं पर कोई मंत्री का जिक्र नहीं है। मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया कि मुख्य उद्देश्य जहां तक काश्तकारों के पुराने कब्जों को कायम कराने का है उस विषय के महत्व को देखते हुए मैंने इसे वक्तव्य के लिये रखा। लेकिन मैंने यह पाया, मैं अन्दर सुन रहा था, एक तरह से मुख्य प्रश्न गौण होकर कौन मंत्री क्या करता है, या किसी मंत्री जी का किसी माननीय सदस्य से क्या संबंध है, इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इस पर जोर दिया जा सकता था कि किसानों के हक हकूक को कायम रखा जाए। मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय सदस्य कुछ और ही कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि इन्होंने जो कहा वह यह हो सकता है कि आप यह कहें विषय से हटकर बोल दिया। इर्रिलिवेंट it may be irrelevant...

श्री अध्यक्ष : Defamatory. It is not only irrelevant, but it is defamatory.

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लिया जाए कि यह विषय के अन्तर्गत नहीं आता

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो भी एक्सपंज नहीं किया जा सकता है। एक्सपंज तब भी किया जायगा जब कोई अन-पार्लियामेंट्री बात हो।

श्री अध्यक्ष : अन-पार्लियामेंट्री शब्द कोई परिभाषित नहीं है। यह अध्यक्ष और पीठासीन व्यक्ति के विवेक पर छोड़ा गया है। कोई भी मसले से इस सदन की गरिमा पर प्रतिकूल असर पड़ता हो जिसमें यह लगे कि इस सदन के सदस्य, जनता की सही नुमाइन्दगी करने के बजाय छोटी-छोटी बातें, अल्प बातें, भद्दी बातें कह रहे हैं जिससे बुरा लग सकता है, जिससे सदन के सदस्यों का व्यवहार बुरा लग सकता है, यह सभी चीजें असंसदीय मानी गई हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : घटना का जिक्र है, यह कोई आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं चर्चा समाप्त करता हूं। मैंने ठीक व्यवस्था दी है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है उसमें जिक्र किया है कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों तक का सहयोग प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है, आपने कह दिया।

(व्यवधान)

मैं चर्चा समाप्त करता हूं। यदि आप एक-दो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको इसके लिए दो मिनट का समय दिया था और दो मिनट का देता हूं। उसके बाद चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री रामकिशोर मीणा : राजस्व मंत्री जी को जो अपील प्रस्तुत की गई है अलाटमेंट के खिलाफ उसके बारे में क्या राज्य सरकार जांच जल्दी से जल्दी करवायेगी स्टे आर्डर दिये हैं उनकी अवहेलना कहां हो रही है। आप उस पर पाबन्दी लगायें।

श्री अध्यक्ष : यह सब-जुडिस मामला है अगर अपील पेंडिंग हो और यहां पर चर्चा की जाय तो इसका विपरीत प्रभाव उस पर पड़ सकता है जब राज्य सरकार के पास जुडिशियल पावर हो तो काफी जटिल मामला हो जाता है। जहां पर दोनों पक्षों को सुनकर किसी कानून के अनुसार फैसला देने का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के आरोप का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि डरायों-धमकाया जाये मंत्रियों को और उनसे डराकर काम कराया जाए। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं

श्री रामकिशोर मीणा : मैं यह सारी फाइल आपको दे देता हूं। आप जांच करें, इसमें अगर गलती हो

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे फाइल मत दें।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं बहुत दुःखी हूं। मेरा मंत्री जी से कोई झगड़ा नहीं है, आपसी द्वेष नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी देख लेंगे सारे पक्ष को मुझे बताने का कष्ट न करें। मंत्री जी, कृपया सुन लीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से।......

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त चर्चा हो गई है। मुझे क्षमा करें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं दो मिनट लूंगा, दूसरे से तीसरा मिनट नहीं लूंगा।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन है कि सन् 1952 में जो जमीन राजा-महाराजों के कब्जे में थी, उस पर विधिवत् वह काश्त कर रहे थे, इनके कब्जे में जमीन थी, उन्होंने उस पर मकान बनाये हैं। सारी जमीन 1941 बीघा है उसको अच्छी प्रकार से साफ किया है। साफ करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबिल काश्त किया है। वह करने के बाद सन् 1952 से आज तक वह विधिवत काश्त कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार जिस जमीन को जो दूसरे काबिल काश्त करते थे, उस जमीन के कुछ पैसा देकर, चार लाख तीस हजार देकर पट्टे लिये। उन पट्टों को दिलाते वक्त, जमीन की खातेदारी कराते वक्त उनके दो वकील भी साथ थे एक का नाम ××××

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाए। माननीय सदस्य, आप विषय से हटकर बोल रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : मैं वकीलों के नाम बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी इजाजत नहीं है। सवाल करने की मैंने इजाजत दी थी।

श्री हंसराज शर्मा : दो मिनट और।

वह जमीन खातेदारी में जा रही थी जिस समय खातेदारी में उनका जो सालाना गोशवारा होता है, जो विधिवत् खानेबंदी में जानी चाहिये थी उस पर रोक लगा दी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से 25-2-82 को जो अलाटमेन्ट किया गया लोगों ने फार्म नहीं भरे क्योंकि वह अपील में चले गये थे, उसके बाद उनको अलॉटमेंट नहीं किया, 25 को खारिज कर दिया। अलाटमेन्ट करने के बाद उस दिन कार्यवाही 30-2-82 तक स्थगित कर दी। उसका नोटिस निकाला गया। जो नोटिस निकला उसमें पंचायत शामिल नहीं थी, सरपंच उसमें शामिल नहीं था इसलिए दोनों नोटिसों को निरस्त किया जाए। मेरा निवेदन है कि जो काश्त करते थे उनको कब्जा दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, राजस्व मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में सभी तथ्य रखे हैं। यह जमीन राज्य सरकार ने ली है, वह सारे तथ्य रखे हैं। किसी भी तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया गया है। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी अलाटमेंट के बारे में बात कही है मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कह दिया था कि अलाटमेंट गलत हुआ नोटिस गलत दिया, जमीन नियमों के विरुद्ध अलाट की गई है, गलत व्यक्तियों को अलाट की गई उनके संबंध में नियमों में कार्यवाही की जा सकती है और उसको खारिज करवाया जा सकता है।

यहां यह प्रश्न उठाया कि सन् 1952 से जमीन कब्जे में थी। मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि सीलिंग के अन्दर जमीन को अधिग्रहण करने का प्रश्न था उस समय कुछ व्यक्तियों ने अपने कब्जे की बात कह कर अपील दर्ज की थी, लेकिन वह किसी भी हिसाब से अपने हक को साबित नहीं कर सके और अपील खारिज कर दी गई। 1971 में यह जमीन कब्जे में ली गई इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बातें बताई हैं, मैंने उनको कहा है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होगी तो हम उसकी जांच करेंगे। अगर उसने गलती की है तो हम कार्यवाही करेंगे। अगर आप शिकायत देंगे इस संबंध में तो प्रशासनिक आधार पर मैं कह सकता हूँ, हाईकोर्ट या जुडिशियरी की बात मैं नहीं कर सकता, उसको मैं देखूंगा और जो सही बात होगी उसको सामने लाने की कोशिश करूंगा। जो वक्तव्य मैंने दिया उसके बारे में आपने कुछ निवेदन नहीं किया, इसलिए मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आधे घण्टे की चर्चा, सुश्री पुष्पा जैन।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): इससे पहले वाला स्टेटमेंट रह गया।

भरतपुर जले कि बाहर की नहर की दीवार टूट जाने से पेयजल खारा होना व पानी का संकट होना

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, इसके लिए 15 मिनट का समय निश्चित किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो 15 मिनट से भी कम समय लूंगा।

श्री अध्यक्षः आपका उत्तर और माननीय सदस्य के प्रश्न सब चर्चा 15 मिनट की।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मैंने प्रोसीडिंग्स देखी है सचिवालय की माननीय सदस्यों ने 4 तारीख को एक एडजोर्नमेंट मोशन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के संबंध में प्रस्तुत किया। सिंचाई विभाग ने विधान सभा सचिवालय से यह निवेदन किया कि यह हमसे संबंध नहीं रखता है और यह शिक्षा विभाग से संबंध रखता है। शिक्षा विभाग ने 11 मार्च को यहां लिखकर भेज दिया कि इसका संबंध हमसे नहीं है और तथ्यात्मक नोट पुरातत्व विभाग का साथ लगा दिया। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे ओरिजनल एडजोर्नमेंट मोशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे आदेश हो गया है, आपका 22 तारीख को कि 24 तारीख को मुझे स्टेटमेन्ट देना है क्योंकि पीने के पानी के संबंध में कुछ बात इसमें कही गयी है। इसलिए राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

"भरतपुर जिला एवं उसकी नहर (मोठ) करीब 250 वर्ष पुरानी है, सन् 1960

(श्री परसराम मदेरणा)

से पूर्व इस नहर का महत्व पीने के पानी की दृष्टि से भी रहा था क्योंकि उस समय भरतपुर शहर की पेयजल योजना नहीं बनी थी। यह सही है कि भरतपुर शहर का भूजल खारा है। जब नहर में पानी भरा रहता है उस समय नहर के चारों तरफ के कुओं में पानी का स्तर भी ऊंचा रहता है और नहर के पानी के रिसाव के कारण कुओं के पानी में खारापन कम हो जाता है किन्तु नहर में पानी की कमी होने पर इन कुओं में पानी नीचे चला जाता है और खारापन बढ़ जाता है। यह सही है कि किले की दीवार के टूटने के कारण नहर मलबे से भर रही है जिससे उसमें पानी का भराव भी कम हो रहा है।

वर्ष 1974 से भरतपुर शहर को बंध बारेठा से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है तभी से नहर के आसपास के कुओं से विभाग पानी नहीं ले रहा है अतः किले की दीवार का टूटना व नहर का मलवे से भरना, जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग से कोई संबंध नहीं रखता है। यह मामला या तो आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेन्ट से या सार्वजनिक निर्माण विभाग से या नगर परिषद्, भरतपुर से संबंध रहता है। सन् 1960 से भरतपुर शहर को मलाह गांव के पास में नवनिर्मित 10 कुओं से पानी वितरण चालू किया गया परन्तु शहर की बढ़ती हुई आबादी एवं औद्योगिक विकास के कारण 1963 में एक पुनर्गठित योजना 35 लाख रुपये की एवं संशोधित योजना 1974 में 85.42 लाख रुपये की स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत इस योजना में एक लाख की प्रस्तावित आबादी को 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन, एम.ई.एस. एवं औद्योगिक क्षेत्र को भी अलग से 7 लाख गैलन प्रति दिन पानी देने का प्रावधान था। इस प्रकार 27 लाख गैलन प्रति दिन पानी की मांग को पूरा करने हेतु भरतपुर से दक्षिण दिशा में 44 किलोमीटर दूरी पर सिंचाई विभाग के बन्ध बारेठा को जल स्रोत रखा गया। बन्ध बारेठा से भरतपुर लगभग 73 फीट नीचे होने के कारण वहां से 24 इन्च की आर.सी.सी. पाइप लाइन द्वारा ग्रेविटी से मलाह हैड वर्क्स पर 22 लाख गैलन पानी लाया जा रहा है वह हैड वर्क्स पर स्थित 10 खुले कुए एवं दो नलकूपों से भी करीब पांच लाख गैलन पानी प्रति दिन लिया जा रहा है इस प्रकार कुल 27 लाख गैलन पानी प्रति दिन वितरित किया जा रहा है।

वर्तमान में नहर का पानी काफी दूषित हो रहा है क्योंकि आस पास की नालियों का व अस्पताल का गन्दा पानी इस नहर में आ रहा है। मलाह हैड वर्क्स के कुएं नहर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित हैं अतः इनकी क्षमता एवं पानी की क्वालिटी पर नहर के पानी का कोई प्रभाव नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किले की दीवार का टूटना व नहर का मलवे से भरना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि दीवार के टूटने से पेय जल वितरण में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है व वर्तमान में सुचारू रूप से भरतपुर नगर को जल वितरण किया जा रहा है।

Page No 111

111

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की पार्टली बात ठीक थी और पार्टली गलत थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मोशन था उसका सीधा सम्बन्ध भरतपुर में पीने के पानी से है। आप कह रहे हैं कि 20 गैलन प्रति व्यक्ति पानी वहां दे रहे हैं। तो सब के घर में टेप नहीं हैं। वह डिपेण्डेन्ट हो गये हैं पूरे साल के लिये। पानी भी आप 28 मील दूर से बारेठा में ला रहे हैं। उसको फिल्टर करेंगे। पानी कितना भी आप फिल्टर कर दें लेकिन वह गन्दा होता ही है इस पहलू को छोड़िये पर, अध्यक्ष महोदय, हर आम आदमी नल नहीं लगा सकता, हर आदमी को टेप की सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए यह कहना गलत है कि पानी की वहां पर समस्या नहीं है। पानी की वहां गंभीर समस्या है, अध्यक्ष महोदय। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि भरतपुर की किले की जो बनावट थी बाहर कच्ची दीवार थी, उसके बाहर कच्ची मोठ थी। वह दीवार और मोठ तो दोनों ही बरबाद हो गई। वह तो रपट गयी और उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया सरकार उनको रोक नहीं पाई। एक तो उससे पानी की समस्या पैदा हुई। दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो किला है उसके चारों तरफ जो दीवार है, मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, जब में पढ़ा करता था तो उसमें मैंने तैरना सीखा था। उसमें स्वच्छ और साफ पानी था। मन्त्री महोदय ने माना है कि भरतपुर में खारा पानी है। खारा पानी नहीं कड़वा पानी है कतई कड़वा पानी है। उसके वाटर टेबल को ऊंचा रखने का काम यह मोठ किया करती थी और पानी को मीठा रखने का काम भी यह मोठ किया करती थी। तो जो कुओं से गरीब आम आदमी पानी पीता था उस आदमी के लिए आज आपके पास कोई सोर्स नहीं है। भरतपुर में आज पानी नहीं है। भरतपुर में आप मलाह हैड वर्क्स से पानी जरूर ला रहे हैं। हैड वर्क्स पर 10 कुए बताये उनमें भी पानी नहीं है। आप बारेठा के बन्ध से गन्दा पानी लाकर पिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पीने के पानी की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है साथ ही हमारे सेन्टीमेन्ट्स भी इससे जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा किला है संसार का कि जो अंग्रेज दुनियां में हर जगह पर कॉलोनी बनाने में सफल रहे वह इसको जीत नहीं पाये। सात बार अटेक किया 1805 में। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में गूंज हुई तो गवर्नर जनरल ने सन्धि की, सोवरीन्टी मानी। और दुनियां में अंग्रेज कहीं हार कर गया तो वह भरतपुर में हार कर गया।

तो, अध्यक्ष महोदय, अब यह किस विभाग से सम्बन्धित है। हमने तो राज्य सरकार को दिया, अध्यक्ष महोदय। पी.एच.ई.डी. की तरफ से जवाब दे रहे हैं या राज्य सरकार की तरफ से दे रहे हैं, पी.एच.ई.डी. की है, इरिगेशन का है या आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेन्ट का है यह जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं अध्यक्ष महोदय। इसलिए जब तक आप उस किले की दीवार को और मोठ को ठीक नहीं करवायेंगे, उसमें पानी को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक आप वहां पर पूरी तरह से पानी की समस्या को नहीं मिटा पायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है

Page No 112

(112)

(श्री यदुनाथसिंह)
कि चाहे इसका किसी भी विभाग से संबंध हो केन्द्र के आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेंन्ट ने मान लिया है कि पैसा हम देंगे जितना भी रिपेयर में लगेगा तो राज्य सरकार को काम कराने में क्यों दिक्कत आ रही है ? बाबू जी के पास चिट्ठी मौजूद है उसकी···

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां के पीने के पानी की और सेन्टीमेंन्ट्स की समस्या जो पैदा हुई है उसको रोकने के लिए जब तक आप दोनों मोठ को रेस्टोर करके साफ नहीं रखेंगे तब तक सब लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज आप टैप पर डिपेण्ड हो गए। टैप हर आदमी नहीं लगा सकता है इसलिए बहुत जरूरी है कि मोठ को वापिस रेस्टोर किया जाये और सफाई करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर। संक्षेप में।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में मंत्री महोदय को पहले तो यह कहना चाहूंगा, उनको यह नहीं कहना चाहिए था कि इस डिपार्टमेन्ट से संबंधित नहीं है। हमने तो सरकार को दिया है, सरकार को जवाब देना है। निश्चित बात यह है कि इतना ऐतिहासिक और विख्यात किला है यह कि सन् 76 में प्रोटेस्टेड नेशनल मानुमेंन्ट्स डिक्लेयर हुआ। किला और किले की मोठ के और चारों तरफ दीवार है, वह सब पहले सीमित रूप से प्रोटेक्टेड थी लेकिन प्रोटेक्टेड थी। 1976 में यह प्रोटेक्टेड हुआ डिक्लेयर हुआ 1980 में इसकी दो बुर्ज गिर गयीं तब से यह समस्या सामने खड़ी हुई है। कई शर्त लगाई गई थीं उसमें 3 शर्तें थीं जो केन्द्र ने लगाई थीं कि जिसके आधार पर····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा सा कहने दीजिए इस पर

तीन शर्तें थीं। पहले तो यह थी सारे शहर का ड्रेनेज ठीक करेंगे जिससे कि गन्दा पानी इसमें नहीं आये। दूसरी यह थी, किले की मरम्मत वह करायेंगे। लेकिन किले की मरम्मत कराने से पहले नहर की सफाई करके इस काबिल कर दें कि उनके मजदूर काम कर सकें वरना सब जगह बफर डैम्स बनाने पड़ेंगे, वह बहुत कास्टली होंगे। इसलिये पानी निकालना था उसकी मरम्मत के पहले। तीसरी यह थी, आईंदा जब कभी नहर बनेगी, चारों तरफ सड़क को ठीक करेंगे, सड़क का ढलान होगा, ड्रेनेज को ठीक करेंगे ताकि इनके जरिये गन्दा पानी नहीं आये। यह तीनों काम करने थे यह अन्डरटेकिंग गवर्नमेंट की है लेकिन मुझे अफसोस है, सन् 1976 से लेकर आज तक तिल भर भी इस पर काम नहीं हुआ जिससे कि पानी.

श्री परसराम मदेरणा : किस सड़क की मरम्मत की बात कर रहे हैं।

श्री राजबहादुर : मैं मरम्मत की बात नहीं कह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : आप तो बात कह रहे हैं।

श्री राजबहादुर : जो किले की दीवार है उसकी मरम्मत की बात कह रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूँ, जैसा आपने एडमिट किया है टेप वाटर सिस्टम से नहर के पानी को सप्लीमेंट करने वाला यह वाटर था। अगर नहर का पानी गन्दा रहेगा, नहर सड़ती रहेगी तो पानी नहीं मिल सकता। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते कि जोइन्ट एण्ड कलैक्टिव रेसपांसिबिलिटी जहां है सोर्स यह भी है पानी का, शहर के लिये उतना ही जरूरी है इसलिये मैं यह कह रहा हूं इस बात को फिर यह दलील दी गई कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने फिर अर्ज किया, निवेदन किया, दरख्वास्तें दीं, चिट्ठियां लिखीं, हमारे पास केन्द्रीय सरकार से यह आ गया कि जो भी पैसा इसकी मरम्मत पर खर्च होगा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को देगी। उन्होंने कहा है, इनके पी. डब्ल्यू. डी. को, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता लेकिन तारीख वारीख बता देता हूँ। तारीख है जुलाई 20, 1982। मीर नसीरूल्ला हैं, एडिशनल सैक्रेटरी, डिपार्टमेंट आफ आर्क्योलोजी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली। उन्होंने यह कहा है :

"It has been decided to hand over the work to the State Public Works Department. The Archaeological Survey of India has addressed a letter to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur; on June 21, 1982 for execution of the work of repair of the moat through the concerned State department. Necessary funds for the execution of the work will be made available to the State Government by the Archaeological Survey of India."

यह क्लीयरली वहां से आ चुका है। सन् 82 की जून से लेकर आज पूरे 9 महीने हो गये हैं, 82 में यह तय हुआ था उससे पहले यह बात चल रही है सन 76 से। मैं पूछना चाहता हूँ have you moved one inch to get it restored and get the money from there ? आपने कहा हमने तख्मीने बना लिए। तख्मीने बन कर कब आयेंगे, कब मंजूर होंगे क्या होगा ?

इसी बीच में एक बात और बता दूं, सारा किस्सा प्रोटेक्टेड मान्यूमेंट है लेकिन उसके अन्दर कई मकान बन गए थे। सैन्ट्रल आर्क्योलोजी डिपार्टमेंट ने कहा, मकानों को तुड़वाइये। उनको हटाइये उनको हमने रोका कि यह पहले बन चुके हैं। कमिटमेंट हो चुका है लेकिन अब क्या हो रहा है। यह मेरे पास एक लैटर आया है फोर्ट हाऊसिंग एसोसियेशन की तरफ से, उसमें कहा है, भरतपुर दुर्ग में एक मन्दिर है जिसे दरियाव मोहन जी का मन्दिर कहते हैं। बहुत विख्यात मन्दिर है। इसके सामने बड़ा मैदान है जो काम आता था सभाओं के, रास मण्डली की रास लीला के, उस पर नाजायज कब्जा हो गया है। उसमें टान डाल दी गई है, उसके बाद मकान बनाये जा रहे हैं। हममें यह भी नहीं हो रहा है कि उन्हें रोकें। भरतपुर के एतिहासिक किले का जो मिट्टी का डण्डा था उसमें बड़े बड़े लोगों ने कोठियां बना लीं, दुकानें बना लीं फिर उसके बाद छोटों ने बना लीं

Page No 114

(श्री राजबहादुर)
न बड़ों की तोड़ी गई न छोटों की तोड़ी गई। उनके खिलाफ पुकारने वाला कोई नहीं है। सबके मुंह बन्द थे। एक आध आवाज जो उठी थी वह भी दबा दी गई थी। आज डण्डे और दुर्ग में अतिक्रमण हो चुके। आज दरियाव मोहन के मन्दिर के सामने जो किशोरी महल है··

श्री अध्यक्ष : आपका जो विषय है उस तक ही सीमित रहें।

श्री राजबहादुर : मैं जानना चाहता हूं यह बैठे हैं मिस्टर कल्ला, जो मंत्री हैं··

श्री अध्यक्ष : तत्काल वह जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री राजबहादुर : लेकिन यह तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यह महसूस करना पड़ेगा। अतिक्रमण को रोकें, कम से कम इतना तो कह सकेंगे मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, अलग अलग विभागों से यह सम्बन्धित है। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह उठाया। ज्यादा उचित रहता कि किले की मरम्मत का काम आर्क्योलोजी डिपार्टमेंट से सम्बन्द्ध है··

श्री राजबहादुर : हमने अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश की है··

श्री अध्यक्ष : इसकी जो मोठ है वह कायम रहे जिससे पानी मीठा बना रहे, इसका अन्य मंत्री जी से सम्बन्ध है, पेयजल से उसका सम्बन्ध है। बहुत से प्रश्न एक साथ हो गए हैं. यह पर्याप्त है आपने महत्व दे दिया इसको चर्चित कर दिया। मंत्री जी

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह (बयाना) **: अध्यक्ष महोदय**, एक मिनिट··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : जिस बन्ध का जिक्र किया है वह मेरे क्षेत्र का है··

श्री अध्यक्ष : आपका क्षेत्र का होने से यह चर्चा का विषय नहीं हो जाता। आपके क्षेत्र का था तो प्रश्न उठाने की कोशिश करते, साहब, यह तकलीफ हो रही है··

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री जगनसिंह : उधर पब्लिक पिसाई मर रही है, अध्यक्ष महोदय··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। मंत्री जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। समय चला गया··

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) **:** जन स्वास्थ्य से कितना सम्बन्ध है पेयजल समस्या का··

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : एक मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा, एक मिनट दे दीजिए··

श्री हरिसिंह : दो मिनट लेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके··

श्री अध्यक्ष : आपने स्वीकार कर लिया कि इसके पास कुए कुइयां होती हैं उनका पानी इससे मीठा होता था लेकिन इनका कहना यह है कि दूर से नलों से प्रोटेक्टेड,

(श्री अध्यक्ष)
क्लोरीनेटेड वाटर ला कर स्वच्छ पानी पिला रहे हैं। यह सब प्रश्न आ गये हैं··

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : इसके चारों तरफ 51 कुएं थे--

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है··

श्री हरिसिंह : 51 कुओं से पानी सप्लाई होता था··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। ऐसा है, पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का सीधा सम्बन्ध जो सरकार द्वारा योजनायें चलाई जा रही हैं उनसे है। इसमें तीन-चार विषय निहित हैं। एक ऐतिहासिक महत्व का है, वह अलग बात है। दूसरा ग्राउण्ड वाटर है वह मीठा होता था।

(व्यवधान)

इसका सम्बन्ध पी.एच.ई.डी. से सीधा नहीं है··

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आप इसको सीमित करना चाहते हैं। हमने आपको कब निवेदन किया था सीमित कर दीजिए--

श्री परसराम मदेरणा : जोर जोर से चिल्लाकर किसको डराना चाहते हैं। इस सदन के कुछ नियम बने हुए हैं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय बैठ जायें।

किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत होती है तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यहां चर्चा उठाई जाती है। कोई विषय महत्वपूर्ण होता है उसके उठाने के पश्चात् सभी माननीय सदस्य यह महसूस करने लग जायें कि यह तो महत्वपूर्ण विषय है तो इस सदन में कौन सा महत्वहीन विषय आता है, सभी महत्वपूर्ण विषय आते हैं। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं लेकिन आखिर समय का ध्यान रखना पड़ता है। इतना समय हो गया। अब वक्तव्य और भी आने हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को समय का ध्यान रखना चाहिये।

श्री राजबहादुर : इस पर केवल 15 मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या निवेदन करूं। आप बोलें, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यह मुझे समझाने की बात नहीं है।

श्री राजबहादुर : एक बात आप ने कही, उन्होंने भी कही है उसके बारे में कहना चाहता हूं··--

श्री अध्यक्ष : अगर सच माना जाये, पी. एच. ई. डी. का सम्बंध इससे नहीं बनता है। किसी काम का नहीं बनता है। यह मैं और बता दूं, । आप चर्चा करना चाहते तो चार पांच स्थगन प्रस्ताव लाते, ऐतिहासिक महत्व का है आर्क्योलोजी डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग या सांस्कृतिक विभाग

(श्री अध्यक्ष)

इसका संबध है, यदि ग्राउन्ड वाटर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उसका संबंध इरिगेशन से हो सकता है। अण्डर ग्राउन्ड वाटर से होता है जो सर्वे करके बता दें कि पानी इसकी वजह से खारा होता है या इससे मीठा होता है। यदि पेयजल का संबंध है तो पेयजल विभाग का एक बजट बना हुआ है, एक नीति बनी हुई है, कौन से साधन हैं मान्यता प्राप्त, किन साधनों को विकसित करके इन्होंने योजना बनाई है, किन किन गांवों को, कस्बों को उसमें ले रहे हैं। इसका उत्तर वह दे सकते है। कोई घटना घट जाये, माननीय सदस्य, उसके बारे में·····

एक माननीय सदस्य : घटना नहीं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह कोई डिबेट कम्पलीट नहीं हो सकती है। हाउस में सभी महत्वपूर्ण विषय आते हैं, मैं खुद मानता हूं। लेकिन क्योंकि एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठा दिया तो कहें कि साहब, हमारे जिले का प्रश्न हो गया। साहब, इसका सम्बंध पेयजल समस्या से हो गया। आखिर आप मेरी कठिनाई के बारे में विचार कीजिये। सही मायने में जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार मैं व्यवस्था कर सकता हूं। पर्याप्त तो यही होता कि यहां मंत्री महोदय कह देते साहब, हमारे विभाग से संबंध नहीं है। लेकिन इन्होंने मेहरबानी करके, सदन की, हमारी और सब की बात रखते हुए यहां वक्तव्य दे दिया वरना कह देते यह हमारी योजना में आया हुआ नहीं है इसलिये हमारे से इसका कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से जो 21-6-82 को एडीशनल सैक्रेटरी आर्क्योलोजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने जो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है··

श्री अध्यक्ष : उसका मंत्री महोदय से संबंध नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास है 11 मार्च, 1983 को शिक्षा विभाग ने आपके पास भेजी है···

श्री अध्यक्ष : वह फिर विषय हो जायेगा चर्चा का। आप कृपया अपने विभाग का ही बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : उस सम्बन्ध में लिखा है कि यह पुरातत्व विभाग को काम करना था और अब सार्वजनिक विभाग काम करने की बात सोच रहा है। ऐसी बात उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट में की है। यह मैंने रिकार्ड से देखा है। एक-दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि पी. एच. ई. डी. का सम्बन्ध नहीं है लेकिन भरतपुर की भावना, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं से निश्चित तौर पर इस नहर का सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : उसमें गन्दा पानी न जाय, उसमें तो आपका सम्बन्ध है।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

श्री यदुनाथसिंह : Sorry.

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच जो कार्यवाही चल रही है उसकी तो मुझे अभी जानकारी है नहीं। जानकारी प्राप्त करके उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, भरतपुर की जो अन्दर वाली दीवार है और जो बाहर वाली दीवार है··

श्री अध्यक्ष : दीवार गिरने से पेय जल समस्या खड़ी हो गई है, इसका उत्तर फर्मा दें।

श्री परसराम मदेरणा : वही बात कह रहा हूं अब पेय जल के बारे में कह रहा हूं 17 कुए जो नहर के पास थे··

(व्यवधान)

केवल 17 कुए··

(व्यवधान)

आप तो 70 कह देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : 51 कुए।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं आपके कहने से नहीं मान सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं नक्शे को भी सदन की मेज पर रखता हूँ जिसमें 17 कुए ही अंकित किये गये हैं। अगर कोई विभाग मुझे मिसलीड कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हाउस इस पर विचार कर सकता है। मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं··

आपके कहने से नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

पहले कोई कुए होंगे या दूर होंगे कोई। नहर के आस पास के कुओं की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल। जहां तक शहर का सवाल है, पी. एच. ई. डी. ने नौ हजार दो सौ पानी के कनेक्शन दे रखें हैं। इस शहर में 110 पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट हैं जहां से लोग पानी भर सकते हैं। ये कुओं की बात कह रहे थे। कुओं में भी, अध्यक्ष महोदय, अभी टी. डी. एस. है वह है करीब 5,500 मिलिग्राम प्रति लीटर है। पर्मिसेबल लिमिट जो है वह 1500 मिलिग्राम प्रति लीटर की है। इसका मतलब इन कुओं का पानी पीने के लायक नहीं है। अगर पीने के लायक नहीं है तो मैं भरतपुर की जनता को भरतपुर के प्रतिनिधियों के मार्फत यह निवेदन करूंगा कि यह पानी नहीं पियें। यह शरीर के लिये बहुत हानिकारक है, मुझे यही कहना है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है

(व्यवधान)

आम आदमी के पीने का नहीं है तो··

(व्यवधान)

गन्दी नालियों का पानी शहर का माना है तो फिर पी. एच. ई. डी. क्या कर रहा है··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक दीवार के टूटने से खाई में पानी नहीं भरे जाने से कुओं में पानी कम हो गया है उस स्थिति के बारे में विचार करने के बारे में यह स्थगन प्रस्ताव था। मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया ··

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव पढ़िये ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। कृपया सदन का समय न लें। आधे घन्टे की चर्चा। सुश्री पुष्पा जैन। दो और माननीय सदस्यों के नाम हैं वह समर्थक हैं चर्चा एक ही माननीय सदस्य उठाते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन में 10 मार्च को ···

श्री राजबहादुर : मैं आपसे अर्ज कर लूंगा, निवेदन कर लूंगा। हमने पत्र दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया है सैक्रेटरी महोदय को। मैं रिकार्ड से जानकारी करना चाहता हूं, जो प्रोसीजर आपने बताया है उसमें मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं हमने प्रस्ताव दिया है सैक्रेटरी को। यह उनका कर्तव्य था। हमने नामजद नहीं भेजा था···

श्री अध्यक्ष। यह रिकार्ड हो रहा है, जो आप फरमा रहे हैं।

श्री राजबहादुर : जोइन्ट रेस्पान्सिबिलटी है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है।

आधे घन्टे की चर्चा

राज्य से बाहर गेहूं के जाने के जारी किए गए परमिट

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को इसी सदन में एक तारांकित प्रश्न मैंने पूछा था। सन् 1982-83 में खाद्य विभाग के द्वारा किस किस व्यक्ति को अथवा संस्थान को राज्य से गेहूं बाहर ले जाने के हेतु कितना कितना गेहूं का कब कब परमिट दिया गया और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें। जो तालिका सदन की मेज पर आई है, अध्यक्ष महोदय, उसमें पांच फर्मों को गेहूं बाहर ले जाने के लिए परमिट जारी किए गए जिसमें मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-22, नई अनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ें कितना गेहूं।

सुश्री पुष्पा जैन : छः हजार क्विन्टल और परमिट जारी हुआ 16-12-1982 को..

श्री अध्यक्ष: और दूसरा कौनसा है, पूरी सूची पढ़ दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : श्री करतारसिंह वल्द श्री जवाहरसिंह कौम पाछी, श्री गंगानगर 17-8-1982, इनको चार बोरी निजी उपयोग हेतु। श्री बी. एस. खडकर, मैनेजर कार्मिक, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड जयपुर 15-10-82, इनको 10 बोरी निजी उपयोग हेतु दिल्ली से स्थानान्तरण होने पर। श्री एस. पी. मूंगिया भूतपूर्व प्रोफेसर

(सुश्री पुष्पा जैन)

ऑफ फिजियोलोजी, जे. एल. एन. मेडिकल कालिज, अजमेर 5-11-82 एक बोरी निजी उपयोग हेतु स्थानांतरण होने पर। मैसर्स यूनिवर्सल सीड्स एन्ड फर्टिलाइजर्स, 6741 रिलीफ रोड, अहमदाबाद 11-11-82-80 क्विन्टल गेहूं बीज कोटा से अहमदाबाद। अब मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-22 नई अनाज मंडी, चान्दपोल बाजार, जयपुर 16-12-82 छः हजार क्विन्टल। अध्यक्ष महोदय, इसमें खास बात जो गौर करने की है वह यह है कि संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन ही एक ऐसी फर्म है जिसे छः हजार क्विन्टल सबसे अधिक अनाज बाहर ले जाने का परमिट दिया गया। बाकी किसी को एक बोरी, किसी को दो बोरी, किसी को 5 बोरी और किसी को 10 बोरी और अधिक से अधिक 80 क्विन्टल...

(व्यवधान)

यह दूसरा क्वेश्चन है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह 6 हजार क्विन्टल जो इन्होंने दिया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं इस पर गौर करवाना चाहूंगी महोदय, भरतपुर में ऊंचा नंगला चैक पोस्ट पर 14 तारीख को सुबह चार बजे एक छापा पड़ा, उस छापे में 8 ट्रक अनाज को पकड़ा गया। पकड़ा इसलिये गया कि बिना किसी कानून के, बिना किसी अधिकार-पत्र के वह अनाज राजस्थान की सरहद से बाहर, यू. पी. और बिहार ले जाया जा रहा था। अनाज पकड़ा गया; उसकी एफ. आई. आर. लॉज हुई। मैं सुविधा के लिये उसको पढ़ना चाहूंगी। 8 ट्रक पकड़े गये और 8 एफ. आई. आर. लॉज हुई जिसमे...

श्री अध्यक्ष : ये कौनसी तारीख को पकड़े गये हैं ट्रक ?

सुश्री पुष्पा जैन : 13 और 14 तारीख की सुबह चार बजे।

श्री अध्यक्ष : और यह कब इश्यू हुआ है अपना लाइसेन्स ?

सुश्री पुष्पा जैन : 16 को।

श्री अध्यक्ष : लाइसेन्स ?

सुश्री पुष्पा जैन : 16-12 को परमिट इश्यू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : और यह बोर्डर पर पकड़ा गया है ?

सुश्री पुष्पा जैन : बोर्डर पर पकड़ा गया है। ऊंचा नंगला चैक पोस्ट, भरतपुर जो यू. पी. और राजस्थान की सरहद पर है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एफ. आई. आर. 317/82 विरुद्ध मैसर्स संजय ट्रेडिंग कोरपोरेशन, चान्दपोल बाजार, जयपुर के द्वारा ट्रक न. यू. टी. आर. 4462 में राजस्थान से बिहार प्रान्त को अवैध रूप से गेहूं भेजने के क्रम में अभियोग राजस्थान गेहूं एक्सपोर्ट कन्ट्रोल आदेश 1981 के क्लाज (3) का उल्लंघन करने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत हालात एफ. आई. आर. में है। दिनांक 13-12-82, 14-12-82 को रात्रि समय 4 ए. एम. श्री आर. के. मीणा ए. सी. टी. ओ. इन्चार्ज ऊंचा नंगला चैक पोस्ट वाणिज्य कर विभाग की सूचना के आधार पर कि राजस्थान से बिहार प्रान्त को गेहूं

Page No 120

(120)

(सुश्री पुष्पा जैन)

बिना परमिट के अवैध रूप से ले जाया जा रहा है, जिला रसद अधिकारी, भरतपुर मय प्रवर्तन स्टाफ ऊंचा नंगला चैक पोस्ट पहुंचकर ट्रक नं. यू. टी. आर. 4462 की जांच की। जांच करने पर पाया कि उक्त ट्रक में गेहूं 250 बोरे 40 के. जी. बिल्टी नं. जी. जी. आर. न. 12228, दिनांक 11-12-82 आगरा फर्रुखाबाद ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी जयपुर द्वारा बिहार जा रहा है। उक्त ट्रक यू. टी. आर. 4462 जयपुर से मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन; चान्दपोल बाजार, जयपुर से गेहूं लाया जा रहा है जिसका प्राप्तकर्ता बिहार स्टेट को आपरेटिव मार्केटिंग यू. पी. को भेज कर डेस्टीनेशन सारखेला बिहार बिल्टी पर अंकित है। ट्रक के साथ चालान नम्बर 2815 संलग्न है। साथ ही मैसर्स संजय कोरपोरेशन जयपुर का लिखित पत्र संलग्न है। चूंकि गेहूं राजस्थान प्रान्त से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध है तथा मैसर्स संजय ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर का कोई निर्यात परमिट या राज्य सरकार का आदेश मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, फर्म को गेहूं राज्य से बाहर ले जाना अवैध है। अतः फर्म द्वारा राजस्थान व्हीट एक्सपोर्ट कन्ट्रोल आर्डर 1981 की धारा 3 व आदेश राजस्थान राज्य सरकार वाणिज्य कर विभाग का उल्लंघन है। अतः उक्त ट्रक यू. टी. आर. 4462 में गेहूं 250 बोरे उक्त आदेश के उल्लंघन में जब्त किये गये। अतः मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, जयपुर के द्वारा जयपुर से बिहार प्रान्त को बिना परमिट के गेहूं भेजकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया जिसमें फर्म की बदनीयति, मेलाफाइड इन्टेंशन प्रतीत होती है। अतः फर्म व फर्म के भागीदारों के विरुद्ध राजस्थान गेहूं एक्सपोर्ट कन्ट्रोल आदेश, 1981 के क्लाज 3 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत आवश्यक कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, इसके साथ जो दूसरी एफ. आई. आर. है, 318/82 है, उसका मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहूंगी, बाकी छः को मैं नहीं पढ़ूंगी।

श्री अध्यक्ष : कौन सी तारीख की है यह एफ. आई. आर. ?

सुश्री पुष्पा जैन : वहां 13 और 14 तारीख की सुबह चार बजे की है।

श्री अध्यक्ष : 13 और 14, दोनों की सुबह नहीं हो सकती या तो 13 की होगी या...

सुश्री पुष्पा जैन : 14 तारीख की सुबह चार ए. एम....

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. में ए. एम., पी. एम. लिखा होता है, वह कितने बजे की है।

सुश्री पुष्पा जैन : वह पढ़ दूंगी। अभी फर्माया 14-12-82 को रात्रि समय 4 ए. एम.।

श्री अध्यक्ष : 14 रात्रि को 4 ए.एम. ?

सुश्री पुष्पा जैन : चार ए. एम.।

श्री अध्यक्ष : और यह परमिट कब इश्यू हुआ बताया है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 16-12-82 को। इधर 14-12-82, इधर 16-12-82। अध्यक्ष महोदय, यह 6 हजार क्विंटल गेहूं पकड़ा गया। अब उधर छः हजार क्विंटल गेहूं के लिए संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन का परमिट जारी किया गया। आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा सवाल किया था, परमिट प्राप्त करने वालों के आवेदन-पत्र कब-कब प्राप्त हुए ? जवाब आया, संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन के लिए 16-12-82 को हकीकत इससे अलग है।

श्री अध्यक्ष : और कितनों ने आवेदन किया है ? किस-किस तारीख को किया है ?

सुश्री पुष्पा जैन : श्री करतारसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह, कौम पाछी, गंगानगर, 24-7-82 को...

श्री अध्यक्ष : कितने-कितने टन का ?

सुश्री पुष्पा जैन : इस उत्तर में नहीं बताया गया है। शायद वह भी श्री बी. एस. खडकर 11-10-82 मैनेजर कार्मिक, गंगानगर शुगर मिल्स लि.; जयपुर, मैसर्स यूनिवर्सल सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, 6741 रिलीफ रोड, अहमदाबाद 4-11-82, श्री एस. वी. मूंगिया, भूतपूर्व प्रोफेसर आफ फिजियोलोजी, जे. एल. एन. मैडीकल कालेज अजमेर 5-11-82, मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन बी–22, नयी अनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर 16-12-82। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा दूसरी पार्टियों को जो अनाज का, गेहूं का परमिट दिया गया, वह अधिक से अधिक 80 क्विंटल का था और सिर्फ ..

श्री अध्यक्ष : 80 की ही उन्होंने दरखास्त दी होगी।

सुश्री पुष्पा जैन : हां। उन्होंने 80 की दरखास्त दी थी। इन्होने 6 हजार क्विंटल की दरख़ास्त दी किन्तु...

श्री अध्यक्ष : व्यापार करना चाहता होगा, किन्तु क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 6 हजार क्विंटल अनाज पकड़ा गया था, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए उन्होंने 16 की तारीख दी लेकिन तारीख थी इससे हटकर। अध्यक्ष महोदय, साजिश यह थी कि 11 तारीख को तारीख लगायी जाय। 14 का जो वाकया हुआ, 14 के वाकये को जो कानूनी जामा पहनने के लिए 11 वो दरख्वास्त को एन्टरटेन किया गया और उसको 16 तारीख को परमिट दिया गया। लेकिन सारे अखबारों में यह बात आ चुकी थी, चारों तरफ हवा फैल चुकी थी चुनांचे डर लगा अधिकारियों को और मन्त्री महोदय को कि इसमें पकड़े जायेंगे, अन्देशा है इस बात का, लिहाजा उन्होंने उस दरखास्त को 16-12-82 को लेना एडमिट किया। अगर मन्त्री महोदय उस दरखास्त को पेश करेंगे, सदन में ...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मन्त्री महोदय ने जिस दिन दरख्वास्त पेश हुई उस दिन दे दी हो और उससे पहले दिन पकड़ा गया। किसी के पास अनलाइसेंस्ड कोई बीपम हो हो तो जिस तारीख को पकड़ा जाय, उस

(श्री अध्यक्ष)

दिन तो उसके पास लाइसेंस नहीं हो और बाद में अगर लाइसेंस बना दें तो बाद के लिए तो सही है, पहले के लिए नहीं है तो वह बच थोड़े ही सकता है।

सुश्री पुष्पा जैन : उसी वीपन, जिससे उसने मर्डर किया है, को कानूनी जामा पहनाने के लिए बाद में परमिट दे रहे हैं,··

श्री अध्यक्ष : कानूनी जामा पहनाना तो तब होता जब 13 का काट देते और आप साबित कर देतीं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं साबित कर दूंगी।

मेरा तीसरा सवाल था, किस किसको परमिट नहीं दिये गये हैं और क्यों? उत्तर है, निम्नांकित व्यक्ति/संस्थाओं को उनके सामने अंकित कारणों से परमिट नहीं दिये गये :

मैसर्स पुरुषोत्तम दास अंजनी कुमार, दयानन्द मार्ग, श्रीगंगानगर। अब परमिट क्यों नहीं दिया गया इन्हे? राज्य एवम् जन हित में परमिट नहीं दिये गये।

मैसर्स लीलाधर कन्हैयालाल, हनुमानगढ़, राज्य एवम् जनहित में परमिट नहीं दिये गये।

मैसर्स बद्रीप्रसाद सांवरमल, श्रीगंगानगर, राज्य एवं जनहित में परमिट नहीं दिये गये।

मैसर्स कृषि व्यवस्था, जौहरी बाजार, जयपुर, जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा अवैध रूप से गेहूँ राज्य से बाहर ले जाते हुए पकड़े जाने पर परमिट नहीं दिया गया। यह गौर करने लायक है, अध्यक्ष महोदय।

प्रिक्योरमेंट आफिसर टी.एन.सी.सी.एफ. लिमिटेड, मद्रास, गेहूं उपलब्धि एवम् मूल्य प्रभावित होने के कारण परमिट नहीं दिया गया :

अध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से दूसरी फर्मों को परमिट नहीं दिये गये, वह सारे के सारे कारण एक साथ संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन में निहित थे। वह पकड़ा गया तब इसको 16 तारीख को परमिट जारी किया गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं 16 को दरख्वास्त लगी, दिल्ली दरख्वास्त लगी, दिल्ली में ही उसे एन. ओ. सी. दे दिया गया। न कोई रिपोर्ट उस दरख्वास्त पर, न उसको एग्जामिन किया गया। जबकि कायदा यह है कि कोई भी परमिट के लिए साधारणतया अगर दरख्वास्त दी जाती है, यदि कोई कारपोरेशन या अर्ध सरकारी संस्थान दरख्वास्त दें तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल करने में ही दो चार दिन का वक्त तो लगता ही होगा। जयपुर में पार्टी नहीं, जयपुर में अधिकारी नहीं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में ही एन. ओ. सी. मिल रहा है, दिल्ली में उसी तारीख को परमिट जारी करने के आदेश हो रहे हैं। राजस्थान हाउस से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे सारी की सारी स्थिति संदेहास्पद हो जाती है, 2 हजार क्विंटल बोरी उन्होंने भरतपुर से ले जाना बताया, जो एफ. आई. आर. है, चार हजार क्विंटल बोरी जयपुर से ले जाना बताया। तो परमिट दिया गया उसमें यहां की यही चीज अंकित है कि दो हजार क्विंटल का परमिट आपको

(सुश्री पुष्पा जैन)

भरतपुर से और 4 हजार क्विटल का परमिट आपको जयपुर से। अब इसमें संशय कहां बाकी रहा कि गैर कानूनी जो घटना हुई, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए इन्होंने यह परमिट जारी किये? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी 175 ट्रक उस सरहद से पार हो चुके हैं। यदि देखना चाहें तो राजस्थान, यू. पी. के बोर्डर अछनेरा चैक पोस्ट पर इंद्राज देखा जा सकता है, 50 ट्रकों का इंद्राज उसमें दर्ज है और बाकी ट्रकों का इंद्राज भी वहां की चैक पोस्टों में दर्ज है······

श्री अध्यक्ष : तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें गेहूं गया है ?

सुश्री पुष्पा जैन : हां लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं ट्रकों के नम्बर मिलते होंगे, गेहूं लिखा हुआ है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अब, अध्यक्ष महोदय, इस गेहूं का··

श्री अध्यक्ष : यह माल पकड़ा है, उससे पहले····

सुश्री पुष्पा जैन : इस पकड़े जाने से पहले····

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : 175 ट्रक गेहूं निकल गया, जो बोर्डर पर दर्ज है।

सुश्री पुष्पा जैन : अछनेरा चैक पोस्ट पर। अध्यक्ष महोदय, जिस गेहूँ को इन्होंने बीज बताकर परमिट हासिल किया उस गेहूं को डी. एस. ओ., भरतपुर ने टेस्ट के लिए भेजा लैबोरेट्री में वहां से जो जांच रिपोर्ट आयी उसमें स्पष्टतौर से उन्होंने लिखा कि यह गेहूँ बीज के लिए, सीड के लिए कदापि ठीक नहीं है। वैसे खाने के लिए ठीक है। सब जगह गफलत, सब जगह जाली चीज, फर्जी उसके बावजूद परमिट दे दिया गया। तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है ? पर्दे के पीछे सारा खेल कौन खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जिस समय गेहूँ की तस्करी हो रही थी, तस्करी होने से पहले राजस्थान में गेहूँ के भाव क्या थे 215 रुपये प्रति क्विटल। यू.पी. और बिहार में 237 रुपये थे। 22 रुपये का नफा उन पार्टियों ने किया और हजारों का किया···

श्री अध्यक्ष : किराया भी तो लगता है, माननीय सदस्या।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किराया काट कर।

श्री अध्यक्ष: किराया लगता है उसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किराया तो 8 रुपये लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अन्य खर्चे भी होते होंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन की एक फर्म नहीं है, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी अलग-अलग फर्मों के नाम से व्यापार कर रही है। राजस्थान कामर्शियल कारपोरेशन, कृषि व्यवस्था जिसके पास आज भी लाइसेंस नहीं है। परम सहकारी उपभोक्ता भण्डार वंशीधर रामगोपाल, जो लाइसेंस धारी हैं

Page No 124

(124)

(सुश्री पुष्पा जैन)

अधिकृत रूप से, वह गेहूँ का काम नहीं कर सकते। लाइसेंस लेकर दुकानें राशन की चला रहे हैं लेकिन गेहूँ का व्यापार कर रहे हैं, गेहूँ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, राजस्थान बारदाना भण्डार, रामस्वरूप रमाशंकर। अध्यक्ष महोदय, जब, एफ.आई.आर. के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई तो इन सातों फर्मों का रिकार्ड एक ही अलमारी से जब्त किया गया।

श्री अध्यक्ष : अपने भी कई तरह की संस्थायें चला रहे है। फलां युवक संगठन और फिर युवक कृषक संगठन और फिर खेलकूद संगठन। इस तरह की कई फर्में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, क्या उनका रिकार्ड भी एक ही जगह रहना चाहिए ?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, चिट्ठियों में कोई डेस्टीनेशन नहीं है। माल कहां गया ? वहां भेजा जा रहा था माल। माल कहीं नहीं भेज रहे थे, माल एक ही जगह भेज रहे थे। अध्यक्ष महोदय, पुलिस केस को रफा दफा करने की कार्यवाही की गई। आज अगर आप जा कर के देखेंगे तो सारा का सारा गेहूँ का आटा बना दिया है। इन लोगों ने यह सोचा कि इस तरह से पुलिस केस रफा दफा करवा देंगे। 16 तारिख का परमिट हासिल कर लेंगे। लिहाजा दिखा देंगे कि गेहूं का परमिट है, सारी की सारी कार्यवाही अधिकृत रूप से की गई है। अध्यक्ष महोदय, जिस फर्म से इसका सौदा हो रहा था बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ समिति, पटना। इस फर्म को इन्होंने अनाज देना बताया। उन्होंने 16-12-82 को परमिट हासिल किया। अगर इस फर्म को अनाज देना था तो इनका एग्रीमेंट लैटर है संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ, उसकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी। "दस हजार क्विंटल सत्यापित गेहूँ, बीज सोनालिका का आपूर्ति आदेश। मेसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-22, न्यू ग्रेन मण्डी, चांदपोल, जयपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये आफर के अनुसार 10000 क्विंटल सत्यापित गेहूं बीज (सोनालिका) का आपूर्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है। वितरण सूची अलग से निर्गत की जा रही है।"

अब शर्तें क्या हैं अध्यक्ष महोदय :

"ये सारे बीज निर्दिष्ट स्थानों पर 7-12-82 तक आप के द्वारा अवश्य पहुँचा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, शर्तों के अनुसार 7-12-82 को उनके पास पहुँच जाना चाहिए था। इसके मायने साफ हैं कि यह गेहूं वहां भी नहीं भेजा जा रहा था। यह गेहूँ का खुले तौर पर व्यापार कर रहे थे। यह सारी की सारी फर्जी कार्यवाही हो रही थी। फिर उन्होंने नीचे कहा:-

"गेहूं बीज का क्रय दर रु. 337.00 प्रति क्विंटल एफ. ओ. आर. बिस्कोमान डिपो होगा।"

(सुश्री पुष्पा जैन)

अब 337/- रु. क्विंटल जिसको मिल सकता है तो वह यहां 215) रु. क्विंटल क्यों बेचे, जिस राज्य में जनता अकाल से पीड़ित है, रोज लोग भूख से मर रहे हैं. आज जैसलमेर का मुद्दा उठा था, जैसलमेर के लोग भूख से मर गए, शेरगढ़ में लोग भूख से मर गए, बाड़मेर में लोग भूख से मर रहे हैं, उस राज्य में अधिकारियों और मन्त्रियों की मिलीभगत से तस्करी हो गेहूं की, मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सच बात है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। मेरे ख्याल से समय आधा घण्टे के लगभग होने को है। मन्त्रीजी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या। आधा घण्टे की चर्चा थी जो आधा घण्टा हो जाएगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह बीज का मामला है। मैं दो मिनिट में ही अपनी बात कहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आपको अवसर दें तब ना।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि खाद्य विभाग ने जांच बिठाई। उस जांच के तहत उन्होंने रिकार्ड मांगा फर्म से। फर्मों ने रिकार्ड नहीं दिए। वह जांच के अन्दर सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, मन्त्री महोदय, आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, जो दोषी हैं, यह सारी जिन्होंने कार्यवाही की, एन. ओ. सी. दिया, जिन्होंने परमिट जारी कर दिया उसी तारीख को बैठे बैठे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की ? क्या इन फर्मों के पीछे आपका हाथ है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, इस तरह के आक्षेप नहीं लगायें, कृपया। तथ्य जब पूरे आ जावें उसके बाद में एकाध शब्द कहें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना हुई है। पार्टीज जांच में सहयोग नहीं दे रही हैं। पुलिस कार्यवाही रफा दफा की जा रही है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो रिपोर्ट दर्ज हुई, जो एफ. आई. आर. लॉज हुई, मैं पूछना चाहूँगी कि पुलिस केसेज कहाँ तक आगे बढ़े। किस किस के खिलाफ आपने एक्शन लिया या जमानत तक ही बैठ गए आप ? आपने इस जांच को करके किस व्यक्ति को दोषी पाया ? क्या आप समझते हैं कि 16 तारीख को जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई•••

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : जो आठ ट्रक गेहूं के पकड़े गए••

श्री अध्यक्ष : ये सब तथ्य आपने बता दिए हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : 16 तारीख को परमिट जारी हुआ तो क्या वह सारा का सारा कानून के तहत हुआ ? यदि कानून के तहत नहीं हुआ तो कौन व्यक्ति था पर्दे के पीछे, जिस व्यक्ति की शह से इस फर्म ने राजस्थान की जनता पर बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल !

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बीज के प्रश्न कई बार उठाये हैं ...

श्री अध्यक्ष : इसीलिए हम आपको विशेषज्ञ मान रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दस हजार क्विंटल सोनालिका के बीज का बिहार स्टेट कोआपरेटिव फैडरेशन से उन्होंने एग्रीमेंट किया।

श्री अध्यक्ष : कोआपरेटिव फैडरेशन से ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : कानूनी प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति यहां से तो गेहूं का परमिट ले और बाहर ले जाकर बीज करके बेचे तो यह अपराध तो दूसरा है ...

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बीज का परमिट दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीज के नाम से परमिट ले और गेहूं बेचे तो अपराध नहीं है लेकिन गेहूँ का परमिट ले और बीज कह कर बेचे यह अपराध है।

सुश्री पुष्पा जैन : बीज का परमिट बाद में लिया है। गेहूं का तो परमिट ही नहीं लिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। क्या बीज का परमिट लिया है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जी हां, बीज का परमिट लिया, अध्यक्ष महोदय। दस हजार क्विंटल बीज को बाहर निकालने का परमिट देते समय इन्होंने यह जांच नहीं की कि इनके पास बीज कहाँ से आया ? जब भरतपुर में यह ट्रक पकड़े गये, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सर्टिफाइड बीज इस पर लिखा हुआ है, सत्यापित बीज। सर्टिफाइड बीज वह होता है जो फाउन्डेशन सीड किसानों को दिया जाता है। फाउण्डेशन बीज पर 25) रुपया फी एकड़ इंस्पेक्शन फीस ली जाती है। सीड कारपोरेशन एजेन्सी के कार्यकर्ता चार बार जाकर इसका इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें कोई वीड्स हो तो निकलवाते हैं, उसमें कोई रोग लग जावे तो उसका उपचार करवाते हैं और सर्टिफिकेशन फिर सीड एजेन्सी के मार्फत जो बीज लिया जाता है, माननीय भारद्वाज जी जानते हैं कि वह सर्टिफाइड सीड होता है।

(व्यवधान)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इसीलिए मैंने आपका नाम लिया था। जो सर्टिफाइड सीड होता है, अध्यक्ष महोदय, उस सर्टिफाइड सीड के नाम पर गेहूं जा रहा था। अब यह ट्रक पकड़े गए तो इसकी जांच हुई कि मालिक कौन है। तो मालिक साहब जो हैं वह, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की मण्डी से गेहूँ खरीद रहे थे। उनके पास वह मार्का था तराई सीड कारपोरेशन का। उनके पास टैगिंग मशीन थी, उनके पास एग्रोसीन जे एन थी। धोखा यह नहीं है इन्होंने बिहार स्टेट के साथ किया। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्या ने बताया, इनकी सात फर्में हैं। एक जे एन व्यवस्था भी इनकी एक फर्म है। जितनी दिल्ली राजस्थान में मिल सकती थी अवेलेबल आढतियों के यहां पर वह प्रताप तिल्ली के नाम पर पैक कर कृषि व्यवस्था के नाम पर बिकी है। इसका प्रमाण यह है कि राजस्थान के कृषि अधिकारियों से आप जांच करवा लें। आप जांच करवा सकते हैं, यह सातों फर्में बीज पर तराई सीड कारपोरेशन के बीज के नाम का मार्का लगा कर, टैगिंग करके फर्जी कार्यवाही कर रही हैं। राजस्थान में भी हजारों क्विटल बीज इस प्रकार से सप्लाई कर रहे हैं। तो यह एक धोखेबाजी का ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह बनता है कि एग्रीमेंट इन्होंने सर्टिफाइड बीज का किया और बाजार से गेहूँ खरीद कर वहां जा रहा था। फिर, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जब ये पकड़े गये तो 15 तारीख को यह जयपुर आ गए। इनको पता लगा कि अधिकारी तो दिल्ली में हैं तो दिल्ली राजस्थान हाऊस में गए। 16 तारीख को नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर कमिश्नर ने दे दिया वहीं बैठे बैठे। फूड कमिश्नर ने परमिट जारी करने का आदेश दे दिया वहीं बैठे बैठे। फूड कमिश्नर ने परमिट जारी करने के आदेश कर दिए टैलीफोन पर। और देखिये सरकार की...

श्री अध्यक्ष : बीज का मामला था इसलिए जल्दी में थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यही तो मैं कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : और सोसालिका लेट वैरायटी है, यह आप भी जानते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां, यह लेट वैराइटी है लेकिन सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि काम देर से होता है। देर से होता है लेकिन एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया कि सरकार में कितनी फुर्ती से काम होता है, 16 तारीख को एप्लीकेशन दी, 16 तारीख को नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, 16 तारीख को परमिट इश्यू किया। 16 तारीख को ही वह भरतपुर पुलिस में जा पहुँचे। भरतपुर चले गए 16 तारीख को। कितनी एफीशियेंसी के साथ सारा काम हुआ है क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, सवा सौ रुपये क्विण्टल का केवल मामला था। दस हजार क्विटल इनको वहाँ ले जाना था। छः हजार क्विटल का तो परमिट लिया इन्होंने और चार हजार क्विटल को उसके नाम पर ले जाते तो दस हजार क्विटल में केवल 13 लाख रुपयों का घोटाला होना था। उस 13 लाख की ताकत के आधार पर एक दिन में परमिट मिल गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं, यह परमिट देने का अधिकार केवल गवर्नमेंट को है। सैक्रेटरी को नहीं है, फूड कमिश्नर को नहीं है। यह कानून में है। मुझे समय नहीं देंगे आप वरना मैं पढ़ कर बता दूं····

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : केवल गवर्नमेंट को अधिकार है लेकिन डिप्टी सैक्रेटरी ने दिया। डिप्टी सैक्रेटरी ने दे दिया। अध्यक्ष महोदय, यह परमिट किन परिस्थितियों में दिया गया? 14 तारीख को जब ट्रक पकड़े गए, 15 तारीख को राजस्थान पत्रिका में खबर छपी कि ट्रक पकड़े गए। 15 तारीख को राजस्थान पत्रिका में यह पढ़ने के बाद 16 तारीख को परमिट इश्यू हुए हैं। इसके पीछे भी रहस्य है। इश्यू होने के बाद जब चार पांच दिनों में हल्ला मचा तो मन्त्री महोदय ने वह फाइल मंगवा ली। उस पार्टी को बुलाया, पार्टी से बातचीत हुई। सौदा नहीं पटा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज विषयांतर हो रहे हैं। इसकी आपने सूचना नहीं दी। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप तथ्य बता सकते हैं, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल ; मेरा निवेदन सुनिये। परमिट कैंसिल हुआ 27 तारीख को ···

श्री अध्यक्ष : हां तो घोटाला सामने आया, कैंसिल कर दिया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : होता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय मंजूर कर लें। बात खत्म हुई।

श्री अध्यक्ष : कैन्सल हुआ है ना, यह लिखा हुआ है इसमें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 27 तारीख को कैन्सल हो गया। इन 9 दिनों में ये प्रोग्रेस हुई।

श्री अध्यक्ष : परिस्थितियां कोई गुजरी होंगी उस वक्त। माननीय सदस्य, यह भी हो सकता है बिहार में बीज भेजना है, दिसम्बर महिने का मध्य आ गया, लेट वैरायटी है। इसलिये उसमें उतावली में हो गई हो। जब यह मामला सामने आया, घोटाला है तो कैन्सल कर दिया। तो कई तरह की परिस्थितियां हैं। उनसे आप एक नतीजा निकालना चाहें तो तथ्य रखें जिनसे सिवाय एक के दूसरा नतीजा ही नहीं निकलता हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 9 तारीख को एप्लीकेशन दी। सोलह तारीख को नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट और 16 तारीख को परमिट इश्यू वह कर रहे हैं, जिसको अधिकार नहीं है। यह एक नतीजा है, मुझे बता दीजिये इस नतीजे के पीछे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 13 लाख का प्रोफिट हुआ है। इसके अलावा और कौन सा नतीजा क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफिट कहां ? वहां गया ही नहीं गेहूँ तो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गेहूँ गया। 175 ट्रक तो बोर्डर पर दर्ज है। 175 ट्रक तो चला गया। सांठ गांठ में, अध्यक्ष महोदय, वहां जो सेल्स टैक्स के····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। आधा घंटा होने को है, इसलिये मंत्री महोदय।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा इस सिलसिले में, यह ट्रक आ रहे थे 13-14 की रात को। 14 को सवेरे पकड़े गये सात ट्रक और एक 15 को सवेरे पकड़ा गया। हो सकता है उन लोगों को कवर कराने के लिये फूड सैक्रेटरी को दरखास्त दी दिल्ली में··

सुश्री पुष्पा जैन : जरा जोर से बोलें।

श्री घासीराम यादव : दिल्ली में दरख्वास्त दी फूड सैक्रेटरी को।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे बैठे बोलें, नजदीक ही हैं····

श्री घासीराम यादव : मैं कोई बीमार थोड़े ही हूं।

इनका शायद विचार तो यही था परमिट लेने के बाद हम ट्रक ले जायेंगे, लेकिन फूड सैक्रेटरी को यह पता नहीं था, जैसा बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 15 तारीख की राजस्थान पत्रिका में आया है, 15 में नहीं आया है यह 17 में आया है। राजस्थान पत्रिका में 17 में आया है। कायदा यह बना रखा था, जैसा माननीय सदस्या ने कहा, ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जो खाने का गेहूँ दिया हो। संस्थाओं को बीज अगर अच्छा हो तो बाहर ले जाने की हमेशा अनुमति मिलती रही है। सीड कार्पोरेशन ने इनको भी दिया। काफी हजार क्विंटल दिया है। लेकिन, कोई आइडेंटली ले जाता है, उनको भी दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : सीड के नाम से धोखा हुआ है।

श्री घासीराम यादव : यह कायदा बना रखा था, सीड कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेट्री मिस्टर राजेन्द्र जैन थे, वह लिखते थे हमें जरूरत नहीं है इस बार तो अच्छा बीज हो तो माननीय सदस्या मानेगी अगर बाहर चला जाय तो क्या बुरी बात है। तो बाहर चला गया उसकी इजाजत दे दी।

सुश्री पुष्पा जैन : और भेज दीजिये। राजस्थान का सारा अनाज बाहर भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : नहीं नहीं, अनाज नहीं, बीज। बीज, अगर मान लीजिये, अच्छा है वह अगर नहीं जाय तो खराब हो जाता है, खाने के काम और नहीं आता। आप सारे फिगर्स को देखेंगी तो खाने का गेहूं नहीं दिया बाहर सिर्फ बीज दिया है।

श्री अध्यक्ष: बीज का परमिट है।

श्री घासीराम यादव : 16 तारीख को परमिट दिया। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछूं‥

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घासीराम यादव : यह बाद में कर लेना। मैंने सारी बात सुन ली है? आप फिर पूछें सारे सवालों का जवाब दूंगा।

माननीय सदस्यों ने कहा उस दिन वहां उन्होंने लिख कर दिया, 6 हजार कुछ क्विटल सोनालिका गेहूं बाहर जाये तो हमें कोई एतराज नहीं है। फूड सैक्रेट्री ने परमिट दे दिया। परमिट लेकर वह आ गये। उन्होंने जबानी भी कहा, लिखकर भी दिया है, 7 तारीख को, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आलरेडी लेट हो गया, किन्तु गेहूं बोने का सीजन बिहार में खतम होता जा रहा है, जल्दी है इसलिये हमें जल्दी दे दो ‥

श्री अध्यक्ष : ये फिर जल्दी सोचना था।

श्री घासीराम यादव : यहां आकर उसको दे दिया, अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट की एफिशियेंसी है। अगर तीन दिन पटके रखते तो आप कहते तीन दिन नहीं दिया परमिट।

श्री अध्यक्ष : ठीक किया।

श्री घासीराम यादव : उसी दिन आया और उसी दिन दे दिया परमिट। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा, एक तीसरी पार्टी ने भी एप्लाई किया, 17 तारीख को मालूम पड़ा तो मैंने भी कह दिया तो इनको भी दे दो। इस परमिट में तो मेरा कोई हाथ नहीं था, सीधा फूड सैक्रेट्री ने दिया था वह जारी हो गया। लेकिन, दूसरा जो था, मेरे पास एक आदमी आये थे। बोले, साहब, दे दिया परमिट 6 हजार क्विटल का तो हमको भी दे दो। दूसरे ऑफिसर ने कहा कि साहब, यह तो पत्रिका में आ गया। तो मैंने कहा, भाई, इसको मत दो। उसके बाद उन्होंने पता करके ·

(व्यवधान)

सुनिये बात, सुनिये,

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घासीराम : पता करके दिया जाय तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर बीज के लिये 6 हजार क्विटल का परमिट दे दिया तो कोई 100 क्विटल का मांगता है तो उसको क्यों नहीं दिया जाय। उन्होंने कहा, साहब, पत्रिका में आ गया, यह तो पकड़ा गया। मैंने कहा, इसको मत दो। फिर फाइल मंगाई। सिर्फ 900 क्विटल ही तो गया था इस बार। उसको तो 6000 क्विटल देना था। फिर हमने फाइल मंगाकर सारा केंसिल कर दिया। इस में किसी की, गवर्नमेंट की क्या गलती है? किसकी क्या बात है? यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई दोष हो इसमें तो बताइये इसमें 1000 क्विटल का ही तो दिया था। फिर उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उन परमिटों का पुलिस में केस रजिस्टर करवा दिया। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही चल रही है। किस तरह आपने कैसे कह दिया, रफा दफा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूं, कोई माननीय

(श्री घासीराम)
सदस्य किसी मंत्री पर, किसी पर चार्ज लगाये, लेकिन जिम्मेदारी से लगाये। मैं तो बहुत तारीफ सुनता था रघुवीर सिंह जी की उन्होंने कैसे कह दिया? सौदा मेरा नहीं हुआ इसनें। क्या तैयार हैं इस्तीफा देने के लिये, जांच करवाइये इसकी···

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या एक मंत्री 15 तारीख को भरतपुर गये थे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री घासीराम यादव : कैसे कह दिया? ये तैयार हों तो मैं भी लिख देता हूं। हल्की बातें करते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : श्री श्रीराम गोटेवाला 15 तारीख को भरतपुर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : मैंने फाइल मंगाई, मुझे धन्यवाद देना चाहिये इस बात के लिये मैंने अच्छा काम किया, मेरे बगैर नोटिस के परमिट दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों से सभी मिलने आ सकते हैं उसमें क्या बात है।

श्री घासीराम यादव : मैंने दुबारा फाइल खुद मंगवाई। फाइल मेरे पास आयी नहीं, मैंने खुद मंगवाई। खुद मंगवा कर उसको कैन्सल किया। जैसे आप कहते हैं, मेरा सौदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि··

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना है मुझे।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना है, मुझे।

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टा हो गया माननीय सदस्या। अब कोई प्रश्न नहीं। आर्डर, आर्डर। सभी तथ्य सामने आ गये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जबर्दस्त सवाल पूछूंगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे गेहूं को आप बीज कह रहे हैं। डी. एस. ओ. भरतपुर ने उस गेहूं को जब जांच के लिये भेजा तो लेबोरेट्री की रिपोर्ट क्या है, वह बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये उसको सजा हो जायेगी। वह बीज के नाम से ले जा रहा था, कर रहा था यह अलग प्रश्न है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इससे तो गवर्नमेंट को पनाह मिलेगी। राजस्थान के सारे लोग अकाल से पीड़ित हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा। कृपया, कृपया—

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह तो गवर्नमेंट को बिल्कुल पनाह देने वाली बात है। इतना बड़ा घपला हुआ, आज इतना बड़ा स्केण्डल हो गया, मंत्री··

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, बैठ जायें। अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, बैठें, बैठें।

(व्यवधान)

बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, फिर आपने आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी उसका फायदा क्या है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आर्डर। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं विधायी कार्य आर्डर माननीय सदस्या आपको सभी तथ्य रखने की मैंने इजाजत दे दी। तथ्य सामने आ गये।

विनियोग विधेयक पर विचार एवं उसका पारम्भ। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : परमिट देने वाले अधिकारी के घर पर····

श्री अध्यक्ष : आर्डर अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अन्य विषय आप इस बहाने लाना चाहते हैं। तथ्य सामने आ गये। यह सदन के सोचने का काम है कि किस निष्कर्ष पर सदन पहुंचे। लेकिन आप उसके बाद छाप अपनी ओर से लगायें। यह सदन के विचारने का विषय है। तथ्य सामने आ गये।

विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, विनियोग विधेयक पर विचार व्यक्त करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की चर्चा कल से आरम्भ हुई है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने से पूर्व जो विषय अभी आपने छोड़ दिया उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा··

श्री अध्यक्ष : विषय कौनसा छोड़ दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हाफ एन आवर डिस्कशन।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। आधे घन्टे की चर्चा थी उसमें··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आगे बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा आगे बोलिये। उसको कन्टीन्यू····

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं गेहूँ का नाम ही नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, ऐसा है कि ऐसा लगे सभी माननीय सदस्यों को कि नया विषय शुरू हो गया है; उसके बाद बीच में यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप बोलने की कला को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रिपीटेशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : पहले आप वित्तीय, फाइनेन्शियल स्थिति पर शुरूआत, प्रारम्भ कीजिये। उसके बाद कई तरह के विषय आ सकते हैं, वह आप और हम सब जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन यह कर रहा था अभी तो गेहूँ की चर्चा हुई मैं तो आपके सामने चावल की चर्चा कर रहा था ताकि डिपार्टमेंट किस ढंग से फंक्शन कर रहा है उसकी माननीय सदस्यों को जानकारी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : आप ऊपर से शुरू करते। मतलब पहले सैद्धांतिक पक्ष है, वित्तीय स्थिति किस तरह से सुधारें, आपको बहुत लम्बा अनुभव है, उससे आप शुरूआत कीजिये। उसके बाद कई उसमें विषय आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983 पर कल से चर्चा आरम्भ हुई है। राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है उसका ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सरकारी पक्ष भी अच्छी तरह से जानता है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक 18,72,54,54,000 रुपये का पेश किया गया है। इस सारे आंकड़े को देखने से ऐसा लगता है हमारी सरकार के पास खर्च करने लिये बहुत राशि है, हमारा बजट बहुत बढ़ गया है, 18 अरब रुपया का यदि खर्चा होता है तो उसके कारण से निश्चित रूप से राजस्थान का विकास और होगा। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपको जानकारी होगी कि राजस्थान सरकार पर 17.76 अरब का कर्जा है। जितना राज्य सरकार का बजट है उससे 1 अरब रुपये कम, राज्य सरकार पर देनदारियां हैं। अब ऐसी सरकार को क्या कहा जाय जिसकी जेब में भी 100 रुपये हों और जिस पर कर्जा भी 100 रुपया हो। अध्यक्ष महोदय, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, माननीय मुख्य मन्त्री जी को आपत्ति होगी और आपको भी कहीं आपत्ति हो सकती है। यदि इसी प्रकार का किसी का बजट हो, किसी व्यक्ति का....

श्री अध्यक्ष : आदमी को तो साख पर रुपये मिलते हैं वरना लखपति हो तो भी एक रुपया कोई उधार नहीं देगा किसी को। इसलिये साख होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है। रुपये तो साख पर ही मिलते हैं। रुपये देने वाला कौन है? रुपये देने वाली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है भारत सरकार या फाईनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स। वह साख पर कितने जाते हैं यह तो आप ही अनुमान लगा लें लेकिन हम इस आसपेक्ट को नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि राजस्थान सरकार पर देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। उन देनदारियों की रिटर्न्स वह यदि उसी अनुपात से देती जाय तो, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जितना हम इन्वेस्टमेन्ट करें उस इन्वेस्मेंट के अगेन्स्ट कैपीटल असेट्स कितने बनते हैं, राज्य सरकार की रिटर्न्स कितनी हो रही हैं, देनदारियाँ जमा कराने की हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती जा रही है, यह कुछ संकेत हैं जिन संकेतों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो कर्जा हो रहा है उस कर्जे को चुकाने की स्थिति में हम हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, कई बार विधान सभा में घोषणायें की जाती हैं कि हम ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि जो कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न्स हमें मिलने लग जायें और उन रिटर्न्स के आधार पर हम अपने कर्जे की चुकौती करते रहें। लेकिन वह स्थिति बनती ही नहीं। नहीं बनती है तो आप अन्दाजा लगा लें, राजस्थान सरकार के जितने भी कार्पोरेशन्स, बोर्ड्स और कम्पनीज हैं, यह बहुत बड़े घाटे का एक आधार बनी हुई हैं। इनमें जबरदस्त घाटा हो रहा है; हम उस घाटे की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने बजट के समय इस सदन में प्रस्तुत किये थे लेकिन इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक टेक ऑफ करने की पोजीशन, जो कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्मेन्ट का रीजनेबल रिटर्न हमको मिलता रहे इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी इसलिए कर्ज के कारण हमें चिन्ता हुई। अध्यक्ष महोदय, केवल कर्ज के कारण चिन्ता हो, ऐसी बात नहीं है, ब्याज भी हमें हर साल लगभग 97 करोड़ रुपये का चुकाना पड़ता है। ब्याज इतना चुकायें और कर्ज इतना बढ़ जाय इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, हमारी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, राजस्थान में एक सोर्स सेल्स टैक्स का है उस सोर्स से हमारी काफी इन्कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की रेवेन्यू, इन्कम का यदि कोई सबसे बड़ा सोर्स है तो सेल्स टैक्स है। लेकिन सेल्स टैक्स की भी स्थिति सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुँच गई है। हमें टैक्स लगा कर कई बार वापस लेना पड़ता है। जितनी इन्कम हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी इन्कम हमें नहीं होती। इन्कम न होने के साथ-साथ उसका इम्पेक्ट ट्रेड और कामर्स पर भी पड़ता है इसलिये कई बार हम उन टैक्सेज को वापस लेना चाहते हैं। पिछले सैशन में, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने एक घोषणा की। वह घोषणा यह की, आय में बिना कमी किये कर किस बिन्दु पर लगाये जायं तथा वर्गीकरण किस प्रकार कम व सरल किया जाय, इस पर विचार करने के लिये सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को छः माह में प्रस्तुत कर देगी। मैं अध्यक्ष

((श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, बार-बार सदन में कह चुका हूं कि सदन में की गई घोषणा की कुछ संक्टिटी होती है। यदि सरकार उस संक्टिटी का पालन नहीं करे तो फिर दूसरे आदमी से आप आशा नहीं कर सकते। मैंने बजट पर वाद-विवाद में अपने भाषण में पहिले भी कहा था कि पिछले वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के समय जो-जो बातें इस सदन में कही थीं, उनका उल्लंघन हुआ है। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि रेवेन्यू के इस सबसे बड़े सोर्स के लिये जो आपने सुझाव दिया था इस प्रकार की कमेटी गठित करने का, उस कमेटी का क्या हुआ? वह छः माह में प्रतिवेदन देने वाली थी, उसने प्रतिवेदन दिया या नहीं? प्रतिवेदन दिया तो उसके अनुसार सरकार ने किस प्रकार से आचरण किया और उसका परिणाम क्या निकला? इससे अन्दाज लगा लें, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे रिसोर्सेज के प्रश्न पर सरकार कितनी चिंतित है। चिन्ता होती तो इस कमेटी की रिकमण्डेशन के बेसिस पर कौन कौन से टैक्स कम किये जायं, कौन-कौन से टैक्स बढ़ाये जायं, आमदनी किस प्रकार बढ़े, इसकी सरकार चिन्ता करती। लेकिन इस प्रश्न पर सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, अब एक दूसरा प्रश्न आता है। हम टैक्स लगाते जायं इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि हम लोगों से कुछ वसूली भी करें। अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. में जहां 58 करोड़ रुपये का घाटा राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, मैं पूछना चाहता हूं, घाटे का मूल कारण क्या यह नहीं है कि जिन लोगों में आर. एस. ई. बी. की बकाया है, वह उस बकाया का चुकारा नहीं कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जितने भी बड़े-बड़े उद्योग हैं वे बड़े बड़े उद्योग आर. एस. ई. बी की बकाया का चुकारा नहीं कर रहे हैं। डी. सी. एम. में लगभग 15 करोड़ रुपये की बकाया है। आज अगर छोटे काश्तकार में बकाया होती है, अध्यक्ष महोदय, तो छोटे काश्तकार का कनेक्शन काट दिया जाता है, यदि कोई गरीब कंज्यूमर होता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता। डी. सी. एम. में 15 करोड़ बकाया है। सरकार की ओर से यह उत्तर मिलेगा कि वह कोर्ट में चले गये। मुख्य मंत्रीजी, मजबूरी को मैं महसूस करता हूं लेकिन एक आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स के संबंध में हमें इस प्रकार की नीति अपनाकर नहीं चलना चाहिये कि वह बिजली भी ले ले लेकिन और बिजली के पैसे का भी चुकारा नहीं करे। इस विधान सभा में कोई कानून लाइये, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो चाहे सिंचाई का शुल्क हो। बड़े उद्योगपति अगर पैसा नहीं देते तो फर्स्ट चार्ज का अधिकार सरकार के पास होना चाहिये। अगर बकाया में या वसूली में कोई गड़बड़ी हो, अमाउंट में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो वह बाद में कोर्ट में जायं पहले राज्य सरकार का आर. एस. इ. बी. का, सिंचाई विभाग का जितना कर्जा या बकाया हो उसको चुकायें। मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार का कानून आप लायेंगे तो हम निश्चित रूप से आपका यहां समर्थन करेंगे। कोई कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक अध्यक्ष महोदय बकाया रहेगी। आज एक प्रकार का सिस्टम बन गया है कि पैसा मत चुकाओ कहीं पर इंजीनियर के लेवल पर कोई गड़बड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो जाय, राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के लेवल पर कोई गड़बड़ हो जाय तो उसके आधार पर पहिले छोटी कोर्ट में ले जाओ। वहां यदि सरकार जीत जाय तो हाई कोर्ट में जाओ। वहां यदि सरकार जीत जाय तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में एक इश्यू पर सरकार जीत जाय तो दूसरे इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट से स्टे लाकर सरकार की रकम जमा नहीं कराते, यह एक गंभीर समस्या बन गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार तुरन्त ही अपने विधि विभाग से कंसल्ट करके इस प्रकार का एक कानून सदन में प्रस्तुत करे जिससे जो रायल्टिज सरकार ने दी हैं उन रायल्टिज का रेन्ट एक बार निश्चित रूप से जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट उनके पक्ष में तय हो तो सरकार कोई कंगाल की दुकान नहीं है सरकार से वह रुपया वापस ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय यह केवल आर. एस. ई. बी. का ही प्रश्न नहीं है, सिंचाई विभाग में भी यही स्थिति है। कोटा में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं वे सिंचाई विभाग से पानी लेते हैं। 15 लाख रुपये की सिंचाई विभाग की बकाया है उसको भी वह उद्योग जमा नहीं करा रहे हैं। इसी प्रकार से सेल्स टैक्स का जे. के. सिन्थेटिक्स में 1.30 करोड़ की बकाया है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय मैसर्स इण्डो इंजीनियरिंग प्रा. लि., कोटा में 88 हजार की बकाया है। एक में 39 हजार की बकाया, एक में 57 हजार की बकाया है। यह सारी बकाया मिला कर 1.72 करोड़ होती है, सेल्स टैक्स की। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन लोगों को जिस प्रकार की रियायत दे रहे हैं कानून की खामी से यह रियायत का फायदा उठाते हैं। कानून की खामियों की यह आड़ नहीं ले सकें किसी न किसी समय इस प्रकार की व्यवस्था हमें निश्चित रूप से करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से कानून की तो खामी है नहीं। कानून गरीब-अमीर पर बराबर लागू होता है लेकिन गरीब से वसूली झट हो जाती है और अमीरों से नहीं होती है यह बात सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात तो सही है अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये मुख्य मंत्रीजी से कह रहा हूं कि इस सारे प्रश्न पर गंभीरता से विचार करते हुए विधि के एक्सपर्ट्स से राय लेकर एक इस प्रकार का कानून बने जिस कानून के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की बकाया न रह सके। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि चाहे बिजली का सवाल हो या पानी का सवाल हो चाहे पीने के पानी का सवाल हो, अगर तीन महीने तक किसान बिल नहीं चुकाते तो पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर बिजली जमा नहीं करायें तो पानी का नल काट दिया जायेगा और बिजली का कनेक्शन तोड़ दिया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े आदमियों और छोटे काश्तकारों, गरीबों में इस प्रकार का जो भेद-भाव है डिस्क्रीमिनेशन है यह समाप्त होना चाहिये। इसमें चाहे कानून की गलती हो, चाहे कानून को लागू करने में किसी प्रकार की गलती हो हमें उस आधार पर कुछ चिन्ता करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आज बकाया सारे विभागों की चल रही है। देवस्थान विभाग के मन्दिर सरकार ने किराये पर दे रखे हैं। देवस्थान विभाग की 67 लाख रुपये की किराये की बकाया है। यह कौन देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है लेकिन हम उसको वसूल नहीं कर पाते। जयपुर में तो हालत यह है कि मंदिर गायब हैं। मंदिरों में पड़े हुए सोने, चांदी के जेवर भी बदल गये। मुझे याद नहीं है कि उस कमेटी ने कब रिपोर्ट दी लेकिन मन्दिरों में आभूषण बदलने की जब शिकायतें आई तो हमने एक कमेटी इस उद्देश्य से नियुक्त की कि वह कमेटी मंदिरों में जाकर के भण्डारों का सत्यापन करे और सत्यापन करके बतावें कि वास्तव में किस प्रकार के जेवर पड़े थे, आज किस प्रकार के जेवर हैं और उसमें किस प्रकार की गड़बड़ हुई। जिस समय जांच शुरू हुई, मुझे मालूम है उस समय यह प्रारम्भिक रिपोर्ट आयी थी कि 350 तोला सामान बदला गया। इसलिये उस कमेटी को कहा गया कि जो जो भी मन्दिर सरकारी नियन्त्रण में हैं उन मन्दिरों की सम्पत्ति का सत्यापन करें सत्यापन से मालूम हो जायेगा कि किस तरह का सोना है, 22 कैरेट है, 14 कैरेट है, चांदी किस प्रकार की है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज उस पर भी निगरानी नहीं हो पाती। मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है। क्या मन्दिरों के भण्डारों का सारा सत्यापन हो चुका है? यह वे बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि, उन्होंने संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों की अवहेलना करके, राजस्थान में जहां शराब बंदी हो गयी थी, महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा हो गया था, पहला वार संविधान पर किया, पहला वार महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर किया और राजस्थान में शराब बंदी को तोड़ कर फिर से शराब चालू की। मैं शराबबंदी के पूरे प्रश्न पर इस समय नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि, विदेशी शराब के ठेके दो वर्ष के लिये दिये और देशी शराब का ठेका एक वर्ष के लिये दिया। इसमें किस प्रकार के कानूनी मसले थे, किस प्रकार के व्यवस्था के मसले थे जिसके कारण आपने ठेका पद्धति में इस प्रकार का भेद किया है? मैं ऐसा समझता हूं कि वही ठेके यदि एक वर्ष के लिये दिये जाते तो राजस्थान सरकार को ज्यादा इन्कम होती, राजस्थान की आय बढ़ती और गरीब आदमी और मध्यम श्रेणी के आदमी भी ठेका लेकर अपना गुजारा कर सकते थे लेकिन राज्य सरकार ने उसकी चिन्ता नहीं की। आबकारी नीति तो पहले की तरह से लागू कर दी लेकिन उसके अनुसरण में जो ठेका देने की पद्धति में भेद-भाव किया गया, मुख्य मंत्रीजी, इसका जवाब देंगे कि इस भेद-भाव का मूल कारण क्या है और यह भेद-भाव क्यों किया गया है?

अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बड़े जोर-शोर से चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में भुखमरी चल रही है। भुखमरी चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह चूरू जिला परिषद् की एक रिपोर्ट है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

श्री चन्दनमल जी बैद की अध्यक्षता में अकाल राहत परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई है। इस बैठक की प्रोसिडिंग्स में से मैं सुना रहा हूं जिसमें लिखा है, "अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू ने अवगत कराया कि कई कैम्पों पर मजदूर काम नहीं करते। जैसे डूंगरगढ़ तहसील की एक सड़क पर एक कैम्प पर पांच पैसा प्रति व्यक्ति टास्क आया है।" अब आप इससे अान्दज लगा लें चाहे डूंगरगढ़ हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे चूरू हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे सरदारशहर हो, अकाल पड़ता है तो बड़ा सीवियर है। अकाल राहत का मैंने एक नमूने के लिये बताया कि टास्क बेसिस पर जब हम काम देंगे तो एक मजदूर को पाँच पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब यह शिकायत करना कि टास्क बेसिस पर मजदूर काम नहीं करता. कुछ अंशों मे सही हो सकती है। मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक टास्क जो दिया, उस टास्क पर जो मस्टर रोल बनता है वह फर्जी बनता है। मस्टर रोल बनाया 30 आदमी का और काम पर गये दस आदमी। 11 आदमियों की झूठी एन्ट्री की गई। 11 आदमियों को उस टास्क बेसिस पर जो आय होती है उनका झूठी इन्द्राज दिखा कर उनके नाम से पैसे लिये गये। इस आधार पर जब भी टास्क बेसिस का क्वेश्चन आता है तो मजदूरों को कम पैसा मिलता है। अब इससे आप अन्दाजा लगा लें, पांच पैसे मिले, दस पैसे मिले, एक रुपया मिले, मजदूर को यदि हमने काम पर लगा लिया और काम पर लगाने के बाद यदि उसको एक रुपया, आठ आने या बीस पैसा मजदूरी के रूप में मिले तो उसकी हालत क्या होगी? अध्यक्ष महोदय, उसकी हालत वही होगी जो आज पोकरण में हो रही है। उसकी हालत वही होगी जो आज शेरगढ़ में हो रही है। उसकी हालत वही होगी जो आज जैसलमेर में हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि टास्क बेसिस आप चालू करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टास्क बेसिस पर काम कराने के लिये ऑनेस्टी महत्वपूर्ण है। जब तक ऑनेस्टी का अभाव रहेगा, पूरी विजिलेंस का अभाव रहेगा तब तक उस टास्क बेसिस पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी और उसका परिणाम आये दिन मौतें होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज जैसलमेर, चूरू के लोग मेरे पास आये। जैसलमेर के लोग कहने लगे, न हमारे पास खाने के लिये अन्न है न हमें किसी प्रकार की मजदूरी मिल रही है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, एक जगह 6 बच्चे मर गये। जैसी बात कही गयी, सरकार कहती है 58 आदमी मर गये शेरगढ़ में। शेरगढ़ के लोग यह कह रहे हैं 58 नहीं, यदि शेरगढ़ के पूरे इलाके का सर्वे किया जाय तो लगभग 100 आदमी मरे हैं। अब मरने करने का कारण क्या है? सरकार यह कहती है कि भूख से नहीं मरे, यह एक टैक्नीकल टर्म हो गई। भूख से मरे या नहीं मरे लेकिन मैं यह कहता हूं, भूख के कारण उत्पन्न बीमारियों से मरे, इसको भी यदि सरकार स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हालत यह हो

Page No 139

(139)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी नाराज नहीं हों, भीलवाड़ा में जितने लोग प्रभावित हैं और भीलवाड़ा में जितने काम खुल रहे हैं, भीलवाड़ा के अन्दर जितने लोगों को मजदूरी मिल रही है उसको यदि अकाल राहत कार्यों का बैंच मार्क मान लिया जाये तो मैं ऐसा समझता हूँ चाहे कोटा डिविजन ले लें चाहे आप जैसलमेर ले लें, चाहे बाड़मेर को ले लें, चाहे जयपुर को ले लें, चाहे अजमेर को ले लें, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिले में भीलवाड़ा के अनुपात में काम खुले हों।

अध्यक्ष महोदय; मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आज तक नहीं कहा, जिस समय कोटा डिविजन में बरसात और बाढ़ आई, उस समय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी दोनों ने वहां का दौरा किया। उसके बाद उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया

(व्यवधान)

मैं भी था। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि बारां सब डिविजन, जहां से केवल मैं ही चुन कर नहीं आया हूं, कांग्रेस के सदस्य भी चुन कर आये हैं, में ज्वार खत्म हो गयी, मक्का नहीं हुई, बाढ़ से फसल नष्ट हो गई, अकाल से फसल नष्ट हो गई आपने कुल कितने आदमियोंको मजदूरी पर लगाया? मेरी जानकारी के अनुसार कोटा डिस्ट्रिक्ट में केवल 516 आदमियों को मजदूरी पर लगाया है। इससे आप अन्दाज लगा लें, यह राजनीतिक भेद-भाव है या सरकार की अकर्मण्यता या अयोग्यता है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी आपको सावधान करना चाहूंगा कि यदि आपने अकाल जैसे काम में राजनीति को अपना आधार बनाया, अकाल जैसे काम में गरीबों की रोटी-रोजी की व्यवस्था नही, केवल राजनीतिक आधार पर उनके लिये व्यवस्था की तो राजस्थान की जनता इसको ज्यादा सहन नहीं करेगी। आप यह कह सकते हैं कि कुछ आदमी पोकरण में मरे या जैसलमेर में मरे, शेरगढ़ में मरे। सारे पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति हो रही है। आप बाड़मेर में चले जाइये, बाड़मेर में जो हरिजन हैं उन हरिजनों की समस्या भी इसी प्रकार की बन गई है, अध्यक्ष महोदय, उनको भी रोजगार कहां मिले और कहां नहीं मिले। सरकारी पक्ष यह कहता है कि बाड़मेर में क्या काम कराये जायें, यह हमारे सामने समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में किसी प्रकार से काम से काम की आवश्यकता नहीं है, सरकार अगर इरादा करले कि हमें वहां कुछ खर्चा करना है तो निश्चित रूप से खर्चा किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट का प्रश्न खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि मिनिमम वेजेज एक्ट फेमिन के लेबर पर भी लागू किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने इस फैसले के बाद में कानून में कुछ संशोधन किया। संशोधन करके सरकार ने फेमिन के लेबर को मिनिमम वेजेज एक्ट से निकालने की कोशिश की। यह आपने कानून बना लिया सब कुछ किया लेकिन कानून बनाने के बाद आप मजदूर को देना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आपसे कि आपने मिनिमम

Page No 140

(140)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वेजेज़ एक्ट तो उस पर लागू नहीं किया, कम से कम एक व्यवस्था करें कि राजस्थान में जो फेमिन में जो लेबर लगेगी उसको अमुक सीमा तक निश्चित रूप से पैसा दिया जायेगा। आप चाहे पांच रुपया तय करें, चाहे छः रुपया तय करें, चाहे सात रुपया तय करें। यह न हो कि टास्क के नाम पर पांच पैसा प्रति आदमी के हिसाब से आप मजदूरी बतायें और संख्या बता दें कि दस हजार आदमियों को काम पर लगाया हुआ है, दस हजार काम पर हैं। पांच पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से मजदूरी देकर और दस हजार आदमी की संख्या बताकर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था के आधार पर राजस्थान की सरकार यह कह सके, चाहे टास्क बेसिस हो

चाहे लेबर जिस तरह से ली जाती है वह बेसिस हो यह ह्यूमन रिक्वायरमेंट है एक आदमी की जितनी रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट राज्य सरकार को पूरी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आज से सात वर्ष पहले जब बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भयंकर अकाल पड़ा था उस अकाल के समय भारत सरकार ने माना था कि लोगों को काम पर लगावें या न लगावें लेकिन मिनिमम वेज प्रति व्यक्ति 12 रुपये के हिसाब से दी जायेगी। मैं समझता हूं आज से दस साल पहले 12 रुपये के हिसाब से भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने उनको मिनिमम नीड के आधार पर पेमेंट किया है तो मुख्य मंत्रीजी, दस वर्षों में भाव बहुत बढ़ गये, उस समय के 12 रुपये की वैल्यू आज क्या है उसका आपको अन्दाज लगाना पड़ेगा। उस अन्दाज के आधार पर

श्री परसराम मदेरणा : साढ़े बारह रुपये एक महिने के थे ......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने एक दिन का नहीं कहा। अब पांच पैसे से हिसाब लगा लीजिये एक महिने के कितने होते हैं मैं तो उसी की तुलना कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा :... मैं यह नहीं कह रहा हूं। दस रुपये किये, फिर साढ़े बारह रुपये हुए वह स्पेशल और महीने भर की थी।......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है देखिये, वह सब लोगों के लिये थी। जो फेमिन की लेबर थी वह ही नहीं, गांव में जो भी लेबर कर सकता है, सब लोगों को 12 रुपये किये गये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इन्कम टैक्स पेयर गवर्नमेंट सर्वेंट की फेमिलीज़ को छोड़ कर.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने इन्कम टैक्स पेयर होते हैं आप ही अन्दाज लगा लीजिये, बाड़मेर में कितने हैं और जैसलमेर में कितने हैं और बीकानेर के देहात में कितने इन्कम टैक्स पेयर हैं? कोई सेठ साहूकार तो आपके 12 रुपये लेने वाला है नहीं। जो इन्कम टैक्स पेयर नहीं थे उनको आपने 12 रुपये दिये सब कुछ बात है लेकिन मैं जिस बात की ओर आपका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि उस समय भी सरकार ने लोगों को घर बैठे पैसा दिया। मैंने उस समय भी उस बात का विरोध किया था। मैं उस पक्ष में नहीं था। मैं उस आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेजेज के नाम से मजदूरों को निश्चित रूप से कुछ पैसा मिले हमें इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह व्यवस्था यदि आपने नहीं की तो चाहे टास्क बेसिस हो या और किसी प्रकार की प्रक्रिया आप अपनायें, उससे लोगों का भला नहीं होगा, लोगों को मजदूरी में पैसा नहीं मिलेगा। मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूख बीमारी का कारण बनेगी। बाद में आप कहेंगे कि भूख से कोई नहीं मरा। लोग कहेंगे भूख के कारण बीमारी आई और उस बीमारी से लोग मरे। आपको याद होगा, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं इसी सदन में मैंने 40 हजार आदमी जो मरे हैं, उनके नाम और पते पेश किये थे। उस समय भी बड़ा वाद-विवाद खड़ा हुआ था कि भूख से नहीं मरे, बीमारियों के कारण से मर गये। वे बीमारी के कारण से मरे या भूख के कारण से मरे, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि भूखे रहने के कारण उनकी बॉडी की रेजिस्टेन्स पॉवर खत्म हो गई जिसके कारण उन पर बीमारी हावी हो गई और उससे लोग मर गये। मैं आज आपको फिर सूचना देता हूं कि राजस्थान में आज के 10 वर्ष पहले जो हजारों आदमी डायरिया, से मर गये थे और इसी प्रकार की बीमारियों से मर गये थे आज भी राजस्थान में वही स्थिति फिर पैदा हो गई है। समय रहते इस स्थिति को आप कन्ट्रोल कर लें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कि ऐसी भयंकर समस्या के लिये सरकार कम से कम एक परामर्शदात्री समिति का गठन करें। राज्य स्तर पर उस कमेटी का गठन करें, जिला स्तर पर उस कमेटी का गठन करें, और उप खण्ड स्तर पर उसका गठन करें। साथ ही यह देखें, मोनिटिरिंग करें कि कितने दिन के बाद उस समिति की बैठक होती हैं, बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन किस प्रकार से होता है और उसका जनता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से वह समिति जन सहयोग भी ले। जनता को भी मोटीवेट करके इस समस्या का समाधान करने में उसका कैसे सहयोग मिल सकता है, इसकी व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां एक तरफ यह समस्या आ रही है कि लोगों के पास खाने के या किसी प्रकार के रोजगार के साधन नहीं हैं वहां जो हम खाद्य पदार्थ दुकानों से दे सकते हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1983 में जनवरी तक 60 हजार टन गेंहू की हमारी डिमाण्ड थी उसके अगेन्स्ट में हमें 28 हजार टन गेंहू मिला। अब आप अन्दाज लगा लें, दुकान पर अनाज नहीं सरकारी दुकानों पर अनाज नहीं रोजगार नहीं है। तो लोगों की हालत क्या होगी? मैं मानता हूं, मुख्य मंत्रीजी कि यह केवल कमजोरी के कारण है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप बुरा नहीं मानें, जिस राजस्थान में भयंकर रूप से अकाल है, इस वर्ष नहीं है पिछले वर्ष भी अकाल था उससे पहले वाले वर्ष में भी अकाल था। कुछ क्षेत्रों में उससे पहले वाले वर्ष में भी अकाल था, लगातार जहां पांच वर्ष से अकाल पड़ रहा हो, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप कौनसा जिला ऐसा बता सकते हैं जिस जिले की सरकारी दुकान पर जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार गेंहू दिया गया है ? कहीं गेंहू नहीं दिया गया। यदि कहीं दिया भी गया है तो वह सड़ा हुआ था। और सड़ा हुआ गेंहू भी बीमारी का कारण बनता है। मैं निवेदन कर रहा था कि 60 हजार टन की जगह 28 हजार टन गेंहू मिला। इसी तरह से चावल 1983 में 20 हजार टन मांगा किन्तु 1 हजार टन मिला। इसी तरह पाम आयल 30 हजार टन मांगा, 1120 टन हमको मिला। इससे आप अन्दाज लगा लें, भारत सरकार से अकाल के दिनों में भी हम न तो गेंहू ले सके, न चावल ले सके और न पाम आयल ले सके। भारत सरकार द्वारा इन दुकानों, जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, के लिये जो सामान दिया जा सकता है, सामान की हम व्यवस्था नहीं कर पाते, मैं पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज फेमिन के एरिया में आदमी के पास खुद की कमाई नहीं, खुद के लिये साधन नहीं, सरकारी दुकान पर सामान नहीं, सरकार की ओर से रोजगार नहीं तो उसके सामने दो ही तरीके हैं या तो वह सुसाइड करके मरें या सरकार के खिलाफ हथियार उठायें। हथियार उठाकर लड़ता हुआ वह मर जाय तो दूसरी बात है वरना मैं समझता हूं कि यह बीमारी उसको खायेगी और इस बीमारी को कोई रोक नहीं सकता। मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में यह भुखमरी फैली हुई है उनके बारे में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस सदन में आप वक्तव्य दें। वक्तव्य देकर जनता को यह आश्वस्त करें कि जहां रोजगार की आवश्यकता है वहां हम रोजगार देंगे। रोजगार में लोगों को पूरा वेजेज मिले इसकी हम व्यवस्था करेंगे। मिनिमम वेजेज कितना मिला, इसकी हम घोषणा करेंगे। साथ ही, जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उन दुकानों पर गरीबों के लिये आवश्यक सामग्री निश्चित तौर पर मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, यह भी घोषणा करें। यदि यह घोषणा नहीं होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ, इस सरकार द्वारा इस अकाल की समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई तरह के आर्डर लागू कर रखे हैं। राजस्थान से चारा बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान से गेंहू बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान से चावल बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान में उत्पादन के आंकड़े यदि देखें, अध्यक्ष महोदय, उत्पादन के आंकड़े भगवान जाने किस प्रकार से बनाये हैं। उत्पादन तो पूरा हो गया लेकिन उसको बाहर हम जाने नहीं देते हैं। चीजों के भाव गिर नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि लोगों की पर्चेजिंग पावर कम हो गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जिस प्रसंग में मैंने भाषण शुरू किया था और आपने मना किया उस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्रीजी, जरा ध्यान से सुनलें । मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में राइस प्रोक्योरमेंट आर्डर, 1981 के तहत जितनी भी राइस की मिलें हैं उनको 50 पर्सेंट लेवी देनी पड़ेगी । जितना भी मिलिंग करेंगी उसका 50 पर्सेन्ट वह लेवी में देगी । लेवी में देगी तो उसका रिजल्ट यह होगा, जैसे बाजार में 350 से लेकर 400 रुपये क्विन्टल का भाव हो तो लेवी में हम 188 रुपये क्विन्टल के हिसाब से चावल खरीदते हैं । मैं समझता हूँ, यह आंकड़े सरकार स्वीकार करेगी । अब जरा इसका अन्दाज लगाइये, अध्यक्ष महोदय, 5 मई 1982 तक जिन मिल्स के पास चावल मिलिंग के लिये आया, उन्होंने उसका 50 पर्सेन्ट जमा कर दिया एफ. सी. आई. को । एफ. सी. आई. को जमा कराकर उससे रसीद ले ली । 5 तारीख को राज्य सरकार एक आदेश निकालती है । आदेश इस बात का निकालती है कि जो कुछ मिलर्स चावल देते हैं उसको एफ. सी. आई. स्वीकार करे । स्वीकार नहीं करे तो अस्वीकृति का उनको लैटर दे, रिजेक्शन का उनको लैटर दे । 5 मई को राज्य सरकार ने आदेश निकाला आदेश निकालने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से दो चिट्ठियां आई । एक चिट्ठी जून, 1982 में आई और एक चिट्ठी जुलाई, 82 में आई । भारत सरकार ने कहा, आप यह इन्सिस्ट क्यों कर रहे हैं कि एफ. सी. आई. रिजेक्शन सर्टिफिकेट दे । आप इन्सिस्ट इस बात के लिये करिये कि मीलर्स से जो बढ़िया चावल है वह प्रोक्योरमेंट के नाते फूड कार्पोरेशन को जमा करायें । दो चिट्ठियां आई । दोनों चिट्ठियों में, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कहा कि हमारे समझ में नहीं आता राजस्थान की सरकार इस पर इन्सिस्ट क्यों कर रही है उन व्यापारियों को रिजेक्शन लैटर दिया जाय । व्यापारियों के हित में राजस्थान सरकार क्यों बोल रही है । यदि राजस्थान की सरकार इसी प्रकार से बोलती रही तो, अध्यक्ष महोदय, चावल के प्रोक्योरमेंट के जो टार्गेट हैं वह पूरे नहीं होंगे । अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों किया गया ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर की नानूराम भीखाराम फर्म, थानचन्द लक्ष्मीचन्द नाम की फर्म, जैन दाल एण्ड राइस मिल, हनुमानगढ़ की भगवन्ती राइस मिल, नव भारत राइस मिल, अग्रवाल एजेन्सी मिल और पीलीबंगा की लक्ष्मी कॉटन मिल्स और पेड़ीवाल ब्रादर्स, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 80 हजार बोरियां जो इनको प्रोक्योरमेंट में जमा करानी चाहिये थी, 80 हजार बैग्स जो इनको प्राक्योरमेंट के नाते एफ. सी. आई. को देने चाहिये थे, एफ. सी. आई. गोदाम से रिजेक्शन सर्टिफिकेट लिया और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार से ले लिया । अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 20 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से सौदा हुआ है । यह सौदा 16 लाख रुपये का हुआ है । मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज राजस्थान की जनता को चावल नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिल रहा है ? भारत सरकार ने चावल अलॉट नहीं किया है । उस अलॉटमेंट के अगेन्स्ट में जो हम प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं वह प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है । प्रोक्योरमेंट इसलिये नहीं हो रहा है कि लोग अपने हाथ उसमें से भर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, खाने में भी आप चाहें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नुकसान नहीं हुआ है कि हमें 80 हजार बोरियां नहीं मिलीं । यदि 80 हजार बोरियां हम जमा कराते तो हमें बोनस मिलता । माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री जी जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट पर हमें बोनस मिलता है । यदि बोनस मिलता 10 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, तो राजस्थान की सरकार को 8 लाख रुपया मिलता । 8 लाख रुपये का बोनस मिलता, बफर स्टॉक तैयार होता । हमें भारत सरकार से चावल कम मिल रहा है उसकी शिकायत नहीं रहती । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है, चावल का प्रोक्योरमेंट आज से शुरू नहीं हुआ, वर्षों पूर्व चावल का प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है उस व्यवस्था के बावजूद यह आर्डर राजस्थान सरकार को करने की क्या आवश्यकता हुई कि ब्रोकन राइस यदि आप लेकर जाते हैं और अगर एफ. सी. आई. उसको स्वीकार नहीं करती तो आप को रिजेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उस रिजेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से उसको एग्जम्प्ट करेगी ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं, और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यह दोनों आॅर्डर और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप अभी जब्त करें, आप को पता लग जायेगा कि इसमें कितना घपला है और किसने घपला किया है । इस घपले को रोकने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, आज के युग में जब हम अनाज के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, चावल हमें नहीं मिल रहा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं उस समय यदि हम कमाने की दृष्टि से व्यापारियों के साथ समझौता करके राजस्थान के चावल को वह जहां चाहे वहां बेचें, इस प्रकार की व्यवस्था करके चलें तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि सरकार में कुछ दाल में काला है, राजस्थान की जनता का सरकार के सामने हित नहीं है, राजस्थान की जनता के पहले कुछ और लोग अपना हित सम्पादित करना चाहते हैं । मुख्य मंत्रीजी उनको रोकें, रोकने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा । यदि आप इस संबंध में आज उत्तर दें तो मैं आपको और भी प्रमाण दूंगा कि इसमें कहां और किस प्रकार के घोटाले हुए हैं, कहां और किस प्रकार से जनता का शोषण किया गया है । आप तो अभी एहतियात के तौर पर वह सारी फाइलें और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट रिजेक्शन लैटर सारे के सारे जब्त करके अपने कब्जे में कर लीजिये, आपको अपने आप अवांछित मालूम हो जायेगा कि कहां, किस जगह दाल में काला छिपा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल यही स्थिति नहीं है कि केवल बाड़मेर में लोग मर गये । 1982 में 8 व्यक्ति दूषित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शराब पीकर मर गये, 2 व्यक्ति विषैला पानी पीकर मर गये, शेरगढ़ में मरे। अलवर में 6 व्यक्तियों की अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई, विषाक्त भोजन से 12 व्यक्ति मर गये। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, नीम हकीमों ने 53 व्यक्तियों की तो दोनों आखें खत्म कर दी और 60 व्यक्तियों की एक-एक आंख ले बैठे। मैं सरकार से जानकारी करना चाहूंगा, जिन लोगों ने एडलटेटेड शराब बेची, उनके खिलाफ आज तक क्या एक्शन लिया? जिन लोगों ने विषाक्त भोजन खिलाया उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? जिन लोगों ने विषैला पानी पीया, वह किन परिस्थितियों में पानी पी गये और क्यों मरे। क्या मुख्य मंत्रीजी इनका जवाब दे सकते हैं? राज्य में इस प्रकार की घटना हो जाय, हम उसको इजीली टोलरेट कर लें, लोग पानी पीकर मरें और राजस्थान की सरकार उस पर नहीं बोले, विषाक्त भोजन खाकर हम मरें राजस्थान की सरकार उस पर नहीं बोले तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे चिन्ता नहीं होती है। आदमी की मौत पर चाहे वह विषैला पानी पीये, चाहे विषैली शराब पिये, चाहे विषैला-खाना खाये और चाहे लोग नीम हकीमों के नाम पर लोगों की आंख फोड़ दें, राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में जब आंख फोड़ काण्ड पर चर्चा हुई थी उस चर्चा के समय माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की थी कि नीम हकीम लोगों के आपरेशन नहीं कर सकें, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सके उस सम्बन्ध में सदन के अन्तिम समय से पूर्व कानून सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। सरकार तो भाग रही है और सरकार के साथ कानून भी भाग रहा है। उन नीम हकीमों को छूट है कि वे कैम्प लगायें, लोगों की आंख फोड़ें हम सरकार से निवेदन करें और सरकार घोषणा करे कि वह कानून बनाने वाले हैं किन्तु उस प्रकार का कानून नहीं बने तो मुझे कहना पड़ेगा कि इस सरकार की मंशा जनहित की नहीं है। इस सरकार की मंशा दुकान के रूप में सरकार चलाने की है। जनहित करने वाली सरकार होती तो निश्चित रूप से इस सदन में पहला कानून पेश किया जाता कि जो ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं हैं वह आज के बाद किसी प्रकार का सर्जिकल कैम्प नहीं लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिर सरकार की छवि इस पर बहुत निर्भर करती है कि सरकार की परफोरमेंस कैसी है। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि आज सरकार नान परफोरमेंस के लिये मशहूर है। इस सरकार की किसी क्षेत्र में कोई परफोरमेंस नहीं है

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, एक रेलवे की विज्ञप्ति निकली है आज से तीन दिन पहले, सरकार की छवि का उससे अन्दाज लगाया जा सकता है भरतपुर—आगरा के बीच यात्रियों की आम सुविधा के वास्ते पश्चिम रेलवे प्रशासन निरन्तर प्रयत्नशील रहा है और इस प्रकरण के अन्तर्गत गत वर्ष 22 डाउन एवं 21 अप आगरा सुपर फास्ट का संचालन प्रारम्भ किया गया परन्तु निरन्तर कुछ असामाजिक तत्वों ने आमतौर पर यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा कष्टमय बनाने में संलग्न होने के साथ-साथ अब ड्राइवरों, फायरमैनों, सुरक्षा बल के सैनिकों व अन्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कार्यरत अधिकारियों को पीटना, अकारण जंजीरें खींचना तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ करना एक सामान्य गतिविधि कर दी है। इन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं जिसका असर शान्ति-प्रिय यात्रियों पर ही पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, अब तो विज्ञप्तियां निकल रही हैं"............

श्री शिवचरण माथुर : किसकी हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लेफ्टीनेंट कर्नल एम. जी. पोतदार, मंडल रेल प्रवन्धक, पश्चिम रेलवे, जयपुर।

श्री शिवचरण माथुर : कौनसा सैक्शन है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैक्शन है भरतपुर आगरा। यह तो मैंने पढ़ कर ही सुना दिया। आगे है.....

"हम यात्रियों से पुनः प्रार्थना करते हैं कि असामाजिक तत्वों को पकड़वाने में सुरक्षा बल व पुलिस की मदद के साथ साथ उनका सामूहिक बहिष्कार करें। अगर इस ओर सुधार नहीं हो सका तो विवश होकर हमें यात्री गाड़ियों को इस क्षेत्र में कम करनी पड़ेगी और अन्त में रद्द करने का दुखद निर्णय लेना पड़ेगा। अतः आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आपका सहयोग रेल संचालन में वांछनीय है।"

इससे आप अन्दाजा लगा लें कि सरकार की किस प्रकार की छवि है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में स्थिति यह है कि यू. पी. के इलाके के अन्दर यह कार्यवाही हो रही है। आगरा-भरतपुर और भरतपुर आगरा के बीच में जो गाड़ियां चल रही हैं इसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। यह आपकी जानकारी के लिये बता दूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान में भी है भरतपुर के लोग परेशान है उसका क्या होगा ?

श्री राजबहादुर : भयंकर समस्या है भरतपुर और धौलपुर के इलाके में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो स्थिति है, अछनेरा और आगरा के बीच में है। अछनेरा और आगरा के बीच में बिचपुरी स्टेशन आता है, यह वहां की स्थिति है। मैं बताना चाहूंगा आपको, अछनेरा भी यू. पी. में है। आगरा और अछनेरा के बीच बिचपुरी स्टेशन की जो स्थिति है वह आपको बताना चहता हूं.........

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : आज राजस्थान पत्रिका में यह निकला है- उसमें लिखा है, कि "अतः रेलवे मंडल राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिख रहा है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने को कहें ताकि रेलों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इन सूत्रों ने बताया है कि 19 फरवरी, 8 मार्च, और 15 मार्च की घटनाओं को मंडल ने काफी गम्भीर माना है तथा इन्हीं घटनाओं ने यह कार्यवाही करने को बाध्य किया है। बिचपुरी के पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 19 फरवरी की शाम जब "पैलेश आन व्हील" विशेष रेल-

(श्री शिवचरण माथुर)
गाड़ी विदेशी पर्यटकों को लेकर आगरा जा रही थी तो रायबा-बिचपुरी रेलवे स्टेशनों के बीच 12/8 किलोमीटर के निशान के समीप करीब एक सौ छात्रों व समाज कंटकों ने गाड़ी को रोक लिया।"

यह उस सेक्शन के बारे में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मुझे मालूम है। वह खबर मैंने भी पढ़ ली और आपने भी पढ़ी है। आप साथ लेकर आये हैं, बड़े सावधान हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान पत्रिका को पढ़कर यदि यह संतोष करलें कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय राज्य मंत्री ने अपने मुंह से यू. पी. सरकार की बुराई की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना ना.........

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को बात को रखने में तो भगवान ने ईश्वर ने कला दी है तो बड़े वो उससे प्रस्तुत करते हैं। जब फ़ैक्चुएल पोजिशन में आ जाते हैं, कहीं पकड़ लिये जाते हैं तो कहते हैं, साहब, यू. पी. सरकार की बुराई कर दी। बुराई का प्रश्न नहीं है, मैंने तो जो फैक्चुअल पोजिशन थी उससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराया है। यह अचनेरा और आगरा के बीच में जो टुकड़ा है, 18 मील का टुकड़ा है। उसमें बिचपुरी और रायबा के बीच में वारदात होती है। क्यों कि उस इलाके में से मेरा संबंध काफी है। इसलिये जानता हूं और आपको अर्ज कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि आपका जिस इलाके से संबंध होता है वहां डकैतियां बहुत होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, बीच की एक लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सोचा मुख्य मंत्रीजी का जवाब आयेगा तब ही पढ़ूंगा। उसमें लिखा है,

"समय-समय पर प्रादेशिक पुलिस उच्चाधिकारियों का ध्यान दिलवाने पर भी वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर रह जाते हैं।"

आपको भी लिखा है। आपको भी बहुत लैटर लिखे हैं ऐसी बात नहीं है। विज्ञप्ति तो बहुत मजबूरी में निकाली है, बहुत बाद में निकाली है। आपको लैटर लिखे, आई. जी. को लैटर लिखे, एस. पी. को लेटर लिखे। सब लैटर पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है। अब, अध्यक्ष महोदय, इतना अन्दाज लगा लें, हिन्दुस्तान में, मैं समझता हूं यह पहली विज्ञप्ति होगी जिसमें सार्वजनिक रूप से एक डिपार्टमेंट कहता हो लॉ एण्ड आर्डर हमारे कन्ट्रोल में नहीं है। यात्रियों से निवेदन कर रहा हो सरकार के ऊपर भरोसा मत करो, असामाजिक तत्वों से लड़ना हो तो खुद लड़ो। अब इससे आप अन्दाज लगा लें, राजस्थान में भरतपुर की जो स्थिति है या भरतपुर के पास की जो स्थिति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, वह किस प्रकार की है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार यह कह सकती है कि हमारे यहां तो ट्रेन सुरक्षित है । मुख्य मंत्री जी, आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं, 1 अप्रैल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक 14 केसेज बस और ट्रेन डकैती के हैं । गाड़ियों और बसों में लूटमार के 13 केसेज हुए हैं । 1,01,338 रुपये की प्रोपर्टी इनमें इन्वाल्ड है । 5 आदमी इसमें घायल हुए हैं । तो आप यह नहीं समझें कि यू. पी. में ही रेलों में डकैतियां हो रही हैं, मैं आंकड़ों से यह सिद्ध कर रहा हूं कि राजस्थान में भी डकैतियां हो रही हैं । इसलिये यह समझ कर नहीं चलें कि हमें यू. पी. की सरकार को लिखना है, आप तो राजस्थान में जो रोज ये गाड़ियां लुटती हैं, बसें लुटती हैं इसका इन्तजाम करो । आज तो रेलवे के महाप्रबन्धक ने यह नोटिस निकाला है, कहीं ऐसा न हो कि बाद में एस. आर. टी. सी. के चेयरमैन को नोटिस निकालना पड़े कि गाड़ियों में जाना है तो अपनी हिफाजत का खुद इन्तजाम करके जाओ, हम तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकते । इसलिये मैं कहता हूं, आपको यहां भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कानून की स्थिति कैसी है, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करना चाहूंगा । राजस्थान में इस वर्ष 9.78.........

श्री शिवचरण माथुर : बहुत चर्चा हो गई इस पर तो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा । बहुत चर्चा हो चुकी लेकिन एक बात पर चर्चा नहीं हुई । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात रेलवे की मैंने कह दी । रेलवे में जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा लेकिन उसके पूर्व यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो बाहर से लोग आते हैं उनकी स्थिति क्या है । इसके बारे में आप चिन्तित होंगे । अध्यक्ष महोदय, जयपुर में एक औरत, विदेशी महिला, सिडनी की महिला, चमेली वालों के बाग में एक होटल में ठहरी । कुछ लोग रात को 9 बजे गाड़ी लेकर गये । उस होटल में से उस महिला को पकड़कर पांच आदमी कार में डालकर जंगल में ले गये । किसी तरकीब से वह जंगल से छूटी । छूटने के बाद वापस आकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई । चमेली बाजार विधायकों के मकान के पास.........

श्री अध्यक्ष : विदेशी पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी बात कहने से मेरे खयाल से उनके मन में यह लगेगा कि यहां पर कुछ अव्यवस्था है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था हो ताकि उनमें इस प्रकार की फीलिंग पैदा न हो । अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा, उदयपुर में एक सैशन जज साहब हाथ देखते देखते चले गये । एक विदेशी महिला के साथ उन्होंने भी मालस्टेशन किया । उनके खिलाफ भी आज तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया । अध्यक्ष महोदय, एक विदेशी नागरिक को पुष्कर मेले में पुलिस ने लूट लिया । अब यह किस बात के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि अगर विदेशी वाहर जाकर हिन्दुस्तान के बारे में और राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका आप अंदाज लगा लें। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर और कमजोर वर्ग के लोगों पर। मुख्य मंत्री जी, आपको मालूम है कि 1982-83 में अनुसूचित जातियों के 46 व्यक्तियों की हत्या हुई, 212 व्यक्तियों के गम्भीर चोटें आयीं, 63 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और 87 केसेज ऐसे हैं जिनमें उनकी प्रापर्टी का जबर्दस्त नुकसान हुआ। इन घटनाओं में 49 व्यक्ति मारे गये, 400 व्यक्ति घायल हुए। आपने इन सब लोगों के लिये व्यवस्था की कि अब हम अलग-अलग कोर्टस बनायेंगे। उन कोर्टस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जा सकेंगे और कोर्टस में उन मसलों का निराकरण कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, 80 से '83 तक 1231 रेप केसेज राजस्थान में हुए हैं आपका राज आने के बाद, उनमें 293 महिलायें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आखिर इन लोगों ने कौनसा जुर्म किया है जिस जुर्म के कारण आपने एक व्यवस्था और कर दी कि भविष्य में इनके सब केसेज जहां-जहां हम कोर्टस फिक्स-अप करते हैं वहीं पर फाइल होंगे। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, एक साल पहले भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री बृज सुन्दर शर्मा ने यहां घोषणा की कि अमुक-अमुक स्थानों पर नयी कोर्टस स्थापित की जायें, एक वर्ष का पूरा समय निकल गया आज तक कोर्टस स्थापित नहीं हुई। कोर्टस तो स्थापित हुई नहीं, जिन कोर्टस में जो मामले चल रहे थे वहां उन मामलों को बन्द कर दिया गया। यह कह कर बन्द कर दिया गया कि नयी कोर्टस में यह मामले ट्रांसफर होंगे। नयी कोर्टस का पता नहीं है, जिन लोगों ने अन्याय किया वह छूट कर आराम कर रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जिस प्रकार खराब होती जा रही है और लोगों के सामने जिस प्रकार समस्यायें खड़ी हो रही हैं, मुख्य मंत्री जी, इस बारे में यह सोच कर नहीं चलें कि यह केवल यू. पी. का ही मामला है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दो मसलों की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो पिछले सत्र में जीरा और रायड़ा के संबंध में यहां चर्चा हुई थी कि उनके ऊपर राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स लगा दिया। राज्य सरकार ने यह कहा कि हमने सेल्स टैक्स नहीं लगाया एक्सपोर्ट पर, लेकिन नीचे के अधिकारियों की कुछ गलती के कारण किसानों से 4 प्रतिशत टैक्स वसूल कर लिया। अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी कि इसकी जांच करायी जायेगी। वर्तमान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जांच हो गयी, कुछ अधिकारियों को सस्पैण्ड

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने वाले हैं । शायद उन्होंने संख्या भी बतायी 58 आदमियों की । 58 में कुछ ए. सी. टी. ओ. हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, बाकी इन्सपैक्टर वगैरह इस प्रकार हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकारी आंकड़ों और सरकारी पत्रावलियों में जो कुछ देख पाया हूं उससे मुझे लगा कि 1982 के अन्दर जीरे का प्रोडक्शन 88,900 क्वि. हुआ था उसमें से 3500 क्विन्टल चेक पोस्ट के रिकार्ड के हिसाब से एक्सपोर्ट हो गया जिसकी एन्ट्री सब जगह की गयी । उस हिसाब से 85,400 क्विन्टल का बैलेंस रहता है । अध्यक्ष महोदय, उस समय के जीरे के भाव के हिसाब से 85,400 क्विन्टल जीरा 13 करोड़ 66 लाख 40 हजार रुपये का होता है । उस जीरे पर 4 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगे तो 52 लाख रुपया टैक्स का होता है । 52 लाख में से भी, यदि हम यह समझें कि 20 प्रतिशत यहीं पर रह गया और 80 प्रतिशत की निकासी हो गयी, 40 लाख रुपये का तो टैक्स वसूल होना चाहिये । इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, एक लाख 50 हजार बोरियां जीरे की होती हैं । 10 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से एक्सेस किराया वसूल किया, जो सरकार ने स्वीकार किया । उसके हिसाब से 15 लाख का वजन किसानों पर पड़ा । यही हालत रायड़ा और तारामीरा की है । 5 लाख 44 हजार क्विन्टल का प्रोडक्शन हुआ । एक लाख 30 हजार क्विन्टल का एक्सपोर्ट हुआ । चैक पोस्ट के थ्रू । 4 लाख 10 हजार क्विन्टल फिर भी बचा । इसका यदि 300 रुपये क्विन्टल की रेट से हिसाब लगायें तो 12 करोड़ रुपये का यह माल होता है । आधा सुमेरपुर में रह गया और राजस्थान की मण्डियों में रह गया और आधा ऊंझा गुजरात चला गया । यह बिना किसी जमा खर्च के गया । 6 लाख बोरियां बिना किसी जमा खर्च के गयी । 4 प्रतिशत टैक्स का हिसाब लगायें तो 24 लाख का टैक्स वहां होता है । 24 लाख रुपये का टैक्स वह नहीं मिला । इतनी बोरियां होती हैं, 2 लाख रुपये ट्रक वालों ने यदि इन बोरियों के ज्यादा लिये तो 4 लाख रुपये किसानों से ज्यादा लिये । अध्यक्ष महोदय, जीरा और रायड़ा में टैक्स की चोरी हुई, 64 लाख रुपये की । काश्तकारों को अतिरिक्त भाड़ा और अन्य खर्च देना पड़ा, 19 लाख रुपया । कुल 83 लाख रुपये तो जालौर डिस्ट्रिक्ट के हैं । बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का टोटल माल 1/3 है, मैंने आंकड़ों से देखा है, उस 1/3 को यदि इसमें शामिल किया जाये तो 27 लाख रुपया यह होता है । इस प्रकार एक करोड़ 10 लाख का यह घपला हुआ । एक करोड़ और 10 लाख रुपये का घपला हो जाय और माननीय मंत्री महोदय यहां कहकर चले जायें कि हमने जांच करा ली और जांच कराने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या इसमें कुछ इन्सपेक्टर्स इन्वाल्व्ड हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं है और आप देंगे भी नहीं । लेकिन यहां पर मेरे पास एक कागज है, वह कागज डिप्टी इन्सपेक्टर्स जनरल ने इस जांच के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुपरिण्टेण्डेन्ट के पास भेजा है कि तुम इस आधार पर केस बनाओ, यह हमारी फाइंडिंग है। इन फाइंडिग्स को यदि आप पढ़ लें तो मैं समझता हूं, आप पायेंगे कि दोष नीचे के कर्मचारियों को देने की आवश्यकता नहीं है, दोष तो कहीं ऊपर है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अब दोष ऊपर कैसे रह गया? अध्यक्ष महोदय, यदि समय हो, काश्तकारों का मसला है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स अमेण्डमेंट बिल, 1980, सदन में प्रस्तुत हुआ। इसमें लिखा है

"In the first proviso of sec. 2 of Rajasthan Sales Tax Act. 1954 Rajasthan Act 29 wherein after referred to at the principal Act between the words 'proceeds of the' and the words 'By a person' the words 'made within the state' shall be inserted"

"Made within the State"

सेल्स टैक्स की डेफिनेशन के अनुसार राजस्थान के भीतर किसान यदि अनाज बेचता है तो इस सेल प्रोसीड को अपने टर्न ओवर में शामिल नहीं करें, इस प्रकार की कानून के द्वारा व्यवस्था की गई है। अब मेरी समझ में नहीं आता, राजस्थान के बाहर यदि कोई काश्तकार बेचे तो वैसे ही सेल प्रोसीड में नहीं आता है। जब सेल प्रोसीड में नहीं आता तो यह अमेण्डमेंट करने की आवश्यकता क्या थी? काश्तकार का अनाज स्वयं काश्तकार बेचे तो उसकी सेल प्रोसीड टर्न ओवर में शामिल नहीं होगी, राजस्थान में बेचे तो टर्न ओवर में शामिल नहीं होगी, लेकिन बाहर बेचेगा तो वह टर्न ओवर में शामिल करली जायेगी। उसका, अध्यक्ष महोदय, अनर्थ निकाला है। अनर्थ कोई एक दिन निकाला हो ऐसी बात नहीं है, एक दिन तक यह मसला चलता रहा हो ऐसी बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर दे दिया, चैक पोस्ट को कह दिया कि यदि यहां से कोई काश्तकार जीरा, रायड़ा ले जाता है तो उसके ऊपर 4 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा। उन्होंने 4 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात शुरू की लेकिन आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, टैक्स लगाने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हाई कोर्ट में रिट पेश की गयी, 1-5-82 को। उस रिट में यह कहा गया कि राजस्थान कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत किसान द्वारा पैदा किये हुए माल की बिक्री पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वह रिट पेश की गयी 1-5-82 को। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कनकराज जी यहां हैं नहीं। कनकराज जी मिले। कनकराजजी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरकार से कहा कि किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूल नहीं होना चाहिये। फिर भी टैक्स वसूल किया गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके बाद सूरजपालसिंह जी एम. एल. ए., रतनाराम जी, हेमाराम जी और अमरारामजी आपसे मिले। इन्होंने आपसे कहा कि किसानों से टैक्स लिया जा रहा है इससे मुक्ति दिलाओ। आपने कुछ बात की, किससे बात की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कह नहीं सकता। शायद वित्त मंत्रीजी से बात की होगी या सेल्स टैक्स कमिश्नर से बात की होगी।

श्री परसराम मदेरणा : आगे भी आप ही बता दो न कि किससे बात की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दो न। मैं कहीं गलती कर जाऊं, आप करेक्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बात की और बात करके एम. एल. ए. से कहा कि विधान सभा में तो आप सतर्क नहीं रहते, कानून बन गया विधान सभा में, इसलिये टैक्स लगेगा। यह बात करने के बाद में आपने कहा। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें, मैं आपको गवाही देने के लिये नहीं बोल रहा हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपसे भी कुछ काश्तकार मिले। उन काश्तकारों से आप ने कहा कि टैक्स नहीं लग सकता। काश्तकारों ने कहा, वसूल किया जा रहा है। आपने भी टैक्स के संबंध में जयपुर में बात की। जयपुर में बात करने के बाद में आपने कहा कि भाई यह तो टैक्स लगेगा, कानून बन गया। अब अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कौनसा कानून बन गया था? जिस कानून के अन्तर्गत यह टैक्स वसूल किया गया वह कानून कौन सा बन गया था? विधान सभा में 13-9-1982 को जब इस पर चर्चा हुई और सदन के माननीय सदस्य उत्तेजित हुए उस समय सरकार की ओर से घोषणा की गई कि हमारा टैक्स लगाने का तो इरादा नहीं था लेकिन नीचे के अधिकारियों ने टैक्स लगा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नीचे के अधिकारियों ने टैक्स लगा दिया वह तो सही है। उस समय एक बात यह भी कही गई थी कि किसानों से जो 30 हजार रुपये वसूल किये गये हैं वह रुपये वापस जमा करा दिये जायेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 1 लाख 30 हजार रुपये किसानों से वसूल किये गये, उसमें से आज तक एक किसान को एक कौड़ी भी वापस नहीं की गई। इस सदन में घोषणा करने के बाद में एक पैसा वापस नहीं दिया गया। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस मसले को आप छोटा मान कर नहीं चलें। कहां गलती हुई है, क्या इस तरह का अमेण्डमेंट सरकार की अनुमति के बिना नहीं आया? क्या सरकार के इस अमेण्डमेंट के तहत विभाग ने जो सर्क्यूलर निकाले, जो अमेण्डमेंट किये वह इस तरह के नहीं निकले?

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, विभाग को जब जानकारी दी गई कि 4 परसेन्ट टैक्स वसूल किया जा रहा है जो विभाग ने कहा, कोई बात नहीं। काश्तकार और व्यापारी के बीच में तुम किसी प्रकार का भेद नहीं कर पाते, तय नहीं कर पाते कि यह चीज काश्तकार की है या व्यापारी की तो उसके ऊपर पैनल्टी लगाओ। 20 परसेंट की पैनल्टी काश्तकारों से वसूल की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अन्याय किसानों के साथ सरकार के कानून के अन्तर्गत हो कानून के गलत इन्टरप्रेटेशन के कारण से हो, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, अयोग्य अधिकारियों के कारण यदि किसानों को इस तरह से लूटा जाय तो सबके लिये चिन्ता का विषय है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले की जांच एन्टी-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करप्शन डिपार्टमेंट से कराने से काम नहीं चलेगा, जिस कानून के अन्तर्गत आपने यह नोटिफिकेशन्स इश्यू किये गये है, जो अमेण्डमेंट आपने किया है, सदन की भावनाओं के विपरीत जो अमेण्डमेंट किया है, जहां से अमेण्डमेंट जारी हुआ, कमिश्नर से लेकर नीचे तक जो भी अधिकारी दोषी हैं उन सबके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को यहीं पर समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। इसी संबंध में...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची पारित की जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया गया है।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यहां कई बार उठ चुका है। सरकार बड़ी चतुराई से उसका जवाब दे रही है। माननीय पी. एच. ई. डी. के मिनिस्टर साहब, परसों या दो दिन पहले यह कह गये, " न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी"। यह हैण्ड पम्प्स के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, राज्य सरकार ने एक आर्डर निकाला है। आर्डर यह निकाला है कि वह कान्ट्रेक्ट कैंसिल किया है। जितने भी हैण्ड पम्पस् के मामले हैं उनको राज्य सरकार ने कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन के आर्डर, अध्यक्ष महोदय, पढ़ने लायक हैं। एक ही पेज का आर्डर है लेकिन मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यह आर्डर, 11 मार्च, 1983 का है। इसमें लिखा है —

"Whereas an agreement was made on 12th day of march, 1981, between the Governer of the State of Rajasthan and M/s. H. R. Traders. Bhilwara, (hereafter referred to be as rate contractors) for drilling of tubewells and installation of hand pumps and construction of civil works, as per negotiations held on 4th September, 1980...."

अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट हुआ। जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को यह कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, उसके रीजन्स क्या दे रहे हैं? रीजन्स हैं:—

"whereas the target for drilling of the tubewells and installation of handpumps was given to private contractors as visualised during the negotiations in the above mentioned agreement, have already completed......"

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कान्ट्रैक्ट तब खत्म कर रहे हैं, जब काम पूरा हो गया है। मैं समझता हूं कि इस अहसान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। काम पूरा हो गया उसके बाद में आप कान्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आगे भी लिखा है। मैं समझता हूं। इस सदन का अपमान किया है। माननीय मन्त्री महोदय ने जब यह कहा कि इसमें कोई गडबड़ नहीं है। आगे लिख रहे हैं: –

"And whereas the work of the rate contract in respect of its progress as well as the quality of the work has been found to be unsatisfactory...."

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं भी कह चुका हूं, सदन के कई माननीय सदस्य भी कह चुके हैं कि हैंडपम्प्स का ड्रीलिंग का मामला बहुत अनसैटिसफैक्टरी है। सरकार ने उसको स्वीकार किया। सरकार ने आज अपने ही शब्दों में स्वीकार किया। अपने शब्दों में स्वीकार किया लेकिन सदन में स्वीकार नहीं किया। सदन में जब इसकी चर्चा उठाई गई, तो हैंण्पम्प्स बनाने वाले कम्पनीज की तरफ से ही सही था, यहां सरकार की तरफ से उनको पूरा एक तरह का प्रोटेक्शन दिया गया, पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन सरकार यह मान रही है कि वर्क उनमें सैटिसफैक्टरी रहा—

"And whereas the said rate contractors, with the convinance of others, including Government officers, had procured by fraudulent means the so-called Compromise agreement dated 1st/2nd February 1983, or there about the terms of which are unilateraly unduly beneficial and advantageous to the rate contract only, and by doing so, has forfeited the confidence of the Government and whereas it is contrary to public policy and opposed to public interest to permit the said rate contractor to work further."

यह फरदर का सवाल कहां पैदा हो गया? जब आप कह रहे हैं कि उसने काम कम्पलीट कर लिया है.........

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पैदा होता है जिसमें 18 महीने आगे बढ़ाने की बात है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम्प्रोमाइज तो उन्होंने किया था ना। कम्प्रोमाइज तो आपने विथड्रा कर लिया। कम्प्रोमाइज कहां एग्जिस्ट्स करता है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : विथड्रा करने का प्रश्न नहीं है। मेरी बात सुनिये, कम्प्रोमाइज हमारे विथड्रा करने से नहीं होता है, कोर्ट में पेश किया है और अभी तक मामला चल रहा है।

It is pending in the Court

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोर्ट में मामला पैंडिंग है तो आपके इस टर्मिनेशन का क्या इफेक्ट होगा?

श्री परसराम मदेरणा : इस टर्मिनेशन का इफेक्ट जो लॉ जानते हैं वह समझते हैं। टर्मिनेशन हो गया, उसके बीच में हम कट माफ लगा कर, जब कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
भी नहीं हुआ तो फिर कम्प्रोमाइज, और पीरियड, टर्म आगे बढ़ाने का प्रश्न कहां है ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जब उसमें यह लफ्ज आ गये, कम्पलीट कर दिया उन्होंने काम, his part of the contract he has performed. तो वह स्पेसिफिक परफोर्मेंस के आधार पर आपसे एक एक पैसा वसूल कर सकता हैं, आप उसका फाल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते ? आपने इसमें लिखा ही क्यों है कि उन्होंने अपना कान्ट्रेक्ट पूरा कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : अब इसकी पूरी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राजबहादुर : बीच में बात आ गई थी इसलिये निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कोर्ट में मामला पेंडिंग है इसलिये हमने फरदर शब्द का यूज किया है। आइन्दा उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाय इसलिये हमने यह किया है।

श्री परसराम मदेरणा : और भी कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, रेट कान्ट्रेक्ट के संबंध में राजस्थान सरकार की एक बनी बनाई व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आधार पर सारे रेट कान्ट्रेक्ट दिये जाते हैं। उसका जो क्लाज 32 है उस क्लाज 32 में लिखा है—

"If the engineer incharge shall at any time for any reason whatsoever think that the portion of the work should be executed or should be withdrawn from the contract, he may, by notice in writing to the effect, require the contractor not to execute the portion of the work specified in the notice or may withdraw from the contract or the portion of the work so specified and the contractor shall not be entitled to any compensation by the reasons whatever they may be."

अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं, यह कान्ट्रेक्ट की एक सर्वमान्य व्यवस्था है जो सब विभागों पर लागू है, इसको आपने लागू क्यों नहीं किया ? आपको कब मालूम हुआ कि वर्क अनसैटिस्फैक्टरी है ? जिस समय आपको मालूम हुआ कि वर्क अनसैटिस्फैक्टरी है उस समय आपने इस क्लाज के अन्तर्गत काम क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, काम पूरा हुआ।

अब काम पूरा कैसे होता है ? मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय रेट कान्ट्रेक्ट किया गया, उस समय 11 हजार हैण्ड पम्प एन्वीशेट किये गये थे, 11 हजार हैण्ड पम्प प्राईवेट पार्टीज से कराने हैं। उनके अगेन्स्ट में 21 हजार उनसे करवाये हैं। रेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कान्ट्रैक्ट में जिस फाइनेन्स कमेटी का जिक्र करते हैं उस फाइनेंस कमेटी ने यह लिखा है, कि 20 पर्सेन्ट का वेरियेशन हो सकता है। 20 पर्सेंट पाइंट कम भी दिये जा सकते हैं, 20 पर्सेंट ज्यादा भी दिये जा सकते हैं। उस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, यदि आप विचार करें तो 21 हजार हैण्ड पम्पस् का कैसे काम दिया गया? माननीय मंत्री महोदय मुझे सही करेंगे, यह कान्ट्रैक्ट किस तारीख से शुरु होता है? अध्यक्ष महोदय, यह भी बड़ा डिस्प्यूट है। कान्ट्रैक्ट किया गया 12 मार्च, सन् 1981 को। 12 मार्च सन 1981 को तो कान्ट्रैक्ट किया गया और लिखते यह है कि यह कान्ट्रैक्ट सितम्बर, '80 से चालू होगा। अब आप कान्ट्रैक्ट में वही समय का प्रश्न आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा वह एग्रीमेंट, जो हुआ है। उस एग्रीमेंट में लिखा है,—

"The above agreement with the above contractor will remain in force for three years from September 1, 1980."

कान्ट्रैक्ट किया, 12 मार्च, 1981 को। उसको चालू किया उस समय से। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कोर्ट में ये कौनसा स्टेण्ड ले रहे हैं और कौनसा स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, शायद आपके ध्यान में यह बात आई या नहीं आई लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए।

(व्यवधान)

वह मैं बताऊंगा आपको दो कम्पनीज हैं। एक तो जनरल एजेन्सी और एक मराठवाड़ा बोरिंग कम्पनी। इनको आपने 1530 पाइन्ट का काम दिया था। 1530 पाइंट में 1328 पाइंट ये पूरे नहीं कर पाये जो स्टीपुलेटेड पीरीयड था। उसमें। और पूरे नहीं कर पाये तो उसी समय आपको एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहिये था। आपने उस समय एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं किया। केवल 300 पाइंट इन्होंने दिये और 1328 बाकी रह गये। उस समय आपको एक्शन लेना चाहिये था लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी मजेदार बात कहकर मैं इस बात का अन्त करना चाहूंगा। मजेदार बात यह है अध्यक्ष महोदय, इसमें एक 32 एम.एम.जी. आई. पाइप लगता है उस 32 एम.एम.जी. आई. पाइंट की डी. जी. एस. एण्ड डी. की रेट, जो मेरे पास किताब है उस किताब के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, केवल बीस रुपये होती है जो इनके स्टोर में पड़ा हुआ है। पी. एच. ई. डी. के स्टोर में यह 32 एम. एम. जी. आई. पाइप पड़ा हुआ है। यह पाइप कान्ट्रेक्टर्स को देते हैं। कान्ट्रेक्टर्स ये पाइप ले जाते हैं। पाइप का भुगतान 20 रुपये का करते हैं लेकिन ट्यूब वैल में पाइप लगाने के बाद में वह भुगतान तीस रुपये का लेते हैं। यह आपने कहीं नहीं सुना होगा। सरकार गोदाम से तो 20 रुपये की कीमत देकर पाइप ले जाय और सरकार से वसूली तीस रुपये की करे। मैं समझता हूं, ऐसा अन्याय तो कहीं नहीं देखा होगा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उसमें किराया लगता होगा ले आने का, उठाने का

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो, अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी नुक्ते की बात कही है सरकार को भी नहीं सूझ पा रही होगी।

श्री अध्यक्ष : स्टोर पर से उठाते हैं भरतपुर के स्टोर में पड़े हुए हैं और जैसलमेर ले जाते हैं तो क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर इतनी कीमत लगती हो तो ठीक है लेकिन अजमेर से दिये जायें और अजमेर में ही लगें तो क्या लेंगे ? जोधपुर से दिये जायं और जोधपुर शहर में लगें तो क्या लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय चाहें तो मैं सदन की मेज पर डी. जी. एस. एण्ड डी. की रेट जो अराउण्ड है, जिस रेट के आधार पर राजस्थान सरकार ने पाइप खरीदा है वह और जिस रेट पर राजस्थान सरकार से उन लोगों ने चार्ज लिया है वह रख सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रोविजन और है कि जो ट्यूबवेल सफल नहीं होंगे उनका पेमेंट नहीं किया जायेगा। लेकिन आज तक सरकारी रिकार्ड में यह कहीं भी नहीं लिखा है, कौनसा ट्यूबवेल असफल हो गया। असफल डिक्लेयर करने का प्रोसीजर है वह प्रोसीजर पूरा नहीं किया। इसका नतीजा यह होगा कि जो असफल हो गये उनका भी वह चार्ज करेंगे, उनका भी वह पैसा लेंगे। अन्ततोगत्वा, अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि सारा अगर आप हिसाब लगाकर देखें, मैंने, हिसाब लगाया है। 15,000/- रुपये औसत कास्ट मान लें तो ड्रिलिंग के अन्दर पांच हजार रुपये की बचत होगी। यह ड्रिलिंग की बचत में अपना कोई एस्टीमेट नहीं बनाया। डिपार्टमेंट की जो ड्रिलिंग की रेट है उस रेट से यदि प्राइवेट पार्टी का कम्पेरीजन करें तो उनमें पांच हजार रुपये का एक्सेस पेमेंट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, केसिंग पाइप, 32 एम. एस. जी. पाइप इन्स्टालेशन एण्ड प्लेटफार्म, और कैटल वाटर ट्रफ में कुल मिलाकर फिर अगर आप बचत निकालना चाहें तो एक हजार उसमें ज्यादा लगे। एक हैण्डपम्प, जिसकी औसत कीमत 15 हजार मानें, पर 6 हजार रुपये का एक्सेस पेमेंट हुआ है या 6 हजार का स्कण्डल हुआ है। यदि इसके हिसाब से पूरा हिसाब लगाकर देखें तो 12 करोड़ रुपये का हमने ज्यादा पेमेंट किया है या करना पड़ेगा। 12 करोड़ रुपये का हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा या हमने कुछ अंशों में कर दिया।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान में लोगों के पीने के पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हो या लोगों के बंगले बनें उन बंगलों के निर्माण में जिन चीजों का अभाव रह जाय उसकी पूर्ति का समाधान करना चाहते हो ? मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिये मैंने प्रारम्भ में कहा था, यह मसला ऐसा नहीं है कि जिसे माननीय मंत्री महोदय दरगुजर कर दें या सरकार दरगुजर कर दे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा की फर्म्स ने सबलेटिंग किया, कानून के विपरीत सबलेटिंग किया। सबलेटिंग करने के कारण से आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। समय के ऊपर काम पूरा नहीं किया इस कारण से उन के खिलाफ एक्शन ले सकते थे। उस समय एक्शन नहीं लेकर अब जो आर्डर निकाला है वह आर्डर ऐसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिफेक्टिव निकाला है अध्यक्ष महोदय कि विधान सभा तो तीन दिन चलेगी लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि ये फर्म्स कोर्ट से स्टे ले लेगी और सरकार फंसी पड़ी रहेगी। मुख्य मंत्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपके पास भी लैटर आये थे कि सबलेटिंग का काम चल रहा है इस सबलेटिंग के काम को बन्द किया जाय। लैटर लिखने वाले कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं थे। एक गोवर्धन रेड्डी, एम. एल. ए. हैं आन्ध्रप्रदेश के, उन्होंने आपको लैटर लिखा। उस लैटर में कुछ फर्म्स के लिये सिफारिश की कि इन्होंने राजस्थान में हैण्डपम्प का काम किया है, इनको आप काम दिला दें। वह तो केवल सिफारिश थी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उन फर्म्स का नाम दिया और यह कहा कि इन्होंने सबलेटिंग के आधार पर काम किया, तो सबलेटिंग तो कानून के अन्तर्गत बन्द है, आपने उस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया ? मुख्य मन्त्रीजी, सबलेटिंग भीलवाड़ा की फर्म्स करती रही। भीलवाड़ा की फर्म्स की केपेसिटी नहीं है। उस केपेसिटी के अगेन्स्ट में उनको ज्यादा काम दिया गया। उन्होंने सबलेटिंग किया। आज ट्यूबवैल खराब पड़े हुए हैं। हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। राजस्थान में करोड़ों रुपये का यह खर्चा किया गया, आज तो नहीं दो वर्ष के बाद में इसका एग्जामिनेशन और असेसमेंट करेंगे तो, मैं कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह एक बरबादी का कारण होगा। इसलिए मैं फिर मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सारे मसले की जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, काफी हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब अगर आप यह कहें कि इस सदन के प्रति सरकार की जिम्मेदारी किस प्रकार की है ? मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं महादेवसिंह के बारे में। महादेवसिंह एम. एल. ए. की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य मन्त्रीजी ने पिछले वर्ष घोषणा की। उस घोषणा में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि मैं दो प्रकार से इसकी जांच कराऊंगा। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कोई जांच हुई है या नहीं हुई कह नहीं सकता, लेकिन पूरे 6 महीने निकलने के बाद में आपने जांच अधिकारी नियुक्त किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में जो घोषणाएं की जायं उन घोषणाओं के साथ आपका कितना तारतम्य है, उन घोषणाओं के प्रति आप कितने सीरियस हैं, सिन्सियर हैं, उसके बारे में आप इससे अन्दाज लगा लें, महादेवसिंह के मामले की जांच के लिये आपने 20 जनवरी, 1983 को जांच अधिकारी नियुक्त किया जबकि घोषणा आपने की थी 6 महीने पहले, सितम्बर में।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जीनमाता में फायरिंग के बारे में यहां घोषणा की थी।

(5.08 म. प.)

(श्रीमाधोसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इस संबंध में क्या इन्क्वायरी रिपोर्ट आई

(श्री भैंरोंसिंह शेखावत)

है ? तीन आदमी वहां मर गये। वह जांच कम्पलीट नहीं हुई। आपने घोषणा की थी तुरन्त जांच होगी लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं वनी। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में 6 महीने पहले गोली काण्ड हुआ। उसके लिये आपने शंकरन की नियुक्ति की। 6 महीने में वह जांच भी पूरी नहीं हुई। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी घना फायरिंग के बारे में जूडिशियल इन्क्वायरी की जायगी और उसकी तुरन्त घोषणा की जायेगी। आज तक वह घोषणा नहीं हुई।

सभापति महोदय, इसी सदन में माननीय मदेरणा साहब ने घोषणा की थी। चने और चूरी के एक्सपोर्ट के मामले को मैंने उठाया और आपसे निवेदन किया कि आपकी कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार हो गया तो आप चमककर बोले मैं जांच कराऊंगा। उस जांच का क्या परिणाम निकला ? मैं समझता हूं भूल गये होंगे। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार जो भी घोषणा करें उन घोषणाओं का कितना और किस प्रकार का असर रहे इसका कोई अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी, दोनों इस सदन में यह कह कर गये थे कि घग्घर फ्लड से जो नुकसान हुआ है हम दोनों देखने जा रहे हैं और देख कर आने के बाद में इस सदन को सूचना देंगे कितना नुकसान हुआ किस प्रकार क्षति का मुआवजा दिया जायेगा भविष्य में इस प्रकार का इन्सीडेन्ट नहीं हो उस संबंध में कोई व्यवस्था करने की घोषणाएं करेंगे। मुख्य मंत्रीजी सत्र तो जा रहा है। और घोषणायें आप लेकर जा रहे हैं। न सदन को मालूम है कि आप क्या देखकर आए थे और न हमको मालूम है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों के बारे में सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, जब मैंने जयपुर उद्योग का मामला उठाया तो मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कहा कि जयपुर उद्योग हम नहीं ले सकते केवल भारत सरकार ही ले सकती है। हम इसको नहीं ले सकते। भारत सरकार से हम कहेंगे कि इसको मालिक के पास वापस न जाने दें। सभापति महोदय, वह यहां यह भी कह गए कि हम 15-20 करोड़ रुपये इस पर खर्च नहीं कर सकते इसलिये हम इसको नहीं लेंगे। मुख्य मंत्रीजी, आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं भारत सरकार ने उस समय एक बिल लोकसभा में पेश किया था। उस बिल के अन्तर्गत भारत सरकार का सीमेंट कार्पोरेशन इसको टेकओवर करना चाहता था। हमने इसका विरोध किया कि सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया इसको टेकओवर नहीं करे। राजस्थान सरकार को ही यह उद्योग मिलना चाहिये। आज, सभापति महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान में प्राइसेज बहुत बढ़ रही हैं। प्राइसेज बढ़ने के कारण जयपुर उद्योग लगभग 5 करोड़ रुपये सालाना प्रॉफिट दे रहा है। इस प्रॉफिट वाले काम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को हम नहीं ले सके। कम्पन्सेशन का अमाउण्ट केवल 10 करोड़ था, रिहैबिलीटेशन पर ज्यादा से ज्यादा आप खर्च करें तो बैंक से लोन लेकर 5 करोड़ रुपये खर्च किया जा सकता था 15 करोड़ में, मैं लगातार कहता आ रहा हूं, 50-60 करोड़ की प्रापर्टी कामधेनु गाय की तरह हमारे पास आ रही है, राजस्थान सरकार उसको नहीं ले पा रही है। मैं इस सरकार की जानकारी के लिये कह दूं कि इसमें कोई कांस्टीट्यूशनल बाधा नहीं है। सभापति महोदय, जिस समय यह सवाल मेरे सामने आया उस समय लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से राय दी गई कि राजस्थान सरकार इसको नेशनलाइज्ड नहीं कर सकती। उस समय यू.पी. की शुगर मिल्स का क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसलिये डिसीजन यह लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक इन्तजार किया जाय। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट आफ यू. पी. में फैसला कर दिया। उस फैसले के आधार पर कोई भी राज्य सरकार यदि अपने यहां के अण्डरटेकिंग को नेशनलाइज करना चाहे तो जैसा भारत सरकार को अधिकार है वैसा ही राज्य सरकार को अधिकार है। मैं, मुख्य मंत्रीजी, निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो समाजवादी हैं, समाजवाद के बहुत भाषण देते आ रहे हैं, पूंजीपतियों का आपने बहुत विरोध किया है, मौका आया है आपके उन भाषणों को कार्यरूप में परिणित करने का, आपके समाजवाद का प्रत्यक्ष में दर्शन कराने का। यहां टक्कर लो आलोक जैन से और जयपुर उद्योग को राजस्थान सरकार के खाते में लिखवाओ तब तो मैं समझूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आप समाजवादी हैं नहीं तो मजबूर होकर, मुझे क्षमा करना, मैं यह कहूंगा कि एक समाजवादी मुख्य मंत्री पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक दिये और पूंजीपतियों के सामने घुटने टेकने वाले मुख्यमंत्री का नाम है, समाजवादी, श्री शिवचरण माथुर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आधार पर आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधान मंत्री ने आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक की हार के बाद जो पहली प्रेस कान्फ्रेन्स बुलायी उसमें उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रूट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिये, राजस्थान में करप्शन किस प्रकार से बढ़ रहा है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। करप्शन के क्या क्या रूप हो गये, उनका तो मैं समझता हूँ कोई अन्दाज ही नहीं लगा सकता। आजकल जो सबसे बढ़िया करप्शन चल रहा है वह है लैंड एक्वीजिशन। लैंड एक्वीजिशन का नोटिस दो। नोटिस देने के बाद जब काम पट जाये उस समय नोटिस विथड्रा कर लो। सभापति महोदय, बहुत नोटिसेज हैं, मैं उन सबका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं इसलिये उल्लेख करना चाहूंगा, एक नोटिफिकेशन निकाला भाग 6 (ख) में जयपुर, फरवरी 27, 1981 को राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4, उपधारा 1 के अन्तर्गत। रामगंज मंडी खसरा नं. 759, 757, 755, 754, और 700 की कुल 18 बीघा 19

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिस्वा जमीन है। यह जमीन राजस्थान सरकार हाउसिंग बोर्ड के लिये लेना चाहती है। हाउसिंग बोर्ड लगातार लिख रहा है कि जमीन हमें दी जाये हाउसिंग बोर्ड लिख ही नहीं रहा है, हाउसिंग बोर्ड के लिये फण्ड्स अलाट कर दिये कि यह जमीन जब हाउसिंग बोर्ड को मिल जायेगी तो हाउसिंग बोर्ड उस जमीन का मुआवजा देगा और मुआवजा देने के साथ ही उस जमीन पर मकानों का काम शुरू करेगा। यह पत्र है तारीख 16-7-1982 का :

"I am directed to convey the approval of the Board for making payment of Rs. 6,27,500.00 per bigha to the Collector, Kota, for the Goverment land measuring 125 bighas 10 biswas at Ramgnjmandi."

सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा ले लिया। यह जमीन किसकी है? यह जमीन है मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज कम्पनी, रामगंज मंडी की। उसके मालिक हैं श्री किरीट भाई। वे भी राजस्थान के एक करोड़पति आदमी हैं। अब उस करोड़पति की जमीन तो आप एक्वायर कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने फंड्स अलॉट कर दिये, पजेशन ले लिया। पजेशन लेने के बाद एक अधिसूचना निकाली है 13-11-82 को, उसके मार्फत यह जमीन एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स से मुक्त कर दी गई। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, यह कौनसा.................

श्री राज बहादुर : Why ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्हाई तो मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, . It is for some Consideration. यह नहीं हो सकता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमीन लेने का, एक्वीजिशन का नोटिस देने और नोटिस विदड्रा करने का यह कैसा सिस्टम, क्या सिस्टम चल रहा है? जब चाहे जिसकी जमीन का नोटिस दे दें, जब चाहें उस जमीन को वापस देने की कार्यवाही कर लें। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि वे जायें कहां, किससे कहें? काश्तकारों की लूट हो रही है। किसी भी आदमी की जमीन हो, लैंड एक्वीजिशन का नोटिस दिया, 3–4 प्लाट्स लिये। अपने लिये, अपने भाई के नाम पर लिये, अपने लड़के के नाम पर लिये। प्लॉट लेने के बाद लैंड डी एक्वायर करने के आदेश दे दिये। मुख्य मंत्रीजी, कहीं तो सीमा रखो, कहीं तो इसको रोको। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आपने लैंड एक्वीजिशन का नोटिस क्यों दिया? नोटिस देने के समय क्या आपने इस बात की जांच नहीं की थी कि अमुक जमीन की आवश्यकता है या नहीं? उस समय सभापति महोदय, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट ने, हाउसिंग बोर्ड ने, कलैक्टर कोटा ने सबने उस जमीन को हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी के लिये उपयुक्त समझा। अब कौनसे कारण थे जिसके कारण से उस जमीन को आपने उपयुक्त नहीं समझा और वह जमीन वापस दे दी? सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, इन चीजों से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार ऐसी पंगु सरकार हो गई कि जिसमें जो खाना चाहे वह खाले, सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
की तरफ से रोक नहीं है, सरकार किसी को कहने वाली नहीं है ।

सभापति महोदय, जब मैंने पहली बार आरोप लगाया तो बड़े जोश खरोश से मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मेरी तो आदत है कैरेक्टर असेसीनेशन करने की । मेरी आदत है चार्ज लगाने की ।

(5.18 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

उस समय, अध्यक्ष महोदय, यहां तक कह गये कि मैं जान बूझकर इसलिये चार्ज लगाता हूं कि लोगों की इमेज खराब हो ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं थोड़ा सा समय लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत थोड़ा समय लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात का जवाब दे रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन बड़े जोर-शोर से कहा कि जो भी मुख्य मंत्री आए उसके खिलाफ मैंने आरोप लगाए । यह बात सही है । जिसने भी जो गलत काम किये उनको मैंने सदन में एक्सपोज किया । उसी भावना से मैंने यहां एक्सपोज किया आपको । कोई आपसे मुझे लेना-देना हो या आपसे और कोई बात हो तो शायद मैं एक्सपोज नहीं करता लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे 1750) रुपये माहवार इसी बात के लिये मिलते हैं कि मैं आपको एक्सपोज करूं । वह 1750) रुपये फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में आते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह उस समय कह गए । मैंने आरोप आप पर पहले भी लगाये हैं । इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि 1969 में मुख्य मंत्रीजी पर मैंने आरोप लगाये । मेरे आरोप सही सिद्ध हुए और इसी सदन में खड़े होकर उनको त्यागपत्र देना पड़ा । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं‥‥

(व्यवधान)

आपका काम तो हां ना करने का है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी के लड़के की दुकान के संबंध में । उस दुकान के संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने जिस रूप से कहा, कुछ समाचार-पत्रों ने यह लिखा कि दुकान के संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है । मैं, अध्यक्ष महोदय, उस मुंह-तोड़ जवाब का मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहता लेकिन एक शो-कॉज नोटिस सदन की मेज पर रखना चाहता हूं । यह शो-कॉज नोटिस किस बात का है ? यह इस बात का है कि इनके लड़के की दुकानसे स्मगल्ड गुड्स पकड़े गये । अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि लड़का कहीं बीकानेर में रहे ……………

श्री अध्यक्ष इसको आप पूर्व सूचना देते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरी नहीं है, अध्यक्ष महोदय । रूल्स में कोई पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है । आप मुझे कोई रूल बता दीजिये जिसमें पूर्व सूचना की जरूरत है । Ministers and M. L. As are expected to remain here in the House. यह कोई जरूरी नहीं है मैं सूचना देऊं, वह मौजूद नहीं हों तो ।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री पर आरोप लगाते····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप कहां लगा रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री स्वयं पर लगाते या मंत्री या विधायक पर लगाते तो वो आवश्यकता शायद नहीं पड़ती लेकिन आप तीसरे व्यक्ति पर लगा रहे हैं········

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे तीसरे व्यक्ति पर ?

श्री अध्यक्ष : इनके पुत्र पर जो वयस्क············

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इन पर लगा रहा हूं । मैं तो इनके ऊपर लगा रहा हूं । मैं इन पर ही लगा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इन पर इसलिये लगा रहा हूं, कि अगर, जैसा मैंने कहा, लड़का बीकानेर रहता है, या हनुमानगढ़ रहता है तो शायद मैं बात को हजम कर जाता लेकिन लड़के ने एड्रेस क्या दिया है ?

लड़के ने एड्रेस दिया है ? प्रदीप माथुर सन ऑफ श्री शिवचरण माथुर, एज्ड 35 ईयर्स, 8–सिविल लाइन्स, जयपुर ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है यह सुविधा के लिये है भाई आसानी से पहुंच जाय । इसको पर्याप्त नहीं मान सकते ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लड़के और लड़कियां वहीं रहेंगी और कहां जायेंगी ? आपकी पुत्री भी आपके घर पर रहती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय इसलिये कहना चाहता हूं लड़के और लड़कियां घर में रहेंगी इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । घर के बाहर न रहें मैं तो यह चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के साथ रहें । लेकिन मुख्य मंत्रीजी का लड़का स्मगलिंग करे उसको नोटिस मिले, सामान पकड़ा जाय और उस संबंध में इसकी जो पार्टनरशिप डीड है उस पार्टनरशिप डीड में मैं मुख्य मंत्रीजी के··· — —

श्री अध्यक्ष : इसमें नियमों के अन्तर्गत पूर्व सूचना देना आवश्यक है क्यों ? इसलिये कि चाहे मुख्य मंत्रीजी के साथ रहता हो लेकिन वह इण्डिपेन्डेंट मान लीजिये धंधा करता है, स्वयं इंजीनियर है । तो उनसे पूछ-ताछ करके जानकारी लेकर के बाद में स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो-तीन बार कह चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : वरना एकतरफा इस तरह के आरोप आ जाते हैं उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, यह आप स्वयं जानते हैं । नियमों के अन्दर ऐसी·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नियमों के अनुसार ही अर्ज कर रहा हूं यदि बाहर का व्यक्ति है तो मुझे नोटिस देने की जरूरत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
ही नहीं है। आप मुझे कोई हल्ल बता दीजिये कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह आप तीसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तीसरा व्यक्ति हो मैं लगा सकता हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने आज जिन फर्मों का नाम लिया जो मिलर्स थे मिलर्स के नाते और उन्होंने 50 प्रतिशत लेवी जमा नहीं करवाई उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की। चीफ मिनिस्टर के लड़के का नाम ले रहा हूं इसलिये मल्स सामने आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। मुझे कोई हल बता दें कोई व्यवस्था बता दें। विधायक के संबंध में या ऐसे आदमी जो डिफाइन नहीं कर सकता के संबंध में आरोप नहीं लगा सकता।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया यहां जो खास आरोप आप लगा रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के पुत्र हैं इसलिये मुख्य मंत्री पर तो आरोप आ नहीं सकता। क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो किसी का कहना मानें या नहीं मानें। वयस्क के बारे में यही माना जाता है कि वह अलग है, इण्डिपेंडेंट है। उसके ऊपर आप आरोप लगाते हैं, खास आरोप तो छपेगा यह कि वह लड़का स्मगलिंग करता है। उसका वह उत्तर दे नहीं सकता या उसकी तरफ से उत्तर दिया नहीं जा सकता, बिना पूर्व सूचना दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप बताइये हाजी मस्तान के खिलाफ यदि मैं आरोप लगाऊं तो क्या हाजी मस्तान यहां आकर बैठेगा?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं है। ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ? मैं पूछ रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष : आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहां विचारों की स्वतंत्रता भी रहती है, पूर्ण स्वतंत्रता है। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया है कि किसी व्यक्ति पर आरोप ऐसे नहीं आयें जो अनुत्तरित चले जायें। जिनका संतोषजनक उत्तर हो सकता है उनका दिलाया जाये। हाजी मस्तान को आप जानते भी नहीं, उनकी ख्याति भी इसलिये हुई कि अखबारों वगैरहा के अन्दर नाम आ गया। उनका किसी विभाग से संबंध नहीं। कुछ व्यक्ति ऐतिहासिक हो जाते हैं अपने कार्य-कलापों से। तो वह एक अलग बात है। मैं समझता हूं, एक साधारण नागरिक के बारे में यदि आप कुछ अपमानजनक अथवा आरोपित करने वाले आक्षेप लगाते हैं, यह तो आपने भी अभी फरमाया कि हमको तनख्वाह देते हैं, इसलिये, तो फिर उसमें अपने पूरे नियमों का पालन करते नहीं। इससे यह लगेगा कि हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों की तरफ से नियमों का पालन होना ही चाहिये, यह मैं मानकर चलता हूँ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, यह अपने पर उतार कर देखें कोई काम करने से पहले। जो संबंधित पक्ष है उसको समान अवसर दें, ऐसा नियमों में प्रावधान है। विपक्ष के नेता, जो अनुभवी हैं, से मैं यह आशा करके चलता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी······

(व्यवधान)

मैटर तो बहुत है डांगी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप बीच में क्यों आ रहे हैं :

श्री दिनेश डांगी : मैं भी सन् 1967 से आपके साथ हूं। आप क्या-क्या करते हैं, वह मैं सब जानता हूं। आप मुझसे बहस कर रहे हो, नुकसान में रहोगे, फायदे में नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, उत्तेजना आये इस तरह की बात नहीं कहें। विचारणीय विषय काफी गंभीर है। हम विनियोग विधेयक पारित करने जा रहे हैं जो 18 अरब के लगभग है। उस हिसाब से हमें बात करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था मुख्य मंत्रीजी को ही संबोधित करूंगा। क्या आपके लड़के ने यह पता आपकी अनुमति से दिया है? इस प्रश्न का आप उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत टेक्नीकल पाइंट है। विपक्ष के नेता महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह उत्तर नहीं देंगे। खतम हुआ किस्सा। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलता भी नहीं लेकिन उस समय यह कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाये जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी अगर यह प्रचार करें कि करेक्टर असेसीनेशन के लिये आरोप लगाये जाते हैं, तथ्य नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय, यह दोनों नोटिस और पार्टनरशिप डीड आपकी सेवा में पेश कर देता हूं। जिस समय मुख्य मंत्रीजी बोलें उस समय आप उनसे पूछ लें कि यह मामला क्या है। मैं समझता हूं कि उस समय ज्यादा उचित होगा, किसी को नोटिस देने का भी सवाल पैदा नहीं होगा इसलिये यह दोनों मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक छोटा-सा प्रश्न है, वह आपकी अनुमति से रखना चाहूंगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत ने मुख्य मंत्री के पुत्र पर लगाये गये आरोपों की फोटो स्टेट प्रति सदन के पटल पर रखी)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक घण्टा हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक वक्तव्य हुआ था सिंगरोली के संबंध में। मैंने आपसे भी निवेदन किया था, लेकिन मुझे अभी तक यह जानकारी नहीं मिली कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। माननीय श्रीमती कमला बेनीवाल ने हाउस में एक स्टेटमेंट दिया अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंगरोली का इसलिये उल्लेख नहीं किया कि यह राज्य की परियोजना नहीं, केन्द्र की परियोजना है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा विधिवत् कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि न तो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट है न कोई फर्म हिस्सा है। सेन्ट्रल परियोजना के आधार पर कुछ

Page No 166

(166)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एलोकेशन होता रहता है, जो इस समय 8.8 मेगावाट का हमारा है। इसलिये मैंने इसको राज्य की परियोजना में शामिल नहीं किया और इसका उल्लेख यहां पर नहीं किया। अब, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बता दें, क्या मंत्री का स्टेटमेंट सही है कि सिंगरोली में हमारा हिस्सा है। दो हजार मेगावाट पावर वहां जनरेट होगी। तीन सौ मेगावाट के लिए फर्म कमिटमेंट है। तीन सौ मेगावाट बिजली हमको निश्चित रूप से वहां से बिजली मिलनी चाहिये। 200 मेगावाट भारत सरकार के लिये रिजर्व है। 200 मेगावाट में से भारत सरकार जिस राज्य को भी देना चाहे, उस राज्य को देगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, इसका स्पष्टीकरण करें कि माननीय मंत्री महोदया का स्टेटमेंट यदि इसी प्रकार से रिकार्ड में रह गया तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। आगे ही विद्युत् परियोजनाओं में हमें घाटा हो रहा है। हमारे पुराने लैटर्स के आधार पर, पुराने कमिटमेंट्स के आधार पर यह सब चीजें चलती हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा, कि अपने उत्तर के समय बतायें, सिंगरोली में हमारा कितना हिस्सा है, किस प्रकार से हमारा हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक से हमारी किस प्रकार की अण्डरस्टैण्डिंग है। वर्ल्ड बैंक ने जब फाइनेंस किया उस समय कमिटमेंट भारत सरकार से लिया है कि राजस्थान का इतना कमिटेड हिस्सा है। वह हिस्सा राजस्थान को मिलता रहेगा। अन्त में, अध्यक्ष महोदय.......

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : .... क्योंकि यह शेयर नहीं है। एलोकेटेड शेयर और फर्म शेयर है। वह तो आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खुद ही पढ़ लेंगी।

श्रीमती कमला : मैं पढ़ रही हूं वह भी जो मैंने अध्यक्ष महोदय के मार्फत एलोकेशन शेयर किया वह भी उनको मालूम है।

श्री अध्यक्ष : उनका जो वक्तव्य है उसके बारे में जब उनके पास उसकी प्रतिलिपि गई तो उन्होंने लिखकर दिया कि मेरा आशय यह था। यह हमारे समक्ष आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आशय से नहीं होगा। उनका आशय तो भला होगा। लेकिन हाउस में क्या कहा है उससे लोग आशंकित हैं।

श्रीमती कमला : शेयर और एलोकेटेड शेयर में जो फर्क होता है वह मैंने एक्सप्लेन किया है शेयर इन्वेस्टमेंट के नाते हमारा जो शेयर होता है वह अलग है। हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट का हमारे लिये फर्म एलोकेशन, शेयर है यह मैंने एक्सप्लेन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिये, फर्म एलोकेशन आपने कहा है अभी। लेकिन आपने कहा न कोई फर्म हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष : उस दिन, आवेश में जब चर्चा हो रही हो..........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल हो ....

श्रीमती कमला : आवेश का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शेयर और एलोकेशन शेयर, दोनों के फर्क की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण कर दें तो रिकार्ड पर इस प्रकार की स्थिति आ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल प्रस्तुत किया गया है उस संबंध में कई बातें मुझे निवेदन करनी थीं लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान एक प्रमुख बात की ओर आकर्षित करूंगा कि अकाल की समस्या पर वह गंभीरता से विचार करें। इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है उस पर भी चिन्ता करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

घोषणा

वित्तीय समितियों के सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों, अर्थात् जनलेखा समिति 1983-84, प्राक्कलन समिति 'क' 1983-84, प्राक्कलन समिति 'ख' 1983-84 व राजकीय उपक्रम समिति 1983-84 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

जनलेखा समिति, 1983-84

1. श्री सी. पी. जोशी
2. श्री जनार्दनसिंह गहलोत
3. श्री दीपेन्द्र सिंह
4. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
5. श्री धारा राम फुलवारिया
6. श्री भरत लाल
7. श्री भालू खां
8. श्री माणक मल मेहता
9. श्री माधवसिंह दीवान
10. श्री मोहनलाल मोदी
11. श्री सैयद मोहम्मद अयमाज महाराज
12. श्री कैलाश मेघवाल
13. श्री घनश्याम तिवाड़ी
14. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
15. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

राजकीय उपक्रम समिति, 1983-84

1. श्री तेजपाल
2. श्री देवदत्त तिवाड़ी
3. श्री देवी सहाय गोपालिया
4. श्री नानालाल
5. श्री भंवरलाल - (वि. सं. 98)
6. श्री महेन्द्र सिंह
7. श्री मांगी राम आर्य
8. श्री रामनारायण डूडी
9. श्री रामरघुनाथ चौधरी
10. श्री रामसहाय मोनड़
11. श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा
12. श्री भंवरलाल शर्मा- (वि. सं. 99)
13. सुश्री पुष्पा जैन
14. श्री भैरोंसिंह शेखावत
15. श्री यदुनाथ सिंह

प्राक्कलन समिति 'क'–1983–84

1. श्री असलम खां
2. श्री गोकुलचन्द शर्मा
3. श्री नानूराम कुमावत
4. श्री भैरूलाल भारद्वाज
5. श्री मानसिंह देवड़ा
6. श्री रतनलाल ताम्बी
7. श्री रामसिंह विश्नोई
8. श्री समर्थलाल
9. श्री सुजानसिंह यादव
10. श्री सूरजपाल सिंह
11. श्री हेमाराम चौधरी
12. श्री गुलाब चन्द कटारिया
13. श्री उम्मेदसिंह
14. श्रीमती विद्या पाठक
15. श्री सम्पतराम

प्राक्कलन समिति "ख"–1983–84

1. श्री उदयराम धाकड़
2. श्री कनकराज मेहता
3. श्री बिहारी लाल पारीक
4. श्री महादेव सिंह खण्डेला
5. श्री मोहनलाल जाट
6. श्री रामपाल उपाध्याय
7. श्री हीरालाल आर्य
8. श्री फतेहसिंह
9. श्री बहादुर सिंह
10. श्री महाराम चौधरी
11. श्री महावीर प्रसाद
12. श्री रघुवीर सिंह कौशल
13. श्री रामकुंवार बैरवा
14. श्री रामकिशोर मीणा

शासकीय वक्तव्य

चित्तौड़गढ़ में 12 मार्च, 1983 को जैन साध्वियों के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार

मुख्य मंत्रीजी ने जैन साध्वियों के सम्बन्ध में 15-3-83 को एक वक्तव्य दिया था उस सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12-3-83 को चित्तौड़गढ़ जिले में जो घटना घटित हुई थी उस संबंध में मैंने 15-3-83 को सदन के सामने प्रारम्भिक रूप से तथ्यों पर कुछ जानकारी दी थी और यह भी घोषणा की थी कि चूंकि यह बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर सब लोगों की चिन्ता होना बहुत स्वाभाविक है इसलिये इसकी जांच के लिये मैं एक सीनियर ऑफिसर को यहां से भेज रहा हूं । उसी दिन यहां से पुलिस के डी. आई. जी., सी. आई. डी. (सी.बी.) श्री धानवी को यहां से भेजा गया । श्री धानवी ने जो प्रारम्भिक जानकारी वहां मालूम करके दी है उस संबंध में मैं एक वक्तव्य यहां पर देना चाहता हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी अपना बयान यहां दें मैं उससे पहले एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगी ....

(व्यवधान)

एक मिनट आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुख्य मंत्री को सदन के नेता होने के नाते पूर्व-

(श्री अध्यक्ष)

वर्जिता है किसी तरह के वक्तव्य देने की। कृपया बैठ जायें आप।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विरोध नहीं है..........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऐसे सदन के नियम हैं, परम्परायें और नियम ऐसे हैं, माननीय सदस्या। मुख्य मंत्रीजी!

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर दिनांक 15-3-83 को सदन में चर्चा हो चुकी है और सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा चुका है। मैंने इस विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस घटना की जांच पुलिस उप महा निरीक्षक सी. आई. डी. (सी. बी.) श्री बी. के. थानवी द्वारा कराने का आश्वासन दिया था। श्री थानवी तदनुसार चित्तौड़गढ़ के लिये रवाना हो गये थे। श्री थानवी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर मैं निम्न तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा:—

(1) इस घटना के संबंध में दिनांक 12-3-83 को रात्रि के 8 बजे मांगीलाल ने एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी जो बकलम श्री शांतिचन्द्र मेहता, एडवोकेट निम्बाहेड़ा थी। यह केस भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295, 295 (ए), 298, 341 के अन्तर्गत थाना निकुंभ में दर्ज किया गया।

(2) इस संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई और घटना के रोज ही रात्रि को ही जिला दण्डनायक एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं 3.30 बजे निकुंभ पहुंच गये थे। एस. डी. एम. एवं उप अधीक्षक पुलिस, निम्बाहेड़ा 10 बजे घटना स्थल के लिये रवाना हो गये थे। अपर अधीक्षक पुलिस, प्रतापगढ़ को भी समाचार कर निकुंभ बुला लिया गया था।

(3) जहां तक सार्दुलखेड़ा गांव से ट्रक में हथियार भर कर बाहर भेजने का प्रश्न है, जांच से यह तथ्य सही नहीं पाया गया। स्थानीय किसी भी व्यक्ति ने यह बात नहीं बताई कि ट्रक में उन्होंने शस्त्र भरे देखे थे। जो व्यक्ति ग्राम सार्दुलखेड़ा में ईदगाह के पास खड़े थे उनमें से किसी ने भी ट्रक में हथियार नहीं देखना बयान किया। जहां तक सार्दुलखेड़ा में शस्त्रों का प्रश्न है, गांव में 40 लाइसेंसज धारियों के पास टोपीदार बन्दूक, एक व्यक्ति के पास 12 बोर की बन्दूक होना ज्ञात हुआ है। इन 40 बन्दूकों में से एक बन्दूक एक भील के नाम है, 12 लाइसेंसधारी गांव छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं, 3 निम्बाहेड़ा चले गये हैं, एक ने बन्दूक नहीं खरीदी, 4 बन्दूकें पहले ही दूसरे मामलों में जब्त की गई हैं और 5 व्यक्ति सार्दुलखेड़ा में नहीं मिले। 14 बन्दूक बाद में एस. डी. एम., निम्बाहेड़ा के आदेश से जब्त करली गई। इस प्रकार सार्दुलखेड़ा में भारी संख्या में हथियार होना जाहिर नहीं हुआ है।

(4) जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं वे सही गिरफ्तार किये गये हैं, वह सभी 16-17 वर्ष की उम्र के हैं और विद्यार्थी हैं।

जांच के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ और निम्बा-

(श्री शिवचरण माथुर)
हेड़ा, निकुंभ, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, अकोला, पुनावली आदि में रहने वाले लोगों से पूछ-ताछ की । इन व्यक्तियों में एडवोकेट, सरपंच, एवं 3 जैन साध्वियां शामिल हैं ।

जांच से एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि 3 जैन साध्वियां, जिनसे बड़े धैर्य एवं शांति से पूछ-ताछ की गई, ने बताया कि स्कूल के लड़के उन्हें रास्ते में मिले थे और उन्हें देख कर यह कहा कि "ढूंढनियां" आ गई । साध्वियों ने बताया कि उन्हें न तो किसी ने छूआ और ना ही उनके ओघे, पातरे छीने और ना ही कोई छीना-झपटी की गई ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली घटना श्री मांगीलाल ने जो एफ. आई. आर. में लिखाई जो उनके साथ थे उस एफ. आई. आर. को आप पढ़िये . . .

श्री अध्यक्ष: एफ.आई.आर. पढ़ ली गई थी यहां पर विपक्ष के नेता महोदय ने समझ ली थी अब यह चर्चा का विषय नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य । इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर . . ऑर्डर प्लीज . . . . इधर से एप्रोप्रियेशन बिल पर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे . . . .

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर आप कोई जांच कराना चाहते हैं तो उस जांच के कोई परिणाम नहीं निकलेंगे . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

सुश्री पुष्पा जैन : ....आप अनावश्यक रूप से अपनी बात कह रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर बैठ जायें ।..........ऑर्डर, ऑर्डर बैठ जायें ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन यह करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

एक माननीय सदस्य : इस जैन साध्वी वाले के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी समय बहुत हो गया है..........

सुश्री पुष्पा जैन : क्यों नहीं होगी ? . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायें । ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर . . .

सुश्री पुष्पा जैन : अगर चर्चा नहीं करनी थी तो स्टेटमेंट क्यों दिलाया ।

श्री अध्यक्ष : किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी ऑर्डर प्लीज । एप्रोप्रियेशन बिल पर सत्ता पक्ष की ओर से

(श्री अध्यक्ष)
जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको मैं आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अगर चर्चा नहीं करानी थी तो फिर बयान क्यों दिलवाया, अध्यक्ष महोदय, आपने।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज,। मैंने इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 15 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उस दिन क्या मुख्य मन्त्री जी ने अपनी सारी एजेंसी से उसके बारे में जानकारी नहीं करली थी?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने उस दिन अपने भाषण में कहा था, जैन साध्वी कभी यह नहीं कहेंगी..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। इस पर भाषण नहीं होगा.......

अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। बैठ जायें। अंकित न हो..........

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में सदन का समय ले रहे हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री द्वारकाप्रसाद (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, जैन साध्वियों के साथ में जो घटना घटी है.........

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई वक्तव्य नहीं होगा। आप बिराज जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एफ. आई. आर. दर्ज हुई..............

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य बैठ जायें। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, ऑर्डर, ऑर्डर, अंकित न हो। माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया बैठ जायें।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 172

(172)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी !

(व्यवधान)

कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा, माननीय सदस्य। ......

(व्यवधान)

व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया बैठ जायें। इस पर चर्चा नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी !

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, बैठ जायें। कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं एक सैकेण्ड भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी !

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर विचार प्रकट करते हुए और मुद्दों पर न जाकर जो आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जिले में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह चौथा वर्ष है जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अकाल पड़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से यह सरकार अकाल का सामना करने के लिये आम जनता को मदद देती, यह उसके आंकड़े बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया है कि बीकानेर जिले की चार लाख ग्रामीण जनता अकाल से प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय, चार लाख जनता अकाल से प्रभावित है और वहां वर्क्स जो सैंक्शन किये हैं, वह कुल 34 हैं। एक तरफ राज्य सरकार ने 495 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आज मार्च, 83 में कुल 1134 लेबर काम पर लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हो गया कि एक गांव में सिर्फ दो आदमियों को आप मजदूरी व अकाल राहत कार्य दे रहे हैं।

(5.41 म. प.)

(श्री माधोसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, किस प्रकार से लोग, जो गरीब हैं, अपना जीवन यापन करेंगे। आज उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है, अपने परिवार का पेट पालन करने की। इसकी आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ भीलवाड़ा के अन्दर आपने 456 कामों की स्वीकृति दी है। भीलवाड़ा के अन्दर 30 हजार लेबर लगा रखी है। सभापति महोदय लगातार चार वर्षों से बीकानेर जिले अकाल पड़ रहा है उसकी ओर आपका

Page No 173

(173)

(श्री देवीसिंह भाटी)

ध्यान नहीं गया । क्योंकि भीलवाड़ा जिले को हमारे मुख्य मंत्री रिप्रजेंट करते हैं इसलिये वहां 30 हजार मंजदूरों की संख्या आपने निश्चित कर दी और मजदूर लगा दिये ।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, आप देखिये, जयपुर जिले के अन्दर आपने 320 काम मंजूर किये हैं, 1 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है । परन्तु वास्तव में यहां अकाल की कैसी स्थिति है ? इतने वर्क्स सेंक्शन होते हुए भी आज सिर्फ 2300 मजदूर काम पर लगे हुए हैं । जहां वास्तव में लोग मजदूरी करना चाहते हैं, वहां तो आप किसी प्रकार की राहत देना नहीं चाहते, किसी राशि की स्वीकृति देना नहीं चाहते और जहां लोग काम करना चाहते नहीं, वे किसी अन्य कार्यों में लगे हुए हैं वहां आप एक करोड़ की मंजूरी दे रहे हैं । जैसा पूर्व में जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, पोकरण के अन्दर बच्चे भूख से मरे हैं, शेरगढ़ कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर 59 आदमी भूख से मरे हैं । अगर यही हालात रहे, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ाई तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि आने वाले एक दो दिन में यह खबर अखबार में फिर आयेगी कि बीकानेर जिले के अन्दर लोग भूख से तड़फ-तड़फ कर मर रहे हैं। आज वास्तव में स्थिति यह है । सरकार ने पिछले सालों से लोगों को गांवों के अन्दर ही राहत कार्य चालू करा कर मजदूरी दी है। अब भी लोग इस आशा में बैठे हैं । सरकार ने अपनी ओर से बार-बार घोषणा की है कि हम राहत कार्य चालू करेंगे, लोगों को गांवों में ही मजदूरी देंगे । तो आज वे गांव छोड़ कर जा नहीं सकते। वे आशा लगा कर बैठे हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से निश्चित तौर पर मजदूरी के कार्य खोले जायेंगे और हमें गांवों में ही मजदूरी मिलेगी अब मजदूरों की संख्या न आप बढ़ा रहे हैं, न राशि स्वीकृत कर रहे हैं, न वे अपना घर छोड़कर जा सकते हैं आज उनकी स्थिति यह है, उनके पास किराया भी नहीं है जो वे गाड़ी से पंजाब या अन्य प्रदेश में जाकर मजदूरी कर लें । सरकार से मैं चाहूंगा कि अगर वह निश्चित तौर पर यह दिमाग बनाये बैठी है कि लोगों को राहत देगी, मजदूरी देगी तो तुरन्त बीकानेर जिले के अन्दर कम से कम 30 हजार व्यक्तियों की मजदूरी के लिये मंजूरी दें

सभापति महोदय, हमारे पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की बहुतायत है । पशुओं में हमारी राठी गाय की जो नस्ल है वह पिछले सालों में काफी बरबाद हुई है । आज भी वहां घास चारे की समस्या है । अकाल की स्थिति है । पानी का अभाव है । इस सारी स्थिति को देखते हुए, जैसा पिछले सालों में हुआ है, पशु पोषण केन्द्र खोले गये । किन्तु आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के अन्दर मात्र 250 गायों के लिये सरकार ने अनुदान राहत दी है । सभापति महोदय, कितनी मुश्किल से गरीब लोग पशु पालन करके एक से चार गायें करते हैं और संख्या 5-10 तक ले जाते हैं । राज्य सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने के कारण वे गायें इस अकाल के अन्दर खत्म

(श्री देवीसिंह भाटी)

हो जायेंगी । मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से, चाहे केन्द्र के ऊपर दबाव डालकर बीकानेर जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा पशु पोषण केन्द्र खोले और उन्हें अनुदानित चारा और पशु आहार दे ।

सभापति महोदय, हमारे साथ बड़ी विडम्बना है । एक तरफ राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी कर दिये कि जहां 150 फीट से कम गहरे कुए होंगे वहां हम पेयजल पिवाई की कोई भी अनुदान राशि नहीं देंगे । कोलायत तहसील के अन्दर ऐसी कई पंचायतें हैं जो 150 फीट से कम गहरे कुओं वाली हैं । ऐसे कई गांव हैं । वहां खारा पानी है । पशुओं को पीने के लिये मात्र वही पानी मिलता है । वहां टीबों का इलाका है । चार बाई चार के टैंकरों के अलावा वहां कोई दूसरी व्यवस्था आप कर नहीं सकते । चार बाई चार के टैंकर आपके पास हैं नहीं । 150 फीट से कम गहरे वहां कुए हैं इसलिये आप उनको अनुदान की राशि दे नहीं सकते, तो आप कौनसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ? एक तरफ आपने अकाल घोषित कर दिया । पेयजल की आप व्यवस्था कर नहीं सकते, अकाल राहत कार्य खोल नहीं सकते, पशुओं के लिये पशु पोषण केन्द्र पर अनुदान राशि आप मंजूर कर नहीं सकते, तो आखिर यह कैसी सरकार है । अगर यह सरकार वास्तव में हम लोगों को कुछ राहत देना चाहती है तो हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोगों को राहत दे सकते हैं । जब किसी प्रकार की आप राहत नहीं दे सकते तो कम से कम जवाब तो दे दीजिये । ताकि वे अन्यत्र कहीं जाकर मजदूरी करें, अपने पशुओं को ले जायें और पेयजल के लिये भी जहां कहीं पानी का साधन मिले वहां जाकर बैठ जायें । आपने घोषणा तो कर दी कि हम अकाल राहत कार्य खोलेंगे, लोगों को राहत देंगे परन्तु वास्तव में आपका इस प्रकार का मन्तव्य नहीं है कि लोगों को राहत मिले ।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, आज हमारे क्षेत्र में ....

(व्यवधान)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं ....

श्री सभापति : मुझे घंटी बजाने का मौका नहीं देंगे आप ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं थोड़े में समाप्त कर देता हूं ।

दूसरी समस्या हमारी यह है, हमारे क्षेत्र में भेड़ों की बहुतायत है, आज अकाल की स्थिति से सब परिचित हैं, भेड़ों के लिये किसी भी प्रकार का चारा उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिसे कि भेड़पालक अपनी भेड़ों को चरा सकें । अकाल में भेड़ों के लिये वन विभाग की ओर से चरागाह सुरक्षित किये जायं । वन विभाग की भी एक अजीब नीति है । यह जो चरागाह सुरक्षित किये हुए हैं, वन मंत्री जी कृपया ध्यान से सुने, यह चारागाह आप किस समय खोलते हैं ? नवम्बर से 31 मार्च तक खोलते हैं । उस वक्त विशेष आवश्यकता नहीं होती । हमें जरूरत पड़ती है मार्च से आगे जून-जुलाई तक । उस वक्त जितने भी सुरक्षित चरागाह हैं

(श्री देवीसिंह भाटी)
वन विभाग के, उनको आप बन्द कर देते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि गंगानगर जिले और बीकानेर जिले में वन विभाग के जो भी सुरक्षित चरागाह हैं उनको कृपया भेड़ों के लिये खुलवायें जिससे हमारा भेड़ धन है वह बच सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में खोलें। पशुओं के लिये विशेष तौर पर सिर्फ जो अनुदानित चारा आपको देना है उस चारे की व्यवस्था करें। पशु पोषण केन्द्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में खोलें। जिस क्षेत्र में आपके चार बाई चार के टैंकर नहीं जा सकते वहां किसी अन्य साधन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। विशेषतौर पर भेड़ों के लिये चरागाह खुलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम (टीबी) : सभापति महोदय, आज हम............

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कल बोल चुके हैं।

श्री पीरूराम : लेकिन कुछ रह गया था, सभापति महोदय।

श्री सभापति : नहीं।

श्री पीरूराम : पांच मिनट लूंगा।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, 1983-84 का जो एप्रोप्रियेशन बिल विधान सभा के अन्दर......

(व्यवधान)

मेरा नाम तय किया था............

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।

श्री महाराम चौधरी : थारे आड़ी कोनी आऊं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में ही फरमायें।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था, अकाल और पेयजल के बारे में हाउस के सामने जो समस्या आई है, उस संबंध में मैं अपने क्षेत्र की बात आपके सामने सरकार को पेश करना चाहता हूं। आज विरोधी दल के नेता ने बहुत ही लम्बी-चौड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें कहीं, वे तथ्य हीन हैं। कई बातों में तथ्य मिलते हैं, ये बात भी कहनी पड़ेगी। जैसा विरोधी दल के नेता ने अकाल के बारे में कहा, यह बात सही है। सभापति महोदय, आज मैं भी यह बात कह सकता हूं कि देवली और टोडारायसिंह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 67 गांव अकाल में हैं। हमें कई कोशिश करने के बाद में केवल 60 मजदूर दे रखे हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने ?

श्री चतुर्भुज : 60। अगर एक गांव में एक मजदूर भी देवें तो 67 मजदूर तो

(श्री चतुर्भुज)
जरूर होने चाहिये थे। 67 गांवों में अकाल घोषित है और मजदूर दे रखे हैं 60 मजदूरों को उसमें अभी भी टों कम पड़ते हैं, कल की रिपोर्ट के अनुसार। सभापति महोदय, यह भी सरकार दे न दे, लेकिन सबसे बड़ी जो भयंकर स्थिति है, वह यह है कि नसीराबाद, अजमेर में जलप्रदाय योजना के द्वारा जो पेयजल जा रहा है उस स्थान पर पहले 32–33 ट्यूब वैल थे आज की तारीख में 66 ट्यूब वैल लग चुके हैं, इससे उस क्षेत्र में 250 फीट नीचे गहरा पानी चला गया और सारा क्षेत्र सूख गया। नगरपालिका देवली में स्थिति भयंकर हो गई, पेयजल के बिना। यह आपके सामने स्थिति है। इसके साथ-साथ शारदा और एक पंचायत और तीन पंचायतें बरबाद हो रही हैं। और पानी अजमेर जा रहा है। अजमेर को पानी जाने से मैं यह निवेदन करता आया हूँ कि तीन-चार साल से वहां अकाल चला आ रहा है। अब जो है बनास नदी सूख गई। बनास नदी की धारा 50 किलोमीटर आगे से सूख गई और पीछे से तो धारा चलने का सवाल ही नहीं है। ऐसी भयंकर परिस्थिति है, पेयजल का संकट हमारे क्षेत्र में है। अजमेर-नसीराबाद में तो पानी जा रहा है। उस संकट से 250 फीट.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस मुद्दे पर तो आप बोल चुके हैं पहले।

श्री चतुर्भुज : तीन पंचायतें और देवली नगरपालिका में भयंकर परिस्थिति हो गई है इसलिए आपके द्वारा मैं कुछ आशा करता हूं। मंत्रीजी ने इस बारे में क्या व्यवस्था की है, यह मैंने पहले भी अर्ज किया था। 67 गांवों में अकाल घोषित कर दिया, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। मैं आपके माध्यम से कुछ आशा करता हूँ। पानी के बारे में मंत्री महोदय, क्या विचार रखते हैं?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक इधर से और एक उधर से होना चाहिये।

श्री सभापति : तीन चौथाई बहुमत इधर है। कृपया संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य। आप तो संक्षेप में ही बोला करते हैं। बहुत ही शार्ट में कहें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): आप जितना समय देंगे उतने में ही बोल दूंगा।

श्री सभापति : समय आप खुद अपना निर्धारित कर लेते हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : सभापति महोदय, यथार्थता में रूक्षता होती है। किन्तु उसमें कटु सत्य निहित होता है। अतिरिक्त व्यय के लिये बहुत ऊंची धनराशि की मांग की जा रही है। इस सत्र में माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की बात बहुत विस्तार से और सूझ-बूझ के साथ रखी किन्तु एक भी सदस्य की मांग यहां मंजूर नहीं की गई। फिर यह अतिरिक्त खर्चा किस बात के लिये मांग रहे हैं?

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

कालेज की मांग करें, तो उत्तर मिलता है प्रावधान नहीं है। हम कहते हैं, इस सदन की इच्छा है कि आप प्रावधान कर लो। आप ही तो करने वाले हैं। सड़क की मांग करते हैं, तो कहते हैं कि धनराशि का अभाव है। अकाल की बात करते हैं, तो उसका भी उत्तर नहीं में मिलता है ....

(5.57 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतनी बड़ी धनराशि की मांग की जा रही है उस वक्त सरकार का भी यह नैतिक दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र की जिन बातों के प्रति उसका ध्यान आकर्षित करते हैं और वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हैं उस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कॉलेज मांगो तो कालेज नहीं, ए. डी. जे. कोर्ट मांगो तो कोर्ट नहीं। सड़कों की मांग करें, तो सड़कें नहीं। अकाल की तो एक विचित्र स्थिति है। पंचायत समिति की मीटिंग के अन्दर सरपंच, प्रधान, एम. एल. ए. और तहसीलदार से लेकर एस. डी. एम. और स्वयं कलेक्टर उपस्थित थे। सरपंचों ने बताया कि इस रतनगढ़ क्षेत्र में 41 गांव अकाल के अन्दर हैं, लेकिन सबने आपस में विचार विमर्श करके 22 गांव अकालग्रस्त घोषित किये। वहां से राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई। ऐसा कौनसा मापदण्ड है, सरपंच को पूछ लिया, प्रधान को पूछ लिया, तहसीलदार की रिपोर्ट है, एस. डी. एम. की रिपोर्ट है और स्वयं कलेक्टर मीटिंग में हाजिर थे उसके बावजूद यहां 22 में से 9 गांव कर दिये।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामवासियों के लिये एक तरफ तो भगवान ने अनुकम्पा नहीं की, वर्षा नहीं हुई उससे अकाल पड़ा लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार की भी कृपा नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, पंडित जी, अब अपन ने मांगें तो पारित करदी और गवर्नर साहब को वह धनराशि सुपुर्द भी कर दी। अब मेरे खयाल से इनको राशि उठाने की इजाजत तो दे ही दो। यह कानून बनेगा तब उठेगी राशि।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : हम तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं लेकिन डेढ़ महीने में हमें मिला कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। आपके सामने इतने सदस्यों ने मांग की अपने अपने क्षेत्र की, किसी भी सदस्य को यदि राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वा... [illegible] गया हो कि आपके यहां यह हो जायगा, तो बता दें। सारी कार्यवाही आपके सामने संचालित, सम्पादित हुई है। अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत आशा के साथ आये थे और खाली हाथ लौटेंगे।

(व्यवधान)

Page No 178

(178) (292)

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)
सबके साथ यही हो रहा है। गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है —

"वासांसी जीर्णा नियथा विहाय
नवानि गृहणां तिन रोपराणी
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
नन्यानि सयां तिन वनि देही।"

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी अन्तिम वक्ता होंगे तत्पश्चात् मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी उत्तर देंगे। बहुत समय हो गया है। संक्षेप में अपनी बात एप्रोप्रियेशन बिल पर कहनी है, यह नहीं हो कि आप अपने क्षेत्र में चले जायं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, 1983-84 के बजट प्रावधान को हम अन्तिम रूप देने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अन्तिम वक्ता हैं इसलिये खासतौर से जिम्मदारी से कहें।

श्री महाराम चौधरी : जिस स्थान, जिस जगह और जैसे वातावरण में हम इन प्रावधानों को अन्तिम रूप देने जा रहे हैं, इस जगह पर हम मन में यह सोचकर कि इस भव्य बिल्डिंग, जहां इतने बड़े बड़े कांच के गोले लगे हुए हैं जिनकी वेल्यू देखी जाय तो पांच, पांच करोड़ के आस पास है, इस वातावरण में ऐसे भवन में बैठकर प्रांत की जनता, जो बहुत दूर दूर बसी हुई है और ढाणियों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता है, के लिये न तो कोई अन्दाज लगा सकते हैं और न ही आपका ध्यान जा सकता है। ऐसा जो बजट हम बनायेंगे, मैं ऐसा समझता हूं, उससे जनता के लिये न तो नीति सम्बन्धी बात होगी, न किसी उद्देश्य की पूर्ति होगी, न लक्ष्यों की तरफ ध्यान जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वह इस तरह का है कि जिससे उत्पादकता बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था, इससे कौनसी खेती की जमीन सही हो जायेगी, कौन सी जमीन का लेवल हो जायेगा या कौन सी ऐसी बड़ी मशीनरी है जिससे बांध बन जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी उपयोगी, काम में आने वाली चीजों पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए जो उत्पादन में बढ़ावा दे सके। अध्यक्ष महोदय, जनता का जो पैसा है, जनता की इस गाढ़ी कमाई के पैसों का अगर ऐसे मुनीमों के द्वारा खर्च कराने की व्यवस्था कम करते हैं। जिसने पिछले सालों का काम काज, नीतियों और उद्देश्यों को अगर देखें तो उन सबके अन्दर अवहेलना हुई है, देरी की गयी है या टांग तोड़ने की प्रवृति रही है। इस तरह देरी करने से जिस योजना को हम हाथ में लेना चाहते थे, समय पर पूरा करना चाहते थे, उस को समय पर पूरा नहीं कर सके। इससे उन योजनाओं के एस्टीमेट्स 20 प्रतिशत के आसपास बढ़ गये। उन योजनाओं में व्यवहारिक रूप से किसानों, ग्रामीण इलाके वालों, उद्योग धंधों वालों का किसी तरह का समावेश नहीं है। जिन योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, कृषि, सिंचाई, चिकित्सा पेयजल की सुविधा, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को देने के लिए जो योजना बनायी है, सही रूप में जिनके लिए यह योजना बनी है, मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर जो व्यय किया गया है

(श्री महाराम चौधरी)

उसमें से 30 प्रतिशत के आसपास तो तनख्वाह, भत्ते, बिल्डिंग, फर्नीचर, पिक्चर, प्रचार, प्रसार इन सब कामों में खर्च हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 30 पर्सेंट तो ऐसे कामों में ज्यादा खर्च हो गया जैसे कि महालेखाकार की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है, ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं, ऐसे बहुत से कृषि फार्म हैं, कृषि प्रदर्शन हैं। एनीकट्स, चरागाह विकास, पशुपालन खेतीबाड़ी के लिए जो योजनाएँ बनायी गयी हैं उनका 30 प्रतिशत पैसा तो भवन आदि बनाने पर ही खर्च हो गया है और 20 प्रतिशत चला गया, भ्रष्टाचार के अन्दर। 20 प्रतिशत पैसा, जो उनका बना बनाया अधिकार रूप में है, इस सम्बन्ध में खर्च हो गया। अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं पर समय पर काम नहीं करने की वजह से, देरी करने से जो भाव बढ़ गये उसके अन्दर 20 प्रतिशत पैसा चला गया और 20 प्रतिशत पैसा इन योजनाओं का जो प्रारूप इन्होंने बनाया, वह व्यावहारिक नहीं बनाकर अनुपयोगी बनाया उसमें खर्च हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब जिसके लिये यह प्रावधान किया गया है, जिसके लिये बजट बनाया गया है, उसके लिये तो सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा ही शायद वहां पर प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल सकता है या कुछ उपलब्धि हो सकती है बाकी सब का सब सत्यानाश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, उस की क्रियान्विति में, जो इन्होंने कामकाज किये उसकी उपलब्धि वास्तविक रूप में नहीं मिली है। इन प्रतिवेदनों में जो आंकड़े इन्होंने दर्शाये हैं, उनको पढ़ने से ऐसा लगता है यह योजनायें किताबों तक ही सीमित हैं।

प्रौढ़ शिक्षा का इन्होंने बहुत खर्च बताया है। चरागाह विकास के बारे में इन्होंने बताया है। विकास अधिकरण जो नयी एजेन्सी है, के जरिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिय जो कार्यक्रम बनाये हैं उनके अन्दर तो ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि भूजल विभाग की तरफ से ट्यूबवेल खोदे गये तो कहीं पाइप पूरा नहीं लगा, कहीं पर ट्यूबवेल पूरा नहीं खोदा। जो किसान वास्तव में जरूरतमन्द थे, वैसे आदमियों के यहां ट्यूबवेल नहीं खोदा गया। सरकारी आदमियों ने सीलिंग की जमीन लेकर या बेनामी आदमियों की जमीन लेकर अपने लिये ट्यूबवेल खुदवा लिये।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की उद्योगों में बिजली के पैसों की जो बकाया है, जो आपके बीमार उद्योग हैं, उनकी वसूलियां भी अगर सुचारू रूप से कर ली जाती तो करोड़ों रुपया, जो आपका बकाया है, की वसूलियां हो जाती और उससे विकास के कार्यों को काफी गति मिलती। अध्यक्ष महोदय, जीरे और रायड़ा काण्ड के संबंध में मैंने भी इस विधान सभा के अन्दर प्रश्न पूछा था। उस वक्त मैंने यह सवाल किया था और कहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाय इस जांच के अन्दर, "चर तो गये हैं सूर और कूटे जायें पाड़े।" वास्तव में प्रदेश के अन्दर वही चीज हुई है। अध्यक्ष महोदय, काम किसी ने किया, हुक्म कहीं से गया और पैसा किसी और ने बटोरा और कूटे गये वहां पर बेचारे पाड़े। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ कहने का मेरा

(श्री महाराम चौधरी)

मकसद यह था कि आपने बजट जिस उद्देश्य से जनता के लिये, जिस काम के लिये बनाया है उसकी पूरी उपलब्धि नहीं हो रही है। व्यावहारिक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी !

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक पर जो चर्चा यहां पर कल और आज हुई उसके सम्बन्ध में कुछ मुद्दे इस सदन में उठाये गये, उनमें से कुछ के बारे में मैं अपना निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो पिछले 10 दिन से लगातार अलग-अलग विभागों की मांगों के सम्बन्ध में हर विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। काफी जानकारी सरकार की ओर से इस सदन में माननीय सदस्यों को दी गयी। बहुत से सवाल जो पिछले दिनों चर्चा के बीच में उठे, उनका भी जवाब यहां पर काफी तफसील से दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन सब को यहां पर फिर से दोहराना कितना उपयुक्त रहेगा, यह एक सोचने का विषय है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जो यहां पर विपक्ष के नेता महोदय, ने पेश किये, के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। विपक्ष के माननीय नेता ने अपने भाषण प्रारम्भ करने के साथ ही यह कहा कि राजस्थान का जो करीब 1872 करोड़ रु. का बजट पेश किया गया है, वह दिखने को तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बजट है लेकिन उसके मुकाबले में ही करीब करीब 1700 करोड़ रु. की देनदारियां सरकार पर बनी हुई हैं और उसके कारण सरकार को क्या कहा जाय। उनका मतलब साफ तौर से यह था कि सरकार को दिवालिया कहा जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने मन की बात कह रहे हो तो मुझे पता नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : सब लोग समझते हैं।

मैं बहुत गम्भीरता और बहुत जिम्मेदारी से, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हमारे देश की सरकार ने और प्रदेशों की सरकारों ने यह निश्चिय किया कि साधनों की कमी के बावजूद भी हम विकास के लिए एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने के कारण जो हमारी आय के स्रोत बढ़ेंगे उन आय के स्रोतों से हम निरन्तर विकास की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। यदि विपक्ष के माननीय नेता महोदय के सिद्धान्त को ही हम लोग आज से 35 वर्ष पहले स्वीकार कर लेते तो जो कुछ भी विकास आज हमारे देश में और राजस्थान में देखने को मिल रहा है, सम्भवतः वह विकास नहीं हो पाता। यह निर्विवाद सत्य बात है कि कोई भी अविकसित देश जो विकास की गति से आगे बढ़ने की कल्पना करता हो और आज तक उसको विकास के मौके नहीं मिले हों किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से, वह अपने रिसोर्सेज के आधार पर, अपनी आय के स्रोत के आधार पर कभी बहुत बड़े विकास की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आज की डवलपिंग इकोनामी में यह बहुत जरूरी बात है, यदि हमारे पास

(श्री शिवचरण माथुर)

आय के स्रोत नहीं हैं विकास के लिए, तो हम कहीं से भी स्रोत ला करके विकास के काम को आगे बढ़ायें। जिससे हमारी हैसियत इतनी बढ़े कि हम निरन्तर इतनी आमदनी पैदा कर सकें जिससे हम आगे विकास की गति को तेज बना सकें। अध्यक्ष महोदय, यदि यह सम्भव नहीं होता तो जो भी इन्फास्ट्रक्चर असैट्स के रूप में विकास के लिए आज राजस्थान में बनी हैं वह सम्भव नहीं हो सकती थी। एक जमाना था, आजादी के बाद कुल मिला कर 13 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती थी। लेकिन आज उसके मुकाबले में 1158 मेगावाट बिजली पैदा होने लगी है। जैसा मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान में 1758 मेगावाट बिजली हमको मिलने लगेगी। यह जो बड़े बड़े विकास के काम हुए उनकी यदि राजस्थान में अपने आय के स्रोतों के आधार पर कल्पना करते तो सम्भवतः कभी भी इतने बड़े रिसोर्सेज हम बिल्ड-अप नहीं कर सकते थे, न इतने असैट्स निर्मित कर सकते थे और न यह विकास हो सकता था। चाहे सिंचाई के साधनों का सवाल ले लीजिए, राजस्थान कैनाल की एक विशालकाय योजना, जो दुनियां की सबसे बड़ी योजना कही जा सकती है, यह बड़े बड़े मीडियम और मेजर इरिगेशन वर्क्स, काफी सड़कों का फैलाव, स्कूलें, चिकित्सालय, यह सब आखिर किसलिए बने। यह इसलिए बने कि मौलिक इन्फास्ट्रक्चर बनाने की बात हमने सोची और यह भी तय किया कि हम बाहर से फिस्कल रिसोर्सेज ला करके इस काम को करेंगे। वह काम हमने किया। इसलिए 1700 करोड़ रुपये की पूंजी ले करके विकास करने वाली बात कोई आपत्तिजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सही कहा कि जिसकी साख होती है उसको पैसा मिलता है। सवाल यह है, हमने वह पैसा लेकर के किसी फिजूलखर्ची में खर्च नहीं किये। हमने उस पैसे को लेकर विकास के काम किये। एक महत्वपूर्ण बात और देखने की होती है कि जो पैसा हम लेते हैं, जो हमारा शिड्यूल है पेमेंट का, वक्त पर हम उसकी किस्त चुकाते हैं या नहीं चुकाते, या जो ब्याज हम पर आयड़ होता है उस ब्याज को हम सही समय पर चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने अपने विकास के लिए जो कुछ भी कर्जा लिया है, आज तक समय पर हर किस्त को चुकाया है, चाहें वह ब्याज की किस्त हो या मूल की किस्त हो। इसलिए मैं समझता हूँ, विपक्ष के माननीय नेता का यह कहना कि सरकार का जितना बजट है उसके मुकाबले में उतना ही कर्जा लेकर सरकार ने गलत कार्य किया है गलत है। यह उनके सोचने का तरीका गलत है। मैं समझता हूं, आज हमारे सामने, राजस्थान के पास में जो विकास की सम्भावनाएं बनी हुई हैं, हम बिजली के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनने की कल्पना करते हैं तो आगे भी हमको बहुत सी फाइनेंसिंग इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि उस पैसे को ले करके हम कितने असैट्स डवलप करते हैं, कितना इन्फास्ट्रक्चर बिल्ड-अप करते हैं। यह

(श्री शिवचरण माथुर)

एक महत्वपूर्ण बात है । इसलिये मैं उनकी इस आलोचना से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं कि हमने जो कुछ भी काम किया उसमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी । कर्जा हमने लिया उससे विकास किया । उस कर्जे को वक्त पर चुकाने की हमने हमारी हैसियत बनाई । आगे भी विकास के काम को बढ़ाने के लिये हमें जहां से भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी या और साधन जुटाने की जरूरत पड़ेगी, हम निश्चित रूप से उन साधनों को जुटाने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित बात है, एक तरफ जहां हम कर्जे से कुछ कैपिटल असैट्स डवलप करते हैं, कुछ मौलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड-अप करते हैं वहां दूसरी तरफ हमको कुछ कर्जा सामाजिक कार्यों के लिये भी लेना पड़ता है, जैसे अकाल राहत का कार्य हमारे सामने है । अकाल राहत कार्यों के लिये अगर हम यहीं बैठ कर देखते रहें कि जो कुछ भी हमारे पास साधन उपलब्ध है, हमारे पास तो जो मार्जिन मनी होती है एक साल की, ऐसी दैवी विपत्तियों का मुकाबला करने के लिये, वह मुश्किल से सात करोड़ और कुछ लाख की होती है । यदि हम सात करोड़ और कुछ लाख के आधार पर ही यह कल्पना करें कि अकाल चाहे कैसी ही विभीषिका के तौर पर पड़ता रहे हम उसको मीट नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि किसी भी जन कल्याणकारी राज्य के लिये और सरकार के लिये यह उचित नहीं है । इसलिये हमने उसमें तो निश्चित रूप से खर्चा किया है । उस खर्चे में यह भी बात है कि जहां हमने लोगों को राहत कार्य देने वाली बात की, मैं यह भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि वहां अकाल राहत कार्यों के जरिये से आज राजस्थान में बहुत सी परमानेंट असेट्स बनी हैं । कहीं पर नालियां बनी हैं । कहीं पर तालाब बने हैं, कहीं पर सड़कें बनी हैं, कहीं पर खड़ीन बनी हैं, पानी को इम्पाउंण्ड करने की, पानी को इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी राजस्थान में डवलप हुई है । जहां पर भी अकाल राहत कार्यों पर हमने कुछ पैसा खर्च किया उससे हमारी एक प्रकार से परमानेंट असेट्स बिल्ड अप हुई है । उसके लिये भी यदि कुछ कर्जा हमने लिया तो मैं समझता हूं कि वह गैर वाजिब बात नहीं है । राजस्थान की सरकार ने जो कुछ भी पिछले दिनों में इस काम के लिये किया है वह एक उचित काम था ।

अकाल राहत कार्यों के बारे में यह कहा गया कि कहीं-कहीं पर पाँच पैसे देने वाली बात भी आई । चूरू के एक एक्स. ई एन. की रिपोर्ट भी पढ़ कर सुनाई गई । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात मेरे सामने तो आई नहीं जिसमें पाँच पैसे देने का सवाल आया हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, हम लोग निश्चित रूप से इस बात पर विचार कर रहे हैं । चाहे मिनिमम वेज की सीमा तक हम नहीं पहुंचे क्योंकि मिनिमम वेज अकाल राहत कार्यों में देना कितना सम्भव होगा, कितना सम्भव नहीं होगा यह मैं कह नहीं सकता । सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है, उसके बाद भी एक विचारणीय विषय यह है कि यदि हम उस लेवल पर काम करने वाली बात सोचें और उसको टास्क से लिंक नहीं करें तो कितनी धनराशि की आवश्यकता

(श्री शिवचरण माथुर)
राजस्थान सरकार को होगी, कितनी धनराशि की आवश्यकता भारत सरकार को हमें देनी पड़ेगी, सम्भवतः भारत सरकार भी··

श्री अध्यक्ष: मिनिमम वेज तो जहां प्रोडक्शन का सवाल हो, जहां कमाने का सवाल हो···

श्री शिवचरण माथुर : उसी पर आ रहा हूं। यह अलग विचारणीय विषय है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो व्यापारिक संस्थान हो, जो नफा कमाने के लिए करते हैं उनके यहाँ होगा। जहाँ डिस्ट्रेस के तौर पर हो, वहां बड़ा डाउटफुल है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी विचार किया है और यह फैसला दिया है कि यह इस पर भी लागू होना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : हमने सुप्रीम कोर्ट को दुबारा निवेदन किया है, अपनी कठिनाइयां बताई हैं। जो दिक्कतें हैं उनके लिये भी उनसे निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि उनके सामने हमारा निवेदन भी मौजूद है। उस पर जो फैसला···

श्री भैरोंसिह शेखावत : फैसला तो हो गया, निवेदन क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : तो पांच पैसे ही मिलेंगे, यह माना जाय।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं यह कह रहा था, यह निश्चित बात है कि एक मिनिमम, कम से कम सरटेन मिनिमम के बारे में जरूर हमें कल्पना करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमने प्रारम्भ के तौर पर यह कहा है हमारे अधिकारियों कि अगर ढाई रुपये से कम नीचे किसी को वेज मिलती है तो उस एजेंसी, जो एजेंसी काम कराती है, को यह बताना पड़ेगा कि उसके क्या कारण हैं। उसके लिए भी दुबारा जांच की जावेगी ताकि यह मालूम पड़ सके कि इतना कम पैसा लोगों को कैसे चुकाया गया।

विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि इसमें ईमानदारी की बात जब तक नहीं होगी तब तक काफी दिक्कतें आयेंगी। मैं उनसे सहमत हूं। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि अकाल राहत कार्यों में अगर फर्जी मस्टर रोल बनाये जाते हों तो उनकी जांच की जावे, उनको पकड़ा जाय। ऐसे दोषी व्यक्तियों को निश्चित रूप से हम सजा देने की बात में विश्वास करते हैं। जहां भी ऐसा मौका आया है, हमने ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं है। हम यह चाहते हैं कि निश्चित रूप से यह मेल प्रैक्टिसेज होती हैं वह किसी प्रकार से कम हों। लोगों को काम से लिंक करके वाजिब मजदूरी मिले, इस बारे में हमारा निश्चित रूप से मत है। उनका भी सहयोग हम लेना चाहते हैं, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हर व्यक्ति इस काम में मदद दे। अकाल राहत के कार्यों में जहां हमारी एक सीमा है पैसा खर्च करने की, वहां यह

(श्री शिवचरण माथुर)

भी जरूरी है कि हमें अकाल राहत कार्यों के लिये आवश्यक रूप से साधन जुटाने होंगे और हम जुटायेंगे। लेकिन उसमें जो बीच में गड़बड़ियां होती हैं उनको रोकने के लिये हम हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर दल का और हर समाज के नेता का सहयोग चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उसमें कहीं ऐतराज नहीं है। अलग-अलग तौर पर जिला के स्तर पर इस प्रकार की कमेटियां काम करती हैं जो यह देखती हैं कि कौन कौन से काम कहां कहां पर किये जावें। उस कमेटी में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, अधिकारीगण भी हैं। अलग अलग स्तर पर इस प्रकार की कमेटियां काम आज करती हैं जो यह बतलाती हैं कि कहां कहां पर किस प्रकार के काम किये जावें। कमेटियां नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उनमें और सुधार की गुंजाइश है तो और सुधार किया जाना चाहिये इस से मैं इन्कार करके नहीं चलता। अध्यक्ष महोदय, यहां यह बात भी कही गई कि घाटे का मूल कारण रिकवरीज का नहीं होना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने यही कहा है, किसी तरह से बर्डिंग में फर्क हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह घाटे का मूल कारण नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा कि रिकवरी नहीं होती है उस कारण से घाटा बढ़ता है। खासतौर से आपने जिक्र किया, ऐसे लोगों की रिकवरीज के सम्बन्ध में जिनमें काफी पैसे बाकी रह जाते हैं और जो दे सकते हैं, देने की हैसियत में हैं लेकिन फिर भी वे डिफाल्ट करते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। रिकवरी के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये। मैं आंकड़े देख के यहां बताने की बात इसलिये नहीं करना चाहता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जो हमने पिछले साल में प्रयत्न किये निश्चित रूप से उसके परिणाम आये हैं, रिकवरीज अच्छी हुई हैं। रिकवरीज के कैम्पेन को हम और टाइटन करके ज्यादा वसूलियां करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, हमने यह भी निर्णय किया है कि जो डिफाल्टर्स विलफुली करते हैं, जिनके पास आज देने की हैसियत है, पैसा है उसके बाद भी वे विलफुली डिफाल्ट करते हैं, वे चाहे कोर्ट से स्टे लायें, कुछ लायें लेकिन जो सर्विसेज हम रेंडर करते हैं कम से कम उनके बारे में हम निश्चित दृष्टिकोण रख सकते हैं। उनको बिजली के बारे में हम एक निश्चित दृष्टिकोण रख सकते हैं, उनको जो रॉ-मैटीरियल अलॉट होता है उसके बारे में एक दृष्टिकोण रख सकते हैं। उनको जो एसेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके बारे में हम दृष्टिकोण रख सकते हैं। और वह निश्चय हमने किया है ऐसे डिफाल्टर्स के बारे में। जिनमें रिकवरी ड्यू हैं निश्चित रूप से उनको वसूल करने में हम सतर्क हैं। मैं यह आपको कहना चाहता हूं कि इस बारे में हम कहीं पर भी......

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन हम करते नहीं हैं।

श्री शिवचरण माथुर: करते हैं, करते हैं।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : हम करते नहीं हैं। यदि हम कड़ी कार्यवाही करें तो राजस्थान में प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है वह कभी रह नहीं सकता है। सन् 75 के अन्दर को आपरेटिव के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी ने हरिजनों की मालासर गृह निर्माण सहकारी समिति से 1090 रुपये लिये, मैंने हाउस में यह प्रश्न उठाया। मैंने वह ड्राफ्ट कलेक्टर को दिया। कलेक्टर ने उसकी मियाद समाप्त कर दी। वह पेमेंट नहीं हो सका। आज तक वह अधिकारी आपके यहां मौजूद है, काम कर रहा है। आप उससे रकम वसूल नहीं कर सकते, हरिजनों की रकम है। हम कहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इससे कहीं कोई इन्कार नहीं है कि वसूलियां होनी चाहिये। जैसा पंडित जी ने बतलाया, इसकी जानकारी जो यहां पर आपने दी है उसके बेसेज पर, कहां क्या दिक्कत उसमें हैं वह मैं दिखवा लूंगा विभाग से। मैं मूलतः एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग रिकवरी में क्यों नहीं इन्ट्रेस्टेड होंगे? रिकवरी से हमारी वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन ठीक होती है, पैसे का रिसाइकलिंग होता है। जो पैसा हमने किसी को दिया है वह पैसा हमारे पास वापस आता है खजाने में, तो दूसरे लोगों को उसका लाभ मिलता है। इसलिये उस रिसाइकलिंग में सबका इन्ट्रेस्ट हो सकता है। एक चीज, जो हमारी गतिविधि चल रही है इसमें तरक्की होती है। इसलिये निश्चित रूप से रिकवरी के बारे में आज तक जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है उसको और ज्यादा स्ट्रेंग्थन करके रिकवरी के काम को आगे बढ़ाने वाली बात करेंगे, यह मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।

यहां पर डी. सी. एम. का हवाला दिया। दूसरा, जे. के. का भी हवाला दिया गया। मैं सबके बारे में कहना चाहता हूं, खास तौर से उन पार्टीज के बारे में जिनकी हैसियत होते हुए नहीं देते हैं। उनके बारे में मैंने आपसे कहा, ...

श्री भंवरलाल शर्मा : वाक आउट कर रहे हैं?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं लघु शंका करने जा रहा था।

एक माननीय सदस्य : अब सुन लिया, क्या कहा।

श्री शिवचरण माथुर : प्रशासनिक तरीके से भी किस प्रकार से वसूलियों को हम और ज्यादा टाइटन कर सकें इसके बारे में सोचा जायेगा। आपने यह कहा कि कोई कानून वाली बात भी की जानी चाहिये। मैं समझता हूं उसको भी हम एग्जामिन करेंगे कि किस प्रकार एक कानून के दायरे में लेकर के ऐसे डिफाल्टर्स से हम वसूली और ज्यादा कर सकते हैं। यह भी एक बात हम विचार करना चाहते हैं।

यहां पर अकाल राहत के बारे में राजनैतिक आधार पर अलग अलग जगह काम खोलने की बात कही गई। अकाल

(श्री शिवचरण माथुर)

राहत के मद पर जब यहां पर बहस हुई थी, अकाल राहत मन्त्रीजी ने बहुत डिटेल में इस बात को आपको बताया था। आंकड़ों क साथ तथ्यों को साबित किया था कि अलग अलग डिवीजन में जहां जहां भी जिस प्रकार की परेशानियां थीं, जिस प्रकार की अकाल की स्थिति थी उसके मुताबिक ही अकाल राहत कार्य खोले गये हैं और अकाल राहत कार्य खोलने में कहीं पर कोई राजनैतिक आधार पर कामों को खोलने वाली बात नहीं की गई। बारां के बारे में आपने कहा कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां स्थिति तो गम्भीर लगती हो लेकिन वहां मजदूरी का आधार इतना अपने आप होता है कि अकाल राहत कार्य खोलें तो भी नहीं खुल सकते। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताऊं। मेरे अपने क्षेत्र में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर काम भी खोलें तो वहां पर लोग मजदूरी पर नहीं आयेंगे। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा ऐसा है जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है वहां आप अकाल राहत कार्य खोलें तो वहां पर लोग काम पर आयेंगे इसलिये सवाल यह है कि वहां पर एम्पप्लायमेंट मिलने के साथ अवेलेबल हो चाहे वह खेती के जरिये से हो या और किसी जरिये से हो वह उपलब्ध हैं, इस आधार को देखकर, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अकाल राहत विभाग अकाल राहत के काम खोलता है। चन्द्रवीर सिंह जी बहुत इशारा कर रहे हैं मेरी तरफ, जैसलमेर की बात को मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पहले जैसलमेर के बारे में यह सोचा गया था जैसलमेर का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान कैनाल के काम के बीच में आता है। राजस्थान कैनाल के इलाके जहां पर कि हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है जहां पर एक ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट बहुत जल्दी, त्वरित गति से पूरा होना चाहिये जहां पर हम न केवल राज्य की दृष्टि से बल्कि सारे देश के दृष्टिकोण से यह महसूस करते हैं कि उस पानी का उपयोग जल्दी से जल्दी करें, जो रावी-व्यास सतलज का पानी आता है उस पानी का उपयोग हम जल्दी से करें, उस काम को हम तेजी से करने की बात सोचते हैं। वहां पर अगर आज 50 हजार मजदूर भी लगाने वाली बात हो तो लगाने की क्षमता आज हमारी है। उसमें ज्यादा पैसा भी मिलेगा, उसके साथ दूसरी सुविधायें मिलती हैं। तो जैसलमेर के उस इलाके में जहां पर राजस्थान कैनाल काफी प्रोसीड कर रही है आगे, काम देने वाली बात सोची गई थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाका आज भी जैसलमेर का बाड़मेर का ऐसा है जो राजस्थान कैनाल से काफी दूर पड़ता है। राजस्थान सरकार इस बात को सोच रही है कि ऐसे इलाकों, जिनकी काफी दूरी राजस्थान कैनाल है, और मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाय। इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कहीं पर भी राजनैतिक आधार पर सोचने वाली बात नहीं है यदि राजनैतिक आधार पर सोचने वाली बात होती तो जैसलमेर तो वह इलाका है जहां पर राजनैतिक आधार पर हम कभी भी अच्छी स्थिति में नहीं रहते। लेकिन सबसे अधिक

(श्री शिवचरण माथुर)
काम, पर केपिटा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाय,··· ···
अलग अलग मदों में ,......

(व्यवधान)

मैं पर केपिटा एक्सपेंडीचर की बात कहता हूं ....

(व्यवधान)

जो भी हो, आप कोई आधार तो लेंगे। इसलिये हम इस बात को कभी भी नहीं मानते कि कहीं पर कामों को राजनैतिक आधार पर खोला जाय । जहां जिसकी आवश्यकता है, जहां जिसकी सभावना है उन सम्भावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए राजस्थान को समूचा एक प्रदेश मान कर के जो कुछ भी राजस्थान के वित्तीय साधन है, उनको सही तौर पर लगाने वाली बात राजस्थान सरकार के दिमाग में है । इसलिये यह बात कहना, कहीं पर राजनैतिक आधार पर काम खोले गये हैं, तथ्यों से परे की बात है और इसका कोई आधार नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर यह आपके आंकड़े क्या हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं आंकड़ों के जाल में आज नहीं पड़ना चाहता हूं। क्योंकि काफी आंकड़े बहस के दौरान अलग अलग विभागों के मद में दे दिये गये हैं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : आंकड़ों का वर्णन माननीय मन्त्री महोदय के सामने किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी । माननीय मंत्री महोदय ने बहस के जवाब में इसका कोई जवाब नहीं दिया । मैंने एक सिम्पल प्रश्न किया था, मुख्य मन्त्री जी······

श्री हनुमान प्रभाकर : जवाब दिया था।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैंने एक सिम्पल प्रश्न पूछा था कि पापूलेशन के अनुपात में······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल और जवाब से काम नहीं चलेगा , काम चलने से काम चलेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा हूं, आपने याद दिला दिया। चावल के सम्बन्ध में आपने जो जानकारी यहां दी है, मैं इस मौके पर यही आपसे कहना चाहता हूं कि रिजेक्शन के बारे में जो आपने बात कही उसका क्या आधार रखा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे । देखने के बाद में उसमें अगर कोई गड़बड़ की बात होगी तो निश्चित रूप से उस बारे में कार्यवाही की जायेगी, मैं यही कहना चाहता हूं।

सरकार के नान परफारमेंस की बात यहां पर कही गई । मैं तो समझता था कि बहुत लम्बी चौड़ी बात आप बतायेंगे नान परफारमेंस की । नान परफारमेंस की एक बात केवल रेलवे के एक सैक्शन के बारे में कही । मैं यह नहीं कहता कि वह यू. पी. के इलाके में भी हो तो उसके लिये हमें कोई सफाई देने वाली बात है, लेकिन राजस्थान का उस दृष्टि से सम्बन्ध नहीं होता । मैं निश्चित

(श्री शिवचरण माथुर)

तौर पर आपको कहूंगा कि राजस्थान में भी कई जगह पर रेल्वे में गड़बड़ियां हुई और कई डकैतियां भी हुई । राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे गंगानगर के आसपास हुई हों या कहीं पर हुई हों उसको हमने आज तक वर्क आउट किया है । सब दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है, उन सबके खिलाफ़ केसेज चल रहे हैं सबको हमने राउण्ड अप करके वर्क आउट किया है, मुझे याद नहीं पड़ता कौनसी चिट्ठी का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन जो असामाजिक तत्व वहां पर गड़बड़ करते हैं उनको यू. पी. और राजस्थान के मिले जुले प्रयासों से रोकना आवश्यक है । निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे । लेकिन केवल एक घटना को बता कर आप पूरी गवर्नमेंट को नान परफार्मिंग गवर्नमेंट कहें और आज तक 35 साल के अन्दर जो कुछ भी हुआ या आज जो हो रहा है, उस सबको आप एक नान परफार्मिंग गवर्नमेंट की संज्ञा दें, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्शन ओरियेन्टेड भी है ।

श्री शिवचरण माथुर : एक्शन ओरियेन्टेड ही है ।

एक माननीय सदस्य : इनका ढाई साल स्वर्ण काल कहा जाता है ।

श्री चन्दनमल बेद : बेंच मार्क हुआ है, बेंच मार्क ।

श्री शिवचरण माथुर : कुछ घोषणायें विधान सभा में की गई उसके सम्बन्ध में माननीय नेता जी ने कहा । अलग अलग जांचों के संबंध में कहा । समय के बारे में तो हर एक के अलग अलग कारण बताये जा सकते हैं लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कोई न कोई कारण देरी का है । सरकार की पूरी मंशा यह है कि हर बात की साफ तौर से जांच की जाय । जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों को हमने न तो कभी छोड़ा है, न बख्शा है, चाहे वह कोई भी केस हो ।

(व्यवधान)

थाना में फायरिंग के बारे में आपने कहा । कि यह एक जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की गई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस घोषणा के अनुकूल एक सीटिंग जज की नियुक्ति कर दी गई है । उसको तीन महिने का समय दिया गया है । निश्चित रूप से उसके बारे में जांच करके वे अपनी फाईंडिंग्स देंगे । राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय जज, श्री दिनकर मेहता को इस काम के लिये मुकर्रर किया गया है। वे इसकी जांच करके अपना निर्णय इस बारे में देंगे। उसके बाद उस पर सरकार विचार करके निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी ।

बाधर फ्लड के बारे में यहां पर कहा गया कि मैं और सिंचाई मंत्री जी वहां पर गये । वहां देखकर, नुकसान का अंदाज लगाकर यहां घोषणा करने वाली बात कही थी । हम कोई एक ही दिन में नुकसान का अंदाज लगा लेंगे और घोषणा कर देंगे यह बात कभी नहीं कही थी । हमने तो यह बात कही थी कि हमेशा लोगों को परेशानी

(श्री शिवचरण माथुर)

होती है फ्लड से उसका परमानेन्ट इलाज करने के लिये क्या किया जा सकता है, कुछ दिन पहले हमने एक योजना को स्वीकार किया था उसमें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किस चीज को लें सकते हैं जिससे कि आज वाली परेशानी जो हर साल आती है उसको हम दूर कर सके। इसका मौके पर जाकर अध्ययन करके यहां निर्णय करने वाली बात के लिये हम लोग गये थे। वहां जाने के बाद हमने हर उस मौके को देखा जहां से लोगों को परेशानी होती है, पानी आता है और क्या उसके कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में सारी टैक्नीकल जांच के बाद राजस्थान सरकार बहुत जल्दी उस योजना पर अमल करना चाहती है। घग्घर बांध को ठीक, हार्डनैस करने के लिये, लोगों को बरबादी से बचाने के लिये परमानेन्ट तौर पर बाढ़ का इलाज हो सके उसके लिये हम लोग प्रयत्नशील हैं। वहां जाकर केवल हम कोई कम्पन्सेशन देने की घोषणा करने के लिये नहीं गये थे, स्थाई रूप से समस्या का हल किस प्रकार से निकाला जा सके, उस काम में गति लाने के लिये हम मौके पर देखने के लिये गये थे। मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही राजस्थान सरकार इस बारे में अपना पूरा निर्णय देगी।

सिंगरोली पावर के बारे में यहां पर कहा गया। मैंने ऊर्जा मंत्रीजी से भी पूछा और उनके भाषण के अंश भी पढ़े। उन्होंने यहां पर स्पष्ट कहा कि हमने चाहे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो लेकिन सैन्ट्रल सैक्टर में लगने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पैसा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का लगे लेकिन किन किन स्टेट को अलग अलग फायदा होता है, यह वह देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आपमें तो कोई एन्टिटी नहीं है, वह सारे के सारे प्रदेशों के भले के लिये काम करती है। प्रदेशों में एक आधार बने इसलिये बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है। जो प्रोजेक्ट एक स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बाहर के होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है। उनसे सारी स्टेट्स, जिनको बेनीफिट दे सकती है, को बेनीफिट देने के लिये एक मुहायदा होता है, स्टीपुलेशन होता है। उसी आधार पर सिंगरोली में जो सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट लगने वाला है, उसकी जो चार यूनिट्स लगने वाली हैं उनकी कुल मिला कर जो दो हजार मेगावाट की कैपेसिटी होगी उसमें से 300 मेगावाट का हमारा फर्म अलोकेशन होगा। यह निश्चय भारत सरकार का है। हम उसमें एक प्रकार से शामिल हैं। इसलिये हमारा पैसा लगा हो या नहीं लगा हो लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान का जो हिस्सा 300 मेगावाट है उसको पाने के हकदार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये कह दूं कि जो पहली यूनिट लगी है उसमें हमारा 17 मेगावाट का हिस्सा है। अगर दूसरी यूनिट जो लगने वाली है, जो अभी चालू नहीं हुई है लग तो गई है, उसमें भी हमारा 17 मेगावाट का हिस्सा है। लेकिन आज हम पहली यूनिट में से भी 34 मेगावाट से ज्यादा बिजली प्राप्त कर रहे हैं। आज जो हमारी बिजली की दिक्कत है उसको दूर करने के लिये एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंगरोली से मिल रहा है। मुझे

(श्री शिवचरण माथुर)

आज की जानकारी पूरी नहीं है लेकिन 4–5 दिन पहले की जानकारी है, करीब 50–60 मेगावाट बिजली हमको सिंगरोली से मिल रही है। हमने भारत सरकार को यह पत्र लिखा है, मैंने स्वयं ऊर्जा मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है और निवेदन किया है कि चूंकि राजस्थान का जो बेस लोड है पावर का, आर. ए. पी. पी. की दोनों यूनिट आम तौर पर बीमार रहती हैं और उनसे 400 मेगावाट का एकदम लोस होता है। इसलिये इस लोस को कम्पन्सेट करने के लिये जो 300 मेगावाट का अनलोकेटेड सरप्लस है। सिंगरोली के पावर में वह 300 मेगावाट बिजली पूरी की पूरी राजस्थान को दी जाय। यह हमने भारत सरकार को कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 200 मेगावाट है।

श्री शिवचरण माथुर : 300 मेगावाट है। जो भी अनलोकेटेड सरप्लस है वह राजस्थान को मिले, यह हमने भारत सरकार को कहा है। 400 मेगावाट का एक साथ बड़ा गैप राजस्थान के लिये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाता है। हम केवल अपने 300 मेगावाट के लिये ही कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत सरकार ने जो बिजली किसी को अलाट नहीं की है वह भी राजस्थान को मिलनी चाहिये, इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन करना यह था कि ऊर्जा मंत्रीजी का स्टेटमेंट सही नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : ऊर्जा मंत्रीजी ने बाद में स्पष्ट कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या कहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा हूं ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका स्टेटमेंट सही मानते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह स्लिप आफ टंग थी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर उद्योग की भी चर्चा की गई। उद्योग की मांग के दिन यह कहा था कि जयपुर उद्योग में हमारा करीब 6 करोड़ रुपया इन्वाल्व्ड है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया और दूसरी एजेन्सीज का पैसा भी उसमें इन्वाल्व्ड है। पता नहीं आपको कैसे जानकारी है कि वह उद्योग 10-12 करोड़ में मिल जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, जब तक 30 करोड़ रुपये की धनराशि इस समय अवेलेबल नहीं हो तब तक उस प्लान्ट को हस्तगत नहीं कराया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्चेजिंग का जो अमाउन्ट तय किया गया है वह साढ़े दस करोड़ है।

श्री शिवचरण माथुर : हमने तो हमेशा भारत सरकार को यह कहा है। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि जयपुर उद्योग को वापिस दे दिया जाय। हमने यह कहा है, या तो भारत सरकार इस उद्योग को नेशनेलाइज करें, अगर नेशनेलाइज नहीं करती है तो उसका मैनेजमेंट जो आज चला रहे हैं

(श्री शिवचरण माथुर)
उसको हमारे हाथ में रहने की इजाजत दी जाय। आज इतने बड़े पैमाने पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेन्ट करने की स्थिति में राजस्थान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आपकी इच्छा होगी लेकिन जिस प्रकार से शेयर्स पर्चेज कर रहे है, शेयर्स में मेजोरिटी बन गई तो न भारत सरकार कुछ कर सकती है न अपन कर सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था कि शेयर्स मैनुपुलेट करने की वह लोग कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मार्केट से करीब 40 प्र. शेयर्स खरीद लिये हैं। शेयर्स पर्चेज होने के बावजूद भी हमने इण्डियन कम्पनीज एक्ट की धारा 409 के अन्तर्गत भारत सराकर को कहा है कि चूंकि हमारे स्टेट में इसलिये चाहे वह शेयर में मेनुपुलेशन कर दें, इस बिना पर उनको मैनेजमेंट नहीं दिया जाय। भारत सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया है। उसी के अन्तर्गत आज हमारा मैनेजमेंट उसमें है। बावजूद इसके कि उनकी शेयर होल्डिंग का एक निश्चित पर्सेंटेज एक सीमा पर पहुँच गया है, हम लोग आज मैनेजमेंट में है। उस मैनेजमेंट में होते हुए राजस्थान सरकार का जो अपना पैसा है वह पैसा वापस आया है और जो दूसरी एजेन्सीज का पैसा है, करीब 5-6 करोड़ के बीच में हमने वापस किया है। इसलिये यह तो हमारा निश्चित मत है कि हम इसके मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना चाहते। हमने भारत सरकार को भी कहा है। लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, कितना हमको खर्चा करना पड़ेगा, हमारे साधन आज परमिट नहीं करते हैं कि हम एक बहुत बड़े काम को अपने हाथ में ले लें। आज तो ठीक है कि सीमेंट की प्राइस भी एक कारण है उससे भी लाभ मिलने वाला है, कल अगर कोई उतार चढ़ाव आ जाय व्यापारिक दृष्टि से, और घाटे की स्थिति बने तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार आज उस स्थिति में नहीं है कि कोई भी घाटे में जाने वाले काम को हम अपने हाथ में लें। हमारी तो वैसे भी बहुत सी दिक्कतें है उनके बीच में हम एक नयी चीज अपने हाथ में ले लें और उसमें नुकसान हो या आर्थिक रूप से कठिनाई हो, वह दिक्कत हम नहीं उठाना चाहते। आज के हालात में जो हमारा मैनेजमेंट चल रहा है उसके आधार पर हम अपने पैसे को भी रिकवर कर रहे हैं जो दूसरी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका पैसा भी लौटा रहे हैं और मजदूरों के हित भी उसमें सुरक्षित हैं। आज बहुत सी गड़बड़ियां जो प्राइवेट मैनेजमेंट के आधार पर होती थी वे एक प्रकार से बन्द हैं, मिट गई हैं। जो प्रोफिट हो रहा है, समाज को, मजदूरों को, सरकार को और वित्तीय संस्थाओं को उसका लाभ मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मोटे तौर पर यह बातें यहां पर कही गई थी। एक बात तो मेरे बारे में यहां पहले भी कई बार कही गई और बार बार उस बात को दोहराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने पहले कहा उससे अधिक मुझे इस मौके पर कुछ नहीं कहना।

(श्री शिवचरण माथुर)
जो कुछ भी मैंने कहा वह स्पष्ट था पर्याप्त था ।

जो मुद्दे यहां पर उठाये गये, अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में मैंने सरकार की ओर से आपसे निवेदन किया । इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि विनियोग विधेयक पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 2) विधेयक ....

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना भूल गया, वह यह है कि यहां पर आम तौर से किसानों की कुछ कठिनाइयों के सम्बन्ध में बात कही जाती है । मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार ने भी बहुत गम्भीरता से उस पर विचार किया है । और निर्णय यह लिया गया है, "राज्य सरकार ने राज्य में कृषि के महत्व और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि के कार्य में उपयोग में आने वाली ट्रॉली को, जो कि ट्रेक्टर के द्वारा संचालित की जाय, का सड़क कर, रोड टैक्स, परमिट फीस और फिटनेस फीस से मुक्त करने का निर्णय लिया है ।

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे खेद है कि पूरे बजट में एक भी शब्द इस राज्य के किसानों के लिये मुख्य मन्त्रीजी के मुंह से नहीं निकले हैं..........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आखिरी शब्द किसानों के पक्ष में निकला है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : एक शब्द नहीं निकला है । यह शर्म की बात है ।

श्री अध्यक्ष : एक मार्च को बजट पेश हुआ, इस सदन के समक्ष विस्तृत अलग अलग स्तर पर चर्चा हुई । अब, माननीय सदस्य, वही मुद्दे वापस उठायें......

(व्यवधान)

अब इसको पारित किया जाय ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 2) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया गया ।

विनियोग विधेयक का पारण

अगला प्रस्ताव पारित करने का ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 2) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1983 को पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही सांय 6.43 बजे शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 751 की सूची)

वोलेस्टोनाइट खनिज की पिट माउथ सेल वेल्यू व चुकाई गई राशि का विवरण

पट्टाधारी का नाम	लीज अवधि	रायल्टी निर्धारण अवधि	पिट माउथ सेल वेल्यू जो पार्टी द्वारा बताई गई	रायल्टी की दर	रायल्टी जो निर्धारित दर से बनी (रुपये)	रायल्टी जो वास्तव में वसूल की गई (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
1. मैसर्स वोलकम प्रा. लि.	27.12.68 से 20 वर्ष	27.12.68 से 26.12.69	19,938.00	पिट माउथ वेल्यू का 7 प्रतिशत	1,395.66	1,651.96
		27.12.69 से 26.12.70	27,383.63	,,	1,916.85	1,828.85
		27.12.70 से 26.12.71	62,740.10	,,	4,391.80	7,436.00
		26.12.71 से 26.12.72	64,884.00	,,	4,541.88	4,679.08
		27.12.72 से 26.12.73	13,000.00	,,	910.00	910.00
		27.12.73 से 19.1.75	54,212.95	,,	3,795.00	3,795.00
		20.1.75 से 31.3.75	540.12	,,	37.80	37.80
		1.4.75 से 26.12.75	46,178.87	पिट माउथ वेल्यू का 10 प्रतिशत	4,617.88	4,617.88

1	2	3	4	5	6	7
		27.12.75 से 26.12.76	331,248.42	पिट माउथ वेल्यू	33,124.84	33,124.84
		27.12.76 से 26.12.77	30,8339.80	का 10 प्रतिशत	30,833.90	30,833.90
		27.12.77 से 26.12.78	18,9639.10	,,	18,962.91	18,962.91
		27.12.78 से 26.12.79	36,8114.61	,,	36,811.46	36,811.46
		27.12.79 से 26.12.80	4,14,493.84	,,	41,449.33	53,659.38
		27.12.80 से 22.7.81	5,04;149.68	,,	50,415.00	52;254.65
		23.7.81 से 26.12.81	—	रु. 10/- प्रति टन	94,660.00	94,660.00
		27.12.81 से 31.3.82	41,710.00	,,	41,710.00	41,710.00
2. मैसर्स वेस्टर्न बंगाल कोल फिल्ड लि. नई दिल्ली	26.5.72 से 20 वर्ष	26.5.72 से 31.3.82	वन विभाग से विवाद के कारण इस क्षेत्र में कार्य बन्द है केवल स्थिर-भाटक वसूल किया जा रहा है जो वर्तमान में रुपये 1,213.87 प्रतिवर्ष है।			
3. श्री एस. पी. अग्रवाल उदयपुर	19.3.76 से 20 वर्ष	19.3.76 से 22.7.81	इस अवधि में पार्टी द्वारा खान का निर्गम नहीं किया गया अतः केवल स्थिर भाटक जो 1528/- रुपये प्रतिवर्ष है वसूल किया गया है।			
		23.7.81 से 18.3.82	—	रु. 10/- प्रति टन	5,185.00	5,185.00
		19.3.82 से 31.3.82	—	,,	225.00	225.00

नोट:—कॉलम 6 व 7 में दर्शाई गई राशियों में जो मिलता है, वह इस कारण है कि पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों व विभाग द्वारा रिकार्ड की चैकिंग के उपरान्त पाये गये आंकड़ों में अन्तर पाया गया।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 753 की सूची)

परिवहन निगम के साथ अनुबन्धित बसों के मालिकों के नाम व पते सहित सूची

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता
1	2	3
1.	आर एस बी 5129	श्री सीताराम शर्मा
2.	आर एस बी 1438	श्री राधेश्याम चौधरी
3.	आर एस जी 5084	श्रीमती उर्मिला देवी श्री आर. के. जैन, एस बी 108 लाल कोठी, जयपुर।
4.	आर एस बी 5082	श्री सुरेन्द्रकुमार जैन, सी-45, बापू नगर, जयपुर।
5.	आर आर जी 5367	श्री सत्येन्द्रकुमार जैन, सेठी भवन, सकरी गली, किशनपोल बाजार, जयपुर।
6.	आर आर जी 8074	श्री गुलाब चन्द जैन
7.	आर एस बी 5078	श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्रभान जैन एस बी, 108, लाल कोठी, जयपुर।
8.	आर एस जी 2469	श्री मोहम्मद यासीन
9.	आर आर जी 354	श्री महेन्द्र कुमार, जयपुर।
10.	आर आर जी 1032	श्री कुशाल सिंह, जयपुर।
11.	आर आर जी 2132	श्री सीराजूद्दीन, जयपुर।
12.	आर आर बी 7845	श्री आर. के. जैन, जयपुर।
13.	आर एस बी 5076	श्री आर. के. जैन, जयपुर।
14.	आर आर बी 9154	श्री गुलाब चन्द जैन, जयपुर।
15.	आर एन बी 3874	श्री महेश चन्द शर्मा पुत्र गोकुल चन्द शर्मा, मुकाम पोस्ट तुंगा, जिला जयपुर।
16.	आर एन बी 3880	श्री लक्ष्मीनारायण शाहू पुत्र लादूराम शाहू
17.	आर एस डी 3673	
18.	आर एस डी 3691	मै. नाथीलाल अमर सिंह, बयाना, जिला भरतपुर।
19.	आर आर जी 5172	श्री सुरेश कुमार जैन, जयपुर।
20.	आर आर जी 2348	श्री राजेन्द्र कुमार जैन, जयपुर।
21.	आर एन बी 181	श्री सिकन्द कुमार पंजाबी, सब्जी मण्डी, दौसा।
22.	आर एस जी 2511	श्री श्याम बिहारी भवानी

Page No 196

(196)

1	2		3
23.	ग्रार एस बी	4299	श्री हरजीत सिंह, 209 ग्रादर्श नगर, जयपुर।
24.	ग्रार एस बी	7620	श्री चिरंजीलाल पुत्र मूलचन्द, बी-66, ग्रानन्दपुरी, जयपुर।
25.	ग्रार ग्रार बी	6078	श्री धर्मपाल जैन, रायथल हाउस, जयपुर।
26.	ग्रार एस बी	1251	श्री राजेन्द्र कुमार।
27.	ग्रार ग्रार बी	8844	श्री हरजीत सिंह, जयपुर।
28.	ग्रार एस बी	3103	श्री जी. ए. शर्मा, हाउस नं. 3749, नाहरगढ़ रोड, जयपुर।
29.	ग्रार जे एक्स	2197	श्री राजू लाल जखवाल।
30.	ग्रार एस बी	4151	श्री शिवनारायण, हीदा की मोरी, जयपुर।
31.	ग्रार एस बी	5255	श्री ग्यारसी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बुधा सिंह, 328, ग्रादर्श नगर, जयपुर।
32.	ग्रार एस बी	7927	श्री हरजीत सिंह, 209, ग्रादर्श नगर, जयपुर।
33.	ग्रार एन बी	3927	श्री दीवान हरबक्स, रायकृपलानी
34.	ग्रार ग्रार बी	7569	श्री महन्तकिशोर पुरी मेहन्दीपुर बालाजी, जयपुर।
35.	ग्रार एन बी	5169	श्री नारायण दास साबू, जयपुर।
36.	ग्रार एन बी	6768	श्री ग्रनिल कुमार।
37.	ग्रार जे यू	2838	श्री रमेशचन्द, विजय तरवाल, गंगापुर सिटी
38.	ग्रार एन बी	6168	श्री ए. ग्रार. सोनी
39.	ग्रार एन बी	7329	श्री मुरारी लाल ग्रग्रवाल, सिकराय, जयपुर।
40.	ग्रार एन बी	4669	श्री प्रफुल कुमट, जयपुर
41.	ग्रार एन बी	4833	श्री प्रमोद कुमट
42.	ग्रार एन बी	4217	श्री गोवर्धन लाल
43.	ग्रार एन बी	4232	मैसर्स गजेन्द्र बस सर्विस, जयपुर
44.	ग्रार एन बी	5687	श्री जसवन्त सिंह, जयपुर
45.	ग्रार एस बी	4437	श्री विनोद कुमार, मनोज कुमार मलहोत्रा
46.	ग्रार एस बी	2110	श्री जयराम दास, जयपुर
47.	ग्रार ग्रार एम	8651	श्री धर्मपाल, पेट्रोल पम्प, जयपुर
48.	ग्रार एस बी	2036	श्री सीताराम, चन्दवाजी, जयपुर
49.	ग्रार ग्रार एल	1924	श्री कैलाश चन्द
50.	ग्रार एस बी	9251	श्री सोभराज, जयपुर
51.	ग्रार एस बी	2106	श्री लादूराम मीना,
52.	ग्रार एन बी	2247	सुभाष चन्द, झुंझुनूं
53.	ग्रार एन बी	5855	श्री महावीर प्रसाद जैन
54.	ग्रार एन बी	6522	श्री मूलचन्द जुगल किशोर

1	2		3
55.	आर एन बी	6099	श्री गोविन्द सिंह, जयपुर
56.	आर एस बी	1374	श्री अमीन खां सुमेर खां, जयपुर
57.	आर एन बी	4548	श्री परमानन्द
58.	आर आर एम	9167	श्री ताराचन्द, जयपुर
59.	आर एन बी	7959	श्रीमती सुमनलता, भुसावर, भरतपुर
60.	आर एन बी	3844	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
61.	आर एन बी	8021	श्री गंगवाल सालोदिया ट्रैवल्स, झोटवाड़ा, जयपुर
62.	आर आर एल	6378	श्री हरजीत सिंह, जयपुर
63.	आर एन डी	4449	श्री कृष्ण अवतार, जयपुर
64.	आर एन बी	3751	श्री लीला देवी, जयपुर
65.	आर एन बी	6951	श्रीमती शान्तीदेवी, जयपुर
66.	आर एन बी	5940	श्री करोडीमल, जयपुर
67.	आर जे एफ	9507	श्री मनोहर लाल, गुरु नानक मार्केट, दिल्ली
68.	आर एन बी	1921	अरावली ट्रैवल्स, जयपुर
69.	आर एस ए	3637	श्री ख्याली राम, मेहतर
70.	आर एन बी	2841	श्री मूलचन्द, नाथूलाल
71.	आर एस ए	3789	मैसर्स रामप्रसाद रामवतार, अलवर
72.	आर एस ए	3739	श्री मोहनलाल, अलवर
73.	आर एस ए	3933	श्री सम्पतराम अशोक कुमार, अलवर
74.	आर एस ए	3977	श्री दुलीचन्द मंगलचन्द, अलवर
75.	आर एम बी	4832	श्री कालू राम, बसी, जयपुर
76.	आर एस ए	4837	श्री ओम प्रकाश, अलवर
77.	आर एस बी	4427	श्री नारायण लाल, महुवा, सवाई माधोपुर
78.	आर एस डी	3981	श्री सागर बस सर्विस भरतपुर
79.	आर एस डी	3105	सुशील बस सर्विस भरतपुर
80.	आर एस डी	3338	श्री हुकमसिंह, भरतपुर
81.	आर एस डी	3555	श्री एन. के. गुप्ता, भरतपुर
82.	आर एस डी	3895	श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, भरतपुर
83.	आर एन बी	5183	श्री हजारीलाल, दौसा, जयपुर
84.	आर एस डी	3627	मैसर्स उदयकुमार बस सर्विस, भरतपुर
85.	आर एन बी	368	श्री बनवारी लाल बंशीधर, गोवर्धनपुरा, कोटपूतली जयपुर
86.	आर एस जी	5277	कैलाश चन्द शर्मा मेड, जयपुर
87.	आर आर जी	9842	मैसर्स जमनालाल बनवारी लाल, कोटपूतली, जयपुर

1	2		3
88.	आर एन बी	6115	श्री रामेश्वर प्रसाद, मेड, शाहपुरा, जयपुर
89.	आर एस ओ	1956	श्री विमल कुमार गुप्ता, चन्दवाजी, जयपुर
90.	आर जे बी	3123	श्री रामनिवास व्यास, सीकर
91.	आर एस बी	1956	श्री शिवजीराम, सुजानगढ़
92.	आर एन बी	1655	श्री रामचन्द्र सुरेशचन्द, सीकर
93.	आर जे बी	4181	श्री कुन्दनमल मीना मालीराम मीना, सीकर
94.	आर एन बी	8885	श्री मदनलाल वर्मा, पिलानी
95.	आर एन बी	1051	मैसर्स रामेश्वर प्रसाद, जयपुर
96.	आर जे पी	3918	श्री मैसर्स नन्दलाल रामेश्वरलाल, झुंझुनू
97.	आर जे पी	3903	श्री बनवारी लाल, सूर्य यात्रा कम्पनी, झुंझुनू
98.	आर एस बी	1217	श्री रतनसिंह झुंझुनू
99.	आर एन बी	5011	श्री नन्दराम, जयपुर
100.	आर एस जी	2755	श्री बीरबल अशोककुमार शाह, खेतड़ी
101.	आर एस बी	4488	श्री बंशीलाल तिवाड़ी, श्री माधोपुर
102.	आर एन बी	6289	श्री रामनारायण, जयपुर
103.	आर एन बी	2607	श्री गनपतलाल, बाबूलाल, जयपुर
104	आर एन बी	415	श्री रामचन्द्र मदनलाल, जयपुर
105.	आर एस बी	7817	श्री लक्ष्मण सिंह, बीकानेर।
106.	आर एस बी	1436	भौंरीलाल जगदीश नारायण धानपुर कलां
107.	आर आर के	4215	श्री पेमीलाल चौधरी, गंगानगर
108.	आर एस एफ	2608	श्री पन्नाराम रामूराम, बीकानेर
109.	आर एन बी	5166	श्री चमनराम, पालाराम, जयपुर
110.	आर एन बी	6456	श्री बदरूद्दीन, जयपुर
111.	आर एस बी	3668	श्री हरजीतसिंह, जयपुर
112.	आर एन बी	6341	श्रीमती गेन्दी देवी, बीकानेर
113.	आर आर के	8177	श्री भूपसिंह, बीकानेर
114.	आर आर के	4967	श्री जगनेर सिंह, संतोषसिंह, गंगानगर
115.	आर एस सी	5285	श्री प्रकाशचन्द, बीकानेर
116.	आर एस सी	5919	श्री अदाराम बोदारा, गंगानगर
117.	आर आर के	6828	श्री धर्मवीर, गंगानगर
118.	आर एन बी	6050	मैसर्स पाल ट्रैवल्स, जयपुर
119.	आर एस सी	5137	श्री रणधीर सिंह, गंगानगर
120.	आर एस सी	3777	श्री रणधीर सिंह, गंगानगर

1	2		3
121.	आर एन बी	914	श्री पानाचन्द करोड़ीलाल, जयपुर
122.	आर एस सी	4515	श्री
123.	आर एस सी	7347	श्री हंसराज, हनुमानगढ़
124.	आर आर जैड	289	बाबा रामदेव, यात्रा सर्विस, जोधपुर
125.	आर एन बी	9327	सोहनलाल, जयपुर
126.	आर एस बी	5195	श्रीमती कलावती, जयपुर
127.	आर एन बी	2997	श्री लादूराम, जयपुर
128.	आर आर आर	9105	राजकुमार अरोड़ा, कोटा
129.	आर एन बी	587	कैलाश चन्द, दौसा, जयपुर
130.	आर एस ओ	3005	मैसर्स खींची ट्रेवल्स, कोटा
131.	आर जे जी	2439	स्वर्ण भाटिया, बून्दी
132.	आर एन बी	117	हीरालाल भगवान दास, चौमू, जयपुर
133.	आर एन बी	2547	दिनेश चन्द गुप्ता, जयपुर
134.	आर जे एस	2557	मैसर्स खींची ट्रेवल्स, उनियारा, टौंक
135.	आर जे जी	3725	गुलाबचन्द रघुनाथ मीना, बून्दी
136.	आर आर बी	9611	हरीश कुमार, जयपुर
137.	आर एन बी	2335	अमरसिंह, गीजगढ़, जयपुर
138.	आर एन बी	224	प्रभूलाल भाकोता, जयपुर
139.	आर एस बी	5484	लाल मोहम्मद, जयपुर
140.	आर जे एक्स	2528	रामनिवास, टौंक
141.	आर आर एन	5721	मगनीराम, जोधपुर
142.	आर एस बी	1437	प्रेमनारायण, मानपुरा, जयपुर
143.	आर आर जी	6821	जगमोहन लाल, जयपुर
144.	आर आर एन	4148	नन्दकिशोर, जोधपुर
145.	आर आर एन	4135	नव दुर्गा ट्रेवल्स, जोधपुर
146.	आर आर एन	5817	लालचन्द, जोधपुर
147.	आर आर एन	5924	सुदर्शन गुप्ता, जोधपुर
148.	आर आर एन	5925	अनीता भाटी, जोधपुर
149.	आर आर क्यू	9327	राजेन्द्र सिंह, जोधपुर
150.	आर आर एन	6195	दोलूराम, जोधपुर
151.	आर आर एन	6317	रामानन्द, जोधपुर
152.	आर एन बी	6212	रामप्रकाश मिर्धा, जोधपुर, जयपुर
153.	आर एन बी	7900	रिद्धकरण, जोधपुर

1	2		3
154.	आर जे टी	5174	ओमप्रकाश जेठिया, जैतारण, पाली
155.	आर आर एन	6551	धनपतसिंह, जोधपुर
156.	आर जे डब्लू	3211	लीला बाकोलिया, बस्ती राम, विधायकपुरी, जयपुर
157.	आर एन बी	6125	मांगीलाल एण्ड कम्पनी, जयपुर
158.	आर एन बी	6472	बाबूलाल हरिसिंह, वालाहेडी, सवाईमाधोपुर
159.	आर एन बी	1971	चमनलाल दीपक कुमार, जयपुर
160.	आर एन बी	7095	लालचन्द लक्ष्मी ट्रेवलस, जयपुर
161.	आर जे टी	8733	बन्शीलाल चुन्नीलाल, पाली
162.	आर एन बी	6384	एक्स सोलजर मेजर हिलाईबक्स, जयपुर
163.	आर एन बी	1072	डूंगरमल सोहनलाल, ब्यावर, अजमेर
164.	आर एन बी	5376	सुरेशकुमार मंगल, जयपुर
165.	आर एन बी	6731	गिरधारीलाल यादव, जयपुर
166.	आर एन बी	6721	घासीलाल यादव, जयपुर
167.	आर एन बी	4887	रामस्वरूप यादव, जयपुर
168.	आर एन बी	5525	राजेश चन्द यादव, जयपुर
169.	आर जे ई	7619	मैसर्स प्यारचन्द, उदयलाल, भीलवाड़ा
170.	आर आर वाई	3531	आदूल खां हमीद खां, उदयपुर
171.	आर एन बी	3242	ईश्वरलाल ओमप्रकाश, जयपुर
172.	आर एस सी	7711	भागसिंह, जयपुर
173.	आर एन बी	6582	रामवतार कुमावत, जयपुर
174.	आर एन बी	4878	नवलसिंह पगारिया, उदयपुर
175.	आर एस बी	7446	अबदुल रफीखां, जयपुर
176.	आर एन बी	5247	नामकरण, जयपुर
177.	आर आर वाई	4591	अबदुल कलीम खां, उदयपुर
178.	आर एन बी	3853	हरिनारायण गुप्ता, जयपुर
179.	आर एन बी	4796	भंवरलाल तंवर, जयपुर
180.	आर एन बी	5655	अशोक कुमार, जयपुर
181.	आर आर बी	7369	मोहम्मद हुसैन, दौसा, जयपुर
182.	आर आर जैड	311	राधाकिशन प्रहलाद, पर्बतसर, नागौर
183.	आर आर वाई	4653	सुन्दरलाल चौथूमल, उदयपुर
184.	आर आर जैड	5165	अरविन्द गर्ग, अजमेर
185.	आर एस सी	1244	चन्द्रप्रकाश, कोटा
186.	आर आर जैड	85	फूलचन्द गिरधारी लाल, नसीराबाद, अजमेर

1	2		3
187.	आर आर जेड	1051	उमाशंकर शर्मा, अजमेर
188.	आर आर जेड	1344	गोपाल गर्ग, अजमेर
189.	आर आर जेड	601	झावरमल, अजमेर
190.	आर एस जेड	2151	हसंराज शर्मा, बस स्टेंड ब्यावर, अजमेर
191.	आर एस जेड	171	हसंराज शर्मा, बस स्टेण्ड ब्यावर, अजमेर
192.	आर एस जेड	9156	रामसुख चारटिया, अजमेर
193.	आर एस जेड	9624	गोपीचन्द, ब्यावर, अजमेर
194.	आर एस जेड	9714	सोहनलाल, ब्यावर, अजमेर
195.	आर एस जेड	183	बंशीलाल, ब्यावर, अजमेर
196.	आर एन बी	2791	दयाराम, ब्यावर, अजमेर
197.	आर आर जेड	881	कैलाशचन्द, नागौर
198.	आर एन बी	5588	हरिनारायण, कानूनगो
199.	आर एन बी	2264	चुनीलाल, पाचीदेवी, मनोहरपुर, जयपुर
200.	आर आर जेड	287	आसाराम रामदेव, किशनगढ़, अजमेर
201.	आर आर जेड	3265	कादूल हमीद खां, उदयपुर
202.	आर आर जेड	867	भंवरलाल बजरंगलाल, अजमेर
203.	आर एस डी	4172	बदरी सिंह, मोहनसिंह, धौलपुर
204.	आर जे एफ	9767	बनीमोहम्मद, जयपुर
205.	आर एस बी	5767	बनीमोहम्मद, जयपुर
206.	आर एन बी	8229	सुरेशकुमार अग्रवाल, जयपुर
207.	आर एन बी	1952	ओमप्राश हरिकिशन, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर
208.	आर एन बी	1955	रामखिलाडी भरोसेलाल, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर
209.	आर एस बी	1464	रामचन्द्र बच्चन दास, जयपुर
210.	आर जे यू	2919	हरिचरण, मांगीलाल, टोडाभीम, सवाईमाधोपुर
211.	आर एस डी	4315	कन्हैयालाल मीणा, टोडाभीम, सवाईमाधोपुर
212.	आर जे यू	3026	छाजूराम नानगराम, सवाईमाधोपुर
213.	आर एन बी	5781	शिवचरण शंकर गीजगढ़, जयपुर
214.	आर सए बी	2973	हाजीमोहम्मद, जयपुर
215.	आर एन बी	7059	श्रीमती गीतादेवी, जयपुर
216.	आर एस डी	4418	रामभरोसी, राजाराम, वैर, भरतपुर
217.	आर आर वाई	3532	अब्दुलहमीद खां, उदयपुर
218.	आर एस जेड	9731	रोशनलाल प्रहलादकुमार, अजमेर
219.	आर एन बी	5445	प्रमोदकुमार हरिशंकर, जयपुर
220.	आर एन बी	3413	गोविन्दराम उयदराम, सीगजपुर करोली, सवाईमाधोपुर
221.	आर आर एम	8661	धर्मपाल, जयपुर

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 754 की सूची)

सूची उन नगरपालिकाओं की जहां पर निर्वाचक नामावली अन्तिम रूप में प्रकाशित कर दी गई है

1. किशनगढ़
2. केकड़ी
3. ब्यावर
4. विजयनगर (अजमेर)
5. सरवाड़
6. अलवर
7. खैरथल
8. बहरोड़
9. जयपुर
10. चोमू
11. लालसोट
12. झुंझुनू
13. बगड़
14. टोंक
15. भरतपुर
16. सवाई माधोपुर
17. लक्ष्मणगढ़
18. सीकर
19. उदयपुर
20. आमेट
21. कानोड़
22. देवगढ़
23. फतेहनगर
24. भिण्डर
25. राजसमन्द
26. सलूम्बर
27. मांडल
28. मांडलगढ़
29. भीलवाड़ा
30. कैथून
31. पाली
32. सुमेरपुर
33. गंगानगर
34. चूरू
35. तारानगर.
36. सरदारशहर
37. बीकानेर

Page No 203

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 756 की सूची)

राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा असहायता प्राप्त महाविद्यालय चल रहे हैं, उसकी सूची जिलेवार निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्तर	विवरण
1	2	3	4	5
अजमेर	1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	पी.जी.	राजकीय
	2.	एस. डी. महाविद्यालय, ब्यावर	,,	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	,,	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	डिग्री	,,
	5.	राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	,,	,,
	6.	दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	7.	सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	,,	,,
	8.	विजयसिंह पथिक श्रमजीवी महा., अजमेर	डिग्री	,,
	9.	आदर्श डिग्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	,,	,,
	10.	प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर	पी.जी.	,,
	11.	सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर	डिग्री	,,
अलवर	1.	राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर	,,	,,
	3.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	,,	,,
	5.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	,,	,,
	6.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अलवर	,,	असहायता प्राप्त
बांसवाड़ा	1.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	पी.जी.	राजकीय
बाड़मेर	1.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर	,,	,,
भरतपुर	1.	एम. एस. जे. महाविद्यालय, भरतपुर	,,	,,
	2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, डीग	,,	,,
	4.	आर्य विद्यापीठ कन्या महा., भुसावर	,,	असहायता प्राप्त

1	2	3	4	5
भीलवाड़ा	1. एम. एल. वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा		पी.जी.	राजकीय
	2. राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा		डिग्री	,,
	3. राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा		,,	,,
बीकानेर	1. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर		पी.जी.	राजकीय
	2. एम. एस. महिला महाविद्यालय, बीकानेर		डिग्री	राजकीय
	3. बी. जे. एस. आर महा., बीकानेर		पी.जी.	सहायता प्राप्त
	4. श्री जैन पी.जी. महा., बीकानेर		पी.जी.	सहायता प्राप्त
	5. नेहरू शारदापीठ, बीकानेर		डिग्री	,,
बून्दी	1. राजकीय महाविद्यालय, बून्दी		पी.जी.	राजकीय
चित्तौड़गढ़	1. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़		पी.जी.	राजकीय
	2. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़		डिग्री	,,
	3. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा		,,	,,
चूरू	1. लोहिया महाविद्यालय, चूरू		पी.जी.	,,
	2. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़		डिग्री	,,
	3. राजकीय महाविद्यालय, सरदार शहर		,,	,,
	4. मोहता महाविद्यालय, शार्दुलपुर		,,	सहायता प्राप्त
	5. सोना देवी सेठिया कन्या महा., सुजानगढ़		,,	,,
	6. कन्या महाविद्यालय, चूरू		,,	असहायता प्राप्त
	7. श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मितल महिला महाविद्यालय, सरदार शहर		,,	,,
डूंगरपुर	1. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर		पी.जी.	राजकीय
धौलपुर	1. राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर		डिग्री	राजकीय
श्री गंगानगर	1. राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर		पी.जी.	राजकीय
	2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर		डिग्री	,,
	3. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़		,,	,,
	4. एम. डी. महाविद्यालय, श्री गंगानगर		पी.जी.	सहयता प्राप्त
	5. ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्री करनपुर		,,	,,
	6. नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़		,,	,,
	7. जी.बी. महाविद्यालय, सांगरिया		,,	,,

1	2	3	4	5
	8.	एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	9.	जी.एल. बिहाणी महाविद्यालय, श्री गंगानगर	,,	,,
	10.	एम.जी. सांध्य महाविद्यालय, श्री गंगानगर	डिग्री	सहायता प्राप्त
	11.	शहीद भगतसिंह महा., रायसिंह नगर	,,	,,
	12.	जी.वी. कन्या महा. सांगरिया	,,	,,
	13.	मीरा कन्या महाविद्यालय; सांगरिया	,,	,,
	14.	कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़	,,	,,
जयपुर	1.	राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई	डिग्री	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	डिग्री	राजकीय
	3.	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	,,	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, साम्भर लेक	,,	,,
	5.	राजकीय महाविद्यालय, दौसा	पी.जी.	,,
	6.	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	,,	,,
	7.	अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर	डिग्री	सहायता प्राप्त
	8.	लालबहादुर शास्त्री महा., जयपुर	,,	,,
	9.	एस. एस. जी. पारीक महा., जयपुर	,,	,,
	10.	एस. एस. जैन सुबोध महा., जयपुर	,,	,,
	11.	सतसांई कन्या महाविद्यालय, जयपुर	,,	,,
	12.	कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	,,	,,
	13.	वीर बालिका कन्या महा., जयपुर	,,	,,
	14.	इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टेडीज, जयपुर	पी.जी.	,,
	15.	राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जयपुर	,,	,,
	16.	श्री खण्डेलवाल वैश्य सांध्य महा., जयपुर	डिग्री	असहायता प्राप्त
	17.	अग्रवाल सांध्यकालीन महा., जयपुर	,,	,,
झुंझुनूं	1.	जी.वी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	2.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अड़ावता	डिग्री	,,
	3.	चिड़ावा महाविद्यालय, चिड़ावा	,,	,,
	4.	एम. के. साबू महाविद्यालय, पिलानी	,,	,,
	5.	गोमतीदेवी महाविद्यालय, बड़ागांव	,,	,,
	6.	मोतीलाल महाविद्यालय, झुंझुनूं	पी.जी.	,,
	7.	शारदा सदन महाविद्यालय, मुकन्दगढ़	डिग्री	,,
	8.	बाबा मोगिया कॉलेज ऑफ लॉ, पिलानी	,,	असहायता प्राप्त

1	2	3	4	5
झुंझुनूं	9.	श्रीमती इन्द्रमणी मांडलिया गृहविज्ञान शिक्षा निकेतन, पिलानी	डिग्री	सहायता प्राप्त
	10	केसरीदेवी ज्ञान मन्दिर महाविद्यालय, मुकन्दगढ़	,,	,,
	11.	जे. बी. शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनूं	,,	,,
जैसलमेर	1.	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	डिग्री	राजकीय
झालावाड़	1.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	पी.जी.	राजकीय
	2.	बिड़ला महाविद्यालय, भवानी मण्डी	डिग्री	असहायता प्राप्त
जालौर	1.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल	डिग्री	,,
कोटा	1.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा	,,	,,
	3.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, बारां	,,	,,
	5.	हितकारी श्रमजीवी महा., कोटा	,,	असहायता प्राप्त
	6.	एस. सी. महा. आफ लॉ, कोटा	,,	,,
नागौर	1.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	,,	,,
	4.	कुचामन महाविद्यालय, कुचामनसिटी	डिग्री	असहायता प्राप्त
जोधपुर	1.	लाचू मेमोरियल महाविद्यालय, जोधपुर	डिग्री	सहायता प्राप्त
	2.	ओंकार मल सोमानी महा., जोधपुर	,,	,,
	3.	लाडूरास अगरचन्द गोलेछा महा. खींचन	,,	असहायता प्राप्त
पाली	1.	राजकीय महाविद्यालय, पाली	पी. जी.	राजकीय
	2.	श्री जैन तेरापंथी महा, रानावास	डिग्री	सहायता प्राप्त
	3.	एस. पी. यू. महाविद्यालय, फालना	,,	,,
सीकर	1.	एस. के. महाविद्यालय, सीकर	पी. जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना	डिग्री ,,	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़	,,	,,

1	2	3	4	5
बीकानेर	4.	चमडिया महाविद्यालय, फतेहपुर	डिग्री	सहायता प्राप्त
	5.	भगवान दास तोदी महा., लक्ष्मणगढ़	,,	,,
	6.	श्री कृष्ण सतसंग बालिका महा., सीकर	,,	,,
	7.	राम कृष्ण धानुका महा., फतेहपुर	,,	असहायता प्राप्त
सिरोही	1.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	पी जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	डिग्री	,,
सवाईमाधोपुर	1.	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	डिग्री	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, करौली	पी. जी.	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी	,,	,,
टोंक	1.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, देवली	डिग्री	,,
	3.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	पी.जी.	सहायता प्राप्त
उदयपुर	1.	मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा	पी.जी.	,,
	3.	बी. एन. महाविद्यालय, उदयपुर	,,	सहायता प्राप्त
	4.	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशियल वर्क्स, उदयपुर	,,	,,
	5	विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	,,	,,
	6.	जवाहर विद्यापीठ, कानोड़	डिग्री	,,
	7.	एम. एल. वी. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर	,,	,,

राजकीय महा. विद्यालय	63
सहायता प्राप्त महा.	46
गैर सहायता प्राप्त	21
योग	130

208

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

वर्ष 1973 में पंजीकृत व्यक्तियों को आवासन मण्डल के मकानों का आवंटन

757. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में राज्य आवासन मंडल द्वारा जयपुर शहर में पंजीकृत व्यक्तियों को आवासन मण्डल द्वारा सभी को मकान आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया गया और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मालवीय नगर योजना, जयपुर में सैक्टर नम्बर 1 में मकान नम्बर 1221 से 1274 तक आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटियों को मकान का कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ? अब कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि आवासन मंडल में एक कमेटी पी. ए. सी. के नाम से है जिसमें उलझे हुए मामले सुलझाये जाते हैं ? क्या यह भी सही है कि कैन्सिल मकानों को भी उक्त कमेटी में सही करके आवंठित किये जाते हैं ? उक्त मामले किन किन रूल्स के तहत निपटाये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के वर्ष 1973 के 16454 पंजीकृत आवेदकों में से कुल 6897 आवेदकों को मकानों का आरक्षण/आवंटन किया जा चुका है। 2756 आवेदकों ने अपनी पंजीकरण राशि वापिस ले ली बाकी 6801 आवेदकों को आवंटन नहीं किया गया। समुचित भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी आवेदकों को मकान का आवंटन नहीं हो सका।

(2) मालवीया नगर, जयपुर में सैक्टर 1 में मकान नम्बर 1221 से 1274 की आवंटन लाटरी निकाली गई थी। इनमें से मकान नम्बर 1221 से 1229 तक पूर्ण निर्मित हो चुके हैं जिनके आवंटन व कब्जा देने की कार्यवाही जारी है। शेष मकानों में सूक्ष्म कार्य बाकी है जो अति शीघ्र पूर्ण कर आवंटन व कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां, आवासन मण्डल में कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत प्रापर्टी अलॉटमेन्ट कमेटी गठित की हुई है। इस कमेटी का कार्य पंजीकृत आवेदकों में से मकान प्राप्त करने के योग्य आवेदकों का निर्धारण करना तथा आवेदकों को मकान आवंटित करना है। इसी आवंटन से सम्बन्धित मामलों की आवश्यक जांच करने व आवेदकों से सबूत कागजात आदि तलब करने के अधिकार भी हैं।

कोटपूतली तहसील के ग्रामों में आवंटित भूमि

758. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली के पटवार हल्के के ग्राम गोनेडा, पूरणनगर, बेरी आदि ग्रामों में भूमि आवंटन का कार्य हुआ है ?

(2) यदि हां, तो कृपया आवन्टितों के नाम भूमि का रकबा मय खसरा नम्बर के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि एक ही पटवारी ने अपने ही सम्बन्धियों को उक्त भूमि आवन्टित की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आवन्टित भूमि का बेचान कर दिया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम बेरी में खसरा नम्बन 3 में कुआ बनाने हेतु अनुदान अथवा ऋण लिया गया और कुआ नहीं बनाया गया है ?

(6) क्या उपरोक्त तथ्यों की जाच ए. सी. एम. शाहपुरा द्वारा कराई गई थी तथा ए. सी. एम. ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(7) ए. सी. एम. के जांच प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व कार्यवाही अब कब तक करली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है। ग्राम पूरणनगर में 18-6-61 को जो आवंटन किया गया वह अपील में खारिज कर दिया गया।

(3) जी नहीं। आवंटन पटवारी द्वारा नहीं किया जाता अपितु समिति की राय से किया जाता है। ग्राम गोनेड़ा, बेरी एवं पूरणनगर में 44 व्यक्तियों को अलग-अलग वर्षों में आवंटन किये गये। इनमें से दो पटवारियों के 4 रिश्तेदारों को भी आवंटन किया गया।

(4) यह पूर्णतया सही नहीं है। इसमें से एक आवंटी तत्कालीन पटवारी श्री सुगनचंद की पत्नी भूरी देवी ने जर्य रजिस्ट्री दिनांक 14-5-82 को भूमि का बेचान किया है।

(5) जी हां।

(6) जी हां। जांच प्रतिवेदन दिनांक 29-9-82 को प्रस्तुत किया गया।

(7) जांच प्रतिवेदन राजस्व मण्डल, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार उप खण्ड अधिकारी, कोटपूतली में अतिरिक्त जांच करवाई जा रही है।

सूची

तहसील कोटपूतली के गांव गोनेडा, बेरी व पूरणनगर में कृषि भूमि आवंटन विवरण

नाम, आवंटी मय विवरण	आवंटित भूमि का विवरण गांव का नाम	ख. नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	विशेष विवरण
3	4	5	6		7
श्री मालाराम पुत्र उमदा हरिजन	बेरी	149	10	15	
श्री भंवरराम पुत्र गोविन्दराम	,,	149	8	—	
श्री भीखला पुत्र उमदाराम	,,	149	8	—	
श्री प्रभाता पुत्र गोविन्दा	,,	149	8	—	
श्री मूलाराम पुत्र सोणाराम, कीर	,,	149	8	—	
श्री रामचन्द्र पुत्र मोहन, कीर	,,	149	8	—	
श्री सूरजा पुत्र नाथा, कीर	,,	149	8	—	
श्री फूला पुत्र केरा, मीणा	,,	149	2	—	
श्री नानगराम पुत्र उमदा, चमार	,,	149	3	—	
		1330/398	2	5	
		1056	2	13	
. श्रीमती गोरली बेवा चन्दर मीना	,,	149	10	—	
1. श्री प्रभाता पुत्र जीवणराम, गूजर	,,	149	8	—	
2. श्री गिरधारीदास पुत्र मोहनदास, ब्राह्मण	,,	1156	6	7	
3. श्री लिछमण पुत्र भूरामल, नाई	,,	149	13	5	
4. श्री मौठू पुत्र सूण्डा भंगी	,,	232	6	—	
5. श्री मामराज पुत्र रामधन, चमार	,,	232	6	—	
6. छोटू पुत्र केरा, कुम्हार	,,	232	6	—	
7. श्री जगदीश पुत्र सूरजा, नाई	,,	232	6	19	
8. श्री रामचन्द्र पुत्र नोला, चमार	,,	3	6	—	
9. श्री मातादीन पुत्र देवीसहाय, चमार	,,	3	6	—	भाई श्री सुगनचन्द पटवारी
0. श्री सूण्डाराम पुत्र गंगासहाय, चमार	,,	3	8	—	
1. श्रीमती सारली बेवा देवीसहाय, चमार	,,	3	6	—	माता श्री सुगनचन्द पटवारी
2. श्री रामजीलाल जी राम पि. भीखा, चमार	,,	3	12	—	
3. कृषि सहकारी समिति ग्राम नारहेडा	,,	505	10	—	
		506	65	—	
1. श्री मातादीन पुत्र देवीसहाय, चमार सा. कोट	गोनेडा	908	15	—	भाई श्री सुगनचन्द पटवारी
2. श्री सूण्डाराम पुत्र गंगासहाय, चमार सा. कोट	,,	908	7	—	
3. श्री छंगाराम पुत्र फूसाराम, चमार सा. कोट	,,	908	3	14	पिता श्री भीखाराम पटवारी
	,,	909	3	17	
1. श्री बाबूलाल पुत्र मालीराम, नाई सा. गोनेडा	,,	347	2	—	
2. श्रीमती भूरीदेवी पत्नी सुगनचन्द, चमार, सा. कोट	,,	346	5	—	पत्नी श्री सुगनचन्द पटवारी
3. श्रीमती कलावती देवी पत्नी भीखाराम चमार, सा. कोट	,,	346	5	—	पत्नी श्री भीखाराम पटवारी
1. श्री जयनारायणसिंह पुत्र सुमरता मीणा, सा. कोट	पूरणनगर	161	—	12	
		162	14	8	
2. श्री मालूराम धोबी, कोट	,,	164	10	—	
3. श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र महादेवा, चमार, अजीतपुरा कलां	,,	164	10	—	
4. श्रीमती सारली बेवा देवीसहाय, चमार, सा. कोट	,,	163	10	—	माता श्री सुगनचन्द पटवारी
5. श्री रामचन्द्र पुत्र नोला चमार, सा. कोट	,,	174	10	—	
6. श्री मातादीन पुत्र देवीसहाय, चमार सा. कोट	,,	164	—	15	
		163	—	—	भाई श्री सुगनचन्द पटवारी
7. श्रीमती बादामी जोजे श्योनारायण चमार, सा. कोट	,,	163	10	—	
8. श्री श्रीराम, रामजीलाल पुत्र भीखा चमार, सा. कोट	,,	163	10	—	
9. श्री कुन्दनलाल पुत्र मूला चमार, सा. कोट	,,	163	10	—	
0. श्री सूण्डाराम पुत्र गंगासहाय, सा. कोट	,,	163	10	—	
1. श्रीमती पिस्तो देवी जोजे ग्यारसीलाल महाजन कोट	,,	163	10	—	
2. श्री घडसी पुत्र मोटू चमार सा. कोट	,,	163	10	12	
3. श्री परसादी भरता पुत्र उदाराम माली, सा. कोट	,,	162	10	—	
4. श्री लादूराम स्वामी, सा. कोट	,,	163	4	8	
5. श्री बनवारी पुत्र घीसा माली, सा. कोट	,,	162	4	15	

के आदेश से आवेदन निरस्त कर दिया गया।

210

राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणाधीन नहर के पुल को आवागमन हेतु खोलना

759. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणाधीन नहर में कहां-कहां पुल निर्माण पूर्ण हो गया है ? क्या आवागमन हेतु पुल खोल दिये गये हैं ?

(2) क्या नहर निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा न हो ? क्या शिकायतों के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लिए रास्ते नहीं छोड़े गये व ऊंट गाड़ी आदि को मीलों का चक्कर काट कर जाना पड़ता है ?

(3) क्या बरसलपुर शाखा व चारणवाला शाखा (द्वितीय) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जावेगा ? यदि हां तो इन शाखाओं से कब तक काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणाधीन नहर में जिन पुलों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गई है एवं ये सभी पुल आवागमन हेतु खोल दिये गये हैं।

(2) सामान्यतः मुख्य नहर पर बनाये जाने वाले पुलों की आपसी दूरी लगभग 3 से 4 कि. मी. अथवा जहां पक्की सड़क या मानद रास्ते नहर को पार करते हों रखी जाती है। पुलों का निर्माण उपनिवेशन विभाग से विचार विमर्श के उपरान्त उनके द्वारा निर्धारित स्थानों पर किया जाता है। इस प्रकार सम्बन्धित ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रख कर के ही पुलों के निर्माण स्थल का चयन किया गया है। एवं इस बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि ग्रामवासियों के लिये रास्ते नहीं छोड़े गये हैं और ऊंट गाड़ी आदि को मीलों का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। साथ ही ग्रामवासियों से शिकायत प्राप्त होने पर उसका पूरा ध्यान दिया जाता हैं कि ग्रामवासियों को कोई असुविधा न हो।

(3) बिरसलपुर शाखा व चारणवाला शाखा का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इन रास्तों का कार्य क्रमशः वर्ष 1984-85 1985-86 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। ज्यों ज्यों नहर पूरी होती जाती है त्यों त्यों काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी दे दिया जाता है। बिरसलपुर शाखा में रबी 1981-82 में सिंचाई के लिये पानी छोड़ दिया गया था एवं चारणवाला शाखा में खरीफ 1983 से सिंचाई के लिये पानी आरम्भ करा दिया जावेगा।

(212)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान मुख्य नहर बुर्जी 620-961

1. गांव सड़क पुल	बुर्जी	644.100
2. गांव सड़क पुल	बुर्जी	668.140
3. गांव जिला सड़क पुल	बुर्जी	683.200
4. गांव सड़क पुल	बुर्जी	698.200
5. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर सहित	बुर्जी	710.000
6. गांव सड़क पुल	बुर्जी	731.000
7. गांव सड़क पुल क्रोस रेगुलेटर सहित	बुर्जी	750.000
8. जिला सड़क पुल	बुर्जी	764.000
9. गांव सड़क पुल	बुर्जी	786.250
10. गांव सड़क पुल	बुर्जी	797.500
11. गांव सड़क पुल	बुर्जी	819.217
12. गांव सड़क पुल	बुर्जी	836.100
13. गांव सड़क पुल	बुर्जी	850.150
14. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर सहित	बुर्जी	859.000
15. गांव सड़क पुल	बुर्जी	837.000
16. गांव सड़क पुल	बुर्जी	886.100
17. गांव सड़क पुल	बुर्जी	909.100
18. जिला सड़क पुल	बुर्जी	931.100
19. गांव सड़क पुल	बुर्जी	942.650

ट्रालोर वितरिका प्रणाली

दातोर वितरिका

1. गांव सड़क पुल	बुर्जी	15.900
2. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	28.931
3. गांव सड़क पुल	बुर्जी	40.500
4. गांव सड़क पुल एक्स. रेगुलेटर	बुर्जी	52.000
5. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	68.000
6. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	83.300

अट्टूरी वितरिका

7. गांव सड़क पुल	बुर्जी	21.250
8. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	31.913

कुम्भेरवाला कुलिका

9. गांव सड़क पुल	बुर्जी	16.000

मुगरावाकुलिका

10. गांव सड़क पुल रामरा कात्तिका	बुर्जी	21.900
11. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	8.500
12. गांव सड़क पुल	बुर्जी	21.750

मकरी उप कुलिका

13. गांव सड़क पुल	बुर्जी	18.500

बिरसलपुर शाखा प्रणाली

बिरसलपुर शाखा

1. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	4.500
2. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	19.727
3. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	40.200
4. गांव सड़क पुल	बुर्जी	49.000
5. गांव सड़क पुल	बुर्जी	62.100
6. गांव सड़क पुल	बुर्जी	66.400

वालवाली प्रणाली

7. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000
8. गांव सड़क पुल	बुर्जी	11.000
9. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	20.617

अहमदवाली कुलिका

10. गांव सड़क पुल	बुर्जी	1.000
11. गांव सड़क पुल	बुर्जी	10.000

मोहम्मदवाली कुलिका

12. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000

मानकासर प्रणाली

13. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000
14. गांव सड़क पुल हैड रेगुलेटर	बुर्जी	11.050
15. गांव सड़क पुल	बुर्जी	25.50

(214)

भुट्टोवाली प्रणाली		
16. गांव सड़क पुल	बुर्जी	15.625
भुट्टोवाली कुलिका		
17. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000
18. गांव सड़क पुल प्रभात सहित	बुर्जी	8.800
कटक कूलिका		
19. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000
रावत कूलिका		
20. गांव सड़क पुल	बुर्जी	0.000

उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना संबंधी प्रकरण

761. श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन), श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी 1982 से 31 दिसम्बर 1982 तक राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में दायर दीवानी, फौजदारी मुकदमों, रिट्स एवं अपीलों में से जिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के कितने मुकदमें हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, उदयपुर सम्भाग में मुकदमों की संख्या को देखते हुए उदयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो यहां बेंच की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में इन जिलों से संबंधित दायर दीवानी, फौजदारी, रिट्स एवं अपीलों की संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी परन्तु 31-12-82 तक इन जिलों से संबंधित कुल 2868 मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में लिम्बत थे जिनका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित किया गया है।

(2) जी नहीं।

ANNEXURE 'A'

Statement showing the total number of Pending Cases (Civil. Criminal and Writ) of Udaipur Division in the High Court of Rajasthan as on 1-1-1983.

(i) CIVIL CASES :			
Civil First Appeal		243	
Civil Second Appeal		428	
Civil Revision		139	
Civil Misc. Appeal		152	
Civil Special Appeal		21	
Election Petition		2	
Company Petition		1	
Civil Reference		74	
Civil Review		11	
Civil Misc. Cases		56	
	Total	1117	1117
(ii) CRIMINAL CASES :			
Criminal Appeal		769	
Criminal Revision		294	
Criminal Bail		8	
Criminal Misc, Cases		27	
Criminal L. to A.		6	
	Total	1104	1104
(iii) CIVIL WRIT :			
Civil Writ Petition		498	
Civil Special Appeal (writ)		149	
	Total	647	647
Grand total of (i) (ii) (iii)			2868

नागौर तहसील में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की दुकानें

762. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या खाद्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर तहसील में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें किन 2 स्थानों पर खुली हुई हैं ? कृपया ग्रामवार व मोहल्लेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास हैं तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में नागौर जिले को कितना 2 गेहूं. चीनी, कपड़ा व सीमेन्ट का कोटा आवंटित किया गया ? कृपया तहसीलवार/मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सन् 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में किन 2 आवश्यक जिन्सों, वस्तुओं के लिये हैन्डलिंग चार्जेज एसोशियेशन नियुक्त किये हुयें हैं ? वस्तुवार हैन्डलिंग एसोशियेशन के नाम एवं जो कमीशन दिया गया है या दिया जाने वाला है, से सम्बन्धित विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) प्रश्न के भाग एक की सूची में सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों के नाम अंकित है।

(3) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) वर्ष 1980-81 में हैण्डलिंग एजेन्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1981-82 व 1982-83 के हैण्डलिंग एजेन्ट्स के नाम, उन्हें दिया गया कमीशन व दिये जाने वाले कमीशन का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

भाग 1 व 2 की सूची

नागौर नगरपालिका क्षेत्र :—

क्र. सं.	नाम रिटेलर	वार्ड नम्बर	किस्म
1	2	3	4
1.	काश्तकारान सहकारी समिति	1	सहकारी
2.	श्रवण डिपो	2	निजी
3.	रामसुख पुत्र जवरीलाल	3	निजी

1	2	3	4
4.	मजदूर सहकारी भण्डार लिमिटेड	4	सहकारी
5.	नागौर सहकारी विभाग कर्मचारी समिति	5	,,
6.	नागौर सहकारी उपभोक्ता भण्डार	6	,,
7.	आदर्श सहकारी भण्डार लि.	7	,,
8.	श्री फतेहचन्द नागौर	8	निजी
9.	किसान सहकारी भण्डार लि.	9	सहकारी
10.	श्री रामकुमार भाटी	10	निजी
11.	जनता सहकारी भण्डार	11	सहकारी
12.	श्री ज्ञानचन्द रिटेलर	12	निजी
13.	श्री सोहनलाल राठी	13	निजी
14.	श्री श्यामसुन्दर बंग	14	निजी
15.	श्री बन्शीधर पुत्र श्रीनिवास	15	निजी
16.	एमू खां पुत्र मुन्ने खां	16	निजी
17.	शान्ती सहकारी भण्डार	17	सहकारी
18.	श्री सफी मोहम्मद	18	निजी
19.	शान्ती सहकारी भण्डार	19	सहकारी
20.	गोर्धकिशन पुत्र रामरतन	20	निजी
21.	श्री बद्रीनारायण	21	निजी
22.	मारवाड सहकारी भण्डार	22	सहकारी
23.	मदनलाल पुत्र सुगनचन्द	23	निजी
24.	जवरीलाल सांखला	24	निजी
25.	नागौर कर्मचारी भण्डार लि.	नागौर	सहकारी

मुण्डवा नगरपालिका क्षेत्र :--

26.	आदर्श सहकारी भण्डार लि.	मुण्डवा	सहकारी

कुचेरा नगरपालिका क्षेत्र :--

27.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	कुचेरा	सहकारी
28.	श्री सुरेन्द्र तिवाड़ी	कुचेरा	निजी
29.	श्री सत्तार पुत्र अब्दुल कुरेशी 1 से 4	कुचेरा	निजी

नागौर तहसील ग्रामीण क्षेत्र:--

1.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	अलाय	सहकारी
2.	कर्मचारी सहकारी समिति, नागौर	अलाय	सहकारी

(२८०)

1	2	3	4
3.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	उठवालिया	सहकारी
4.	,, ,, ,,	कालड़ी	,,
5.	श्री पदमाराम	करणू	निजी
6.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	करणू	सहकारी
7.	,, ,, ,,	कुमारी	,,
8.	श्री देवाराम रिटेलर	गंडीलासर	निजी
9.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	गोगेलाव	सहकारी
10.	,, ,, ,,	साडोकण	सहकारी
11.	श्री पुरखाराम	गगवाना	निजी
12.	श्री रामूराम	गुडा भगवान-दास	,,
13.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	चाऊ	सहकारी
14.	जनता सहकारी भण्डार लि.	चुंटीसरा	,,
15.	शान्ती सहकारी भण्डार लि.	चेनार	,,
16.	व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति	चीलों	,,
17.	,, ,, ,,	जोधीयासी	,,
18.	,, ,, ,,	झाडीसरा	,,
19.	श्री रामबगस भाटी	ताऊसर	निजी
20.	श्री जबरसिंह	भोजास	,,
21.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	तांतवास	सहकारी
22.	,, ,, ,,	देऊ	,,
23.	,, ,, ,,	बासनी	सहकारी
24.	श्री गुलाम मुस्तफा	बासनी	निजी
25.	आदर्श सहकारी भण्डार लि.	बासनी	सहकारी
26.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	बरणगांव	,,
27.	,, ,, ,,	भेड़	,,
28.	,, ,, ,,	भदाणा	,,
29.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	भून्डेल	सहकारी
30.	,, ,, ,,	रायधनु	,,
31.	,, ,, ,,	श्यामसर	,,
32.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	रोहिणी	सहकारी
33.	श्री हरिकिशन	श्री बालाजी	निजी
34.	अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति	सथेरण	सहकारी
35.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	सींगड	,,

219

1	2	3	4
36.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	सुखवासी	सहकारी
37.	,, ,, ,,	सिणोद	,,
38.	कर्मचारी सहकारी भण्डार लि.	दुकोसी	,,
	मुण्डवा ग्रामीण क्षेत्र :—		
39.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	असावरी	सहकारी
40.	,, ,, ,,	ईनाणा	,,
41.	राजूराम	कांटीया	निजी
42.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	कुडछी	सहकारी
43.	,, ,, ,,	खरनाल	,,
44.	,, ,, ,,	खींवसंर	,,
45.	श्री शंकरलाल माहेश्वरी	खींवसर	निजी
46.	श्रीराम	खाटोड़ा	,,
47.	श्रीराम निवास	कड़लू	,,
48.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	कड़लू	सहकारी
49.	,, ,, ,,	खजवाना	,,
50.	,, ,, ,,	गंवालू	,,
51.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति कुचेरा	गोठड़ा	,,
52.	आदर्श सहकारी भण्डार लि.	भदाणा	,,
53.	श्री मांगीलाल	जनाणा	निजी
54.	श्री रामजीवण पुत्र बगसाराम	डारू	,,
55.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	थिरोद	सहकारी
56.	,, ,, ,,	नागड़ी	,,
57.	,, ,, ,,	पालड़ी जोधा	,,
58.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	पांचला सीधा	सहकारी
59.	,, ,, ,,	फिड़ोदा	,,
60.	,, ,, ,,	पांचोड़ी	,,
61.	,, ,, ,,	बिरलोका	,,
62.	,, ,, ,,	बेराथल कलां	,,
63.	श्री भंवरलाल	आंकला हमीराणा	निजी
64.	श्री हरसुखराम	भावण्डा	निजी
65.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	माणकपुर	सहकारी
66.	,, ,, ,,	मून्दीयाड	,,
67.	,, ,, ,,	भाचीणा	,,
68.	श्री बोकलराम	माडपुरा	निजी
69.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	रुण	सहकारी
70.	,, ,, ,,	सीलगांव	,,
71.	श्री चुनाराम	सेनणी	निजी
72.	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति	संखवास	सहकारी

(भाग 3 की सूची)

नागौर जिले को गेहूं का आवंटन—

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन (मात्रा टनों में)
1	2	3
1.	1980-81	7050
2.	1981-82	6400
3.	1982-83	7160

गेहूं का तहसीलवार आवंटन :—

(मात्रा टनों में)

क्र.सं.	नाम तहसील	वर्ष 1980-81 तहसील को कुल आवंटन किया गया	वर्ष 1981-82 तहसील को कुल आवंटन किया गया	वर्ष 1982-83 तहसील को कुल आवंटन किया गया
1	2	3	4	5
1.	नागौर	2700	2630	2835
2.	जायल	400	575	625
3.	मेड़ता	660	444	375
4.	डेगाना	505	335	385
5.	डीडवाना	840	430	485
6.	लाडनू	580	335	405
7.	नावां	650	400	425
8.	परबतसर	610	435	445
कुल आवंटन—		6945	5584	5970

नागौर जिले को लेवी चीनी का आवंटन एवं उसका तहसीलवार आवंटन—

(मात्रा मै. टनों में)

क्र.सं.	नाम तहसील	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83
1.	नागौर	1600.6	1705.9	1689.7
2.	जायल	679.2	675.3	608.4
3.	डीडवाना	805.5	803.2	803.4
4.	लाडनूं	654.7	596.3	607.5
5.	नावां	978.4	979.4	987.4
6.	परबतसर	1493.5	1389.7	1387.3
7.	मेड़ता	937.4	908.0	909.3
8.	डेगाना	822.8	803.0	802.0
योग—		7972.1	7860.8	7795.0

नागौर जिले को नियन्त्रित कपड़ा का आवंटन एवं उसका तहसीलवार आवंटन:—

(मात्रा गांठों में)

क्र.सं.	नाम तहसील	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83
1.	नागौर	361	168	98
2.	डीडवाना	71	48	28
3.	जायल	92	35	37
4.	नावां	82	20	10
5.	परबतसर	71	58	17
6.	लाडनूं	76	19	44
7.	मेड़तासिटी	44	18	3
8.	डेगाना	17	21	6

नागौर जिले को सीमेन्ट का आवंटन एवं उसका तहसील वार आवंटन—

(मात्रा टनों में)

क्र.सं.	नाम तहसील	वर्ष 1980–81 1–4–80 से 31–3–81	वर्ष 1981–82 1–4–81 से 31–3–82	वर्ष 1982–83 1–4–82 से 31–3–83
1	2	3	4	5
1.	नागौर	1527.5	1507.5	769.0
2.	जायल	484.0	478.0	224.0
3.	डीडवाना	736.0	759.0	350.0
4.	लाडनूं	484.0	478.0	238.0
5.	नावां	660.5	655.5	420.0
6.	परबतसर	907.5	959.5	308.0
7.	मेड़ता	736.0	713.0	350.0
8.	डेगाना	544.5	504.5	294.0
	योग—	6080.0	6055.0	2953.0

(भाग 4 की सूची)

क्र.सं.	नाम हैण्डलिंग एजेन्ट	खाद्यान्न की मात्रा जो भारतीय खाद्य निगम डिपो से उठाई गई	कमीशन दिया दिया	कमीशन जो देना है
1	2	3	4	5

वर्ष 1980–81

शून्य

वर्ष 1981–82

1.	दी नागौर मार्केटिंग सोसायटी लि., नागौर।	3200 क्वि.	20,800.00	–

1	2	3	4	5
2.	दी नागौर जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, कुचामन सिटी।	6450 क्वि.	24,708.00	—
3.	दी नागौर सहकारी उ.मु.दु. (रिटेलर) एसो. नागौर।	38,871.68 क्वि.	1,08,840.72	—
4.	डीडवाना क्रय विक्रय सह. समिति, डीडवाना।	2400 क्वि.	7,200.00	—
5.	एग्रोसेल्स मैन्युफैक्चरिंग सो.. मेड़ता सिटी।	2,040 क्वि.	6,120.00	—
	वर्ष 1982-83			
1.	दी नागौर सहकारी उ.मूल्य दु. एसो., नागौर।	14,270 क्वि.	9,989.00	—
2.	दी नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., मेड़ता सिटी।	100 क्वि.	170.00	—

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के भूतपूर्व कुलपति को विभिन्न मदों से प्रदत्त राशि

763. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) एवं **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुखाड़िया विश्वविद्यालय के, भू. पू. कुलपति श्री राजनाथसिंह को कब निलम्बित किया और निलम्बन का आधार क्या था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उनके निलम्बन के आदेश को रद्द कर दिया है ? यदि हां तो उसके क्या कारण थे।

(3) क्या यह सही है कि श्री राजनाथ सिंह ने अपने कार्यकाल तक का सारा पैसा राज्य सरकार से प्राप्त किया। यदि हां तो कुल कितना रुपया वेतन एवं अन्य सुविधाओं के मद में प्रदान किया गया ? मदवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व कुलपति डा. राजनाथसिंह को कुलाधिपति महोदय ने दिनांक 29-8-1981 को निलम्बित किया।

(2) डा. राजनाथसिंह द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण निलम्बन आदेश चांसलर महोदय, द्वारा रद्द कर दिया गया।

(3) जी हां विवरण सदन के पटल पर दिया गया है।

Page No 224

(225)

विवरण

वेतन विवरण डा. राजनाथसिंह भू. पू. कुलपति सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

1. वेतन 31-8-81 से 30-6-84 2500/- प्रति माह	85,080.65
2. प्रावधायी निधि 9% की दर से	7,657.25
3. अवकाश वेतन 30-8-81 तक (निलम्बन से पूर्व)	3,916.67
4. अवकाश वेतन 31-8-81 से 31-3-83 तक	3,916.67
	1,00,571.24

वृद्धावस्था, संयुक्त वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगों की पेन्शन

764. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वृद्धावस्था, संयुक्त वृद्धावस्था तथा विधवा एवं विकलांगों को क्या पेन्शन दी जा रही हैं ?

(2) वर्तमान दर पर इन पेंशनों की राशि कब से मिल रही है और उसमें कब से कितनी वृद्धि की गई ?

(3) क्या सरकार इस अल्प राशि को गुजारे के लिये पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो पैंशन राशि बढाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही ?

उत्तर

(1) वृद्धावस्था पेन्शन 40 रुपये प्रति माह संयुक्त वृद्धावस्था पेन्शन 60 रुपये प्रति माह, विधवा पेन्शन 40 प्रति माह एवं विकलांगों को 40 रुपये प्रति माह पेन्शन दी जा रही है।

(2) वर्तमान दरों पर पेन्शन वर्ष 1977 से दी जा रही हैं और यह वृद्धि उसी वर्ष की गई थी इसके पूर्व पेन्शन की दर 30 रुपये प्रति माह थी।

(3) यह पेन्शन एक सहायता के रूप में हैं पूरे गुजारे के लिये नहीं। वर्तमान में इसकी दर बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

आगूचा माइन्स की लीज

765. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिन्दुस्तान जिंक को दी गई आगूचा माइन्स की लीज कितने वर्षों के लिए, प्रतिवर्ष कितनी लीज मनी पर दी गई है? क्या लीज के एग्रीमेन्ट में सुपर प्लान्ट लगाने का प्रावधान भी रखा गया है ?

(2) क्या सुपर प्लान्ट आगूचा में न लगाकर अन्यत्र लगाया जा रहा है ? यदि हां; तो कहां और क्यों ?

उत्तर

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि. को आगूचा माइन्स की लीज 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में

(खनिज मन्त्री)
13.3.80 से 20 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है। लीज का स्थिरभाटक माइन्स एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट एक्ट के अनुसार होगा जो वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

प्रथम वर्ष शून्य
द्वितीय वर्ष से रु. 12.50 प्र. हेक्टेयर 5 वें वर्ष तक
छठवें वर्ष से रु. 25.00 प्र. हेक्टेयर 10 वें वर्ष तक
11 वें वर्ष से आगे तक रु. 37.50 प्र. हेक्टेयर जिन वर्षों में राज्य सरकार को रायल्टी से आय स्थिरभाटक से अधिक होगी, उन वर्षों में हिन्दुस्तान जि. लि. को वह अधिक राशि रायल्टी के रूप में नगद से चुकानी होगी। लीज एग्रीमेंट में सुपर स्मेल्टर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) जी, हां। भारत सरकार के विशेषज्ञों ने तकनीकी व आर्थिक दृष्टिकोणों से सुपर स्मेल्टर के लिए चित्तौड़गढ़ को सबसे उपयुक्त पाया गया है।

कोटा से सांगोद मार्ग पर चालित बसें

766. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा स्थिति डिपो से कोटा से सांगोदा रूट पर कितनी बसें स्वीकृत है और वर्तमान में कितनी बसें चल रही है ? उनका क्या-क्या समय है तथा समयानुसार कितनी बसें चल रही हैं ?

(2) गत तीन वर्षों में स्वीकृत बसों में से कितनी बसें नही चल पाई एवं कितनी बसों का ब्रेक डाउन हुआ ? कृपया चार माह अक्टूबर 1982, नवम्बर 1982, दिसम्बर 1982; व जनवरी 1983, की सूचना निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखे :—

(1) स्वीकृत बसों की संख्या
(2) वर्तमान में चल रही बसों की संख्या
(3) ब्रेक डाउन हुई बसों की संख्या
(4) क्या समय था
(5) कोटा डिपो से प्रस्थान का समय
(6) समय के बाद छोड़ी गई बसों की संख्या
(7) विलम्ब का कारण
(8) बसों से कुल आय और प्रति बस आय ?

उत्तर

(1) कोटा आगरा से कोटा से सांगोद मार्ग पर दैनिक 14 बस सेवायें स्वीकृत है वर्तमान में 14 बस सेवायें ही प्रतिदिन चल चल रही है। कोटा-सांगोद मार्ग पर संचालित वाहनों की समय साराणी सदन के पटल पर रख दी गई है। ये सभी सेवायें समय पर चल रही हैं।

(2) गत 3 वर्षों में स्वीकृत 13350 बस सेवाओं में से 2200 बस सेवायें नहीं चल पाई। उक्त अवधि में संचालित बस सेवाओं में से 73 बसों का ब्रेक डाउन हुआ। माह अक्तूबर 82 से जनवरी 1983 की सूचना वांछित तालिका में सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 226

228

समय सारणी

परिशिष्ट-"अ"

कोटा आगार से कोटा से सांगोद मार्ग पर चलने वाली बस सेवाओं की समय सारणी

क्र. सं.	मार्ग	समय	क्र. सं.	मार्ग	समय
1.	कोटा-सांगोद-राजगढ़	06.30	8.	बपावर-सांगोद-कोटा	14.30
2.	राजगढ़-सांगोद-कोटा	08.00	9.	कोटा-दरा-सांगोद-इकलेरा	12.30
3.	कोटा-सांगोद-बपावर	07.45	10.	इकलेरा-सांगोद-दरा-कोटा	07.00
4.	बपावर-सांगोद-दरा	12.30	11.	कोटा-सांगोद-कुन्जेड़	15.15
5.	दरा-सांगोद-खानपुर	15.30	12.	कुन्जेड-सांगोद-कोटा	07.00
6.	खानपुर-सांगोद-दरा	07.00	13.	कोटा-सांगोद-बपावर	17.30
7.	दरा-सांगोद-बपावर	12.00	14.	बपावर-सांगोद-कोटा	06.30

नोट:—उपरोक्त बसें साधारणतया निर्धारित समय पर चलती रही हैं परन्तु कुछ विषम परिस्थितियों में समय में विलम्ब हुआ है जिसका विवरण प्रश्न 2 के उत्तर के परिशिष्ट में उपलब्ध है।

तालिका

माह अक्टूबर, 1982 से जनवरी, 1983 तक कोटा आगार से कोटा–सांगोद मार्ग पर संचालित बस सेवाओं का विवरण

माह	मार्ग	स्वीकृत बस सेवाओं की संख्या	वर्तमान में चल रही बस सेवाओं की संख्या	ब्रेकडाउन हुई बस सेवाओं की संख्या	ब्रेकडाउन का समय	कोटा से प्रस्थान समय	विलम्ब से चलने वाली बसों की संख्या	विलम्ब का कारण	कुल आय	प्रति बस आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अक्टूबर, 82	कोटा–राजगढ़	31	28	—	—	06.30	8+5=13	कार्यशाला/	18,906.71	675.24
	राजगढ़–कोटा	31	27	1	11.00	—	—	ड्यूटी परिचालक	16,576.01	613.92
	कोटा–बपावर बपावर–दरा दरा–खानपुर खानपुर–दरा दरा–बपावर बपावर–कोटा	62	62	—	—	07.45	13+6=19	„ „	31,117.85	501.90
	कोटा–इकलेरा	31	28	—	—	12.30	21+3=24	„ „	10,204.39	364.44
	इकलेरा–कोटा	31	28	—	—	—	—	—	13,010.68	464.67
	कोटा–कुन्जेड कुन्जेड–कोटा	31	28	—	—	15.15	23+4=27	„ „	11,336.98	404.89
	कोटा–बपावर बपावर–कोटा	31	—	—	—	17.30	—	—	—	—
नवम्बर, 82	कोटा–राजगढ़	30	29	—	—	06.30	16+3=19	„ „	18,916.01	652.28
	राजगढ़–कोटा	30	27	2	09.00 09.30	—	—	—	18,622.28	689.71
	कोटा–बपावर बपावर–दरा दरा–खानपुर खानपुर–दरा दरा–बपावर बपावर–कोटा	60	54	2	08.45 09.00	07.45	12+3=15	—	25,845.62	478.62
	कोटा–इकलेरा	30	30	1	14.00	12.30	18+3=21	„ „	12,578.60	419.28
	इकलेरा–कोटा	30	30	3	08.00 09.00 09.30	—	—	—	11,587.17	396.24
	कोटा–कुन्जेड कुन्जेड–कोटा [illegible]	30	17	1	16.00	15.15	15+1=16	„ „	5,546.37	326.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिसम्बर, 82	कोटा–राजगढ़	31	31	2	08.30 09.00	06.30	9+5=14	कार्यशाला/ ड्यूटी परिचालक	19,346.79	624.09
	राजगढ़–कोटा	31	31	2	10.00 12.00	—	—	—	19,455.09	627.58
	कोटा–बपावर बपावर–दरा दरा–खानपुर खानपुर–दरा दरा–बपावर बपावर–कोटा	62	60	1	09.00	07.45	11+2=13	„ „	24,233.20	403.89
	कोटा–इकलेरा	31	31	2	15.00 14.00	12.30	11+5=16	„ „	13,496.55	435.37
	इकलेरा–कोटा	31	31	2	11.00 13.00	—	—	—	14,676.65	473.44
	कोटा–कुन्जेड कुन्जेड–कोटा	31	—	—	—	15.15	—	—	—	—
	कोटा–बपावर बपावर–कोटा	31	18	—	—	17.30	9+3=12	„ „	1,781.90	98.99
जनवरी, 83	कोटा–राजगढ़	31	31	1	08.30	06.20	17+1=18	„ „	23,813.14	768.16
	राजगढ़–कोटा	31	31	1	08.30	—	—	—	23,288.43	751.24
	कोटा–बपावर बपावर–दरा दरा–खानपुर खानपुर–दरा दरा–बपावर बपावर–कोटा	62	54	3	08.45 09.00 10.00	07.45	9+2=11	„ „	37,315.20	691.02
	कोटा–इकलेरा	31	30	—	—	12.30	19+2=21	„ „	14,764.00	492.13
	इकलेरा–कोटा	31	30	—	—	—	—	—	15,089.70	502.92
	कोटा–कुन्जेड कुन्जेड–कोटा	31	29	—	—	15.15	17+2=19	„ „	10,902.40	375.94
	कोटा–बपावर बपावर–कोटा	31	31	—	—	17.30	14+1=15	„ „	5,707.35	106.69

नोटः—ऐसे बस परिचक्र जिनकी ग्रामदनी 2/- रु. प्रति किलोमीटर से कम होती है उन्हें ग्रलाभिक होने के कारण संचालित नहीं किया जाता। संचालन लागत के ग्रनुसार प्रत्येक बस की प्रतिदिन 800/- रु. की ग्रामदनी होनी चाहिये।

228

सवाई माधोपुर में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय सुविधा देने हेतु भूमि अवाप्ति

767. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल द्वारा जनता को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किस वर्ष विज्ञप्ति जारी की गई ? इस हेतु सवाई माधोपुर मुख्यालय के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आवासन मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं ?

(2) आवासन मण्डल द्वारा इन मकानों के निर्माण हेतु कौन-सी भूमि को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है ? क्या उक्त अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्ष भी मौजूद हैं ?

(3) क्या सरकार इन पेड़ों को बचाने के लिए आवासन मण्डल के लिये कोई अन्य भूमि अधिग्रहण करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कौनसी एवं कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के लिए सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 में पंजीकरण खोला गया जिसमें 8085 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

(2) मण्डल द्वारा मकानों के निर्माण हेतु सवाई माधोपुर के ग्राम आलनपुर में जिन खसरा नम्बरों की भूमि की अवाप्ति का निर्णय लिया गया है उसका विवरण संलग्न है । भूमि में फलदार वृक्ष भी हैं ।

(3) राज्य सरकार के पास किसी अन्य भूमि हेतु मण्डल का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

भूमि का विवरण

खसरा सूची ग्राम आलनपुर (सवाई माधोपुर)

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कमलेश राजरानी धर्मपत्नी कंवरलाल बैरवा, मान टाऊन, सवाई माधोपुर ।	91	0 05	बंजड़ डोल	
		92	2 02	बारानी 1	
		103	0 01	बंजड़	
		104	0 01	बंजड़	

1	2	3	4	5	6
		107	1	19	बारानी 1
		108	0	01	बंजड़ डोल
		109	0	03	ब.डो.
		110	0	01	गै. मु. फेरा
		111	0	03	बंजड़ डोल
		112	0	04	बंजड़
		113	0	01	बंजड़
		114	1	01	बारानी 1
		115	0	01	गै.मु. फेरा
		116	3	04	चाही खुश्क
		117	0	19	बारानी 2
		118	0	06	बंजड़
		370	0	03	गै.मु.फेरा
		389	0	02	बंजड़
2.	किरोड़ी लाल पुत्र भौरीलाल	76	0	09	बंजड़
	ब्राह्मण, स्टेशन, सवाई माधोपुर	75/1/3	0	16	बारानी 3
3.	किशन मुरारी, सत्यनारायण पि. दामोदर हि. 1/3	304	0	01	बंजड़
	माणकचन्द हनुमान प्रसाद पि.	305	0	05	चाही 4
	हट्टीलाल हि. 2/3 ब्राह्मण	306	0	03	बंजड़
	सा. देह	343	0	01	गै.मु. फेरा
		344	0	04	बंजड़
		345	1	14	चाही 1
		346	0	10	बंजड़ डोल
		350	0	02	बंजड़ डोल
		351	0	08	बंजड़ डोल
		352	3	17	चाह खुश्क
		353	0	10	बंजड़ डोल
		354	0	01	गै.मु. फेरा
		362	1	05	बारानी 3
		363	0	12	बंजड़ डोल

1	2	3	4		5	6
		386	0	08	बारानी 1	
		387	0	01	गै.मु. केरा	
		390	1	10	बारानी 2	
		391	0	01	गै.मु. टीबा	
		392	0	05	बंजड़ डोल	
		393	0	08	बंजड़ डोल	
		393	0	09	बारानी 2	
		395	0	03	बंजड़ डोल	
		396	1	17	बारानी 2	
		397	0	04	बंजड़ डोल	
		403	0	05	बंजड़ डोल	
		951	0	01	बारानी प्र	
		956	0	09	गै.मु. केरा 0.02 बंजड़ 0.7	
4.	कोरीलाल रूघनाथ पिता मन्ना, चिरंजी, भूरया, लक्ष्मीनारायण, धेल्या, प्रहलाद पिनन्हा मीणा सा. देह	339	2	12	चाह 2	
		340	0	04	गै. मु.	
5.	गंगाधरा बल्द गेन्दीलाल माली सा. देह	929	0	04	बंजड़ डोल	
		930	3	02	चाह 2	
		931	0	04	बंजड़ डोल	
		932	0	02	गै.मु. चाह	
6.	गंगाशंकर पुत्र हरिशंकर बीडनी खिवात हाल ग्रा. स्टेशन	75/1/1	0	17	बारानी 3	
		75/2	1	00	बारानी 3	
7.	चेन्या पुत्र भेरू माली सा. देह	936	0	03	चाही 3	
		942	0	09	चाही 3	
		943	2	03	चाही 2	
		944	0	09	बंजड़ डोल	
		945	0	02	बंजड़ डोल	
		946	0	05	गै.मु. आबादी	

1	2	3	4	5	6
		949	3 12	चाही 1	
		957	0 04	बंजड़ डोल	
		958	1 16	चाही 1	
		959	0 03	ब. डो.	
		960	0 04	ब. डो.	
8.	चौथमल पुत्र मंगला माली 1/3 राजाराम पुत्र चेन्दा 1/6 गजानन्द राजाराम पिता चेन्या 1/2 माली सा. देह	290	1 19	चाही 4	
		291	0 06	चाही 4	
		292	0 01	ब. डो.	
		293	1 15	चाही 4	
		294	0 02	गै. मु. चाह	
		195	0 01	गै. मु. फेरा	
		296	0 09	ब. डो.	
9.	जानकीलाल पुत्र पन्नालाल खत्री सवाई माधोपुर	77	0 03	ब. डो.	
		78	5 00	बारानी 3	
		79	3 02	बारानी 3	
		80	0 06	ब. डो.	
10.	धन्ना, बद्री पिता मल्ला हि. 1/5 बंसी पुत्र गोबिन्दा 1/5 कैलाश पुत्र छोट्या 1/5 पून्या मनफूल पिता गोबिन्दा 2/5	286	3 10	चाही 4	
		287	3 10	चाही 4	
		288	0 10	ब. डो.	
		289	0 09	ब. डो.	

1	2	3	3		5	6
11.	तुलस्या चोथमल पिता मंगला माली सा. देह	307	0	02	ब. डो.	
		313	0	02	गै.मु. चाह	
		314	0	01	गै. मु. केरा	
		315	0	16	चाही 4	
		मि. 308	1	12	चाही 4	
		मि. 309	0	09	ब.	
		310	1	06	चाही 4	
		311	0	02	ब. डो.	
		347	0	03	गै.मु. चाह	
		348	1	04	चाह खुश्क	
		349	0	06	ब. डो.	
		357	0	12	बारानी 1	
		358	0	04	ब. डो.	
12.	नोन्दा पुत्र तन्ना बैरवा सा. देह	66	0	02	ग.मु. बाड़ा	
13.	पांच्या श्रीया पिता कालू गूजर सा. देह	66	0	02	गै.मु. बाड़ा	
		67	0	01	गै.मु. आबादी	
		68	0	05	चाही खुश्क	
		70	2	03	चाही 1	
		71	0	01	गै.मु. आबादी	
		72	0	02	ब. डो.	
		73	1	12	चाही 1	
		74	1	02	चाही 1	
14.	बजरंगलाल पुत्र मांगीलाल बैरवा सा.देह	95	0	12	चाही 2	
		332	0	08	ब. डो.	
		333	1	10	चाही 2	
		334	0	07	ब. डो.	
		336	0	01	गै.मु. चाह	
		337	1	06	चाही 2	

1	2	3	4	5	6
15.	बद्रीलाल नन्दलाल स्वर्णकार	369	0	08	बारानी 3
16.	बद्रीलाल नारायण पिता गेन्दीलाल मंरवा	371	2	11	बारानी 1
		372	0	01	ब. डो.
		364	0	04	ब. डो.
		375	0	06	ब. डो.
		376	0	04	ब. डो.
		377	1	03	बारानी
		378	0	02	ब. डो.
		379	0	03	ब. डो.
		380	0	03	ब. डो.
		381	0	03	ब डो.
		382	1	12	बारानी 2
		383	0	02	बंजड़ 1
		384	0	06	बंजड़ 1
		388	1	01	बारानी 2
17.	बलदेवा पुत्र भागीरथ माली ग्रा. बेहू	933	0	09	ब. डो
		934	0	04	गै.मु. चाहू
		935	0	03	ब. डो.
		947	1	11	चाही
		948	0	01	ब डो.
18.	भूरया पुत्र कोरया हि. 1/3 बजरंग पिता गोबिन्दा 1/3 कैलाश रामनारायण पु.	97	1	13	चाही 2
		98	0	01	चाही 2
		99	1	08	चाही 2
		100	1	07	चाही 2
		101	0	02	ब. डो.
		105	0	01	गै. मु. चाहू
		106	0	02	गै. मु. केरा

Page No 235

235

1	2	3	4	5	6
19.	भोरया पुत्र छाजू माली सा. देह	मि. 280	0	19	चाही 2
		मि. 952	0	02	चाही 2
		मि. 954	0	16	चाही 2
20.	भोरया पुत्र विरध्या 1/2 धन्ना बडी पिता वल्ला कैलाश पुत्र छोट्या 1/8 बन्शी मूल्या पि. गोविन्दा 1/4	281	4	07	चाही 2
		282	0	02	चाही 2
		283	0	03	चाही 2
		284	0	02	चाही 2
		285	0	01	गै. मु.आबादी
21.	मदनमोहन पुत्र कल्याण बक्ष कायस्थ, स. माधोपुर	297	1	00	चाही 4
		298	0	01	गै. मु.केरा
		299	1	01	चाही 4
		300	0	01	व. डो.
		301	0	01	गै. मु.केरा
		302	0	17	चाही 4
		303	1	05	चाही 4
		312	0	03	ब. डो.
		329	0	02	ब. डो.
		341	0	05	चाही 4
		342	0	01	गै. मु.केरा
22.	रामचन्द्र पुत्र गल्पा ब्राह्मण, सा. देह	326	1	19	चाही 2
		327	1	16	चाही 2
		328	0	19	चाही 2
		330	0	02	ब. डो.
		331	0	07	ब. डो.
		355	2	02	बारानी 2
		356	0	01	बंजड

Page No 236

236

1	2	3	4	5	6
23.	रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण सा. देह	316	0	02	गै. मु. चाह
		317	0	02	ब. डो.
		मि.318	0	01	गै. मु. चाह
		,, 319	0	02	ब. डो.
		,, 320	0	04	चाही 2
		,, 322	0	15	ब. डो.
		,, 323	0	06	ब. डो.
		335	0	03	ब. डो.
		338	0	08	ब. डो.
24.	रामदेवा पुत्र जगल्या बैरवा सा.- देह	359	0	03	गै. मु. चाह
		360	0	03	गै. मु. फेरा
		मि.361	1	03	चाही 2
25.	नन्दकिशोर आदि रेगरान सा., माधोपुर	मि.365	0	03	बंजड डो
		366/1	0	10	चाही 2
		368	0	02	ब. डो.
26.	रामनिवास पुत्र मूल्या व रामकुवांर पुत्र हन्सा माली	950	1	00	चाही 1
27.	रामपाल महीपाल बृजमोहन सूरजमल पिता ओंकार हि. 1/2 नारायण पुत्र दोल्या 1/2 माली सा. देह	मि.267 1393 1392	0	08	चाही अ
28.	लक्ष्मण लाल नरेश चन्द्र पिता रामजीलाल हि. 1/2 मोहन लाल पुत्र राम प्रसाद 1/2 ब्राहमण स्टेशन स. माधोपुर	81	2	10	बारानी 2
		82	0	01	गै. मु.फेरा
		83	0	03	बंजड I
		85	2	09	बारानी 2
		86	1	15	बारानी 3
		93	0	03	ब. डो.
		94	1	15	चाही 2

Page No 237

2.37

1	2	3	4	5	6
29.	श्रीनारायण पुत्र कनी राम जाट 1/3 राधा किशन पुत्र बलदेवा 1/3 कृष्ण मुरारी सत्यनारायण पिता दामोदर 1/2 हनुमान प्रसाद पिता हट्टीलाल 1/2	84	0	03	गै.मु.चाह
30.	सूरजमल नाथूलाल पि. किशना पु. श्योनारायण 1/2	961	0	04	ब. डो.
		963	0	02	गै. मु.चाह
		954	0	02	गै. मु.चाह
		965	0	02	ब. डो.
		966	1	14	चाहे 3
		975	0	01	ब. डो.
		976	0	01	गै. मु. चाह
31.	सोन्या पुत्र कोरया माली सा. देह	977	0	05	चाही 1
		968	0	13	चाही 1
		969	0	04	गै मु.चाह
		970	0	01	चाही 1
		971	1	00	चाही ग्र
32.	सोन्या भोरया सुन्दर हजारी सुखाराम पि. चन्दा 5/6 पूरी बेवा पृथ्या हि. 1/6 माली सा. देह	972	0	06	चाही 1
		973	0	02	चाही 1
		974	0	02	गै.मु.ग्राबादी
		978	0	04	चाही 1
		979	0	01	गै. मु चाह
		990	0	05	चाही 1

238

ग्राम—आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में अवाप्त की जाने वाली भूमि के अन्तर्गत आने वाली सिवाय चक भूमि

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	क्षेत्रफल		किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4		5	6
1.	राजकीय भूमि बंजड़	69	0	15	ब. डो.	
		385	0	07	बंजड 1	
	नदी नाले	398	0	08	ब. डो.	
		404	1	20	गै. मु. नला	
		882	3	01	गै. मु. नला	
		928	2	02	गै. मु. रास्ता	
		955	0	01	गै. मु. रास्ता	
		667	1	16	गै. मु. रास्ता	
2.	श्रीमती गुलबाई पुत्री छोगा माली हि. 1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र बलमा हि. 1/2 माली सा. देह हि. ब.	927	0	18	बारानी 3	
3.	रामदेवा पुत्र गंगल्या बैरवा सा. देह	356	0	10	चाही दोयम	
4.	भोंरिया पुत्र छाजा माली सा. देह	953	0	01	गै. मु. चाह	
5.	रामचन्द्र पि. मु. जगन्नाथ ब्रा. सा. देह	321	0	08	ब. डो.	
6.	रामचन्द्र पुत्र गल्या ब्रा. सा. देह	324	0	02	गै. मु. केरा	

कुल आवाप्त किया जाने वाला रकबा 149 बीघा 10 बिस्वा

ग्राम—आलनपुर, सवाई माधोपुर में अवाप्त की जाने वाली भूमि की सीमाएं

उत्तर :— रेल्वे कालोनी

दक्षिण :— रास्ता आलनपुर स. माधोपुर रोड

पूर्व :— ग्राम आलनपुर के खसरा नं. 62/1, 63, 64, 56; 55, 65, 54, 53, 52 एवं कच्चा रास्ता

पश्चिम :— स्टेशन आलनपुर से सवाई माधोपुर को जाने वाली नई सड़क।

ग्राम चेचट (कोटा) में उप तहसील स्थापित करना

768. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला के ग्राम चेचट में उप तहसील खोलने हेतु जनता द्वारा सरकार से लम्बे समय से मांग की जा रही है ?

(2) क्या इस सन्दर्भ में जिलाधीश, कोटा द्वारा भी एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चेचट में उप तहसील हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है ? यदि हां, तो सरकार कब तक वहां उप तहसील खोल देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम चेचट में उप तहसील स्थापित करने का कोई मामला राज्य सरकार के पास इस समय विचाराधीन नहीं है।

वृद्धावस्था पेन्शन राशि में वृद्धि

769. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार 40) रु. प्रति माह की दर से देय वृद्धावस्था पेन्शन को आज की आर्थिक स्थितियों में जीवनयापन के लिए पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त राशि में कब तक वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार का वृद्धों की पेन्शन में असहाय नागरिकों की आयु सीमा को समाप्त करने का विचार है ताकि अधिकाधिक निराश्रितों को लाभ मिल सके ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पेन्शन की राशि सहायता के रूप में दी जाती है और राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये इसकी दर में वृद्धि किया जाना अभी संभव नहीं है।

(2) इस प्रकार का अभी कोई विचार नहीं है।

बाड़मेर से गिराब सड़क मार्ग का राष्ट्रीयकरण

770. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर से गिराब वाया हरसाणी एक बहुत बड़ा मार्ग है जो एक लम्बे अर्से से डामर रोड के रूप में तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह मार्ग केवल हरसानी तक डामर रोड के रूप में तैयार हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम खातीखेड़ा (जैतारण) की गोचर भूमि

771. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम खातीखेड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में कुल 88 खसरान के तहत 1138 बीघा 5 बीस्वा भूमि चालीस वर्षों से जैतारण के मवेशियों के लिए गोचर के रूप में काम आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कुछ प्रभावशाली लोगों के खाते में खातेदारी दर्ज है ?

(2) यदि हां, तो राजस्व अभियान में क्यों नहीं इस आराजीयात को बेनाम खातेदारी रद्द कर गोचर में दर्ज की गई और सरकार अब कब तक कार्यवाही कर उक्त भूमि को गोचर में दर्ज कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि खातेदारी की है ।

(2) राजस्व अभियान के दौरान राजस्व अधिकारियों को ऐसे अधिकार प्रदत्त नहीं थे । लेकिन इस भूमि में से 1054 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग प्रकरण संख्या 14/77 न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, पाली द्वारा उक्त भूमि को खातेदारी से हटाकर राज्य सरकार के खाते में गोचर भूमि, अमल दरामद करने के आदेश दिनांक 28-2-1983 को दे दिये गये हैं, जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में तदनुसार संशोधन किया जावेगा ।

उप जनजाति क्षेत्रीय विकास उदयपुर को प्राप्त धनराशि

772. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण), श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा), श्री रूपराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर प्रताप नगर में जनजाति कार्यालय भवन बनाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उप जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को कितनी राशि आरम्भ से आज तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुई और यह राशि किस किस मद में खर्च की गई ? कृपया कर्मचारियों के वेतन भत्ते गाड़ियों पर की गई राशि तथा इस विभाग द्वारा अन्य विभागों को दी गई राशि में से खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर भी व्यय किया जाता है ? यदि हां, तो क्या गिर्वा, कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा सराड़ा, खेरवाड़ा की तहसीलों में बहने वाली नदियों पर स्थानीय स्थिति के अनुसार बांध या तालाब बनाये जा रहे हैं ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जनजाति विकास भवन के निर्माण कार्य पर जनवरी, 83 तक 10.73 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । कुछ कार्य शेष हैं । पूर्ण विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(जनजाति विकास मन्त्री)

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को वर्ष 82-83 तक राज्य योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रुपये 26809.40 लाख राशि का आवंटन किया गया गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1982 तक 23,702.80 लाख राशि व्यय की गई है। मदवार व वर्षवार आवंटन एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "1" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है। कर्मचारियों के वेतनभत्तों और वाहन संधारण पर व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत किया जाता है। किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "11" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उदयपुर जिले में खैरवाड़ा, झाडोल, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर एवं धरियावद तहसीलें एवं गिर्वा ब्लाक ही आता है। तहसील गोगुन्दा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नहीं आती है। इस समय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सिचाई विभाग के माध्यम से खैरवाड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल एवं सराड़ा तहसीलों में सिंचाई योजनाएं निर्माधीन हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बिजोलिया जिला भीलवाड़ा में खानों का आवंटन

773. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1981-82 व 1982-83 में बिजोलिया जिला भीलवाड़ा की खानों में गैरकानूनी खुदाई करने वाले ठेकेदारों पर गैर कानूनी खुदाई करने के लिये लगाई गई जुर्माना की राशि कितनी बकाया थी और किस किस ठेकेदार पर है? कृपया ठेकेदारों की सूची मय जुर्माना राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गैरकानूनी खुदाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा बिजोलिया जिला भीलवाड़ा में सहकारी समिति बनाई जाकर खानों का आवंटन कराया गया है? यदि हां, तो सहकारी समिति के किस-किस सदस्य के नाम खान आवंटित की? कृपया आवंटित खानों तथा समिति के सदस्यों की मय नाम पतों के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1981-82 व 1982-83 में अनधिकृत रूप से खुदाई कर खनिज सैण्डस्टोन/लाईमस्टोन का उत्खनन करने वाले व्यक्तियों की जिनमें अनाधिकृत खनन की कीमत रु. 5,24,565.19 वसूल की जानी थी। सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में केवल एक सहकारी समिति के सदस्यों को खानों का आवंटन किया गया है, सहकारी समिति के जिन सदस्यों को खानों का आवंटन किया गया है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" पर हैं।

242

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र	खनिज मात्रा (टनो में)	रकम वसूली योग्य
1	2	3	4	5
1.	उदे लाल मेवाड़ा	न. का. ग्रा.	9.02	368.00
2.	डालू बंजारा	"	7.06	304.00
3.		"	16.69	627.00
4	नाथूलाल	"	22.67	906.80
5.	मूसा	गुढ़ा	19.34	–
6.	मूसा	"	10.52	–
7.	इशब	"	17.56	–
8.	चुन्नीलाल	"	–	528.00
9.	नारायण सिह	खडीपर	24.45	978.00
10.	धन्ना भाट	गुढ़ा	4.06	184.00
11.	धर्म चन्द जैन	"	10.89	435.60
12.	जोरावर सिह	भारोली	33.34	–
13.	पेमाराम	खडीपुर	4.02	168.00
14.	मोहनलाल	जलेरी	88.67	3546.80
15.	भीमाबंजारा	"	3.00	120.00
16.	लच्छीराम	शम्भुपुरा	9.03	373.60
17.	मांगीलाल	"	34.68	1362.70
18.	रामसिह	"	5.04	216.00
19.	अम्बालाल	जलेरी	10.00	–
20.	मदनलाल टांक	न. म.	48 00	1920.00
21.	शिवकरण	जलेरी	5.00	–
22.	बाबूलाल	"	5.06	260.00
23.	महेशचन्द	खडीपुर	5.34	–
24.	बिहारी	जलेरी	29.17	1166.80
25.	जीवा बंजारा	"	7.34	293.07
26.	सेवालाल	कांस्या	6.12	–
27.	रजनी पाराशर	गुढ़ा	6 56	242 25
28.	गोपीलाल	कांस्या	50.00	2000.00
29.	भेरूलाल	जलेरी	314.00	–

243

1	2	3	4	5
30.	लखनालाल	लाडपुरा	12.00	540.00
31.	कजोड	न. क. मा	200.00	–
32.	प्यारचन्द	,,	2.85	–
33.	भैंरू	,,	78.89	–
34.	डालू बंजारा	,,	22.67	–
35.	माँगी	शम्भूपुरा	43.46	1738.40
36.	महावीर	जलेरी	103.08	4152.00
37.	नारायण	,,	20.00	–
38.	जीवा बंजारा	,,	250.00	10000.00
39.	भोपाल सिंह	,,	41.67	1666.80
40.	मांगीलाल	गुढ़ा	–	5733.60
41.	मूसा/सज्जनसिंह	,,	653.34	–
42.	कन्हैयालाल तेली	न. का. मा.	25.00	1000.00
43.	बाबूलाल	न. का. भा.	5.00	200.00
44.	माँगीलाल	गुढ़ा	5.00	200.00
45.	नाथूलाल	न. का. भा.	5.00	200.00
46	चुन्नीलाल	गुढ़ा	–	3333·00
47.	कालूराम	,,	–	1200.00
48.	युसुफदाउद	,,	163.11	–
49.	,,	,,	66.67	–
50.	भोपालसिंह	जलेरी	954.00	38186.80
51.	महावीर	,,	22.05	
52.	सोजी बंजारा	,,	2.08	
53.	पूना बलाई	,,	6.25	
54.	माँगीलाल	शम्भूपुरा	6.57	
55.	गुपर विनोद	बनास नदी	140.06	1406.00
56	माँगीलाल	जलेरी	93.34	3733.60
57.	घीसा	न. का. भा.	12.05	–
58.	नाथूलाल	,,	15.00	600.00
59.	हीरा	जलेरी	25.00	1000.00
60.	गोपी	,,	60.00	2400.00
61.	ओम प्रकाश	खड़ीपुर	15.11	–
62.	,,	,,	8.34	–

Page No 244

(244)

1	2	3	4	5
63.	रिछपाल	खड़ीपुर	4.17	–
64.	मोहनलाल	,,	6.25	–
65.	,,	,,	4.17	–
66.	इब्राहिम खाँ	न. का. भा.	1.67	–
67.	लच्छीराम	शम्भूपुरा	4.05	–
68.	सज्जन	गुढ़ा	5.00	200.00
69.	महावीर	बा. का. भा.	4.67	–
70.	कस्तूर चन्द	गुढ़ा	19.05	–
71.	पारसमल	बा. का. भा.	9.01	364.00
72.	जज्जन	गुढ़ा	6.05	
73.	बंसीलाल	सतकुड़िया	26.25	–
74.	ऊंकार	सुखपुरा	20.64	833.60
75.	,,	,,	1.06	64.00
76.	मूलचन्द	जलेरी	15.00	–
77.	पेमा	न. का. भा.	70.00	2800.00
78.	देवीलाल	सतकुड़िया	75.64	3025.60
79.	हेमा	चम्पापुर	6.67	266.80
80.	प्रहलाद	नयानगर	20.84	800.60
81.	नाथू	,,	6.00	240.00
82.	बाबूलाल	सुखपुरा	6.00	240.00
83.	फारूख	,,	4.00	–
84.	ओमप्रकाश	खड़ीपुर	20.05	–
85.	दिनेश कुमार	,,	15.00	–
86.	रामराज्य	,,	25.00	1000.00
87.	दिनेश कुमार	,,	3.00	–
88.	दिनेश कुमार	,,	25.00	1000.00
89.	हीरालाल	खड़ीपुर	–	1333.60
90.	भवानी शंकर	,,	12.05	500.00
91.	घनश्याम	काताधाणी	112.05	4500.00
92.	कालू	–	800.34	333.60
93.	हीराणी	हेमनिवास	3.02	128.00
94.	देवा	कोटवड़ा	3.02	128.00
95.	बिहारी	,,	6.00	240.00
96.	माँगीलाल	गुढ़ा	16.67	666.80

Page No 245

245

1	2	3	4	5
97.	बंसीलाल आदि	कोटबड़ा	50.00	2000.00
98.	नारायण	शम्भूपुरा	1.06	64.00
99.	जगदीश	ना. का. ता.	6.00	–
100.	भैरूलाल	खड़ीपुर	29.17	1166.80
101	भवानी शंकर	,,	35.00	1400.00
102.	छीतर	न. का. मा.		10000.00
103.	मांगीलाल	शम्भूपुरा	100.00	4000.00
104.	लछमीनारायण	आरोली	5.00	200.00
105.	भवानी शंकर	खड़ीपुर	50.00	2000.00
106.	कन्हैयालाल	समेल नदी	5.00	50.00
107.	रामराज	खड़ीपुर	25.00	1000.00
108.	बेणीराम	भाटखरला	600.00	24000.00
109.	देवीलाल	गुड़ा	5.00	200.00
110.	समसुद्दीन	श्यामपुरा	109.38	4922.10
111.	मूसा	नदी	210.00	8400.00
112.	बख्तावर	हेमनिवास	8.67	266.80
113.	जयकिशन	कांस्या	83.34	3333.60
114.	इस्माईल	बिगोद नदी	10.00	–
115.	नाथूसिंह	नयानगर	58.34	2333.60
116.	मोहनलाल	खड़ीपुर	8.34	333.60
117.	लालू	आरोली	50.00	2000.00
118.	जोरावरसिंह	,,	100.00	4000.00
119.	रामेश्वर लाल	विणो	5.00	–
120.	अब्दुल सत्तार	गुड़ा	1.00	–
121.	मूलचन्द	,,	35.00	300.00
122.	जयकिशन	कांस्या	35.00	1400.00
123.	मूसा	गुढ़ा	20.00	–
124.	नन्दलाल	केसरपुरा	30.00	1200.00
125.	कन्हैयालाल	कांस्या	–	–
126.	भारतसिंह	शम्भूपुरा	195.00	78.00
127.	चुन्नीलाल	कांस्याढेर	6.00	240.00
128.	हीरालाल	नयानगर	1042.00	416.00
129.	माधव	केसरपुरा	15.00	600.00
130.	उदयलाल	न. का. भा.	40.00	1600.00

1	2	3	4	5
131.	करीमबक्स	गुड़ा	7.34	–
132	मोहनसिंह	न. का. मा.	500.00	30000.00
133.	रामसिंह	कांस्याढेर	8.34	–
134.	नारायण	,,	6.00	–
135.	उदयलाल	कांस्याढेर	8.34	–
136.	देवी	हेम निवास	10.00	400.00
137.	जयकिशन	कांस्या	3.33	164.52
138.	नंदलाल	हेमनिवास	206.67	9701.48

अप्रेल 1982 से दिसम्बर 1982 तक

1.	मोहनलाल मीणा	खडीपर	14.26	186.24
2.	लालू धाकड	केसरपुरा	125.00	5000.00
3.	सूरजमल मीणा	कांस्याढेर	19.00	300.00
4.	लालूलाल अहीर	,,	9.06	384.00
5.	बाबूलाल	कालीघाटी	7.00	480.00
6.	चतरसिंह ठाकर	केसरपुरा	72.92	3116.80
7.	गिरधारी कुमावत	खेडीपुर	3.34	133.60
8.	लालू लुहार	सुखपुरा	150.00	6000.00
9.	कादर बक्श	हेमानिवास	30.93	178.65
10.	नन्दा भील	,,	32.00	152.45
11.	गब्बा बंजारा	बड़ा	15.00	800-00
12.	रमेश चन्द शर्मा	कांस्या	20.00	848.00
13.	केसरी मल जैन	कांस्या	7.05	500.00
14.	रमेश चन्द शर्मा	,,	7.01	395.40
15.	बाबूलाल मेवाड़ा	केसरपुरा	133.34	5994.96
16.	सूरजमल मीणा	कसंयाढेर	25.00	1800.00
17.	अम्बालाल धाकड़	जलेरी न. 4	10.00	452.00
18.	लालू लुहार	सुखपुरा	187.05	8430.00
19.	उदयलाल अहीर	,,	62.05	2850.00
20.	,,	,,	30.42	1388.48
21.	इस्माईल	बनास	125.00	133.00
22.	प्रभुलाल धाकड़	कांस्या ढेर	64.00	2760.00

Page No 247

1	2	3	4	5
23.	किरणराज मेहता	बाकाता	80.34	533.60
24.	सेवाराम अहीर	सुखपुरा	208 34	9366.96
25.	लालू लुहार	सुखपुरा	233.00	10000.20
26.	मदनसिंह	खेरखेड़ा	1.84	89.80
27.	मुस्ताक अहमद	जलेरी	583.34	26286.96
28.	धुलीलाल जैन	"	46.67	2081.48
29.	हुकमी चन्द धाकड़	न. का. मा.	150.00	6840.00
30.	भवानी लाल मीणा	बिजोलिया	16.00	713.60
31.	प्रभुलाल धाकड़	न. का. मा.	31.25	1425.00
32.	उदयलाल मेवाड़ा	"	1333.34	60269.96
33.	मदनसिंह	खेरखेड़ा	13.34	602.96
34.	भैरूलाल खारोल	न. का. मा.	25.00	1144.00
35.	योगेश कुमार	सुखपुरा	.84	41.21
36.	बजरंग लाल अग्रवाल	नया नगर	—	2743.04
37.	बालूराम	पटपटिया	170.00	8042.50
38.	बालूराम धाकड़	केसरपुरा	108.00	12244.00
39.	मोतीलाल	बा. का. ता.	15.03	714.00
40.	चौथमल	बिजोलिया	400.00	4400.00
41.	योगेश कुमार	सुखपुरा	5.00	233.00
42.	तेजमल जैन	बा. का. ता.	17.91	900.54
43.	ईस्माईल	गुढा	191.66	8950.54
44.	दिनेश कुमार	खडीपुर	33.50	1654.00
45.	रिछपाल कुमावत	खडीपुर	37.70	1854.00
46.	ओमप्रकाश	"	30.00	1482.00
47.	काशीराम	कणोर	52.20	2566.80
48.	बिहारी बनजारा	बा. का. ता.	20.00	1070.00
49.	मदन लाल	गुढा	16.00	794.00
50.	चेतराम	जलेरी	50.00	2650.00
51.	उदयराम	"	88.00	4345.00
52.	उदा बलाई	"	15.00	605.00
53.	देवा बलाई	"	10.00	494.00
54.	नूरा	देवीनिवास	3.33	164.52
55.	नूसा	बिजोलिया	1.25	77.00
56.	लक्ष्मण धाकड़	न. का. मा.	80.23	3887.28

Page No 248

2401

1	2	3	4	5
57.	अब्दुल सत्तार	न.का.मा.	250.00	10581.52
58.	जगदीश	न.का.मा.	255.00	15428.48
59.	बाबूलाल अग्रवाल	,,	–	127.46
60.	भोपालसिंह	,,	–	4783.76
61.	हीरालाल	,,	–	4808.48
62.	धन्ना यादव	,,	125.00	6175.00
63.	मांगीलाल	नीम का खेड़ा	5.00	50.00
64.	रामेस्वरलाल पुरोहित	वा. का. ता.	3.33	198.52
65.	अब्दुल रहमान	जलेरी	–	2446.96
66.	शोभागसिंह	हेमनिवास	–	123.48
67.	लक्ष्मण यादव	जलेरी	22.08	1026.77
68.	हीरालाल	,,	–	3891.96
69.	नाथू धाकड़	न. का. मा.	–	1200.00
70.	गोरू बंजारी	जलेरी नं, 2	–	1944.48
71.	मोहम्मदसनीफ	माण्डलगढ़	100.00	750.00
72.	देवी भील	हेमनिवास	166.66	8233.04
73.	अहमद नूर	,,	–	3025.00
74.	रंगलाल	जलेरी	–	490.50
75.	लक्ष्मीनारायण	कॉस्या	–	16651.52
76.	तेजमल जैन	केसरपुरा	–	2000.00
77.	प्यारचन्द	,,	18.00	892.00
78.	रामकिशन	खेरखेड़ा	–	215.00
79.	रुद्रदत्त	कांस्या	–	1629.00
80.	मूलचन्द्र रेगर	केसरपुरा	24.00	1101.00
81.	अर्जन भील	गुड़ा	–	749.00
82.	महेश कुमार	खडीपुर	–	10581.52
83.	रिछपाल कुमावत	,,	5	9391.52
84.	मूसा/गफुर	जलेरी	–	5612.50
85.	खजानसिंह चौधरी	बेरीमाल सड़क	2000.00	22000.00

परिशिष्ट "ख"

आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. नया नगर भीलवाड़ा के सदस्यों की सूची:—

क्र. स.	नाम सदस्य	ब्लाक नम्बर	क्षेत्र	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री देवीलाल भील	1	सुखपुरा	संविदा हो चुका है
2.	,, बालू/मोकल भील	2	,,	,,
3.	,, हरलाल/घुला भील	3	,,	,,
4.	,, काना/गोकल भील	4	,,	,,
5.	,, लाल/देवी भील	5	,,	,,
6.	,, नगा/रामा भील	6	,,	,,
7.	,, भारमल/कल्याण भील	7	,,	,,
8.	,, खाना/भूरा भील	8	,,	,,
9.	,, देवा/भूरा भील	9	,,	,,
10.	,, भोलू/देवी भील	10	,,	,,
11.	,, वेणा/भमरा भील	11	,,	,,
12.	,, घीसा/खाना	12	,,	,,
13.	,, देवीलाल/नोला भील	13	,,	,,
14.	,, बालू/देवा भील	14	,,	,,
15.	,, ऊकार/काना भील	15	,,	,,
16.	,, नोला/डूगर भील	16	,,	,,
17.	,, हरजी/गोगा भील	17	,,	,,
18.	,, हजारी/रामा भील	18	,,	,,
19.	,, छीतर/हीरा भील	19	,,	,,
20.	,, जोधराज/नंदा भील	20	,,	,,
21.	,, प्यारा/लछमण भील	21	,,	,,
22.	,, प्यारा/चूना भील	22	,,	,,
23.	,, राजू/नन्द भील	23	,,	,,
24.	,, इन्दरमल/प्रताप भील	24	,,	,,
25.	,, घीसा/बुद्धा भील	25	,,	,,
26.	,, खुशीलाल/काना भील	26	,,	,,
27.	,, कजोड/भम्मा भील	27	,,	,,

Page No 250

(252)

1		2	3	4	5
28.	,,	वेणा/घूला भील	28	मुखपुरा	संविदा हो चुका है।
29.	,,	बरदा/चूना भील	29	,,	,,
30.	,,	सुरजमल/जोधराज भील	30	,,	,,
31.	,,	खाना/रतना भीप	31	,,	,,
32.	,,	नन्दा/देवी भील	32	,,	,,
33.	,,	खेमा/दौला भील	33	,,	,,
34	,,	जगनाथ/रतना भील	34	,,	,,
35.	,,	लखमा/सवाई राम भील	35	,,	,,
36.	,,	रतना/भूरा भील	36	,,	,,
37.	,,	नंदा/भवाना भील	37	,,	,,
38.	,,	बाल/देवा भील	38	,,	,,
39.	,,	चुनीलाल/कालू भील	39	,,	,,
40.	,,	जीता/चुन्नीलाल भील	40	,,	,,
41.	,,	धन्ना/चून्ना भील	41	,,	,,
42.	,,	चुन्ना/रामा भील	42	,,	,,
43.	,,	गोगा/भुज्जा भील	43	,,	,,
44.	,,	केसा/चुन्ना भील	44	,,	,,
45.	,,	चन्दा/धुला भील	45	,,	,,
46.	,,	बालू/मांगू भील	1	नया नगर बी	,,
47.	,,	भेरू/देवी भील	2	,,	,,
48.	,,	नोला/खाना भील	3	,,	,,
49.	,,	माग/चून्ना भील	4	,,	,,
50.	,,	देवीलाल/नन्दा भील	5	,,	संविदा नहीं हुआ।
51.	,,	रामा/भेरू भील	6	नया नगर अ	,,
52.	,,	रतनलाल/देवी भील	1	,,	,,
53.	,,	नन्दा/गोकल भील	2	,,	,,
54.	,,	मांगी/धूला भील	3	,,	,,
55.	,,	लूणा/रामा भील	4	,,	,,
56.	,,	रिक्त	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।		

Page No 251

(251)

बारां जिला कोटा की अदालतों में रहन मुक्ति के विचाराधीन मामले

774. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बारां जिला कोटा सहायक समाहर्ता एवं परगना अधिकारी की अदालतों में रहन मुक्ति से सम्बन्धित कितने मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से कितने मुकदमे "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम में निर्णीत किये गये ?

उत्तर

बारां में स्थित न्यायालय में रहन मुक्ति से सम्बन्धित विचाराधीन कुल मामले 119 हैं। इन विचाराधीन मामलों में से राजस्व अभियान के दौरान कुल 16 मुकदमात का निर्णय किया है। शेष 103 विचाराधीन हैं।

प्रशासन गांवों की ओर अभियान के बिन्दू 11 (क) बाबत एवं धारा 5 के तहत प्रमाण-पत्र

775. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत बिन्दू नं. 11 (क) कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमांत कृषकों के ऋण भार समाप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही के बाबत धारा 5 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देना, (ख) राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामों में स्थित साहूकारों की सूची तैयार करना तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उप जिलाधीश गण को उपलब्ध करना था ?

(2) क्या अजमेर जिले में ऐसी कोई सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

साहूकारों की सूची

क्र.सं.	नाम साहूकार	नामग्राम
1	2	3
1.	श्री पुरुषोतम/मांगीलाल महाजन	सराधना
2.	,, गोरधन/रामगोपाल महाजन	राजगढ़
3.	,, किस्तूरचन्द/राधालाल महाजन	,,
4.	,, सुगनचन्द/कन्हैयालाल	,,
5.	,, मथुराप्रसाद/सुवालाल	,,
6.	,, मोहनलाल/देवाला	,,
7.	,, सत्यनारायण/भानमल	,,

Page No 252

252

1		2	3
8.	,,	मेवा/नाथू गुजर	राजगढ
9.	,,	पूनमचन्द/मांगीलाल महाजन	,,
10.	,,	कानमल/धन्नालाल महाजन	,,
11.	,,	मंघरलाल/चतुर्भुज महाजन	,,
12.	,,	किशनचन्द/ज्ञानचन्द सिन्धी	पिचौलिया
13.	,,	मदनलाल/रामदयाल महाजन	,,
14.	,,	बालू/बच्छा कुम्हार	,,
15.	,,	प्यारेलाल/धनसीराम महाजन	,,
16.	,,	छीतरमल/हजारीमल महाजन	,,
17.	,,	भंवरलाल/सुखदेव लढ्ढा	,,
18.	,,	पीरूदानसिंह/खेतसिंह राजपूत	मगरा
19.	,,	आसुदामल/तेजराम सिन्धी	आयड़
20.	,,	रामरतन/हीरालाल राठी महाजन	श्री नगर
21.	,,	श्रीकिशन पुत्र बालूराम मून्दडा महाजन	,,
22.	,,	भंवरलाल/सीताराम महाजन	,,
23.	,,	विशनलाल/प्रताप अहीर	,,
24.	,,	रामा/भैरू कहार	,,
25.	,,	गणपत/केला रेगर(कलवाड़िया)	,,
26.	,,	रामदेव/कालू अहीर (कलगाणियाँ)	,,
27.	,,	रामलाल/नथमल महाजन	जवाजा
28.	,,	मांगीलाल/नोरतमल	,,
29.	,,	जुगराज/जीवराम	,,
30.	,,	पुखराज/पन्नालाल	,,
31.	,,	रामचन्द्र/बालूराम	,,
32.	,,	मौजा/उरजा रावत	,,
33.	,,	भंवचन्द/पूनमचन्द महाजन	,,
34.	,,	महावीरप्रसाद/प्रेमराज महाजन	,,
35.	,,	अम्बालाल/मिश्रीलाल महाजन	,,
36.	,,	गजानन्द/बालूराम खाती	,,
37.	,,	पदमसिंह/बुधसिंह रावत	,,
38.	,,	हुकमसिंह/मिट्ठूसिंह रावत, केलों की नाडी	,,
39.	,,	ज्ञानचन्द/मगनीराम दर्जी	,,
40.	,,	हुकमाराम/बीजाराम रेगर	,,
41.	,,	मेदा/गोकल	बड़ा आसन
42.	,,	मुला/श्री राम गुजर	,,
43.	,,	हस्तीमल/माणकचन्द	मसूदा
44.	,,	गुलाबचन्द/मगनलाल नाहर	,,

अतिरिक्त जिलाधीश,अजमेर

अनैतिकता से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं को आर्थिक सहायता

776. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बलात्कार की शिकार अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को दो हजार 2000/- रुपया सहायता देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य में अब तक उक्त निर्णय के अन्तर्गत कितनी महिलाओं को कहां कहां यह सहायता दी गयी ? कृपया जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1980-81 में ।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

सूचना

क्रम संख्या	जिला	महिलाओं की संख्या जिन्हें सहायता दी गयी	कुल स्वीकृत राशि (रुपयों में)
1.	पाली	1	1000)-
2.	बूंदी	–	–
3.	टोंक	–	–
4.	झालावाड़	3	5000)-
5.	जोधपुर	2	3500)-
6.	जैसलमेर	–	–
7.	कोटा	3	2000)-
8.	बांसवाड़ा	–	–
9.	चूरू	2	1000)-
10.	सीकर	3	4000)-
11.	जालौर	–	–
12.	बीकानेर	–	–
13.	भीलवाड़ा	–	–
14.	सिरोही	.	–
15.	डूंगरपुर	–	–
16.	बाड़मेर	1	2000).
17.	श्रीगंगानगर	3	5000)-
18.	अजमेर	1	2000)-
19.	धौलपुर	–	–
20.	जयपुर	–	–
21.	अलवर	1	2000)-
22.	भरतपुर	4	5000)-
23.	चित्तौड़गढ़	–	–
24.	उदयपुर	–	–
25.	नागौर	–	–
26.	सवाई माधोपुर	सूचना प्राप्त नहीं	
27.	झुन्झुनूं	–	

कृषि भूमि जांच हेतु गठित बेरी आयोग

777. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान में "जमीन हड़पो" भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु बेरी आयोग (कृषि भूमि सम्बन्धी जांच आयोग) न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी की अध्यक्षता में गठित किया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यही सही है कि इस आयोग ने अपना 2104 पृष्ठों का अन्तिम व सम्पूर्ण प्रतिवेदन आठ जिल्दों में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ?

(3) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया और उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 3-10-1981 को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में वर्णित मामलों का विस्तृत परीक्षण कर इनका न्यायसंगत रूप से वर्गीकरण कर प्रत्येक वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में उपयुक्त वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है। इस समिति को दिनांक 30-4-1983 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तत्पश्चात् इन मामलों में आगामी कार्यवाही करने पर विचार किया जावेगा।

ग्राम गोलेरा तहसील रामगढ़ की कृषि भूमि पर अवैध रूप से औद्योगिक कॉलोनी का निर्माण

778. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोलेरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में 44 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मैसर्स मोदी एलक्लीज एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड ने खरीद की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि की खरीदगी के तुरन्त बाद उक्त कृषि भूमि पर एक स्काई-लाइन निर्माण कम्पनी देहली को ठेका देकर बिना रूपान्तरण आदि किए ही विशाल औद्योगिक कालोनी का निर्माण शुरू कर दिया गया ?

(3) क्या औद्योगिक कालोनी के निर्माण के दौरान जिला राजस्व विभाग से राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम के तहत कृषि भूमि के 50 वें भाग पर निर्माण करने हेतु स्वीकृती दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या अभी भी उक्त समस्त कृषि भूमि पर विशाल कालोनी, होटल आदि बनने का कार्य जारी है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार ने उक्त अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

(5) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर निर्माण आदि की छूट केवल कृषक को ही भूमि विकास हेतु दी गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम गोलेटा में मैसर्स मोदी एलक्लीज एण्ड कैमीकल्स लि. ने 34 बीघा 14 विस्वा भूमि की खरीद की है

(2) जी हां, उक्त इकाई द्वारा कृषि भूमि क्रय करने के बाद भूमि का रुपान्तरण कराये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर निर्माण कार्य 12-7-1982 को रुकवा दिया गया।

(3) जी हां, प्रार्थी के आवेदन पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में 13805-95 पैसे शास्ती आरोपित करते हुये राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि में रुपान्तरण) नियम, 1971 के नियम 11 के अन्तर्गत 1/50 वें भाग की सीमा तक नियमनुसार भूमि के अकृषि में प्रयोग की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई।

(4) जी नहीं। केवल मात्र रूपान्तरित क्षेत्र पर ही आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 1971 में प्रावधित सीमा तक भूमि का खातेदार आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करा सकता है।

भाव का गुढ़ा तहसील जहाजपुर की राजस्व भूमि पर वन विभाग द्वारा अतिक्रमण

779. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भावकागुढा तहसील जहाजपुर की राजस्व भूमि पर वन विभाग ने अनाधिकृत पेड़ों को बढाकर अतिक्रमण किया है? यदि हां, तो किस आराजी नम्बर एवं रकवा पर? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग ने अपनी सीमांकन से अधिक राजस्व भूमि पर कब्जा कर मवेशियों के चरने एवं पानी पीने के स्थान एवं रास्ते तक बन्द कर दिए और बड़ी मात्रा में मवेशियों को पकड़ा जाकर पेनेल्टी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति से कितनी कितनी राशि वसूल की गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी अधिकारी ने उक्त ग्राम की राजस्व भूमि पर वन पेड़ों को लगाने तथा अतिक्रमण करने के आदेश दिए और उसको क्या यह अधिकार था? यदि नहीं, तो विभाग ने इस बारे में क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की?

उत्तर

(1) भावकागुढ़ा तहसील जहाजपुर में वन विभाग द्वारा खसरा नम्बर 786 (कुल रकवा 524 बीघा 4 विस्वा) में से ग्रामवासियों एवं सरपंच के प्रस्तावा-

(राजस्व मन्त्री)
नुसार 114 एकड राजस्व पड़त भूमि को सम्मिलित करते हुए वन खन्ड भाव का गुढा "बी" में राहत कार्यों के अन्तर्गत 175 एकड पेडों का बनाया गया है।

(2) जी नहीं। बनाये गए क्लोजर से मवेशियों एवं ग्रामवासियों को कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है। मवेशियों को पंडोक में घुसाकर बीजारोपण कार्यों को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) चूंकि कार्य ग्रामवसियों एवं सरपंच के प्रस्तावानुसार करावा गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्ष 1982-83 में भावकागुढा वन खण्ड रेंज जहाजपुर में दर्ज प्रकरण की सूची

क्र. सं.	नाम अपराधी	अपराध	वन अपराध प्रकरण नंबर	एवजाना राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बन्ना आत्मज श्री भूरा मीणा	1 घोडी चराना	575/7 ——— 25.6.82	27/-	
2.	देवा आत्मज श्री हजारी बलाई निवासी भावगुढा	5 गाये चराना	575/9 ——— 26.6.82	25/-	
3.	श्री केशरा आत्मज श्री रामा मीणा निवासी झुाडिया	11 बकरी चराना	575/10 ——— 2.7.82	22/-	
4.	कैलाश आत्मज श्री कजोड़ मीणा निवासी नटखेड़ी	12 गाये चराना	574/21 ——— 28.7.82	60/-	
5.	उदा आत्मज श्री खेमा रेगर निवासी गोकुलपुरा	15 गायें चराना	573/34 ——— 25.8.82	187/-	
6.	छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ भावकागुढा	2 बकरी चराना	573.35 ——— 26.8.82	10/-	

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5	6
7.	रामचन्दर आत्मज श्री कुरा मीणा निवासी भाव का गुढा	2 बैल चराना	574/20 —— 3.9.82	100/-	
8.	भवाना आत्मज श्री हजारी निवासी भाव का गुढा	5 बकरी चराना	574/41 —— 3.9.82	10/-	
9.	भूरा आत्मज श्री हरला रेगर निवासी गोकुलपुरा	16 गायें चराना	579/16 —— 28.10.82	80/-	
10.	राजू आत्मज श्री छीतर मीणा निवासी भाव का गुढा	3 भैंस चराना	579/28 —— 2,1.83	—	
11.	श्री जमनालाल आत्मज श्री सखोता मीणा निवासी भाव का गुढा	4 बैल चराना	807/8 —— 1 3.83	—	
12.	श्री रामकुंवर आत्मज श्रीधन निवासी गुढा	5 गायें चराना	570/9 —— 27.6.82	25/-	
			योग	546/-	

अवैध वाहन संचालन से परिवहन निगम को हानि

780. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अवैध वाहन संचालन से राजस्थान राज्य परिवहन निगम को प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है ?

(2) इसके नियमित आंकलन की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या निगम में अवैध वाहन संचालन की रोकथाम हेतु पर्याप्त व सफल व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अवैध संचालन से परिवहन निगम को अनुमानितया करीब दो लाख रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है।

(2) जिस क्षेत्र में अवैध वाहनों की रोकथाम हुई है वहां निगम की आमदनी जिस अनुपात में बढ़ी है उसके हिसाब से इसका आंकलन किया जाता है।

(3) अवैध वाहन संचालन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के पुलिस, यातायात विभाग और निगम के सक्षम अधिकारी कार्यवाही करते हैं। यह व्यवस्था अपर्याप्त नहीं कही जा सकती है। फिर भी इसको सुदृढ़ करने की संम्भावनाओं की दिशा में निरन्तर प्रयास जारी है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 952 की सूचियां)

भाग 1 की सूची –

क्र. सं.	नाम माह	प्राप्त सीमेन्ट (मी. टनों में)
1.	अक्टूबर, 1982	600
2.	नवम्बर, 1982	1088
3.	दिसम्बर, 1982	825
4.	जनवरी, 1983	144

(भाग 2 व 3 की सूची)

(मात्रा कट्टों में)

क्र. सं.	नाम माह	राशनकार्ड पर आवासीय कार्य हेतु सीमेंन्ट का वितरण।	राजकीय व अर्ध्द राजकीय व एन. आर. ई. पी. हेतु सीमेंन्ट का वितरण
1	2	3	4
1.	अक्टूबर, 1982	4383	2507
2.	नवम्बर, 1982	3513	1830
3.	दिसम्बर, 1982	5246	2470
4.	जनवरी, 1983	3422	3925

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 957 का विवरण)

परिशिष्ट (क)

श्री श्रीसीमेन्ट लि. ब्यावर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त चूना पत्थर के परमिट्स का विवरण

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज का नाम व क्षेत्र	अवधि	प्राप्त राशि
1.	श्री कन्हैया लाल	750 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी माता	5-9-81 से 4-10-81	781-00
2.	श्री घीसासिंह	1000 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी	5-9-81 से 4-10-81	1039-00
3.	श्री जी. आर. बिल्डर्स	1050 टन	चुनाई पत्थर लपारिया	5-9-81 से 4-10-81	1079-00
4.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लिमिटेड	500 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	15-9-81 से 14-11-81	522-00
5.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लिमिटेड	500 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	5-1-82 से 15-3-82	523-00
6.	श्री नवल सिंह	300 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	6-1-82 से 5-3-82	323-00
7.	श्री नवल सिंह	500 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	3-3-82 से 2-5-82	532-00
8.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लिमिटेड	2000 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	15-3-82 से 30-5-82	2050-00
9.	श्री बोथरा कन्स. कम्पनी	1000 टन	चुनाई पत्थर लूलवा	24-4-82 से 27-7-82	1068-00
10.	श्री नवल सिंह	600 टन	चुनाई पत्थर मुण्डोती	4-5-82 से 3-8-82	629-00
11.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लिमिटेड	2000 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी माता	21-5-82 से 20-7-82	2050-00
12.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लि.	5000 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी माता	17-8-82 से 16-12-82	5086-00
13.	मै. बोथरा कन्स. कम्पनी	2500 टन	चुनाई पत्थर लूलवा	8-9-82 से 7-12-82	2543 50
14.	श्री श्रीसीमेन्ट प्रा. लिमिटेड	10000 टन	चुनाई पत्थर अंधेरी देवरी माता	6-12-82 से 5-6-83	10203-00
		27,700			रुपये 28,428-50

परिशिष्ट (ख)

श्री श्रीसीमेन्ट लि., ब्यावर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त बजरी के परमिट्स का विवरण

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज का नाम व क्षेत्र		अवधि	प्राप्त राशि मय रवन्ना बुक व परमिट्स फीस
1.	श्री श्रीसीमेन्ट लि. ब्यावर	1000 टन	बजरी	(बाबरा नदी)	3-3-81 से 30-4-81	781-00
2.	,,	400 ,,	,,	,,	31-12-81 से 28-2-82	312-00
3.	,,	4000 ,,	,,	,,	24-4-82 से 23-7-82	3075-00
4.	,,	2000 ,,	,,	,,	30-7-82 से 29-10-82	1514-00
5.	,,	2000 ,,	,,	,,	12-11-82 से 11-2-83 तक	1541-00
6.	,,	4000 ,,	,,	,,	21-12-82 से 20-3-83 तक	3068-00
7.	,,	4000 ,,	,,	,,	16-2-83 से 15-5-83 तक	3077-00
		17,400 टन				13,368-00

261

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 958 की सूची)

सूची ग्राम पंचायत जिनमें राजस्व अभियान 1983 से पूर्व कार्बिन कब्जा भूमि की उद्घोषणा जारी की गई

तहसील सवाई माधोपुर

क्रमांक	नाम पंचायत	क्रमांक	नाम पंचायत
1.	टापुर	25.	चकेरी
2.	शिवाड़	26.	कुण्डेरा
3.	सारसोप	27.	रावल
4.	इसरदा	28.	छारोदा
5.	डिडायच	29.	सिलवीपुर
6.	झोपड़ा	30.	शेरपुर
7.	पावडेडा	31.	करमोदा
8.	बलरियां	32.	रामड़ी
9.	महापुरा	33.	जोला
10.	रजवाना	34.	डेहकवा
11.	चौथ का बरवाड़ा	35.	गम्भीरा
12.	भंडोला	36.	आदलवाड़ा कलां
13.	बनजारी	37.	जीनापुरा
14.	भगवतगढ़	38.	कुश्तला
15.	लोरवाड़ा	39.	मुई
16.	जटवाड़ा कलां	40.	आटून कलां
17.	अजनोटी	41.	भदलाव
18.	गुनारी	42.	दूमोदा
19.	सूरवाल	43.	रवाजना चौड़
20.	मैनपुरा	44.	पाचोलास
21.	सेलू	45.	फलोदी
22.	पडाना	46.	चितारा
23.	ओलवाड़ा	47.	डांगरवाड़ा
24.	आमपुरा	48.	लहसोड़ा

(262)

सूची ग्राम पंचायत जिनमें राजस्व अभियान 1983 से पूर्व काबिल काश्त भूमि की उद्घोषणा जारी की गई

तहसील बौली

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत	क्रम संख्या	नाम पंचायत
1.	जस्टाना	13.	गालद कलां
2.	मलारना स्टेशन	14.	हथडोली
3.	सांवड़ा	15.	मलारना चौड़
4.	भूखा	16.	जोलन्दा
5.	कुशलपुरा	17.	भनून
6.	मोरेन	18.	कोडयाई
7.	शेपा	19.	बौली
8.	वपुई	20.	बड़ागांव सरवर
9.	मलारना डूंगर	21.	भाड़ौती
10.	बहनेड	22.	दत्तूली
11.	कोलाड़ा	23.	खिरनी
12	बागडोली		

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 959 की सूची)

झालावाड़ जिले में चालू खनन् पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	स्थान	तहसील	जिला	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री मोतीराम	सैण्डस्टोन	500-500 व. फि.	आवेर	खानपुर	झालावाड़	
2.	श्री मुन्शीलाल	,,	500-500 ,,	कपालिया कुआ	झालरापाटन	झालावाड़	
3.	श्रीमती आनन्दीबाई	,,	400-300 ,,	गिन्दौर	,,	,,	
4.	श्री रामप्रताप	,,	1000-500 ,,	मैसर	,,	,,	
5.	श्री छीतरलाल डांगी	,,	1000-500 ,,	बन्तपुरा	,,	,,	
6.	श्री कन्हैयालाल	,,	120-60 व. मी.	अम्वाला	खानपुर	,,	
7.	श्री सुभानअली	,,	1000-500 व. फी.	तलवाडिया	झालरापाटन	,,	
8.	श्री जसवन्तसिंह	,,	400-200 ,,	भंवराया	,,	,,	
9.	श्री रामचन्द्र	,,	400-200 ,,	विशनी	,,	,,	
10.	श्री मांगीलाल	,,	400-300 ,,	भंवराया	,,	,,	
11.	श्री छोटेलाल	,,	120-60 व. मी.	,,	,,	,,	

Page No 264

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्री रामगोपाल	सैण्डस्टोन	120-60 व. मी.	भंवरा	झालरापाटन	झालावाड़	
13.	श्री बालचन्द	,,	1000-500 व. फी.	बावर	,,	,,	
14.	श्रीमती रतनीबाई	,,	1000-500 ,,	त्रिशली	,,	,,	
15.	श्री सरदारसिंह	,,	3500-1200 ,,	बिलोनिया	,,	,,	
16.	श्री सरदारसिंह	,,	3400-1250 ,,	कोटड़ा	,,	,,	
17.	श्री मदनलाल गरीबचन्द	,,	3500-300 ,,	कोटड़ा	,,	,,	
18.	श्री मोहम्मद बेग	,,	6000-2000 ,,	लुहारिया की ढाणी	,,	,,	
19.	श्री मांगीलाल	,,	600-500 ,,	झालमण्डी	,,	,,	
20.	श्री धन्नालाल यादव	,,	120-60 व. मी.	कोटड़ा	,,	,,	
21.	श्री रामपाल	,,	120-60 ,,	इकवासा	,,	,,	
22.	श्री लक्ष्मीनारायण चोपड़ा	,,	120-60 ,,	भमवास	,,	,,	
23.	श्री मोहम्मद ख्वाज	,,	500-500 व. फी.	बरसपुरा	,,	,,	
24.	श्री कस्तूरचन्द	,,	400-400 ,,	लुहारिया की बरड़ी	,,	,,	
25.	श्री गोपीलाल	,,	400-200 ,,	मांगटा	सालेरा	,,	
26.	श्री किशनलाल यादव	,,	400-200 ,,	अम्बाला	बानपुर	,,	
27.	श्री हंसराज यादव	,,	120-60 व. मी.	,,	,,	,,	
28.	श्री गुल मोहम्मद	,,	400-200 व. फी.	कीकन्दी	झालरापाटन	,,	

265

29. श्री नन्दलाल यादव	सेण्डस्टोन	120-60	व.मी.	जैतपुरा	झालरापाटन	झालावाड
30. श्री मिश्रीलाल	„	500-200	„	कोटड़ा	„	„
31. श्री विजयसिंह	„	500-500	„	धटोदिया	„	„
32. श्री गोकुलप्रसाद	„	400-200	„	सेमली	„	„
33. श्री जसवन्तसिंह	„	400-200	„	भंवराया	„	„
34. श्री वसदगाणी	„	120-60	„	लुहारिया की ढाणी.	„	„
35. श्री जमीन ग्रहमद	„	120-60	„	लछमणपुरा	„	„
36. श्री किशनलाल मेहर	„	120-60	„	सलोदिया	„	„
37. श्री सईद	„	120-60	„	बडोदिया	„	„
38. श्री भंवरलाल	„	120-60	„	भानमारी जंगल	„	„
39. श्री ग्रब्दुल हकीम	„	200-500	„	पोली	इकलेरा	„
40. श्री छोटे खां	„	120-60	„	वालग	झालरापाटन	„
41. श्री कंवरलाल	„	120-60	„	„	„	„
42. श्री ग्रनोपसिंह	„	120-60	„	बीलवा	„	„
43. श्री पूरीलाल शर्मा	„	120-60	„	भरनमारी जंगल	„	„
44. श्री दयाराम छोघा	„	120-60	„	मोत्या डूंगरी	„	„
45. श्री किशनलाल मीणा	„	500-250	व.फी.	पोली	इकलेरा	„
46. श्री मोहम्मद हनीफ	„	120-60	व.मी.	सलोतिया	झालरापाटन	„
47. श्रीमती राजकली देवी	„	120-60	„	जिन्दौर	„	„
48. श्री जोसफ ईसाई	„	90-80	„	लुहारिया की ढाणी	„	„

Page No 266

(266)

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	श्री मोहमम्द नफीश	सैन्डस्टोन	120-50 व.मी.	लुहारिया की ढाणी झालरापाटन	झालावाड	झालावाड़	
50.	श्री रघुनाथ मीणा	,,	90-80 ,,	बगदर	,,	,,	
51.	श्री भंवरलाल मेहर	,,	120-60 ,,	कोटडा (गुडा)	,,	,,	
52.	श्री शंकरलाल यादव	,,	120-60 ,,	गुढा	,,	,,	
53.	श्री भगवानसिंह	,,	120-60 ,,	सलोतिया	,,	,,	
54.	श्री भूपेन्द्रसिंह	,,	,, ,, ,,	कोटड़ा	,,	,,	
55.	श्री सोहनलाल यादव	,,	,, ,, ,,	बाघेर	खानपुर	,,	
56.	श्री अब्दुल सलाम	,,	,, ,, ,,	भिरनिया	झालारापाटन	,,	
57.	श्री दयानन्द मीणा	,,	,, ,, ,,	सीवर	,,	,,	
58.	श्री मोहनलाल	,,	,, ,, ,,	मिवोली	पंच पहाड	,,	
59.	श्री नारायणलाल यादव	,,	,, ,, ,,	अम्वाला	खानपुर	,,	
60.	श्री मेहबूब अली	,,	,, ,, ,,	गांवड़ी	झालरापाटन	,,	
61.	श्री रामकुमार जैन	,,	,, ,, ,,	लुहारिया की ढाणी	,,	,,	
62.	श्री रमेशचन्द	,,	,, ,, ,,	मशालपुरा	,,	,,	
63.	श्री गोरधनलाल	,,	144-500 व.फी.	भंवराया	झालरापाटन	झालावाड़	
64.	श्री द्वारकालाल	,,	120-60 व.मी.	हेतपुरा	,,	,,	
65.	श्री रत्तीराम	,,	,, ,, ,,	कोड़ी	,,	,,	
66.	श्री किशनलाल	,,	,, ,, ,,	जेतपुरा	,,	,,	
67.	श्री सुरेशचन्द	,,	,, ,, ,,	इकयाला	,,	,,	

68. श्री दर्गा बन्जारा	"	" "	"	फिरनिया	"	"
69. श्री पन्नालाल	"	" "	"	अकावदलुई	मानपुर	"
70. श्री मोहम्मद आरीफ	"	" "	"	सलोदिया	झालरापाटन	"
71. श्री श्री कयमअली]	"	" "	"	माणकचौक	"	"
72. श्री भंवरलाल	"	" "	"	महेन्द्रपुर	"	"
73. श्री जमीर मोहम्मद	"	" "	"	सलोदिथा	"	"
74. श्री जोसफ	"	" "	"	माणक चौक	"	"
75. श्री रामलाल	"	" "	"	मालगढ	"	"
76. श्री नाथू बन्जारा	"	" "	"	नाहरखिची	"	"
77. श्री गहूर मोहम्मद	"	" "	"	इकवासा	"	"
78. श्री रामलाल	"	" "	"	वडोदिया	"	"
79. श्री हजारी बन्जारा	"	" "	"	कलमंडी	"	"
80. श्री मन्नालाल	"	" "	"	जैनपुरा	"	"
81. श्री नाथू	"	" "	"	दुवियावाली	अकलेरा	"
82. श्री जयसिंह	"	" "	"	ऊंटगांव	झालरापाटन	"
83. श्री चुन्नीलाल	"	" "	"	ढांढी माणक चौक	"	"
84. श्री अब्दुल शकूर	"	" "		नाहर सिंघी	"	"
85. श्री भंवरलाल	"	" "		रायापुर	"	"
86. श्री मोहनलाल	"	" "		नाहरसिंघी	"	"
87. श्री सरदारसिंह पंजाबी	"	" "		"	"	"
88. श्री द्वारकालाल	"	" "		इकवासा	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	श्री कृष्णमुरारी	सैन्डस्टोन	120-60 व.मी.	तलवाडिया	झालरापाटन	झालावाड़	
90.	श्री अशोककुमार	,,	,, ,,	नाहरसिंघी	,,	,,	
91.	श्री जोसफ	,,	,, ,,	,,	,,	,,	
92.	श्री भंवरसिंह	,,	,, ,,	सलोदिया	,,	,,	
93.	श्री रघुनाथ प्रसाद	,,	,, ,,	देहलनपुर	अकलेरा	,,	
94.	श्री अशोककुमार	,,	,, ,,	कोटड़ा	झालरापाटन	,,	
95.	श्री बुन्दूखां	,,	,, ,,	लुहारियों की बरड़ी	झालरापाटन	,,	
96.	श्री एजियास	,,	,, ,,	सलोदिया	,,	,,	
97.	श्री अलीमोहम्मद	,,	,, ,,	,,	,,	,,	
98.	श्री निर्मलसिंह	,,	,, ,,	नाहर सिंघी	,,	,,	
99.	श्री नूरमोहम्मद	,,	,, ,,	कुन्डमारी	,,	,,	
100.	श्री सरदारसिंह पंजाबी	,,	,, ,,	सलोदिया	,,	,,	
101.	श्री रामनाथ	,,	,, ,,	बलवारिया	,,	,,	
102.	श्री अब्दुल अजीज	,,	,, ,,	मोली	अकलेरा	,,	
103.	श्री विजयसिंह	,,	,, ,,	बोलिया	झालरापाटन	,,	
104.	श्री शिवशंकर	,,	,, ,,	गोविन्दपुरा	,,	,,	
105.	श्री शेर मोहम्मद	,,	,, ,,	लुहारियों की बरड़ी	अकलेरा	,,	
106.	श्री रामप्रकाश	,,	,, ,,	डूंगनी	झालरापाटन	,,	

107. श्री बजरंगलाल	,,	,, ,,	सेमखी	,,	,,
108. श्री अजीज खां	,,	,, ,,	जेथपुरा	,,	,,
109. श्री मांगीलाल बजरंगलाल	,,	,, ,,	तलवाड़िया	,,	,,
110. श्री नारायणलाल	,,	,, ,,	खानपुरा	,,	,,
111. श्री भागीरथ	,,	,, ,,	तलवाडिया	,,	,,
112. श्री मेहमूदखां	,,	,, ,,	,,	,,	,,
113. श्री नन्दलाल उदयलाल	,,	,, ,,	,,	,,	,,
114. श्री गोपीलाल	,,	,, ,,	गोठपाल	,,	,,
115. श्री अब्दुल गनी	,,	,, ,,	बावड़ी खेड़ा	,,	,,
116. श्री हरिसिंह बन्जारा	,,	,, ,,	ऊंट पड़ाव	,,	,,
117. श्री अब्दुल जब्बार	,,	,, ,,	गोलपाल	,,	,,
118. श्री अब्दुल गनी नजीर खां	,,	,, ,,	लक्ष्मीपुरा	,,	,,
119. श्री बिहारी बंजारा	,,	,, ,,	गोलबहार	,,	,,
120. श्री मोहम्मद इजाज	,,	,, ,,	भवंराया	,,	,,
121. श्री पुरीलाल कालेराम	,,	152-50:76-25 वर्ग मीटर	पोली	इकलेरा	झालावाड़
122. श्री रामपाल	,,	120-60 व. मी.	बाबर	झालरापाटन	,,
123. रामकरण गूजर	,,	,, ,,	अम्बाला	खानपुर	,,
124. योगेन्द्रनाथ सक्सेना	,,	,, ,,	रलावती	झालरापाटन	,,
125. श्री अब्दुल हमीद	,,	120.60 व. मी.	इकवासा	झालरापाटन	झालावाड़
126. श्री दयानन्द	,,	,, ,,	रायपुर	,,	,,
127. श्री दरयावसिंह	,,	,, ,,	बीछवा	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
128.	श्री इश्हाक मोहम्मद	सैन्डस्टोन	120-60 व.मी.	बादर	झालरापाटन	झालावाड़	
129.	श्री जबीर मोहम्मद	,,	,, ,,	बरखेड़ा	,,	,,	
130.	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	,, ,,	जैतपुरा	,,	,,	
131.	श्री मुस्तफा खां	,,	,, ,,	इकवासा	,,	,,	
132.	श्री मांगीलाल मोतीलाल	,,	,, ,,	बड़ोदिया	,,	,,	
133.	श्री मदनलाल दौलतराम	,,	,, ,,	बूंगनी	,,	,,	
134.	श्री नरेन्द्र मोहन	,,	,, ,,	गिन्दौर	,,	,,	
135.	श्री भूरीलाल पुत्र गबाजी	,,	200-50 व. मी.	धनफर	,,	,,	
136.	श्री फूलचन्द जैन	,,	80-60 व. मी.	बरखेड़ा	,,	,,	
137.	श्री रामनारायण मंगी	,,	180-45 व. मी.	जैतपुरा	,,	,,	
138.	श्री रतीराम भील	,,	120-60 व. मी.	जैतपुरा	,,	,,	
139.	श्री इस्मान खां	,,	120-60 व. मी.	तलवाड़िया	,,	,,	
140.	श्री विश्वम्बरलाल	,,	5895	पौली	इकलेरा	,,	
141.	श्री दिलीपकुमार	लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन)	305-160 व. मी.	बावडीखेडा	झालरापटन	,,	
142.	श्रीमती हेमलता पाटनी	,,	300-150 व. मी.	,,	,,	,,	
143.	श्री अब्दुल करीम मोर खां	लेटराइट	500000 व. मी.	मोखमपुरा	पहाड़	,,	
144.	सर्व श्री मंगल सीमेन्ट,	मोडक लेटरा	4-875 व. मी.	सरोंद	,,	,,	

खनिजवार स्वीकृत पंजीकृत खनन पट्टों का विवरण

नाम खनिज	स्वीकृत खनन पट्टे
1. सेटलाइन्ट [प्रधान खनिज]	2
2. लाइम स्टोन [बर्निंग स्टोन]	2
3. सैण्ड स्टोन	100

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 961 की सूची)

राजस्व अभियान के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में भूमि से अतिक्रमण हटाये गये पंचायत समितिवार सूची।

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	नाम पंचायत	अतिक्रमण हटाये गये एकड़ों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	बांसवाड़ा	तिचला घण्ठाला	270-52	
2		भूपेल	91-20	
3.		नवां गांव	126-94	
4.		सालिया	254-32	
5.		सुखानिया	71-80	
6.		सागडौद	181-00	
7.		कुंपड़ा	190-52	
8.		लोधा	137-82	
9.		कोहाला	69-16	
10.		बलकियां	217-90	
11.		बुण्डला	43-60	
12.		गोमड़ी	394-20	
13.		ठीकरिया व बोरवट	381-46	
14.		कुशलपुरा	82-56	
15.		तलवाड़ा	78-92	
16.		खेरडावरा	165-90	
17.		तेजपुरा	92-40	
18.		मुरपुर	135-16	
19.		खेड़ा	144-24	
20.		महेशपुर	62-64	
21.		बोरीया	51-40	
22.		खान्दू	14-32	
23.		भगापुर	39-46	
24.		केशरपुरा	122-92	
25.		चाचोकोट	27-48	

1	2	3	4	5
26.	गढ़ी	ग्रामजा	93–60	
27.		बोरी	136–80	
28.		गढ़ी	83–20	
29.		ग्रासोड़ा	113–60	
30.		रोहिडा	121–60	
31.		उरकाड़ा	122–40	
32.		सरेड़ी बड़ी	142–40	
33.		परतापुर	60–80	
34.		डडूकी	192–80	
35.		भीमपुर	140–80	
36.		कोटड़ा	62–40	
37.		गोपीनाथ का गुढा	25–60	
38.		पादेड़ा	37–60	
39.		ग्रडोर	44–00	
40.		केसरपुरा	116–80	
41.		ग्ररथुना	54–40	
42.		मतवाला	215–20	
43.		पाराहेड़ा	159–20	
44.		वखतपुरा	88–80	
45.		पालोदा	90–40	
46.		लोहारिया	90–40	
47.		ग्रांजना	132–80	
48.		बस्सी मोटी	218–40	
49.		लसाड़ा	22–40	
50.		विलोढा	209–60	
51.		सेरन का पारढ़ा	37–60	
52.		टामटिया	85–60	
53.		चौपासाग	108–00	
54.		जोलाना	110–40	
55.		खेड़ा	102–40	
56.		ग्रासन	80–00	
57.		रेहाना	160–80	
58.		ग्रोड़वाड़ा	24–00	

1	2	3	4	5
59.	गढी	बजवाना	160-80	
60.		मलाना	32-00	
61.		खोडन	248-00	
62.		मगोरा	91-20	
63.	घांटोल	मुडासेल	00-00	
64.		डूंगर	71-26	
65.		कानजी का गढा	48-20	
66.		घांटोल	66-00	
67.		देलवाड़ा	—	
68.		रूजीया	58-90	
69.		वडाना	89-20	
70.		नगपुरा	14-90	
71.		बोरदा	89-60	
72.		मैरडी	370-80	
73.		सेनावाली	104-52	
74.		नरवाला	131-50	
75.		खामेरा	297-42	
76.		चौकड़ी	82-90	
77.		रूपजी का खेडा	233-16	
78.		खोरवा	10-10	
79.		मुगड़ा	94-50	
80.		डागल	179-30	
81.		वाडगून	91-40	
82.		डूगरिया	131-58	
83.		कुवानिया	96-90	
84.		पडोली राठोड़	47-40	
85.		पडोली गोधर्न	95-70	
86.		देवदा	73-70	
87.		गनोडा	99-40	
88.		मोटागांव	92-70	
89.		दूदका	107-40	
90.		बस्सी	33-70	
91.		मूवासा	171-48	

(274)

1	2	3	4	5
92.	घाटोल	चन्दूजी का गढा	64-50	
93.		मोटा टाण्डा	68-88	
94.	पीपलखूंट	दानपुर	24-20	
95.		सरवन	30-60	
96.		फेफर	41-48	
97.		जहांपुरा	130-94	
98.		मकनपुरा	28-94	
99		घोडी तेजपुर	185-78	
100.		खजूरी	63-00	
101.		कोटड़ा	6-96	
102.		कटुम्बी	37-00	
103.		पांचलवासा	37-18	
104.		नागला	105-80	
105.		कपड़ा	82-80	
106.		परधीपुरा	299-44	
107.		केलामेला	83-54	
108.		घण्टाली	398-26	
109.		बोरी	190-32	
110.		खोडलपुर	186-82	
111.		सेमलया	97-62	
112.		पीपलखूंट	—	
113.		डूंगलवाली	—	
114.	बागीदोरा	छींच	8-08	
115.		वोडीगामा	85-20	
116.		नीगामा	332-80	
117.		सालिया	159-60	
118		शेरगढ़	52-80	
119		खोडालीम	7-96	
120.		ढालर	92-00	
121.		गोराडतलाई	60-00	
122.		मोटी टिम्बी	54-00	
123.		रानका मुन्ना	66-00	
124.		मल्कुरवाक्ला	84-00	

1	2	3	4	5
125.	बागीदोरा	हाण्डी	123–62	
126.		लेरी	783–80	
127.		खुटागलिया	45–44	
128.		गल्लोपाट	91–30	
129.	आनन्दपुरी	उदयपुरा बड़ा	93–60	
130.		गोरड़ी	106–15	
131.		नाहरपुरा	50–90	
132.		मदरोली	80–18	
133.		वरजड़ियां	14–64	
134.		छाजा	34–00	
135.		टामटिया	19–98	
136.		आ. आवादरा	6–58	
137.		बरेठ	60–00	
138.		फड़वा	30–18	
139.		मुन्दी	90–96	
140.		बडीया	37–34	
141.		आनन्दपुरी	6–28	
142.	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	5–00	
143.		टाण्डा मंगला	15–00	
144.		राडफराज	16–80	
145.		मुन्दवी	22–80	
146.		गोदावाड़ा	30–00	
147.		मछड़ी	236–00	
148.		इबला	65–00	
149.		वीडग्री	44–00	
150.		कसारवाडी	263–00	
151.		वाम्बेसरा	80–60	
152.		पाली बड़ी	297–98	
153.		मगरदा	88–53	
154.		रोहनिया	26–65	
155.		डूंगरा बड़ा	93–90	
156.		डूंगरा छोटा	19–92	
157.		वडीबरा पालिमपुरा	12–80	

1	2	3	4	5
158.	सज्जनगढ़	मस्का बड़ा	86–82	
159.		टाण्डी	324–43	
160.		हिम्मतगढ़	211–00	
161.	कुशलगढ़	मुन्दड़ी	147–71	
162.		बलीजगरा	352–12	
163.		रामगढ़	373–19	
164.		ऊंकाला	101–47	
165.		बड़वास	50–76	
196.		टिमेड़ा बड़ा	186–94	
167.		कुशालापाड़ा	118–93	
168.		सकलपुरा	204–77	
169.		बस्सी	380–44	
170.		मोहजमपुरा	314–45	
171.		छोटी सरवा	402–82	
172.		पाटन	434–28	
173.		बड़ी सरवा	114–30	
174.		भीकली	90–92	
175.		छोहारिया	145–79	
176.		फोटड़ा राणगा	209–87	
177.		कुमठ	71–90	
		कुल योग–	21009–33	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 963 की सूची)

सूची अवितरित पर्चे लगान II परत जो तहसीलदार सोजत के पास काश्तकारान को वितरण करने हेतु भेजे गये

क्र.सं.	नाम ग्राम	तादाद पर्चा लगान	क्र. सं.	नाम ग्राम	तादाद पर्चा लगान
1	2	3	1	2	3
1.	अटबड़ा	35	26.	पाचुण्डा खुर्द	2
2.	थरासनी	13	27.	रेन्दड़ी	9
3.	बासनी सुरायता	4	28.	बागड़वास	4
4.	बासनी भदावतान	5	29.	खामल	29
5.	सारंगवास	8	30.	बागावास	18
6.	शिवपुरा	26	31.	बासना	4
7.	सरदारसमन्द	19	32.	बासनी जोधराज	2
8.	बगड़ी	28	33.	अबकाई की ढाणी	5
9.	बासनी गिवड़ीयान	3	34.	सान्डिया	2
10.	बासनी मूथा	3	35.	हींगावास	4
11.	सोजत चक नं. 1	22	36.	डूढलाम्बोडी	11
12.	सोजत सिटी चक न. 2	23	37.	पोटलिया	2
13.	रेपड़ावास	9	38.	बिजपुर	4
14.	खारिया नीम	5	39.	खारिया स्वामियान	11
15.	सुरायता	33	40.	राजोलाकलां	2
16.	नाथलकुन्डी	9	41.	गुडावीजा	6
17.	सरदारपुरा	8	42.	मेव	42
18.	मालपुरियाकलां	15	43.	झोपड़ा	6
19.	गोदेलाव	6	44.	भेसाना	2
20.	धाकड़ी	4	45.	मोडावास	12
21.	आलावास	8	46.	बिजलियावास	7
22.	मालपुरिया खुर्द	5	47.	[illegible]वास	5
23.	रूपावास	2	48.	उदेसीकुआं	3
24.	मण्डला	2	49.	अजीतपुरा	2
25.	बिलावास	7	50.	पाचुन्डाकलां	6

(2780)

1	2	3	1	2	3
51.	हापत	7	77.	गुडारामसिंह	9
52.	खारिया नोडा	11	78.	चान्दासनी	18
53.	लुणेरा	5	79.	चामडीयावास	3
54.	नया गांव	13	80.	चुन्दलाई	30
55.	छीतरिया	5	81.	कुपेलाव	11
56.	हरियामाली	4	82.	दादी	7
57.	बुटेलाव	3	83.	देवली हुला	5
58.	बासनी नरसींग	1	84.	दुरासनी	12
59.	कानावास	4	85.	भानीया	29
60.	केलवाद	1	86.	नापावास	3
61.	खरनी खेड़ा	3	87.	पांचवा खुर्द	11
62.	अनन्त वासनी	2	88.	पांचवाकलां	14
63.	रामासनी सान्दुम्रा	2	89.	हीरावास	2
64.	सोजत रोड	19	90.	गजनाई	15
65.	रन्दिया	4	91.	खेडिया	6
66.	रायराकला व खुर्द	21	92.	गुडा बछराज	4
67.	सिसरवादा	16	93.	मुरडावास	9
68.	सियार	5	94.	बोयल	1
69.	लाडपुरा	2	95.	लुण्डावास	7
70.	गुडाकलां	13	96.	वीरावास	1
71.	खोखरा	7	97.	वासनी तिरवाडी	8
72.	खेडा नाबरा	4	98.	केर खेडा	1
73.	गुडा चतरा	6	99.	गागोडा	1
74.	गुडा भदावतान	2	100.	दोरनाडी	1
75.	गुडा श्यामा	1	101.	धन्धेडी	1
76.	चण्डावल	12	102.	पामसनी वाला	2

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 964 की सूची)

खदान क्षेत्र कास्या/कास्या डेर में 1975 से 1982-83 तक अतिक्रमण किए गए मामलों की सूची

क्रमांक	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र जहां अतिक्रमण हुआ	निरीक्षण एवं पंचनामा की तिथि	दस गुना रायल्टी जो कायम की गई	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री केसरीमल महाजन	कास्यां	14-9-76	90-00	जमा हुई
2.	श्री भंवरलाल पाड्या	,, ,,	18-8-77	720-00	रकम जमा
3.	श्री सेवाराम एवं चुन्नीलाल बन्जारा	कास्यां ढेर	19-8-77	202-10	रकम जमा
4.	श्री पांचू	कास्यां	,, ,,	183-20	एल आर एक्ट
5.	श्री केसरीमल जैन	,, ,,	24-2-79	639-90	रकम जमा
6.	श्री चुन्नीलाल राधाकिशन	कास्या ढेर प. न. 26/25ए	27-3-79	307-80	रकम जमा
7.	उपलाल/मुन्ना जी अहीर	1, 2, 3	,, ,,	167-10	,, ,,
8.	श्री चुन्नीलाल बन्जारा	4, 5, 6,7,	,, ,,	261-30	,, ,,
9.	श्री चुन्नीलाल/कृष्णा बन्जारा	102	27-4-79	207-00	,, ,,
10.	,, ,,	कास्या ढेर	10-5-79	259-20	,, ,,
11.	श्री उदेयलाल अहीर	,, ,,	9-9-79	1847-00	एल आर एक्ट
12.	श्री चुन्नीलाल राधाकृष्ण	,, ,,	19-9-79	428-00	रकम जमा
13.	श्री चुन्नीलाल बन्जारा	,, ,,	22-2-80	1964-80	,, ,,

1	2		4	5	6
14.	श्री चुन्नीलाल कलाल	कांस्या ढेर	22-2-80	240-00	रकम जमा
15.	श्री सेवाराम अहीर	,, ,,	,, ,,	338-00	एल आर एक्ट
16.	श्री उदेयलाल अहीर	,, ,,	,, ,,	75-90	रकम जमा
17.	श्री सेवाराम अहीर	,, ,,	26-[illegible]-80	566-80	,, ,,
18.	श्री चुन्नीलाल कलाल	,, ,,	,, ,,	208-80	,, ,,
19.	,, ,,	9-3-80	9-3-80	474-00	,, ,,
20.	श्री सेवा अहीर	कांस्या ढेर बाउण्ड्री बाहर	20-4-80	536-00	नियमित 10-4-81 के अनुसार
21.	श्री चुन्नीलाल कलाल	कांस्या ढेर बाउण्ड्री बाहर	20-4-80	604-80	नियमित के अनुसार
22.	श्री उदेयलाल अहीर	,, ,,	29-4-80	89-00	रकम जमा
23.	श्री सेवा अहीर	,, ,,	,, ,,	133-00	,, ,,
24.	श्री नन्दलाल कलाल	,, ,,	23-7-80	164-00	एल आर एक्ट
25.	श्री गोपीनारायण अहीर	145 कांस्या	5-12-80	249-20	रकम जमा
26.	श्री चुन्नीलाल बन्जारा	2 के बाहर कांस्या ढेर	6-2-82	240-00	कोर्ट कार्य
27.	श्री रामसिंह अहीर	1 के बाहर कांस्या ढेर	19-2-82	333-60	रकम जमा
28.	श्री उदेयलाल अहीर	,, ,,	15-2-82	333-60	,, ,,
29.	श्री केसरीमल जैन	कांस्यां बाहर	27-5-82	500-00	नोटिस पर
30.	श्री रुद्रदत्त शर्मा	कांस्या बाउण्ड्री	30-11-82	1629-00	कार्यवाही

281

खदान क्षेत्र नला का माताजी में 1975 से 1982-83 तक अतिक्रमण किए गए मामलों की स्थिति

क्रमांक	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र जहां अतिक्रमण हुआ	निरीक्षण एवं पंचनामा की तिथि	दस गुना रायल्टी जो कायम की गई	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नाथू रेगर	41 की पूर्वी फेंट	19-1-79	260-10	रकम जमा
2.	श्री चांदमल दुगड	14 का पूर्वी रास्ता	22-3-79	70-90	,, ,,
3.	श्री जगदीश चन्द	10 की उ. फेंट	,, ,,	133-50	,, ,,
4.	श्री बाबूलाल	3 की उ. फेंट	5-5-79	85-20	,, ,,
5.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फेंट	11-5-79	194-20	एल आर एक्ट
6.	श्री प्रभुलाल धाकड़	9 की उ. फेंट	19-5-79	243-60	रकम जमा
7.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फेंट	5-5-79	266-70	,, ,,
8.	श्री मोहन बलाई	4 की उ. फेंट	,, ,,	153-30	,, ,,
9.	श्री लालू भील	9 की उ. फेंट	31-10-79	469-60	एल आर एक्ट
10.	श्री जगदीश शर्मा	10 की फेंट	,, ,,	910-80	रकम जमा
11.	,, ,,	10 की फेंट	9-11-79	148-00	रकम जमा
12.	श्री प्रभुलाल	10 की फेंट	,, ,,	40-00	,, ,,
13.	श्री जगदीश शर्मा	10 की उ. फेंट	18-10-80	29-60	,, ,,
14.	श्री प्रभुलाल धाकड	9 की उ. फेंट	,, ,,	27-60	,, ,,
15.	श्री भैरूलाल खारोली	17 की उ. फेंट	,, ,,	29-60	,, ,,

1	2	3	4	5	6
16.	श्री मोहन बलाई	4 की उ. फंट	24-3-80	178-00	रकम जमा
17.	श्री बाबूलाल	3 की उ. फंट	,, ,,	151-20	,, ,,
18.	श्री कजोड	2 उ. बाहर	,, ,,	—	—
19.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	7-3-80	776-00	,, ,,
20.	,, ,,	,, ,,	17-4-80	2588-00	एल आर एक्ट
21.	श्री प्रभुलाल धाकड	6 के बाहर	,, ,,	904-00	रकम जमा
22.	श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	,, ,,	961-00	,, ,,
23.	श्री मोहन बलाई	4 की उ. फंट	,, ,,	873-60	एल आर एक्ट कोर्ट कार्यवाही
24.	श्री बाबूलाल	3 की उत्तर में	17-4-80	3276-00	रकम जमा
25.	श्री प्रभुलाल धाकड़	9 की उ. फंट	22-5-80	162-40	,, ,,
26.	श्री बाबूलाल महाजन	3 की उ. फंट	,, ,,	225-25	,, ,,
27.	,, ,,	3 गेप के बाहर	15-6-80	1073-40	नियमित
28.	श्री प्रभुलाल	9 की उ. फंट के बाहर	,, ,,	78-00	,, ,,
29.	श्री डालूराम बन्जारा	8 की उ. फंट	,, ,,	196-00	,, ,,
30.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	,, ,,	292-00	रकम जमा
31.	श्री प्रभुलाल धाकड़	6 की उ. फंट	,, ,,	92-00	,, ,,
32.	श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	,, ,,	252-00	,, ,,
33.	श्री बाबूलाल महाजन	3 की उत्तरी	19-12-80	240-00	नियमित

34. श्री मोहनलाल बलाई	4 की उ. फंट	19-12-80	711-20	रकम जमा
35. श्री भैरूलाल	7 की उ. फंट	3-1-81	58-00	,, ,,
36. श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	31-12-80	213-60	,, ,,
37. श्री प्रभूलाल	33 का रास्ता	24-12-80	53-00	,, ,,
38. श्री बाबूलाल	3 के बाहर	21-12-80	906-80	नियमित
39. ,, ,,	3 की उ. फंट	19-1-81	945-20	—
40. श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	7-1-81	489-20	रकम जमा
41. श्री बाबूलाल महाजन	3 की उ. फंट	2-2-81	571-60	नियमित
42. श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	,, ,,	506-80	,, ,,
43. श्री प्रभुलाल धाकड़	6 की उ. फंट	,, ,,	1422-40	,, ,,
44. श्री नन्दा भील	12 की उ. फंट	,, ,,	622-40	रकम जमा
45. श्री भैरूलाल	7 की उ. फंट	,, ,,	782-40	नियमित
46. श्री प्रभुलाल धाकड़	9 की उ. फंट	,, ,,	691-60	,, ,,
47. ,, ,,	6 की उ. फंट	12-2-81	2240-00	नियमित
48. श्री बाबूलाल महाजन	3 की उ. फंट	,, ,,	1618-00	,, ,,
49. श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	18-2-81	128-00	नियमित
50. ,, ,,	,, ,,	6-3-81	1289-20	,, ,,
51. श्री बाबूलाल महाजन	3 की उ. फंट	,, ,,	1129-20	,, ,,
52. श्री कजोड़ धाकड़	2 की उ. फंट	,, ,,	1126-80	,, ,,
53. श्री डालू बन्जारा	8 की उ. फंट	,, ,,	5235-60	,, ,,
54. श्री प्रभुदयाल धाकड़	6 की उ. फंट	,, ,,	1893-60	,, ,,
55. श्री प्रभुदयाल धाकड़	9 की उ. फंट	31-3-81	66-00	नियमित

1	2	3	4	5	6
56.	श्री बाबूलाल महाजन	3 की उ. फंट	31-3-81	578-00	नियमित
57.	श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	,, ,,	164-80	,, ,,
58.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	,, ,,	1065-80	,, ,,
59.	श्री डालू बन्जारा	8 की उ. फंट	,, ,,	304-00	,, ,,
60.	श्री अब्दुल सत्तार	5 की उ. फंट	,, ,,	627-60	,, ,,
61.	श्री कजोड़ धाकड़	3 की उ. फंट	17-3-81	8000-00	,, ,,
62.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	18-3-81	3155-60	,, ,,
63.	श्री डालू बन्जारा	8 की उ. फंट	28-2-81	1306-80	,, ,,
64.	श्री भैरूलाल खारोल	7 की उ. फंट	28-3-81	—	,, ,,
65.	श्री बाबूलाल	3 की उ. फंट	28-6-81	200-00	कोर्ट कार्यवाही
66.	श्री धीसा धाकड़	36 की उ. फंट	14-10-81	500-00	रकम जमा
67.	श्री इब्राहीम खां	31 की उ. फंट	13-8-81	160-00	रकम जमा
68.	श्री पेमा भील	104 की उ. फंट	17-11-81	2800-00	कोर्ट कार्यवाही
69.	श्री छीतर धाकड़	87 के बाहर	14-10-81	10000-00	एल आर एक्ट
70.	श्री प्रभुलाल धाकड़	6 व 7 के रास्ते पर	11-3-82	1425-10	कोर्ट कार्यवाही
71.	श्री भैरूलाल खारोल	,, ,,	,, ,,	1124-00	वसूली नोटिस
72.	श्री लछमण धाकड़	4243 का रास्ता	24-9-82	3887-28	,, ,,
73.	श्री अब्दुल सत्तार	,, ,,	21-9-82	10581-52	,, ,,
74.	श्री जगदीश चन्द	10 के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर	21-9-82	15428-48	,, ,,
75.	श्री बाबूलाल अग्रवाल	3 के बाहर	,, ,,	127-46	,, ,,
76.	श्री हीरालाल	11 के बाहर	24-9-82	4808-48	,, ,,
77.	श्री धन्ना	22 व 23 का रास्ता	21-9-82	6175-00	,, ,,

205

वर्तमान पट्टाधारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण क्षेत्र का विवरण:—

क्र.सं.	क्षेत्र नला का माताजी / पट्टाधारी का नाम	ब्लॉक नम्बर	स्वीकृत क्षेत्र व प्रयोजन लाइन के बाहर अवैध बढाई मिट्टी हटाई	पत्थर कटाई	विशेष
1.	श्री मुनीर मोहम्मद	1	निल	निल	—
2.	श्री कजोड़मल धाकड़	2	175×90×4 फीट	—	
3.	श्री बाबूलाल खेमका	3	80×60×5 फीट	—	
4.	श्री मोहनलाल बलाई	4	100×30×4 फीट	—	
5.	श्री अब्दुल सत्तार	5	70×40×6 फीट	—	
6.	श्री प्रभुलाल धाकड़	6	200×15×6 फीट	—	
7.	श्री भैरूलाल धाकड़	7	125×80×6 फीट	80×60×4 फीट	
8.	श्री हालू बन्जारा	8	200×100×5 फीट	—	
9.	श्री श्रीलाल/नन्द भील	9	150×100×80 फीट	—	
10.	श्री जगदीश लाल पी. श्री. श्री उदयलाल	10	200×100×8 फीट	100×40×5 व. फीट 125×12 1/2 ×5फीट	
11.	श्री हीरालाल धाकड़	11	200×100×8 फीट	125×12 1/2×5फीट 75×20×2 फीट	
12.	श्री नन्दा पिता रामा भील	12	200×100×5 फीट	75×15×1 व. फीट	
	कांस्या बाउण्ड्री :				
13.	श्री जयकिशन/मोहनलाल अहीर	सरकारी क्षेत्र	5000 क्यूबिक फीट		
14.	श्री केसरीमल/छोगाराम जैन	,,	2100 ,,		
			450 ,,		
15.	श्री लक्ष्मीनारायण/हीरालाल	,,	7500 ,,		
16.	श्री रुद्रदत्त/भंवरलाल	,,	1071 ,,		
		,,	1012 ,,		
	नया नगर क्षेत्र:				
17.	श्री राम/भैरू भील पूना/रामा भील	नया नगर ब्लाक नं. 5,6 सम्मिति	1875 ,, 1562 ,,		

उपरोक्त मामलों में जांच एवं अग्रिम कार्यवाही पर्यवेक्षण आदि की जा रही है।

(286)

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 965 की सूची व रिपोर्ट)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF EDUCATION
DIRECTORATE OF COLLEGE EDUCATION—RAJASTHAN, JAIPUR.

NO. F. 24 (10) Acctts./DCE/75/ Dated

ORDER

In Supersision of this Directorate Letter No. F. 24 (10) Acctts./DEC/75/367, dated 25-6-82 a committee of the following officers is constituted for inspection of Birla College, Bhawani Mandi (Jhalawar). The Committee will inspect the College an early as possible and will submit its report to this Directorate.

1. M. R. Bhalla
   Vice-Pricipal,
   Govt. College, Kota.
2. Sh. P. N. Gupta,
   Principal,
   Commerce College,
   Kota.

Sd/-
Joint Director
College Education
Rajasthan, Jaipur.

No. F. 24 (10) Acctts/DCE/83/ Dated 4-3-83

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. The Special Secretary to Govt. Education (Gr. v) Department, Rajasthan, Jaipur. with ref. to his letter No. F. 11 (49) Edu/Gr. VI/79/dated 1.5.82
2. Sh. M. R. Bhalla, Vice-Principal, Govt. College, Kota.
3. Shri P. N. Gupta, Principal, Govt. Com. College, Kota.
4. Pricipal, Birla. College, Bhawani Mandi, (Jhalawar).

Joint Director,
College Education,
Rajasthan, Jaipur.

INSPECTION REPORT

1. Name of the Institution :	Birla College, Bhawanimandi.
2. Date of Inspection :	14th March, 1983.
3. Team of Inspectors :	1. Shri P. N. Gupta, Principal, Govt. Commerce College, KOTA. 2. Shri M. R. Bhalla, Vice-Principal, Govt. College, KOTA.
4. (i) Date of opening and recogniation of the Institution.	July, 1975.
(ii) Conditions laid down by the University for effiliation & if all the above conditions fulfilled.	1. Librarian and P. T. I. to be appointed. Applications called for. 2. Commerce Museum will be provided in time. 3. An Endowment fund Rs. 60,000/- in Fixed Deposit in Bank of Rajasthan, Jaipur.
5. Accommodation & Equipment :	
(1) Total Area :-	46 Bighas (27,500 × 46 = 12,65,000 Sft.)
(2) Building	No
(a) Class Room Assembly Hall	4 Veranda.
(b) Library Reading Room. Library Room.	1 1
(c) Administrative Block.	2. (Principal room and Establishment room)
(d) Toilet	Yes
(e) Cycle Stand.	Yes
(f) Student Common room.	1

(288)

(g) Canteen	Yes
(h) Is it sufficient	Yes
Is there any possibility of further extension ?	Yes One room under Construction.

6. Staff :–

(1) Administrator :	One Principal
(2) Teachers :	6 Lecturers
(3) Mininsterial :	One
(4) Class IV. :	Four

7. Faculty in which affiliated:

(1) Commerce:	Commerce.
(2) Arts:	Affiliation for Arts recd. in Jan, 1983.

8. Enrolment (As per appendix-5)	Students Boys Girls S. C. S.T. 201 As per Appendix attached.
9. Performance of students during last year:	As per appendix attached.

10. Funds & Finance:

(a) Financial Resources of the college in relation to the proposed development.

(d) Present Financial condition:

(c) Reserve Fund available at present :

(i) In cash :	Rs. 60,000/– in Fixed Deposit in the Bank.
(ii) In Trustee Securities:	Nill
(iii) Immovable registered property :	Building alongwith land appertenent thereto.

11. Management :

(a) Is the management body a registered one ?	Yes, a registered one.
(b) Attach	
(i) a list of members of the managing body :	Attached.
(ii) A copy of constitution	Attached.
(c) Are the Principal and at least one other member of the teaching staff ex-officio members on the managing committee.	Yes

12. Library :–

(i) Existing number of Library Books available in each subject.	2494 as per details attached.
(ii) Number of Journals and papers subscribed for at present.	18.
(iii) Name and qualifications of the Librarian (Academic as well as professional/qualification, name of the institutions and University from which qualified to be stated).	Applications invited.
(b) List of other staff in the library.	Nill
(iv) Is the reading room properly furnished :	Yes
(2) Recurring and Non-recurring grants provided for purchase of books in the library for each subject during the last three years.	1979--80 Rs. 1832--09 1980--81 Rs. 710--35 1981--82 Rs. 716--85 Out of college sources.

290

13. Hostels:

(i) what provisions has been made for the residence of students coming from out-side.	Hostel facility for 25 students is available.
(ii) what is the maximum number of boarders who can be lodged in the hostel.	25.
(iii) Any additional Hostels facilities proposed to be provided.	Not at present.
(iv) what is the number of day scholars.	199 day scholars and 2 hostellers.
(v) Is there a Common Room	Yes.
(vi) Are the arrangements of Medical Inspection satisf-ectory:	Medical facitity available when-ever required.

14. Play Grounds:

(i) For what games has the college made provision?	Football, Hockey, Cricket, Volley ball, Kabaddi and Badminton in open.
(ii) Does it possess sufficient play grounds for these games?	yes
(iii) Name and qualificat-ions of P.T.I. (Academic as well as professional qualifica-tion with name of the Insti-tutions and Universities from which qualified).	P. T. I. Post vacant, applications invited.

15 Other activities:- N. S. S., planning forum.

16. Dates of application for grant-in-aid. 17.5.1982.

17. Justification for grant-in-aid applied.

Certified that the above facts are correct and have been given to the best of the knowledge and information of the undersigned.

18. RECOMMANDATION:-- One attached page.

Sd/--
(SIYA RAM SAXENA)
Principal,
Birla College, Bhawanimandi (Raj.)

18. RECOMMENDATION-

Birla College Bhawani Mandi has been functioning since July, 1975. The Enorlment of students has gone up and has crossed 200 mark during the session 1982-83. The University Examination Result during the last 5 years are quite satisfactory. The staff is qualified. This is the only college in Jhalawar District, in addition to Govt. College, Jhalawar & is serving a backward area. This institution is being financed partly by fees realised from the students and partly by the aid from the municipalty & local philanthropists, for the last three years (figures for the last 3 years were taken into consideration), the Annual deficit comes to about Rs. 60,000/-. Since the Affiliation for Arts faculty has been received in January, 1983, 1st year Arts classes will start from the next session, 1983-84. Due to this, the total Enrolment of students is found to increase, leading to still more deficit with the present financial resource, the college is not able to function smoothly. In order to lighten the financial burden on the managing body of the college, it is strongly recommended that the institution may be included in the grant-in-aid list & adequate grant may be sanctioned at the earliest convenience.

Dated. 14.3.1983

Sd/--
(M. R. Bhalla)
Vice-Principal,
Govt. College, Kota

Sd/--
(P.N. Gupta)
Principal,
Govt. Commerce College,
Kota

(292)

BIRLA COLLEGE BHAWANIMANDI

INFORMATION OF NUMBER OF STUDENTS

S. No.	Name of class	No. of stude-nts 1977-78	No. of studen-ts 1978-79	No. of studen-ts 1979-80	No. of studen-ts 1980-81	No. of students 1981-82	No. of std. 1982-83 current
1.	First year TDC Com.	55	66	100	69	72	97
2.	Second year TDC Com.	45	48	55	55	65	52
3.	Final year TDC Com.	37	43	43	37	63	52
	Total	137	157	198	161	200	201

S/d–
Principal,
Birla College, Bhawanimandi.

RESULT OF THE COLLEGE

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

Year	No. of students in the Exam.	No. of students passed	Pass percentage	Remarks
1	2	3	4	5
		FIRST YEAR TDC COM.		
1978	47	47	100	
1979	62	36	58.65	
1980	96	61	63.54	
1981	67	52	77.06	
1982	68	41	60.03	without suppl. percentage whose result is awaited,

1	2	3	4	5
		SECOND YEAR TDC COM.		
1978	44	43	97.73	
1979	48	35	72.92	
1980	53	35	66.04	
1981	54	49	90.74	
1982	63	30	47.06	without suppl. whose result is awaited.
		THIRD YEAR TDC COM.		
1978	37	37	100	
1979	43	38	88	
1980	43	33	76.74	
1981	37	33	94.57	
1982	59	16	27.12	without suppl. whose result is awaited.

Sd/-
Principal,
Birla College,
BHAWANIMANDI (RAJ.)

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI
LIST OF MANAGING COMMITTEE

S. No.	Name of the Members	Designation	Date of election
1.	Sh. N. M. Gupta	President	29-2-81
2.	Sh. C. L. Jain	Secretary	,,
3.	Sh. S. N. Choubey	Member	,,
4.	Sh. D. P. Singh	,,	,,
5.	Sh. Mathura Lal	,,	,,
6.	Sh. I. C Bhatnagar	,,	,,
7.	Sh. P. D. Gupta	,,	,,
8.	Sh. M. L. Gupta	Staff Memmbe	19-9-82
9.	Principal of College	Member	29-9-81
10	Sh. K. V. S. Bhillon Principal, SGN. Khalsa College, Sriganganagar	University Representative	—

Sd/-
Principal.
Birla College Bhawanimandi.

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

The yearly receipts under different heads from the students are as under which are exorabetantly higher than in the Government Colleges :

Heads	Rs.
Tution fee Rs. 216/- @ Student Rs. 16/- @ Month	216.00
Admission Fee	2.00
Games Fee	12.00
Reading Room Fee	6.00
Library Fee	3.00
Open Excess Fee	1.00
Entertainment Fee	3.00
Student Union Fee	5.00
College Examination Fee	4.00
Identity Card Fee	1.00
Student Aid Fund	2.00
Development Fee	25.00
Text Book Library Fee	2.00
Library Card	1.00
Registration Fee	1.00
Total Rs.	284.00

The average annual income is Rs. 56,800.00 from these fees as against the average expenditure of Rs. 1,15,000.00 this leaves the deficit of near about Rs. 60,000.00 which is met out from the public contributions through Shri Gurukul Vidhyapeeth Samiti, Bhawanimandi It is a temporary phase and unless the Govt. Aid is received the very existance of the college is in jeopady.

Consequent to the grant of affilation to the Arts Faculty from session 1983-84, the enrolment figure is likely to be enhanced due to the starting of the 1st year Arts classes. The expenditure is also likely to be increased and deficit gap will also be widened. So, the institution is in dire need of grant for its smooth functioning.

Sd/-
(Siya Ram Saxena)
Principal,
Birla College, Bhawanimandi (Raj.)

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

STATEMENT OF ACCOMMODATION, EQUIPMENT & FURNITURE

Rooms	No.	Size.
1. Class Room	4 with black board	25′–30′
2. Teachars Common Room	1	25′–30′
3. Student Common Room	1	25′–30′
4. Meeting Hall	1	Baramda
5. Store Room	2	16′–12′
6. Reading Room &	1	25′–30′
Library Room	1	14′–12′
7. Hostal for 25 Students	6	14′–12′
	2	25′–30′
	1	15′–10′
8. Servants Quarters	2	14′–12′
9. Principal's Room & Office	2	25′–14.5′ & 14′–12′
	One underground strong room	

FURNITURE :

239 Students Chair, 242 Stüdent's Tables
10 Chairs Folding. 26 Chairs (Staff & Office)
4 Official Tables 5 Stules, Almiras Loha 3, Carpet–4.

EQUIPMENT:—

1. Typewriter (Hindi)	1
2. Typewriter (English)	1
3. Duplicating Machine	1
4. Loudspeaker	1
5. Electric Motor	1
6. Tape Recorder	1
7. Trunk	1
8. Office Watch	1
9. Fan	1
10. Telephone	1 (Number 125)

Sd/-
(SIYA RAM SAXENA)
PRINCIPAL
Birla College, Bhawanimandi (Raj.)

296

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

STATENENT OF LIBRARY BOOKS

(SUBJECTWISE)

S. No.	Name of Subject	No of Books
1.	Accountancy & Busisness Statistics.	553
2.	Busisness Administration.	384
3.	Economics Administration & Financial Management.	489
4.	Hindi	548
5.	English	210
6.	Others (History, Political Science, Library Science, Dharam, Psychology & Others)	310
	Total all Books	2494

Sd/-
(SIYA RAM SAXENA)
PRINCIPAL
BIRLA COLLEGE,
BHANIMANDI (RAJ.)

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

LIST OF THE MEMBER OF THE TEACHING STAFF 1982-83.

S.No.	Name of the teacher	Qualification	Designation
1.	Dr. S. R. Saxena	M. A. Hindi M. A. English Ph. D. Sahityaratna	Principal
2.	Sh. K. L. Jain	M. Com. Bus. Adm.	Senior most Lect. in Bus. Adm.
3.	Sh. O. P. Kabra	M. Com. A.B.S.T.	Lect. in ABST
4.	Sh. M. L. Gupta	M. Com. A.B.S.T.	Lect. in ABST
5.	Sh. P. Pareek	M. Com. E.A.F.M.	Lect. in EAFM
6.	Dr. M. S. Gupta	M. Com. Bus. Adm. Ph. D.	Lect. in Bus. Adm.
7.	Dr. S. C. Saxena	M. A. Hindi Ph. D.	Lect. in Hindi

Sd/-
Principal,
Birla College,
Bhawani Mandi, (Raj.)

297

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

TIME--TABLE W. E. FROM 8-11-1982

	11.30	12.05	12.40	1.15/ 1.50	2.05	2.40	3.15 to 3.50
Class	I	II	III	IV	V	VI	VII
	11.20 to 12.00	12.00 to 12.40	12.40 to 1.20	1.20 to 2.00	2.00 to 2.40	2.40 to 3.20	3.20 to 4.00 pm
Ist Yr. Comm.	Hindi 1-6 Dr. SCS	EAFM 1-6	G.Eng 1-6 Dr.SRS	ABST 1-6 MLG	Bus.Org. 1-6 KLG	BKI 1-6 OPK HICC 1-6 Dr. SRS	Hindi 1-2 Senior Dr. SRS
IInd Yr. Comm.	Bus. Ad.II 1-6 KLJ	ABST-II 1-6 MLG	ABST-I 1-6 OPK	EAFM-I 1-6 PP	Bus. Adm.-I 1-6 Dr. MSG	Com. 1-6 MLG LIR 1-6 Dr. MSG	EAFM-II 1-5 PP
IIIrd Yr. Comm.	EAFM-I 1-6 PP EAFM-II 1-3 PP	ABST-I 1-6 UPK	Bus. Adm. m.-I 1-6 KLO	C.Q.M. 1-6 UPK LIR 1-6 Dr. MSG	ABST-II 1-6 MLG	EAFM-II 4-6 PP EAFM-1 1-3 PP	Bus. Adm. I 1 1-6 Dr. MSG

Sd/-
PRINCIPAL
BIRLA COLLEGE
BHAWANIMANDI (Raj.)

298

Outstanding Academic Contribution of Teaching Staff.

In the year – 1982-83

Ph. D.	—	One	Dr. Madhu Sudan Gupta
M. Phil.	—	One	Appeared in the examination Shri Purushottam Pareek.

Sd/-

(Siya Ram Saxena)
PRINCIPAL,
BIRLA COLLEGE,
BHIWANI MANDI (Raj.)

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 966 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान के निम्न जिलों में चलाये जा रहे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कार्यक्रम के केन्द्रों की सूचना।

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या		चालू केन्द्रों की संख्या	
		ग्रामीण	शहरी	शहरी	ग्रामीण
1.	भरतपुर एवं धौलपुर	253	125	102	253
2.	पाली	315	75	75	345
3.	सवाई माधोपुर	—	120	120	—
4.	नागौर	—	80	71	—

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न परियोजनाओं में पोषाहार कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

नाम परियोजना	योजना प्रारम्भ करने की तिथि	स्वीकृत केन्द्र	चालू केन्द्र
1. जयपुर शहर I	1981–82	100	58
2. जयपुर शहर II	1982–83	100	50
3. बाली	1982–83	100	84
4. रूपवास	1982–83	100	85
5. टोडाभीम	1982–83	100	44
6. डेगाना	1982–83	100	40

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 967 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय विवरण
1.	प्राथमिक शाला भवन	1. पीपल्दा समेल	20,000.00	20,000.00 (अग्रिम)
	,,	2. नीमादाउजा	20,000.00	20,000.00 (अग्रिम)
	,,	3. कोटडापुरा	20,000.00	9,985.00 (व्यय)
	,,	4. लाखसनीजा	40,000.00	18,775.50 (व्यय)
2.	कूप निर्माण	1. खेरली खुश्क	15,000.00	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य नहीं करने से 2000/- रुपये की राशि वापिस कर दी गई है।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 968 का ब्यौरा)

जयसमन्द झील पर मछली बिक्री की व्यवस्था की तुलनात्मक सारिणी

	विवरण	1980-81	1981-82	1982-83
1	टेण्डर आमन्त्रित करने की तिथि	पत्र सं. 4697 दि. 6-8-80	पत्र सं. 572 दि. 27-7-81	पत्र सं. 463-503 दि. 9-7-82
2.	समाचार पत्रों से विज्ञापन	दी हिन्दुस्तान टाइम्स (अ) नवभारत टाईम्स (हि.) राजस्थान पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका (बंगाली उर्दू, स्थानीय देहली,)	इकोनोमिक टाईम्स (अ) नवभारत टाईम्स (आ) राजस्थान पत्रिका, जय राजस्थान	नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, जय राजस्थान, टाईम्स ऑफ ई. अहमदाबाद अमृत बाजार, कलकत्ता
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि	दिनांक 5-9-80	दिनांक 16-9-81	दिनांक 10-8-82
4.	कुल प्राप्त निविदाएँ	9 निविदाएँ	11 निविदाएँ	2 निविदाएँ
5.	अधिकतम बिक्री मूल्य देने वाला निविदादाता व स्वीकृत बिक्री दरें	श्री श्याम सुन्दर उदयपुर	श्री अरशद अली व दिलीप कुमार, देहली	श्री श्याम सुन्दर उदयपुर
	दरें :—			
1.	कतला 5 किलो से ऊपर	8.26 प्रति किलो	9.46 प्रति किलो	नीचे अंकित है कृपया देखें
2.	4 किलो से ऊपर राहू, मिगल, संवल, सिंघाड़ा पिटार, महासीर, लांबी, दोगला, कतला	7.55 „	8.56 „	„

विवरण	1980-81	1981-82	1982-83
3. 4 किलो से कम 2 किलो तक (क्र. सं. 2 वाली)	6.55 प्रति किलो	7.01 प्रति किलो	नीचे अंकित है कृपया देखें
4. 2 किलो से कम (क्र. सं. 2 वाली)	5.85 ,,	7.01 ,,	,,
5. सरसो पुट्टी पतेला व अन्य	2.55 ,,	3.21 ,,	,,
1 मेजर कप :			
कतला, राहू, नरेन, महासीर, कालवसु,	5 किलो एवं अधिक	—	9.45 प्रति किलो
2. ,, ,,	3 किलो एवं अधिक परन्तु 5 किलो से कम	—	8.64 प्रति किलो
3. ,, ,,	1 किलो एवं अधिक परन्तु 3 किलो से कम	—	8.64 प्रति किलो
केट फिसेज			
4. लांची, सिंगाडा, जयपूर्दा, पिटार, सांवल आदि	2 किलो एवं अधिक संवल किसी भी	—	8.64 प्रति किलो
5. केट फिसेज (क्रम. सं 5 वाली) से कम	1/2 किलो से अधिक 2 किलो से कम	—	7.02 प्रति किलो
6. अन्य	किसी भी वजन की	—	3.13 प्रति किलो

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 970 की सूचियां)

परिशिष्ट "अ"

सवाई माधोपुर जिले में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चलने वाले वाहनों का विवरण।

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम	जुर्माने की राशि जो वसूल की गयी	कोर्ट में चालान पेश किए जाने का विवरण
1.	आर एस एम 293 बस	श्री अब्दुल शकूर, महुआ	650/-	—
2.	आर जे वी 1659 बस	श्री कान्तीचन्द, करोली	250/-	—
3.	आर जे यू 1457 बस	श्री जगदीश प्रसाद, करोली	500/-	—
4.	एच आर ई 1333 बस	श्री भगवानदास, हिण्डोन	विचाराधीन	—
5.	आर जे डी 9339 बस	श्री प्रहलाद कुमार, करोली	,,	—
6.	आर एस जी 1875 बस	श्री मोहनलाल, होडाभीम	500/-	—
7.	आर जे यू 1177	श्री कैलाशचन्द, मुण्डावर	विचाराधीन	—
8.	आर जे डी 3991	श्री ,, ,,	विचाराधीन	—
		वर्ष 1982-83		
9.	आर जे यू 2050 बस	श्री गोपाल प्रसाद, मुण्डावर	विचाराधीन	—
10.	आर आर बी 2977 बस	श्री प्रभूराम, महुआ	,,	—
11.	एच आर ई 1333 बस	श्री भगवान दास, हिण्डोन	,,	—
12.	आर एस एम 4825 बस	श्री ,,	,,	—
13.	एच आई ई 1333 बस	श्री भगवानदास, हिण्डोन	,,	—
14.	आर जे डी 3057 बस	श्री कन्हैयालाल, टोडाभीम	500/-	—
15.	आर जे डी 3057 बस	,,	विचाराधीन	—
16.	आर जे ए 4215 बस	श्री विजय कुमार यादव, बांदीकुई	500/-	—
		योग :	2900	

(304)

सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1981–82 एवं 82–83 में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चलते हुये पकड़ी गई बसों का विवरण:—

क्र.सं.	वाहन संख्या		वाहन स्वामी का नाम
1	2		3
		1981–82	
1.	आर जे यू	1084	रामस्वरूप/बाबूलाल
2.	आर जे यू	955	श्याम स्वरूप
3.	आर जे यू	2326	लालचन्द
4.	आर जे यू	2326	यादराम गूजर
5.	आर आर एल	5607	जगदीश प्रसाद/किशन
6.	आर आर एम	3541	रामसिंह
7.	आर जे डी	4005	ब्रजमोहन शर्मा/रामकिशन
8.	आर जे यू	1884	रामस्वरूप/बाबूलाल
9.	आर जे यू	1119	कमलसिंह/प्रेम/द्वारका
10.	आर जे यू	1139	हरचरण/प्यारेलाल/महबूब
11.	आर जे यू	1626	पूरणलाल/चरणसिंह
12.	आर जे यू	1287	असलम/सुखराम
13.	आर जे यू	1177	कैलाश/किशोरीलाल
14.	आर जे डी	4917	जगदीश/मिघश्याम
15.	आर जे यू	1486	हजारीलाल/बाबूलाल/केदार
16.	आर जे यू	1139	लक्ष्मीकान्त/लक्ष्मणसिंह
17.	एम पी डब्लू	855	राधाकिशन
18.	यू पी जी	9138	शम्भूनाथ
19.	डी ई पी	3333	आजादसिंह
20.	आर जे ए	3253	विनोद/प्रकाश/गिर्राज
21.	आर जे यू	1139	प्यारेलाल
22.	आर जे आर	7677	बाबूलाल
23.	आर आर बी	1629	देवीसिंह
24.	आर एस बी	1596	सीताराम
25.	आर जे एल	6666	रामसिंह
26.	सी पी जी	2561	अजबसिंह
27.	आर जे एल	433	रामरतन टिक्कीवाल
28.	आर जे एल	1866	बाबूखां/यामीनखां
29.	आर जे डी	3894	पीरअली/आशिकअली
30.	आर जे वाई	7281	बालूसिंह
31.	आर एस बी	2775	दानमल जैन

1	2		3
		वर्ष 1982-83	
1.	आर जे यू	2177	अमोलकचन्द/मोहम्मद हुसैन
2.	आर जे यू	1938	अब्दूल गफूर/नजीर
3.	आर जे यू	2437	गणपतराम/गोपालसिंह
4.	आर जे यू	1353	श्रीराम
5.	आर जे यू	1626	पूरणमल/जगदीशप्रसाद
6.	आर जे यू	884	बन्शीधर/रामेश्वर
7.	आर जे यू	674	मोतीलाल/शंकरलाल
8.	आर जे यू	1626	पूरण/जगदीश
9.	आर जे यू	1105	भैंरूलाल
10.	आर जे यू	1538	रमणकुमार/तेजसिंह
11.	आर जे यू	1821	विष्णुचन्द
12.	आर जे यू	1884	रामदुलारी
13.	आर जे यू	2478	पवनकुमार/गोरीशंकर
14.	आर जे यू	2575	महावीर प्रसाद/सुरजाराम
15.	आर जे यू	2256	सूरजमल/सेडूराम
16.	आर जे यू	1226	किशनचन्द/चिरंजीलाल
17.	आर जे यू	1175	जगदीश प्रसाद/विजयसिंह
18.	आर जे यू	2634	ज्ञानसिंह/गणेशप्रसाद
19.	आर जे यू	674	होतीलाल/शंकर
20.	आर जे यू	429	नारायणसिंह/सुरेशसिंह
21.	आर जे यू	2575	महावीरप्रसाद/सूरजाराम
22.	आर जे यू	1555	कासम अली
23.	आर जे यू	2523	मुरारीलाल/मुनीर
24.	आर जे यू	3125	नेमीचन्द
25.	आर जे यू	2118	आत्माराम/जमीलअहमद
26.	आर जे यू	2050	गोपाल लाल/बद्रीप्रसाद
27.	आर जे यू	1961	बाबूलाल/रिवड़मल
28.	आर जे यू	2359	परमेश्वर /नाथू/शंकर
29.	आर जे यू	1486	हजारीलाल/बाबूलाल/केदार
30.	आर जे डी	3047	कन्हैया लाल
31.	आर आर एम	9943	कालूखां/कालिमखां
32.	आर आर एम	9943	भोजमल/भेंरूमल
33.	आर एस जी	1369	मोहम्मदहुसेन/अलादीनखां
34.	आर जे आर	7567	राधेश्याम/छगनलाल
35.	आर जे आर	2180	विनोदकुमार/हजारीलाल
36	आर एन वी	243	कुंवरसिंह/हरिसिंह
37.	आर जे एफ	858	कन्हैयालाल/फूलचन्द
38.	आर जे यू	2177	अमोलक चन्द/मोहम्मद हुसैन
39.	आर जे यू	2050	गोपाललाल/बद्रीप्रसाद

306

सवाई माधोपुर जिले में सन 1981–82 एवं 82–83 में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चलते हुए पाई गई निजी बसों पर किये गये जुर्माने की राशि

क्रम संख्या	बस संख्या		जुर्माना राशि
1.	आर जे यू	955	400.00
2.	आर जे यू	2326	200.00
3.	आर जे यू	2326	800.00
4.	आर आर एल	5607	2000.00
5.	आर आर एम	3541	100.00
6.	आर जे डी	4005	1000.00
7.	आर जे यू	1119	1200.00
8.	आर जे यू	1139	1200.00
9.	आर जे यू	1287	400.00
10.	आर जे डी	4917	2000.00
11.	आर जे यू	1486	375.00
12.	आर जे ए	3253	900.00
13.	आर जे यू	1139	1200.00
14.	आर आर बी	1629	1000.00
15.	आर एस एम	1596	600.00
16.	आर जे डी	3894	100.00
17.	आर जे वाई	7281	240.00
18.	आर एस बी	2775	640.00
19.	आर जे यू	1353	400.00
20.	आर जे यू	1626	300.00
21.	आर जे यू	884	300.00
22.	आर जे यू	1626	300.00
23.	आर जे यू	1105	100.00
24.	आर जे यू	1538	80.00
25.	आर जे यू	1821	600.00
26.	आर जे यू	2478	400.00
27.	आर जे यू	1226	250.00
28.	आर जे यू	2575	1600.00
29.	आर जे यू	2523	250.00
30.	आर जे यू	1486	375.00
31.	आर आर एम	9943	520.00
32.	आर एस जी	1369	1000.00
33.	आर जे आर	2180	1000.00
34.	आर जे एक्स	858	600.00
		कुल योग	22430.00

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 971 की सूचना)

वर्ष 1982-83 में दैनिक वेतन पर रखे गये एवं हटाये गये चालक/परिचालकों की सूची

	रखे गये	हटाये गये
चालक	1009	615
परिचालक	4801	3011

(308)

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 972 की सूची)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक: एफ 3/याता/किराया/31/82/964 दिनांक 27-7-82

आगार प्रबन्धक,

रा. रा. प. प. निगम,

निगम मण्डल की बैठक दिनांक 26-6-82 के प्रस्ताव संख्या 49/82 के अनुसार अब दिनांक 1-8-82 से 0.50 पैसे के गुणन खण्ड में किराया वसूल किया जाना है।

न्यूनतम किराया 80 पैसे वसूल किया जावेगा। किराये की गणना के लिये 'रेडीरेकनर' की प्रतियां आपके पास पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः आप अपने आगार के समस्त मार्गों की स्टेण्डवार क्रास किराया सूची निर्धारित प्रपत्रानुसार बनाकर एक एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। किराया सूचियों का अनुमोदन पूर्व में मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये किलोमीटर के आधार पर आगार के लेखा विभाग से करवायें।

किराया सूचियां तैयार करवाने में किसी प्रकार का अधिश्रम भत्ता नहीं दिया जायेगा।

ह.

अतिरिक्त महा प्रबन्धक (यातायात)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

किराया रेडीरेकनर

किराया दर प्रति कि.मी. प्रति यात्री :

साधारण सेवा	7.3 पैसे	मय	30 प्रतिशत यात्रीकर
एक्सप्रेस/मेल सेवा	8.0 पैसे		5 प्रतिशत सरचार्ज
सेमीडीलक्स सेवा	9.8 पैसे		5 प्रतिशत अतिरिक्त
डीलक्स सेवा	11.3 पैसे		सरचार्ज (यात्रीकर पर)

कुल किराया राशि 50 पैसे के गुणनखण्ड में है।

कि. मी.	स्टेज	साधारण सेवा कुल किराया	एक्सप्रेस सेवा-कुल किराया	समीडीलक्स सेवा कुल किराया	डीलक्स सेवा कुल किराया
1	2	3	4	5	6
1 से 5	1	00.80	00.80	00.80	00.80
6 से 10	2	1.00	1.00	1.50	1.50
11 से 15	3	1.00	1.50	2.00	2.50
16 से 20	4	2.15	2.00	3.00	3.00
21 से 25	5	2.50	3.00	3.50	4.00
26 से 30	6	3.00	3.50	4.00	4.50
31 से 35	7	3.50	4.00	4.50	5.50
36 से 40	8	4.00	4.50	5.50	6.00
41 से 45	9	4.50	5.00	6.00	7.00
46 से 50	10	5.00	5.50	7.00	8.00
51 से 55	11	5.50	6.00	7.50	8.50
56 से 60	12	6.00	6.50	8.00	9.00
61 से 65	13	6.50	7.00	9.00	10.00
66 से 70	14	7.00	7.50	9.50	11.00
71 से 75	15	7.50	8.00	10.00	11.50
76 से 80	16	8.00	9.00	10.50	12.00
81 से 85	17	8.50	9.50	11.50	13.00
86 से 90	18	9.00	10.00	12.00	14.00
91 से 95	19	9.50	10.50	13.00	14.50
96 से 100	20	10.00	11.00	13.50	15.50

1	2	3	4	5	6
101 से 105	21	10.50	11.50	14.00	16.00
106 से 110	22	11.00	12.00	15.00	17.00
111 से 115	23	11.50	12.50	15.50	18.00
116 से 120	24	12.00	13.00	16.00	18.50
121 से 125	25	12.50	13.50	17.00	19.00
126 से 130	26	13.00	14.00	17.50	20.00
131 से 135	27	13.50	14.50	18.00	21.00
136 से 140	28	14.00	15.00	19.00	22.00
141 से 145	29	14.50	16.00	19.50	22.50
146 से 150	30	15.00	16.50	20.00	23.00
151 से 155	31	15.50	17.00	21.50	24.00
156 से 160	32	16.00	17.50	21.00	25.00
161 से 165	33	16.50	18.00	22.00	25.50
166 से 170	34	17.00	18.50	23.00	26.00
171 से 175	35	17.50	19.00	23.50	27.00
176 से 180	36	18.00	19.50	24.00	28.00
181 से 185	37	18.50	20.00	25.00	28.50
186 से 190	38	19.00	21.00	25.50	29.50
191 से 195	39	19.50	21.50	26.00	30.00
196 से 200	40	20.00	22.00	27.00	31.00
201 से 205	41	20.50	22.50	27.50	31.50
206 से 210	42	21.00	23.00	28.00	32.50
211 से 215	43	21.50	23.50	29.00	33.00
216 से 220	44	22.00	24.00	29.50	34.00
221 से 225	45	22.50	24.50	30.00	35.00
226 से 230	46	23.00	25.00	31.00	35.50
231 से 235	47	23.50	25.50	31.50	36.00
236 से 240	48	24.00	26.00	32.00	37.00
241 से 245	49	24.50	27.00	33.00	38.00
246 से 250	50	25.00	27.50	33.50	38.50
251 से 255	51	25.50	28.00	34.00	39.50
256 से 260	52	26.00	28.50	35.00	40.00
261 से 265	53	26.50	29.00	35.50	41.00

1	2	3	4	5	6
66 से 270	54	27.00	29.50	36.00	41.50
71 से 275	55	27.50	30.00	37.00	42.50
76 से 280	56	28.00	30.50	37.50	43.00
81 से 285	57	28.50	31.00	38.00	44.00
86 से 290	58	29.00	31.50	39.00	45.00
91 से 295	59	29.50	32.00	39.50	45.50
96 से 300	60	30.00	33.00	40.00	46.00
01 से 305	61	30.50	33.00	41.00	47.00
06 से 310	62	31.00	34.00	41.50	48.00
11 से 315	63	31.50	34.50	42.00	48.50
16 से 320	64	32.00	35.00	43.00	49.50
21 से 325	65	32.50	35.50	43.50	50.00
26 से 330	66	33.00	36.00	44.00	51.00
31 से 335	67	33.50	36.50	45.00	51.50
36 से 340	68	34.00	37.00	45.50	52.50
41 से 345	69	34.50	37.50	46.00	53.00
46 से 350	70	35.00	38.00	47.00	54.00
51 से 355	71	35.50	39.00	47.50	55.00
56 से 360	72	36.00	39.50	48.00	55.50
61 से 365	73	36.50	40.00	49.00	56.00
66 से 370	74	37.00	40.50	49.50	57.00
71 से 375	75	37.50	41.00	50.00	58.00
376 से 380	76	38.00	41.50	51.00	58.50
381 से 385	77	38.50	42.00	51.50	59.50
386 से 390	78	39.00	42.50	52.00	60.00
391 से 395	79	39.50	43.00	53.00	61.00
396 से 400	80	40.00	44.00	53.50	62.00
401 से 405	81	40.50	44.00	54.00	62.50
406 से 410	82	41.00	45.00	55.00	63.00
411 से 415	83	41.50	45.50	55.50	64.00
416 से 420	84	42.00	46.00	56.00	65.00
421 से 425	85	42.50	46.50	57.00	65.50
426 से 430	86	43.00	47.00	57.50	66.50
431 से 435	87	43.50	47.50	58.00	67.00

1	2	3	4	5	6
436 से 440	88	44.00	48.00	59.00	68.00
441 से 445	89	44.50	48.50	59.50	68.50
446 से 450	90	45 00	49.00	60.00	69.50
451 से 455	91	45.30	49.50	61.00	70.00
456 से 460	92	46.00	50.00	61.00	71.00
461 से 465	93	46.50	51.00	62.00	72.00
466 से 470	94	47.00	51.50	63.00	72.50
471 से 475	95	47.50	52.00	63.00	73.00
476 से 480	96	48.00	52.50	64.00	74.00
481 से 485	97	48.50	53.00	65.00	75.00
486 से 490	98	49.00	53.50	65.50	75.50
491 से 495	99	49.50	54.00	66.00	76.50
496 से 500	100	50.00	54.50	67.00	77.00
501 से 506	101	50.50	55.00	67.50	78.00
506 से 510	102	51.00	55.50	68.00	78.50
511 से 515	103	51.50	56.00	69.00	79.50
516 से 520	104	52.00	57.00	69.50	80.00
521 से 525	105	52.50	57.50	70.00	81.00
526 से 530	106	53.00	58.00	71.00	82.00
531 से 535	107	53.50	58.50	71.50	82.50
536 से 540	108	54.00	59.00	72.00	83.00
541 से 545	109	54.50	59.50	73.00	84.00
546 से 550	110	55.00	60.00	73.50	85.00
551 से 555	111	55.50	60.50	74.00	85.50
556 से 560	112	56.00	61.00	75.00	86.50
561 से 565	113	56.50	62.00	75.50	87.00
566 से 570	114	57.00	62.50	76.00	88.00
571 से 575	115	57.50	63.00	77.00	89.00
576 से 580	116	58.00	63.50	77.50	89.50
581 से 585	117	58.50	64.00	78.00	90.00
586 से 590	118	59.50	64.50	79.00	91.00
591 से 595	119	59.00	65.00	79.50	91.00
596 से 600	120	60.00	65.50	80.00	92.50

Page No 313

(3/4)

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 978 की सूचियां)

सूची "क"

100 छात्रों की क्षमता वाले आश्रम विद्यालय

क्र. सं.	नाम आश्रम विद्यालय	स्तर	अध्ययनरत छात्र संख्या
1.	कलिजरा (बांसवाड़ा)	उ. प्रा. वि.	98
2.	छोटी सरवर (बांसवाड़ा)	,,	95
3.	पीपलखूंट (बांसवाड़ा)	,,	90
4.	रींछा (डूंगरपुर)	,,	100
5.	रघुनाथपुरा (डूंगरपुर)	,,	90
6.	मामेर (उदयपुर)	,,	100
7.	दोयतरा (सिरोही)	प्रा. वि.	63

50 छात्रों की क्षमता वाले आश्रम विद्यालय निम्नानुसार हैं:—

1.	कोटड़ा (उदयपुर)	प्रा. वि.	50
2.	लसाड़िया (उदयपुर)	उ. प्रा. वि.	43
3.	सुहागपुरा (चित्तौड़गढ़)	,,	50
4.	देवगढ़ (चित्तौड़गढ़)	,,	50
5.	मीन तलेटी (सिरोही)	प्रा. वि.	50

(313)

किराया रेडीरेकनर "बी" क्लास एवं "सी" क्लास मार्गों का

"बी" क्लास किराया दर 7.4 पैसा एवं "सी" क्लास किराया दर 9.1 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर मय 30% यात्रीकर 5% सरचार्ज तथा 5% अतिरिक्त सरचार्ज (यात्रीकर पर)।

कि. मी.	स्टेज	"बी" क्लास मार्गों का कुल किराया	"सी" क्लास मार्गों का कुल किराया
1 से 5	1	00.80	00.80
6 से 10	2	1.00	1.00
11 से 15	3	1.50	2.00
16 से 20	4	2.00	2.50
21 से 25	5	2.50	3.00
26 से 30	6	3.00	4.00
31 से 35	7	3.50	4.50
36 से 40	8	4.00	5.00
41 से 45	9	4.50	5.50
46 से 50	10	5.00	6.00
51 से 55	11	5.50	7.00
56 से 60	12	6.00	7.50
61 से 65	13	6.50	8.00
66 से 70	14	7.00	9.00
71 से 75	15	7.50	9.50
76 से 80	16	8.00	10.00
81 से 85	17	8.50	10.50
86 से 90	18	9.00	11.00
91 से 95	19	9.50	12.00
96 से 100	20	10.00	12.50

नोट:—न्यूनतम कुल किराया 00.80 पैसा वसूल किया जावेगा।

सूची "ख"

निर्माणाधीन आश्रम विद्यालयों की सूची

क्रम सं.	स्थान	तहसील
	जिला बांसवाड़ा	
1.	खेड़ा वड़ली पाड़ा	बांसवाड़ा
2.	गांगड़ तलाई	बागीदोरा
3.	रामगढ़	कुशलगढ़
4.	आनन्दपुरी (बालिका)	आनन्दपुरी
	जिला डूंगरपुर	
1.	डूंका	सिमलवाड़ा
2.	माडा	बीछीवाड़ा
3.	तलैया	बीछीवाड़ा
	जिला उदयपुर	
1.	कन्या आश्रम विद्यालय फलांसिया	झाड़ोल
2.	कन्या आश्रम विद्यालय वरियावद	वरियावद
3.	कन्या आश्रम विद्यालय छाणी	खेरवाड़ा
4.	भभराना	सलूम्बर
5.	झाड़ोल	झाड़ोल
	जिला चित्तौड़गढ़	
1.	रामपुरीया	प्रतापगढ़
	जिला सिरोही	
1.	ओर (कन्या)	आबूरोड़
2.	गिरवर	आबूरोड़

316

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 984 की सूचना)

परिशिष्ट (क)

"भंगी कष्ट मुक्ति" के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूचना

1. अस्वच्छ कार्यों में लगे परिवारों के छात्रों हेतु 40 छात्रावास, जिनमें भोजन, वस्त्र, आवास, पुस्तकें, स्टेशनरी, फीस आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं, प्रारम्भ किये गये जिनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	स्थान	छात्रावासों की संख्या	वास्तविक छात्र संख्या 81-82	वास्तविक छात्र संख्या 82-83	स्वीकृत छात्र संख्या
1	जयपुर	5	83	90	
2.	जोधपुर	3	54	50	
3.	अजमेर	2	23	17	
4.	कोटा	3	36	42	
5.	बीकानेर	2	34	43	
6.	उदयपुर	2	26	46	
7.	अलवर	2	25	34	
8.	श्री गंगानगर	2	41	16	
9.	भीलवाड़ा	2	35	34	
10.	सीकर	1	19	14	
11.	भरतपुर	1	18	17	
12.	ब्यावर	1	20	24	
13.	टोंक	1	25	25	
14.	चूरू	1	25	8	
15.	पाली	1	25	25	
16.	बाड़मेर	1	13	22	
17.	सवाई माधोपुर	1	21	21	
18.	बून्दी	1	6	24	
19.	नागौर	1	14	23	
20.	झुन्झुनू	1	—	25	
21.	चित्तौड़गढ़	1	8	11	
22.	जालौर	1	16	24	
23.	रतनगढ़	1	25	23	
24.	धौलपुर	1	—	18	
25.	नोहर	1	—	20	
26.	मारवाड़ जं.	1	—	24	

2. राज्य में पहले से बने हुए सूखे तहारतों को फ्लश अथवा सस्ते शौचालयों में बदलने का कार्य नगरपालिकाओं द्वारा किया जा रहा है और इस कार्य हेतु जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उनको ऋण अथवा अनुदान देकर सूखे तहारतों को सस्ते सुलभ शौचालयों में बदलवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं को यह निर्देश दिये हैं कि वे हर वर्ष के बजट में सूखे तहारतों को फ्लश अथवा सस्ते सुलभ शौचालयों में बदलवाने के लिये अनुदान देने के लिये पहली श्रेणी की नगरपालिकाएँ 6.00 लाख रुपये, द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाएँ 3.00 लाख रुपये, तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाएँ 1.50 लाख रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएँ 0.60 लाख रुपये का प्रति वर्ष प्रावधान रखें।

3. यू. एन. डी.पी. के अन्तर्गत राज्य के (1) चौमूं (2) गंगापुर सिटी (3) पिलानी (4) नोखा (5) पोकरण (6) सांगानेर (7) चित्तौड़गढ़ (8) सूरतगढ (9) जालोर (10) मकराना (11) बारां (12) सिरोही (13) रामगंज मण्डी (14) भवानी मण्डी (15) भीलवाड़ा कस्बों का चयन किया गया और इन कस्बों में कुल 36,695 सस्ते सुलभ शौचालयों के निर्माण कराने की योजना है जो 89–90 तक पूर्ण होने की आशा है। इस योजना पर 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी इन 15 कस्बों में मकराना व भीलवाड़ा को वर्ष 81–82 से लिया गया है और 1981–82 में 767 तथा 82–83 में (दिसम्बर 82 तक) 470 सूखे तहारतों को सस्ते सुलभ तहारतों में बदलवाया गया है, इसके अतिरिक्त 81–82 में 90 तथा 82–83 में 40 सार्वजनिक शौचालयों को उपरोक्तानुसार बदला गया है। इसी योजना के अन्तर्गत अजमेर व भरतपुर कस्बों में सर्वे का करवाया जा रहा है और सर पर मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करवाया जा रहा है। 206 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है, इन कस्बों के अलावा इस वर्ष दूसरे कस्बों में 541 सार्वजनिक शौचालयों को सस्ते सुलभ शौचालयों में बदलने का कार्य किया जा चुका है।

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 985 की सूची)

1981-82

क्र.सं.	नाम मय पिता	गांव	राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	श्री हेमा/माना	कोयलवास	480
2.	,, ,,	,,	480
3.	लाला/देवा	कूरण	480
4.	हीरा/मदा	,,	320
5.	धापरा/बडसा	,,	480
6.	माना/हीरा	कोयलबाव	320
7.	रामा/बोगा	,,	320
8.	राजीया/मोती	मोरिया	480
9.	वगा/दुला	,,	240
10.	नाथा/वक्ता	,,	240
11.	भूरा/देवा	,,	240
12.	अन्दा/धावरा	,,	240
13	वरदा/लछा	अटवड़ा	240
14.	रोडा/हन्सा	नाना	480
15.	हीता/सोला	,,	480
16.	नाथा/रामा	,,	480
17.	भगा/रता	,,	480
18.	वागा/जीवा	,,	480
19.	अमरा/दगा	,,	480
20.	देवा/भाला	,,	480
21.	भीखा/गोम	,,	480
22.	वसना/तोला	,,	480
23.	हरीया/भूरा	,,	480
24.	धावरा/केसा	,,	480
25.	चमना/रता	,,	480
26.	भोमा/धुला	,,	240
27.	राम/दोल	कूरण	480
28.	देवा/मामा	कोयलवास	480
29.	काला/लक्ष्मन	,,	320

1	2	3	4
30.	घमी/वगता	लुन्दाड़ा	240
31.	देवा/खना	मलनू	240
32.	वीरा/गोन	गोरिया	240
33.	भागा/दूदा	कूरण	240
34.	गुन्दा/धुला	नाना	480
35.	नीम्बा/पुजमा	मालनू	480
36.	भूर्ला/धुला	कोयलवास	480
37.	रामा/देवा	,,	480
38.	सवा/घना	नाना	480
39.	भूरा/नाथा	,,	480
40.	मंखना/ग्रोखा	,,	480
41.	घीसा/हरसा	,,	480
42.	बला/रोड़ा	कोयलबास	320
		योग..	16960

वर्ष 1982-83 में कुवे गहरे कराने वाले ग्रादिवासियों की नामवार सूची

क्र.सं.	नाम मय वल्दियत	जाति	गांव	रुपये
1	2	3	4	5
1.	श्री गजा/रूपा	ग्रासीया	भीमाना	640
2.	श्री ग्रोदा/माला	,,	,,	640
3.	श्री कूरा/नवा	भील	नाना	640
4.	श्री रामा/हरदा	ग्रासीया	कूरण	320
5.	मोती/हंसा	,,	भीमाना	640
6.	ग्रमरा/देवी	,,	,,	640
7.	रूपा/काना	,,	,,	640
8.	वक्ता/देवी	,,	,,	640
9.	देवी/केरा	,,	,,	640
10.	मोती/देवी	,,	,,	640
11.	देवा/किसना	,,	,,	640

Page No 320

(320)

1	2	3	4	5
12.	मोती/लका	ग्रासीया	भीमाना	640
13.	थुला/रूपा	,,	,,	640
14.	ग्रोदा/शाणा	,,	,,	640
15.	जोरा/रामा	,,	,,	640
16.	भोपा/भाया	,,	,,	640
17.	माना/लाला	,,	,,	640
18.	नवा/ग्रमरा	,,	,,	640
19.	हीमा/हीरा	,,	,,	640
20.	रणा/धन्ना	,,	,,	640
21.	चमना/सवा	,,	,,	640
22.	धावरा/गेमा	,,	,,	640
23.	भेरा/ग्राकरा	,,	,,	640
24.	ग्रणदा/कला	,,	,,	640
25.	कोमा/रूपा	,,	,,	640
26.	सवा/रूपा	,,	कायेलवाव	320
27.	पीथा/भूरा	,,	,,	320
28.	लाला/महता	,,	कुरण	320
29.	खेमा/चन्दा	भील	,,	320
30.	लका/पूरा	ग्रासीया	,,	320
31.	उदा/माला	,,	,,	320
32.	दला/पेमा	,,	भीमाणा	640
33.	लक्षमा/लाला	,,	,,	640
34.	देवा/धला	,,	,,	640
35.	पूना/रूपा	,,	,,	640
36.	काना/लाला	,,	,,	640
37.	भूरा/देवा	,,	,,	640
38.	काला/धीरा	,,	,,	640
39.	सोजा/करमा	,,	,,	640
40.	काला/जालम	,,	,,	640
41.	गोमा/देवा	ग्रासीया	भिमाना	640
42.	रूपा/काना	,,	कायेलवाव	640
43.	रामा/रूपा	,,	,,	640
44.	चोंथा/देवा	,,	भीमाना	560

1	2	3	4	5
45.	शेरा/हिन्दू	ग्रासीया	कायेलवाव	560
46.	देवा/भीमा	,,	,,	560
47.	मोदा/लाला	,,	,,	560
48.	रता/भंगा	,,	,,	560
49.	धन्ना/मगा	,,	भीमाना	560
50.	बन्ना/मेगा	,,	,,	560
51.	अमरा/धन्ना	,,	कुरण	560
52.	लाला/देवा	,,	कायेलवाव	640
53.	हुरजी/धीरा	भील	,,	640
54.	देवा/हिन्द	ग्रासीया	,,	640
55.	हुदा/लाला	भील	कुरण	640
56.	चमना/भूरा	,,	भीमाना	640
57.	कृपा/भेरा	ग्रासीया	कुरये	640
58.	बागा/रुदा	,,	,,	640
59.	हंसा/कुशाल	,,	,,	640
60.	हीरा/गुज	भील	,,	640
61.	मोती/समना	ग्रासीा	,,	640
62.	हंसा/देवा	,,	कालेलवाव	640
63.	रामा/देवा	,,	कुरये	640
64.	जवा/रता	,,	कायेलवाव	640
65.	रामा/राजा	,,	,,	640
66.	काना/रता	,,	भीमाना	320
67.	वख्ता/देवी	,,	,,	320
68.	माना/लाला	,,	,,	320
69.	धूला/रुपा	,,	,,	320
70.	अनदा/लछाजी	,,	,,	480
71.	जमना/हीरा	,,	,,	320
72.	देवा/किसना	,,	,,	320
73.	देवा/भेरा	,,	,,	320
74.	जमना/सवा	,,	,,	320
75.	करता/हिन्दू	,,	कोयलवाव	320
76.	थावरा/वजा	,,	,,	320
77.	भोरा/साजा	,,	भीमाना	320
78.	भोमा/मावा	,,	,,	320

1	2	3	4	5
79.	ग्रोदा/माणा	ग्रासीया	भीमाना	320
80.	मागा/बन्ना	,,	,,	320
81.	लुम्बा/चीज	,,	कायेलवाव	320
82.	बन्ना/मोती	,,	ग्रासीया	320
83.	किसना/जीवा	,,	,,	320
84.	मांगा राम/बन्ना	,,	भीमाना	320
85.	नवा/धोबा	,,	कायेलवाव	320
86.	समा/मोटा	,,	कायेलवाव	640
87.	पीथा/भूरा	,,	,,	240
88.	बना/मोती	,,	,,	240
89.	हीरा/सूजा	भील	कुरये	240
90.	उदा/देवा	,,	,,	240
91.	उदा/माला	ग्रासीया	,,	240
92.	भांया/दला	,,	,,	240
93.	कासा/चन्दा	भील	,,	240
94.	मोती/जमना	ग्रासीया	,,	240
95.	माला/रूपा	,,	,,	240
96.	मोला/ग्रोदा	,,	भीमाना	640
97.	हरदा/लाला	,,	कायेलवाव	480
98.	भेरा/तेजा	भील	कुरये	480
99.	रामा/देवा	ग्रासीया	,,	480
100.	नवा/चोपा	भील	कुरये	480
101.	पन्ना/सवरु	भील	,,	480
102.	रामा/जोरा	भील	,,	240
103.	किसना/जीवा	ग्रासीया	कायेलवाव	240
104.	रामा/ग्रनदा	ग्रासीया	,,	240
105.	भेरा/रामा	,,	कुरये	240
106.	भारता/हिन्दू	,,	कायेलवाव	240
107.	हरा/राजा	,,	,,	240
108.	छोगा/धुला	,,	,,	240
109.	लुम्बा/खीना	,,	,,	240
110.	ग्रोदा/सवा	,,	,,	240
111.	केमा/हीरा	,,	,,	240
112.	काला/भीगा	ग्रासीया	गोरिया	240

Page No 323

1	2	3	4	5
113.	नवा/वख्ता	प्रासीया	गोरिया	240
114.	हुंसा/माना	,,	,,	240
115.	देवा/केसा	,,	,,	240
116.	माना/भेरा	,,	,,	240
117.	धना/उदा	,,	,,	240
118.	वीरा/गोमा	,,	,,	240
119.	अमरा/भेरा	,,	,,	240
120.	अमरा/थावा	,,	,,	240
121.	रूपा/भूरा	,,	कुरये	480
122.	उदा/मालया	,,	कुरये	480
123.	हुसा/उदा	,,	,,	480
124.	गोपा/दूदा	,,	,,	480
125.	लाला/वहता	,,	,,	480
126.	सोधा/रामा	,,	कायेलवाव	560
127.	सरा/धना	,,	,,	520
128.	पीसा/ गुरा	,,	,,	480
129.	नैना/भेरा	,,	,,	480
130.	पेमा/लाला	,,	बागदड़ा	480
131.	लक्ष्मण/पेमा	,,	,,	480
132.	गणेश/गल्ला	,,	कायेलवाव	520
133.	हासा/देवा	,,	,,	560
134.	जावलमा/लाला	,,	खेतरली	560
135.	मोदा/लाला	,,	,,	520
136.	जगा/लाला	,,	,,	560
137.	हांजा/गजा	,,	,,	560
138.	काला/धना	,,	,,	480
139.	बक्ता/दला	,,	काकराड़ी	560
140.	पीथा/रामा	,,	,,	480
141.	पायोसी/पेला	,,	,,	520
142.	धना/देवा	,,	खेतरली	560
143.	मोती/जगा	,,	,,	560
144.	हनसा/राजा	,,	कायेलवाव	480
145.	रामा/देवी	,,	,,	480
146.	पूना/वदा	,,	,,	560

324

1	2	3	4	5
147.	माना/जैता	ग्रासीया	खेतरली	240
148.	जगा/रोडा	,,	काकराडी	560
149.	पुरा/उदा	,,	खेतरली	560
150.	थोपा/ग्रोटा	,,	नाना	480
151.	हंमा/धुला	,,	दानवरली	240
152.	ग्रावरा/वदा	,,	नाना	240
153.	धीरा/सखा	,,	कायेलवाव	560
154.	चोगा/हरता	,,	कोठार	240
155.	विदा/ममनौ	,,	नाना	480
156.	बागा/खेमा	,,	,,	480
157.	ग्रमना/हिन्दूराम	,,	,,	480
158.	वेरूता/रता	,,	भीमाणा	560
159.	वीरा/रसा	,,	,,	560
160.	नेमा/पन्ना	,,	,,	560
161.	दरा/चोपा	,,	,,	560
162.	रामा/रेमा	,,	कुरये	560
163.	सोनिया/माना	,,	,,	560
164.	केरिंग/पूरा	,,	,,	560
165.	गोमा/डगा	,,	कायेलवाव	560
166.	राना/ग्रणदा	,,	कायेलवाव	560
167.	हंसा/देवा	,,	,,	560
168.	नाथा/रूपा	,,	नाना	560
169.	माना/जीवा	,,	खेतरली	560
170.	हंसा/खेमा	,,	,,	560
171.	हीता/धूला	,,	नाना	560
172.	रतना/खेना	,,	,,	560
173.	वावरा/वदा	,,	,,	640
174.	हकमा/पना	,,	कायेलवाव	640
175.	मोजा/देवा	,,	,,	640
176.	रामा/वेना	,,	,,	640
177.	उदा/दला	,,	ठण्डी वेरी	640
178.	हीरा/खीमा	,,	,,	640
179.	जीरा/हंस	,,	दानवरली	640
180.	भेरा/रामा	,,	कुरण	320
181.	भोपा/दला	,,	,,	320
182.	माला/रूपा	,,	,,	320
183.	देसा/लाला	,,	नाना	560
184.	छगा/धना	,,	,,	560
185.	देवा/शेला	,,	,,	640
186.	रोड़ा/हजा	,,	,,	560

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 986 की सूचियां)

परिशिष्ट (क)

क्र. सं	नाम छात्रावास	स्थान	स्वीकृत संख्या	प्रवेश संख्या
1.	राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रावास	सवाई माधोपुर	40	80
2.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास	करौली	60	60
3.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास	हिण्डौन	40	40
4.	हरिजन छात्रावास	सवाई माधोपुर	25	25
5.	कन्या छात्रावास	सवाई माधोपुर	25	25

पंचायत समितियों के माध्यम से चल रहे छात्रावास

1.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	महुवा	60	60
2.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	खण्डार	25	25
3.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	नादोती	25	25
4.	अनुदानित अनुसूचित जन जाति छात्रावास	गंगापुर सिटी	35	35

परिशिष्ट—'ख'

राजकीय अनुदानित छात्रावास गंगापुर सिटी के छात्र प्रवेश की सूची 1982-83

क्र. सं.	छात्र का नाम	जाति	कक्षा
1.	पुखराज	मीणा	11
2.	शंकरलाल	मीणा	11
3.	रामराज	मीणा	11

Page No 326

(326)

1	2	3	4
4.	रघुनाथ रैगर	रैगर	11
5.	विशाल सिंह	मीणा	11
6.	कैलाशचन्द	मीणा	11
7.	नेमीचन्द मीणा	मीणा	11
8.	रमल	मीणा	11
9.	श्रीराम	मीणा	11
10.	श्यामलाल	मीणा	11
11.	केदारलाल	मीणा	11
12.	बहादुरसिंह	मीणा	10
13.	मनोहरलाल	मीणा	10
14.	मोहरसिंह	मीणा	10
15.	हंसराज	मीणा	10
16.	मुरारीलाल	मीणा	10
17.	देवहंस	मीणा	10
18.	रामकेश	मीणा	10
19.	लक्खीराम	मीणा	7
20.	भरतलाल	मीणा	8
21.	नानगीराम	मीणा	10
22.	मयालीराम	मीणा	7
23.	समयसिंह	मीणा	7
24.	केशवप्रसाद	मीणा	7
25.	कमलराम	मीणा	8
26.	महेशचन्द	मीणा	9
27.	छुट्टनलाल	मीणा	10
28.	राधेश्याम	मीणा	8
29.	सुरेशचन्द	मीणा	10
30.	रामसिंह	मीणा	9
31.	प्यारेलाल	मीणा	7
32.	संपतराम	मीणा	9
33.	मुरारीलाल	मीणा	9
34.	कैलाशचन्द	मीणा	9
35.	प्यारेलाल	मीणा	11

327

छात्रावास समाज कल्याण विभाग नादोती सवाईमाधोपुर

विषयः--सूची प्रवेश सलाहकार समिति कार्यवाही बैठक के आधार पर ।

़. सं.	नाम छात्र	जाति	स्थान	कक्षा
1.	श्री श्रवणकुमार	बैरवा	बैरदाला	9
2-	,,चतरुलाल	बैरवा	कैमा	6
3-	,,भरतलाल	नट	धोलामाडा	10
4-	,,उमराव	बैरवा	कैमा	9
5-	,,देवीलाल	,,	,,	7
6-	,,मंशीलाल	मीणा	,,	6
7-	,,शिवचरण	,,	,,	7
8-	,,खेमराज	,,	,,	6
9-	,,हंसराज	,,	,,	6
0-	,,देलर्लासह	,,	,,	10
1-	,,रामेश्वर प्रसाद	,,	अनुदा	9
2.	,,शिवराम	,,	बरदाला	7
3-	,,भीमसिंह	,,	कैमा	7
4-	,,हंसराज	,,	,,	9
5-	,,जवानसिंह	,,	,,	6
6-	,,रामकेश	,,	,,	9
7-	,,राजेन्द्रप्रसाद	,,	,,	10
8-	,,जीवराज	,,	,,	8
9-	,,देवाराम	,,	,,	8
0-	,,ओमप्रकाश	,,	,,	6
1-	,,हरिकेश	,,	,,	6
2-	,,आदेशलाल	,,	,,	6
3-	,,हरकेश	,,	,,	9
4-	,,कमलेश	,,	,,	6
5-	,,रामदयाल	,,	,,	9

(3200)

राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास समाज कल्याण विभाग, हिन्डोन, सवाईमाधोपुर।

सूची प्रवेश सलाहकार समिति कार्यवाही बैठक के आधार पर।

क्र. सं.	नाम छात्र	जाति	कक्षा
1-	श्रीरामदयाल	जाटव	10
2-	,,वेदप्रकाश	,,	9
3-	,,बाबूलाल यादव	,,	10
4-	,,वीरप्रकाश	,,	10
5-	,,रामअवतार	मीणा	8
6-	,,जलधारी	,,	11
7-	,,शेरसिंह	महावर	10
8-	,,रमेशचन्द	मीणा	10
9-	,,कल्लाराम	जाटव	6
10-	,,ज्ञानेन्द्रसिंह	,,	6
11-	,,सत्यप्रकाश	,,	9
12-	,,महाराजसिंह	,,	11
13-	,,कमलसिंह	,,	11
14-	,,पृथ्वीलाल	,,	11
15-	,,स्वरूपचन्द	,,	11
16-	,,रमेशलाल	,,	11
17-	,,लालाराम	,,	11
18-	,,भगवतसिंह	,,	9
19-	,,जगमोहन	,,	9
20-	,,धारासिंह	,,	9
21-	,,बालीराम	,,	9
22-	,,रमेशचन्द	,,	9
23-	,,मोहरसिंह	,,	9
24-	,,दुर्जनलाल	,,	9
25-	,,सुखदास	,,	9
26-	,,रूपसिंह	,,	9
27-	,,बालबहादुर	,,	7
28-	,,परमसुख	,,	6
29-	,,रूपसिंह	,,	9
30-	,,श्रीफूल	,,	11

Page No 329

329

1	2	3	4
31-	श्री हीरालाल	जाटव	10
32-	,,ओमसिंह	,,	10
33-	,,हरिचरण	बैरवा	10
34-	,,रामस्वरूप	जाटव	10
35-	,,मनोहरलाल	जाटव	9
36-	,,रामखिलाड़ी	मीणा	8
37-	,,रामलखन	जाटव	11
38-	,,मुकेशकुमार	,,	11
39-	,,भजनलाल	,,	9
40-	,,मोहरसिंह	,,	9

राजकीय छात्रावास, समाज कल्याण विभाग महुआ (सवाईमाधोपुर)
सूची प्रवेश सलाहकार समिति कार्यवाही बैठक के आधार पर

क्र. सं.	नाम छात्र	जाति	कक्षा
1.	श्री उदयभान	मीणा	11
2.	,, रामकिशन	,,	11
3.	,, जगमोहन	,,	11
4.	,, केदारलाल	,,	11
5.	,, मोहरसिंह	,,	11
6.	,, रामेश्वर	,,	11
7.	,, श्यामलाल	,,	11
8.	,, शिवराम	,,	11
9.	,, शिवलाल	,,	11
10.	,, राधेश्याम	,,	11
11.	,, यादराम	,,	11
12.	,, रामजी लाल	रैगर	11
13.	,, गोपाल लाल	,,	11
14.	,, प्यारेलाल	जाटव	11
15.	,, जगदीश प्रसाद	खटीक	11
16.	,, फूलसिंह	जाटव	11
17.	,, हरीसिंह	जाटव	11

1	2	3	4
18.	श्री श्यामसुन्दर	जाटव	11
19.	,, प्रेमसिंह	जाटव	11
20.	,, महेशचन्द	मीणा	10
21.	,, श्रीराम	,,	10
22.	,, रामकिशोर	,,	10
23.	,, रामचरण	,,	10
24.	,, श्रीराम	,,	10
25.	,, रमेशचन्द	,,	10
26.	,, महेशचन्द	हरिजन	10
27.	,, मिश्रीलाल	बैरवा	10
28.	,, गंगासहाय	बैरवा	10
29.	,, बृजमोहन	जाटव	10
30.	,, रामबाबू	जाटव	10
31.	,, परमालाल	बैरवा	10
32.	,, चिम्मनलाल	बैरवा	10
33.	,, हीरालाल	जाटव	10
34.	,, शिवराम	मीणा	9
35.	,, समर्थसिंह	,,	9
36.	,, हीरालाल	,,	9
37.	,, कमलेश कुमार I	,,	9
38.	,, कमलेश कुमार II	,,	9
39.	,, धनसिंह	,,	9
40.	,, कैलाशचन्द	,,	9
41.	,, किशन अवतार	,,	9
42.	,, लखन लाल	मीणा	9
43.	,, रामभरोसी	बैरवा	9
44.	,, शिवचरण	जाटव	9
45.	,, किशनलाल	बैरवा	9
46.	,, सुगनलाल	जाटव	9
47.	,, कगनीराम	जाटव	9
48.	,, रामप्रसाद	जाटव	9
49.	,, रमेशचन्द	बैरवा	9
50.	,, भोजराज	जाटव	9

	2	3	4
	ओमप्रकाश	रैगर	9
	रमेशचन्द	बैरवा	9
	कैलाशचन्द	बैरवा	9
54.	अन्तरराम	जाटव	9
55.	शिवदयाल	जाटव	9
56.	बद्रीप्रसाद	बैरवा	9
57.	मानसिंह	जाटव	9
58.	बाबूलाल	मीणा	9
59.	बनवारी लाल	मीणा	9
60.	सोनीलाल	जाटव	6

कन्या छात्रावास सवाई माधोपुर के छात्रावास के छात्राओं की सूची

क्र. सं	छात्र का नाम	पिता का नाम	जाति	कक्षा	प्रवेश
1.	मधुलता	आत्मज बिहारीलाल	रेगर	11	8-2-82
2.	निर्मलाकुमारी	भूरालाल बैरवा	बैरवा	9	,,
3.	पुष्पाबाई	अयोध्या प्रसाद	कोली	7	,,
4.	भंवरबाई	रामनारायण	रेगर	6	,,
5.	उर्मिलाबाई	भूरालाल	रेगर	6	,,
6.	अनोखीबाई	शिवनारायण	खागार	6	,,
7.	गुलाबबाई	रामप्रसाद	रेगर	6	,,
8.	विमलाबाई	गोपीलाल	करोल	4	,,
9.	मनोहरीबाई	हरिनारायण	बैरवा	5	,,
10.	बिमलाबाई	सूरजमल	खंगार	5	,,
11.	कुमारी पुष्पा वर्मा	रमेशचन्द	हरिजन	6	,,
12.	मन्जु मेहरा	चतुर्भुज	मेहरा	4	,,
13.	कान्तीबाई	केदारलाल	कोली	4	,,
14.	मीनाकुमारी	घमन्डीलाल	कोली	3	,,
15.	अनिता वर्मा	रमेश वर्मा	हरिजन	3	,,
16.	सन्तोषबाई	ओंकार	कोली	3	,,
17.	कैलासीबाई	रामनारायण	रेगर	3	,,
18.	गड्डीबाई	देवीलाल	रेगर	3	,,
19.	बसन्ती	बुध्दीप्रकाश	रेगर	3	,,

1	2	3	4	5	6
20.	इन्द्राबाई	बाबूलाल	रेगर	3	8-2-82
21.	मालाबाई	बाबूलाल	कोली	4	,,
22.	छोटीबाई	माँगीलाल	कोली	3	,,
23.	सावित्री	किस्तूरचन्द	हरिजन	2	,,
24.	गीताबाई	केदारलाल	कोली	4	,,
25.	बिमलाबाई	केदारलाल	खांगार	5	,,

हरिजन छात्रावास सवाईमाधोपुर के प्रवेश छात्रों की सूची सवाईमाधोपुर

क. सं.	छात्र का नाम	कक्षा	जाति
1.	रामसहाय	9	रेगर
2.	रामजीलाल	9	रेगर
3.	गिर्राजप्रसाद	9	रेगर
4.	चौथमल	9	रेगर
5.	कन्हैयालाल	9	रेगर
6.	रामनिवास	9	रेगर
7.	रंगलाल	9	रेगर
8.	रामस्वरूप	9	रेगर
9-	गोकुल	9	रेगर
10.	ओमप्रकाश	9	रेगर
11.	रामनिवास	10	रेगर
12.	गिर्राज	10	रेगर
13.	रामप्रसाद	10	रेगर
14.	गोर्धनलाल	10	रेगर
15.	ओमप्रकाश	10	रेगर
16.	रामगोपाल	11	रेगर
17.	नवलप्रभा	11	रेगर
18.	रामजीलाल	11	रेगर
19.	बाबूलाल	11	रेगर
20.	बजरंगलाल	11	रेगर
21.	रामगोपाल	11	रेगर
22.	घनश्याम	11	रेगर
23.	लालचन्द्र	11	रेगर
24.	प्रह्लाद	11	रेगर
25.	हरिकिशन	11	रेगर

राजकीय छात्रावास करौली के प्रवेश छात्रों की सूची:

राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास करौली

क्रम सं.	नाम छात्र	जाति	कक्षा
1	2	3	4
1.	मनोहरी लाल	जाटव	10
2.	हरिचरण	जाटव	10
3.	हरिमोहन	महावर	9
4.	रामजीलाल	जाटव	11
5.	मांगीलाल	महावर	9
6.	उम्मेदलाल	जाटव	9
7.	रामसिंह	जाटव	10
8.	प्रीतम लाल	जाटव	11
9.	ओमप्रकाश	जाटव	8
10.	रामप्रसाद	"	7
11.	पूरण चन्द्र	"	8
12.	रामरूप	"	7
13.	छगांलाल	"	7
14.	राधेश्याम	"	7
15.	श्रीलाल	"	10
16.	प्रकाश चन्द्र	"	8
17.	शिवचरण लाल	"	9
18.	अमरलाल	"	10
19.	हीरालाल	"	8
20.	बाबूलाल	महावर	11
21.	श्रीफूल	जाटव	11
22.	श्री रामकेश	बैरवा	9
23.	रमेशचन्द्र	जाटव	8
24.	ओंकार सिंह	"	8
25.	सुगनलाल मीणा	मीणा	7
26.	श्याम लाल	महावर	6
27.	श्री राम	"	6
28.	रामपाल	जाटव	6
29.	सुरेशचन्द्र	"	6

Page No 334

(334)

1	2	3	4
30.	भगवती लाल	जाटव	6
31.	होरीलाल	कोली	6
32.	राधेश्याम	,,	6
33.	पृथ्वीलाल	जाटव	6
34.	राजपाल	,,	6
35.	प्रकाश चन्द्र	,,	6
36.	बाबूलाल	,,	6
37.	टण्डीलाल	,,	6
38.	बाबूलाल	मीणा	6
39.	बिशनपाल	,,	6
40.	बाबूलाल	,,	6
41.	नेकराम	जाटव	6
42.	नेकराम	,,	6
43.	उम्मेदलाल	,,	6
44.	रमेशचन्द्र	,,	6
45.	दुर्गालाल	महावर	10
46.	विजयसिंह	जाटव	6
47.	शम्भूदयाल	,,	6
48.	निर्भयसिंह	,,	10
49.	हरिसिंह	,,	11
50.	रामचरण लाल	बैरवा	11
51.	मुरारी लाल	,,	10
52.	ओमप्रकाश	जाटव	11
53.	रामस्वरूप	जाटव	11
54.	मुन्शीलाल	,,	11
55.	भगवती लाल	महावर	6
56.	बाबूलाल	बैरवा	9
57.	फूलचन्द्र	बैरवा	9
58.	बाबूलाल	जाटव	9
59.	कल्याण प्रसाद	,,	8
60.	गजराज	,,	9

ावास सवाईमाधोपुर मे प्रवेश छात्रों की सूची अनुसूचित जन जाति छात्रावास सवाईमाधोपुर

नाम छात्र	जाति	कक्षा
2	3	4
1 लाल	मीणा	9
2. दुलाल	मीणा	10
3. लाल	मीणा	10
4. द्रशेखर	मीणा	10
5. मवतार	रावल	10
6. सत्यप्रकाश	मीणा	10
7. श्रीनिवास	मीणा	10
8. विजयसिंह	मीणा	10
9. रामभरोस	मीणा	10
10. सिराराम	मीणा	10
11 रमेश	मीणा	10
12. जगदीश प्रसाद	मीणा	10
13. पूरण	मीणा	10
14. सूरज	मीणा	10
15. रामस्वरूप	मीणा	10
16. अंगदराम	मीणा	10
17. श्रीचन्द	मीणा	10
18. रामनिवास	मीणा	10
19. सुरज्ञान	मीणा	10
20. रामजीलाल	मीणा	10
21. प्रह्लाद	रेंगर	11
22. घनश्याम	बैरवा	11
23. रामसिंह	मीणा	11
24. तेजाराम	मीणा	11
25. रामदयाल	मीणा	11
26. भरतलाल	मीणा	11
27. गुलाबचन्द	बैरवा	11
28. रामस्वरूप	मीणा	11
29. रामहेत	मीणा	11

Page No 336

336

1	2	3	
30.	हरीप्रसाद	बैरवा	
31.	बाबूलाल	मीणा	
32.	रामजीलाल	मीणा	
33.	जगराम	मीणा	
34.	रामकिशोर	मीणा	
35.	हरिकेश	मीणा	
36.	मुरारी लाल	मीणा	
37.	रामकेश	मीणा	1
38.	शंकरलाल	मीणा	1
39.	हरप्रसाद	मीणा	1
40.	गोपालाल	बैरवा	[illegible]
41.	गिर्राज प्रसाद	बैरवा	[illegible]
42.	रामप्रसाद	बैरवा	9
43.	रामचरण	बैरवा	9
44.	रामसिंह	बैरवा	11
45.	गोपाल	बैरवा	11
46.	राधेश्याम	बैरवा	10
47.	घनश्याम	बैरवा	11
48	मथुरालाल	बैरवा	11
49.	राजाराम	बैरवा	9
50.	कंवरपाल	बैरवा	11
51.	इन्दरलाल	नाई	9
52.	गौरी शंकर	बन्जारा	9
53.	गिर्राज प्रसाद	रावल	11
54.	घनश्याम	मीणा	6
55.	चतुर्भुज	मीणा	8
56.	राधेश्याम	मीणा	9
57.	भरतलाल	मीणा	9
58.	शंकरलाल	मीणा	9
59.	रामदयाल	मीणा	9
60.	रामराज	मीणा	9
61.	सम्पत राम	मीणा	10
62.	रामविलास	मीणा	9

Page No 337

337

1	2	3	4
63.	जमना लाल	मीणा	9
64.	राजमल	मीणा	9
65.	लडडूलाल	मीणा	9
66.	हनुमान प्रसाद	मीणा	9
67.	कैलाश	मीणा	9
68.	भगवानसिंह	मीणा	9
69.	हरिराम	मीणा	9
70.	मीठालाल	मीणा	9
71.	रूपचन्द	मीणा	9
72.	धर्मचन्द्र	मीणा	9
73.	कजड्ड	मीणा	9
74.	रामकमल	मीणा	9
75.	नाथूलाल	मीणा	9
76.	बद्रीलाल	मीणा	9
77.	श्यामलाल	मीणा	10
78.	हेमराज	मीणा	10
79.	बाबूलाल	मीणा	10
80.	अंबालाल	मीणा	9

राजकीय छात्रावास अनुसूचित जन जाति (खण्डार)
विकास अधिकारी (खण्डार)

क्र. सं	नाम छात्र	जाति	कक्षा
1.	शंकर लाल	मीणा	11
2.	रोशन	मीणा	11
3.	हनुमान	मीणा	11
4.	इन्दर लाल	कोली	11
5.	रामनाथ	बैरवा	11
6.	कैलाश चन्द	मीणा	11
7.	रामस्वरूप	मीणा	10
8.	रोशन लाल	मीणा	10

1	2	2	4
9.	हरिकेश	मीणा	10
10.	मांगीलाल	मीणा	10
11.	मोहनलाल	रावल	9
12.	जनराम	मीणा	9
13.	बाबूलाल	मीणा	9
14.	मलखान	मीणा	9
15.	रामफूल	मीणा	9
16.	चेतराम	मीणा	9
17.	रमेश	मीणा	9
18.	हरिमोहन	मीणा	9
19.	कजोड़	मीणा	9
20.	गिर्राज	मीणा	8
21.	हरिप्रसाद	मीणा	7
22.	चिरंजी	बैरवा	6
23.	भीमराम	मीणा	5
24.	राजराम	बैरवा	5
25.	सुग्रीव	मीणा	5

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 989 की सूची)

परिशिष्ट (क)

सर्वेक्षण में पाये गये भिक्षुकों का प्रकार

क्र.सं.	स्थान जहां का सर्वेक्षण किया गया	सर्वेक्षण का वर्ष	कुल अवलोकित भिक्षुकों की संख्या	उन भिक्षुकों की संख्या जिनका सर्वेक्षण किया गया	भिक्षुकों का प्रकार					
					सामान्य	अशक्त	अंगहीन	नेत्रहीन	कुष्ठरोगी	लम्बी बीमारी के शिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	1969	1007	323	219	38	19	12	6	19
2.	जयपुर	1974	1852	750	362	—	182	156	50	—
3.	उदयपुर	1976	165	72	55	—	9	5	3	—

(340)

परिशिष्ट 25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 992 की सूची)

परिशिष्ट (क)

विकलांग संकल्प के पश्चात् लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष 81-82 में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 82-83 में संभावित लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	निःशुल्क कृत्रिम अंग	5,812	6,208
2.	सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाईकल श्रवण यन्त्र, टेपरेकार्ड, सिलाई मशीन आदि की सहायता	911	1,500
3.	विकलांगों को स्वःनियोजन हेतु बैंक ऋण पर अनुदान	350	150
4.	विकलांगों के प्रशिक्षण	208	250
5.	बेरोजगारी भत्ता	–	4

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से भी विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं:-

1. भारतीय समाज कल्याण परिषद्, राजस्थान, शाखा जयपुर।
2. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर।
3. राजस्थान सोसायटी फार दी रिहेब्लिटेशन ऑफ दी हैन्डीकेप्ड, जयपुर।
4. दी फिरोज नौशिर भेरवान जी रिहेब्लिटेशन सेन्टर फार दी ब्लाइण्ड, माउन्ट आबू।
5. प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. बाधित बाल विकास समिति, अजमेर।
7. बाधित बाल विकास केन्द्र, कोटा।
8. नेत्रहीन सेवा संघ, अजमेर।
9. राजकीय अन्ध विद्यालय, बीकानेर।
10. नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर।

इसके अतिरिक्त वर्ष 80-81 से अब तक लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 463 का विवरण

आपसी समझौते के आधार पर भूमि विभाजन हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्रों का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम पंचायत	ग्रामलाती खातों के विभाजन हेतु प्राप्त प्रा. पत्रों की संख्या	5/- रु. के नॉन ज्युडिशल स्टाम्प पर प्रस्तुत इकरारनामे के आधार पर विभाजन हेतु स्वीकृत प्रा. पत्र	विभिन्न कारणों के अस्वीकृत प्रा. पत्र	शेष प्राप्ति प्रा. पत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टोंक	लोहरवाडा	2	—	—	2	2
2.	,,	चौगाई	4	—	—	4	4
3.	,,	झिराना	3	—	—	3	3
4.	,,	निमेड़ा	1	—	—	1	1
5.	,,	गलोद	15	—	—	15	15
6.	,,	बगड़ी	19	—	—	19	19
7.	,,	नानेर	7	—	—	7	7
8.	,,	डोडवाडी	8	—	—	8	8
9.	,,	काशीपुरा	3	—	—	3	3
10.	,,	पासरोटिया	2	—	—	2	2
11.	,,	डाडा तुर्की	3	—	—	3	3
12.	,,	हतोना	3	—	—	3	3
13.	,,	जौंला	10	—	—	10	10
14.	,,	अरनिया केदार	12	—	—	12	12
15.	,,	देवली	7	—	—	7	7
16.	,,	मण्डावर	6	—	—	6	6
17.	,,	चंदलाई	9	1	—	8	9
18.	,,	हरचन्देडा	9	—	—	9	9
19.	,,	सोरन	3	1	—	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	टोंक	धांस	7	—	—	7	7
21.	,,	वजीरपुर	3	—	—	3	3
22.	,,	कस्बा टोंक	5	1	—	4	5
23.	,,	पालड़ा	1	—	—	1	1
24.	,,	सांख्या	1	—	—	1	1
25.	,,	ताखोली	7	—	—	7	7
26.	,,	जाम्बा	7	—	—	7	7
27.	,,	छान	3	—	—	3	3
28.	,,	मेंदवास	7	—	—	7	7
29.	,,	सोनवा	14	—	—	14	14
30.	,,	भरनी	9	—	—	9	9
31.	,,	दाखिया	13	—	—	13	13
32.	,,	लवादर	2	2	—	—	2
			211	7	—	204	211
2.	उनियारा	शोप	2	—	1	1	2
	,,	गोठड़ा	1	—	—	1	1
	,,	अलीगढ़	1	—	—	1	1
			4	—	1	3	4
3.	देवली	पनवाड	1	—	1	—	1
4.	टोडारायसिंह	—	82	35	47	—	82

(तहसील टोडारायसिंह की पंचायतवार सूचना बाद में प्रेषित की जावेगी)

समझौते के आधार पर भूमि विभाजन हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्रों का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम पंचायत	शामलाती खातों के विभाजन हेतु प्राप्त प्रा. पत्रों की संख्या	5/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत इकरारनामे के आधार पर विभाजन हेतु स्वीकृत प्रा. पत्र	विभिन्न कारणों से अस्वीकृत प्रा. पत्र	शेष प्रा. पत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	टोडाराय-सिंह	बासेड़ा	21	9	12	—	21
	,,	इन्दोकिया	7	4	3	—	7
	,,	दावडदूम्बा	10	2	8	—	10
	,,	लाम्बा कला	12	5	7	—	12
	,,	हमीरपुर	3	—	3	—	3
	,,	मून्डिया	4	3	1	—	4
	,,	भंसू	2	1	1	—	2
	,,	थडोली	1	—	1	—	1
	,,	राउल्याराम पुरा	1	—	1	—	1
	,,	खरेडा	5	3	2	—	5
	,,	गणेती	4	1	3	—	4
	,,	भोर भाटियान	1	1	—	—	1
	,,	बोटून्दा	1	—	1	—	1
	,,	अलियारी	3	2	1	—	3
	,,	कुहाडा बुजुर्ग	2	2	—	—	2
	,,	बावडी	1	—	1	—	1
	,,	भावता	1	1	—	—	1
	,,	टोडारायसिंह	2	1	1	—	2
	,,	बरबास	1	—	1	—	1
			82	35	47	—	82

(344)

परिशिष्ट 27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 708 की प्रति)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

संख्या एफ 5 (21)/रेव./ग्रुप-4/80/35 जयपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 6(10) रेव/ग्रुप-4/89/51, दिनांक 9-9-81 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निर्देश देती है कि :–

1 भूमि आंवटन के पश्चात्वर्ती या न्यायालय से आदेशों के अनुपालना में होने वाले नामान्तरण को छोडकर नामान्तरणों के अन्य निर्विवाद मामलों को विनिश्चित करने की तहसीलदार को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस ग्राम की ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिसमें भूमि अवस्थित हो।

2 तहसीलदार द्वारा इस निमित्त प्राप्त किये जाने वालो की ही प्रविष्टि इन आवेदन पत्रों के निपटारे के लिये रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जायेगी और इसके पश्चात् निपटारों के लिये संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित कर दिये जावेंगे। ऐसे मामलों में, जिनमें ग्राम-पंचायत सीधे अथवा तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त किसी आवेदन-पत्र का इसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर निपटारा करने में विफल रहती है, तो उक्त मामले में ग्राम पंचायत की कोई अधिकारिता न रहेगी, और आवेदन-पत्र अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को तुरन्त अग्रेषित कर दिया जायेगा जो अपने द्वारा इसकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जांच और निपटारा करेगा। उन मामलों में जिनमें ग्राम पंचायत 45 दिवस की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् आवेदन-पत्र को अग्रेषित नहीं करती है तो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ग्राम-पंचायत से आवेदन-पत्र वापस मंगाने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी।

3. ऐसे मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील कलेक्टर को होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द मोहनलाल)
शासन-सचिव।

परिशिष्ट 28

(अतारांकित प्रश्न संख्या 715 की सूची)

क्र. सं.	नाम मंदिर	श्रेणी	अचल सम्पदा का विवरण			वार्षिक सकल आय का विवरण
			आवासीय	व्यावसायिक	कृषि-भूमि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मं. श्रीपालागणेशजी उदयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	—	—
2.	नवलज हनुमानजी	,,	—	—	—	—
3.	कालका माताजी नौरदा दाताजी	,,	—	—	—	—
4.	प्रतापनारायणजी बागौर की हवेली	,,	—	—	—	—
5.	बाणनाथ महादेव	,,	—	—	—	—
6.	माताजी करणी जी ,,	,,	—	—	—	—
7.	कंकुमेश्वरजी महादेव पीपली घाट, उदयपुर	,,	—	—	—	—
8.	धनेश्वरजी व पांच महादेव बेरसली घाट, उदयपुर	,,	—	—	—	—
9.	उदयश्यामजी व मुरली मनोहरजी परगी घाट, उदयपुर	,,	—	—	—	—
10.	हनुमानजी माजी सा. के पास, उदयपुर	,,	—	—	—	—
11.	अन्नपूर्णाजी, नाग नगरी उदयपुर	,,	—	—	—	—
12.	हनुमानजी (मदलवाला)	,,	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
13.	स्वामी लक्ष्मीनाथजी की समाधी उदयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	—	—
14.	माताजी विद्याजी चांद पोल उदयपुर	,,	—	—	—	—
15.	उम्मेद बिहारीजी व हनुमानजी जगदीश जी उदयपुर	,,	—	—	—	—
16.	मंशापूर्ण जी गणेशजी जगदीश चौक उदयपुर	,,	—	—	—	—
17.	श्री सुखमल देव जी असीन्द की हवेली, उदयपुर		—	—	—	—
18.	ठाकुर स्वरूप सहाय जी कंवर पदा का महल, उदयपुर	,,	—	—	—	—
19.	माताजी, कंवरपदा का महल, उदयपुर	,,	—	—	—	—
20.	अन्नपूर्णा जी, घन्टाघर, उदयपुर	,,	—	—	—	—
21.	हनुमान जी, वदनोर की हवेली के पास, उदयपुर	,,	—	—	—	—
22.	नया महादेव, शमशेरगढ़ हाथीपोल बाहर, उदयपुर	,,	—	—	—	—
23.	रामबाग माताजी, हाथीपोल बाहर, उदयपुर	,,	—	—	—	—
24.	माताजी कर्णीजी, कविराज की बडी, हाथीपोल बाहर उदयपुर	,,	—	—	—	—
25.	विष्णु शिव पंचायत पंचवटी, उदयपुर	,,	—	—	—	—
26.	महादेवजी, उमरावगिरी का मठ, देहली गेट, उदयपुर	,,	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
27. महादेवजी, उमरावगिरी का मठ नया मदास के उत्थल के सामने सूरजपोल	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	—	—	
28. माताजी,उमरावगिरी का मठ प्रयागवास के उत्थल के सामने सूरजपोल उदयपुर	,,	—	—	—	—	
29. हनुमानजी,उमरावगिरी का मठ के सामने,सूरजपोल,उदयपुर	,,	—	—	—	—	
30. गणेशजी व भोमियाजी,प्रताप मेमोरियल, उदयपुर	,,	—	—	—	—	
31. चन्द्रेश्वर महादेव, बावाजी राजाजी ब्रह्मपुरी उदयपुर	,,	—	—	—	—	
32. ठाकुरजी (कावेन्द्र प्रभूजी) खेरा दीवाडा उदयपुर	,,	—	—	—	—	
33. माताजी अम्बाजी, गोवर्धन विलास उदयपुर	,,	—	—	—	—	
34. माताजी, गोवर्धन विलास, उदयपुर	,,	—	—	—	—	
35. कर बडिया महादेवजी वाकी का मगरा, उदयपुर	,,	—	—	—	—	
36. नीमच माताजी,देवाली के.मगरे पर	,,	—	—	—	—	
37. मं. श्री नवलश्यामजी जगदीश चौक, उदयपुर	,,	—	पान का केबिन	—	48/रु.	
38. मं.श्री रामचन्द्रजी (रामलक्ष्मणजी) बालेराव की घाटी, उदयपुर	,,	2 कमरे	—	—	420/रु.	

क्र. सं.	नाम मन्दिर	श्रेणी	अचल सम्पदा का विवरण आवासीय	व्यावसायिक	भूमि	वार्षिक सकल आय का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मं. श्री गुलाब स्वरूप बिहारी जी, बड़ी पोल, उदयपुर	आत्म-निर्भर	—	—	—	—
2.	मं. श्री जवानस्वरूपेश्वर जी बडी पोल, उदयपुर	,,	2	10	—	19548
3.	मं. श्री श्याम सुन्दरजी बडी पोल, उदयपुर	,,	2	—	3757॥)3	1068
4.	मं. श्री जगत शिरोमणी जी गौशाला गोवर्धन विलास	,,	5	15	930।)3	38275
5.	मं. श्री गोकुलचन्द्रमाजी बडी पोल, उदयपुर	,,	8	1	2610॥।)2	6600
6.	वृन्दावन चन्द्रमाजी बडी पोल, उदयपुर	,,	3	—	—	448
7.	सादर गणेशजी बडी पोल, उदयपुर	,,	—	—	—	—
8.	जगन्नाथरायजी का मं. जगदीश चौक, उदयपुर	,,	5	7		15946
9.	जवान सूरज बिहारीजी जगदीश चौक, उदयपुर	,,	5	2	—	8760
10.	मं श्री खुशालीरामजी जगदीश चौक, उदयपुर	,,	—	—	—	—
11.	म. श्री जवान स्वरूप बिहारी जी, जगदीश चौक, उदयपुर	,,	—	1	—	438

1	2	3	4	5	6	7
12.	सरदार स्वरूप श्यामजी का मं. श्री का मन्दिर पिछोला के पास, उदयपुर	आत्म निर्भर	—	—	—	—
13.	जगनेश्वरजी व हादेव गुप्तेश्वरजी, बोरसली घाट, उदयपुर	,,	—	—	—	—
14.	मं. श्री भीमपरमेश्वर जी चांदपोल बाहर उदयपुर	,,	4	3		19587
15.	मं. श्री अभयस्वरूप बिहारी मांजी की बावड़ी के पास	,,	2	5	—	1884
16.	मं. श्री चारभुजाजी, शिवरती मार्ग, उदयपुर	,,				
17.	मं. श्री लक्ष्मीनारायणजी नानी गली, उदयपुर	,,	—	3	—	2180
18.	मं. श्री मदन मोहनलालजी धाणेरावजी घाटी, उदयपुर	,,	2	—	—	1368
19.	मं. श्री भीममोहनलालजी रावजी का हाटा, उदयपुर	,,	—	—	—	—
20.	मं. श्री हनुमानजी, कोर्ट के बाहर, उदयपुर	,,	1	2	—	5436
21.	एजन स्वरूप बिहारीजी का मं. गोवर्धन विलास उदयपुर	,,	3	—	—	366
22.	मं. श्री पशुपतेश्वरजी, उदयपुर	,,	—	—	—	—
23.	मं. श्री भोजनाथजी, भूपाल कॉलेज के पास, उदयपुर	,,	2	—	15)4	180

350

देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिरों की सूची :—

क्र. सं.	नाम मंदिर एवं स्थान	श्रेणी
1	2	3
1.	मं. श्री सीतारघुनाथ जी व हनुमानजी, हनुमान घाट, चांदपोल बाहर, उदयपुर	सुपुर्दगी श्रेणी
2.	मं. श्री रामद्वारा, चांदपोल बाहर, उदयपुर	"
3.	मं. श्री रघुनाथद्वारा, चांदपोल बाहर, उदयपुर	"
4.	मं. श्री जगतशिरोमणी जी नगर न्यास के पीछे, उदयपुर	"
5.	मं. श्री सीताराम जी व हनुमान जी, बाईजी राज का कुण्ड तीज का चौक, उदयपुर	" "
6.	कबीर पंथी, फूटा दरवाजा उदयपुर	"
7.	द्वारकाधीश जी, सूरजपोल के अन्दर (प्रयागराज जी का स्थल)	"
8.	मं. श्री सीताराम जी नृसिंहद्वारा रावजी का हाटा, उदयपुर	"
9.	मं. श्री सत्यनारायण जी अमल का कांटा, उदयपुर	"

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ी टी	प्रत्यक्ष प्रभार	श्री गोवर्धनलाल	1	20	—	—	—	—	—	—
	,,	श्रीमती चन्द्रशोभा	1	15	—	—	—	—	—	—
जी उदयपुर	,,	श्री नारायणलाल	1 पान का केबिन	4	—	—	—	—	—	—
य जी	आत्म निर्भर	श्री अम्बालाल भोई	1	106/-	5936	990	4946	18	1.6-78	4964
	,,	श्री सुरेन्द्रसिंह	1	179/-	10024	2843	7180	48	1-6-78	7229
	,,	श्रीमती हमेरबाई	1	174/-	9744	1068	8076	28	1-6-78	8104
	,,	श्री अम्बालाल नाई	1	115/-	6440	—	6440	458	1-3-77	6808
	,,	श्री राधाकृष्ण	1	136/-	7616	1384	6232	28	1-6-78	6260
	,,	श्री मदनलाल	1	18/-	1008	452	555	146	1-4-78	702
	,,	श्री कमला बाई	1	230/-	12880	—	12880	4370	1-1-77	17250
	,,	श्री अशोक कुमार	1	40/-	2240	1019	1221	13	1-6-78	1234
	,,	श्री गोवर्धनलाल	1	47/-	2632	935	1698	13	1-6-78	1711
	,,	श्री लक्ष्मीलाल	1	9/-	504	72	432	—	...	432
	,,	श्री उदयलाल	1	256/-	14336	2907	11428	1114	1-4-78	12532
	,,	श्री भंवरी बाई	1	18/-	810	450	360	—	—	360
बिहारीजी	,,	श्री मांगीलाल	1	71/-	3976	—	3976	4613	17-11-63	8589
	,,	,,	1	86/-	4816	—	4816	3586	1-3-59	8402
	,,	श्री रामचन्द्र	1	48/-	2688	—	2688	2752	1-5-59	5420
	,,	श्री रुकमणी देवी	1	22/-	1232	594	636	8	1-6-78	646
	,,	श्री बालकिशन राजपूत	1	13/-	728	728	—	—	—	—
	,,	श्री जयकिशन धोबी	1	245/-	13720	825	12895	15	1-6-78	12910
	,,	श्री मोहम्मद बक्ष	1	243/-	13720	1032	12688	17	1-6-78	12705
	,,	श्री जगन्नाथ तम्बोली	1	36.50	2044	841	1203	5	1-6-78	1208
	,,	श्री नवनीतलाल	1	125/-	7000	615	6385	990	1-4-74	7275
	,,	,,	1	122/-	112	112	—	—	—	—
	,,	श्री डालचन्द	1	128/-	7728	1060	6668	20	1-6-78	6688
जी	,,	श्री हीरालाल मीणा	1	10/-	560	450	110	10	1-6-78	120
	,,	श्री भैरूलाल सालवी	1	11/-	616	100	516	346	1-8-74	862
	,,	श्री नूर मोहम्मद	1	9.50	532	522	10	—	—	10
र्जी	,,	श्री गहरीलाल	1	156/-	8736	912	7824	702	1-4-77	8526
	,,	श्री जगन्नाथ तम्बोली	1	12/-	672	276	396	3	1-6-78	399
	,,	श्री कर्मचारी संघ	1	11/-	616	451	165	—	[illegible]	165
	,,	श्री भगवती प्रसाद	1	142/-	7952	682	7070	31	1-6-78	7301
	,,	श्री नृसिंह मूर्ति	1	194/-	10864	2065	8799	35	1-6-78	8834
	,,	श्री रामनाथ लखेरा	1	121/-	6776	2170	4606	15	1-6-78	4621
	,,	श्री चुन्नीलाल	1	21/-	1176	1155	21	—	—	21
ो	,,	श्री रावजी दुकान	1	39/-	2184	240	1944	1581	1-11-50	3525
	,,	श्री सायर देवी	1	12.50	700	687	13	—	—	13
	,,	श्री शोभालाल	1	177/-	9912	1750	8162	35	1-6-78	8197
	,,	श्री ओमप्रकाश	1	170/-	9520	5025	4495	75	1-6-78	4570
	,,	श्री श्यामलाल सोनी	1	384/-	21504	10882	10822	38	1-6-78	10660
	,,	श्री हीरालाल बलदेव	1	151/-	8456	4189	4266	112	1-4-78	4378
	,,	श्री हरिशंकर	1	42.50	2380	2210	170	—	—	170
	,,	श्री शेराजमत	1	165/-	9240	3310	5930	120	1-4-78	6050

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निर्भर	श्री अमृतलाल	1	85	4760	2217	2543	75	1-4-78	2618
,,	श्री शान्तिलाल	1	148	8288	4279	4009	801	1-4-77	4810
,,	श्री नरेन्द्र कुमार	1	148	8788	4140	4648	916	1-4-77	5564
,,	श्री शांतिलाल	1	100	5600	2581	3019	81	1-4-78	3100
,,	संस्कृत कॉलेज	1	744	42664	—	42664	44944	सं. 1920	87608
,,	संस्कृत कॉलेज (प्रिंसिपल)	1	73	4088	—	4088	5823	—	9911
,,	ग्राउण्ड	1	2.75	154	—	154	1063	—	1217
,,	श्री छगनलाल	1	177	9912	864	9048	72	1-4-78	9120
,,	श्री कालूलाल	1	177	9912	1512	8400	84	1-4-78	8484
,,	श्री मोहम्मद	1	177	9912	3970	5942	210	1-4-78	6152
,,	श्री आनानन्द	1	1	56	44	12	—	—	12
,,	श्री कृष्णानन्द	1	9.50	532	437	95	—	—	95
,,	श्री शंकरलाल	1	16	896	800	96	—	—	96
,,	महिला मण्डल	1	255	5355	4590	765	—	—	765
,,	श्री मुस्मात स्वामी	1	3.25	181	—	181	—	—	181
,,	श्री मेरा सालवा	1	3	168	—	168	—	—	168
,,	श्री नारायण गूजर	1	24	1344	—	1344	967	1-4-73	2311
,,	पुलिस थाना	1	297	10632	16735	297	—	—	297
,,	धुलेव सीगा	1	24	1464	1056	408	—	—	408
,,	सरकारी दुकान	2	26	1456	280	1176	1254	1-5-52	2430
,,	श्री पन्नालाल	1	146	8176	1296	6880	24	1-6-78	6904
,,	श्री फतहसिंह	1	45.50	2548	1306	1242	13	1-6-78	1255
,,	श्री गोपाललाल	1	146	8176	2896	5280	546	1-7-75	2026
,,	श्री राजेन्द्रनारायण	1	142	7952	1104	6848	23	1-6-78	6871
,,	श्री भीमशंकर	1	208	16686	6400	10288			
,,	श्री पुरुषोतमदास	5	500	28000	9260	18740	930	1-7-78	19670
,,	श्री अकबर अली	1	142	7952	1492	6460	72	1-4-78	6532
,,	श्री गोविन्द ब्राह्मण	1	238	13228	11086	2142	—	—	2142
,,	श्री कन्हैया लाल	1	24	1344	225	1119	5	1-6-78	1124
,,	श्रीमीठा लाल	1	141	7896	3172	4724	42	1-6-78	4766
,,	श्रीमती सायरा देवी	1	12.50	700	688	12	—	—	12
,,	श्री ओंकारेश्वर	1	250	14000	10067	3933	—	—	3933
,,	श्री अब्दुल सत्तार	1	239	13384	7075	—	—	—	6309
,,	श्री वृन्दावन श्रीमाल	1	230	12880	11893	—	—	—	987
,,	श्री नारायण तम्बोला	1	15	864	—	840	279	1-3-74	1119
,,	श्री चन्द्रवदन	1	20	1120	—	1120	330	1-7-74	1450
,,	श्री लक्ष्मणसिंह	1	7	392	378	13	—	—	14
,,	श्री मोहनलाल	1	44	2464	1248	1248	9	1-6-78	1225
,,	श्री राममोहन	1	45	2520	711	1809	40	1-4-78	1849
,,	श्री रामचन्द्र	1	85	4760	—	4760	—	—	4760
,,	,,	1	29	1624	—	1624	—	—	1624
,,	श्री देवीसिंह	1	15	840	825	15	—	—	15
,,	श्रीमती सुन्दरबाई	1	15	840	840	30	—	—	30
,,	श्री नन्दलाल	1	7.50	420	405	15	—	—	15
,,	श्रीमती गोपीबाई	1	11	616	594	22	—	—	22
,,	श्री ओमप्रकाश	1	21	1176	—	1176	1076	1-2-73	2252
,,	श्री थावरचन्द	1	155	8680	7593	1085	—	—	1085
,,	श्री जसूबाई	1	9	504	504	—	—	—	—
,,	श्री बृजमोहन	1	219	12264	6242	6022	23	1-6-78	6045
,,	,,	1	12.50	700	700	—	—	—	—
,,	श्री जोधराज	1	33	1848	918	930	30	1-4-78	960
,,	श्री शंकरलाल	1	210	11760	5150	6610	700	1-12-77	7310
,,	श्री तेजसिंह शर्मा	1	210	11700	1350	10410	2000	1-5-74	12410

473,000